राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2] नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का दशम् दिवस [संख्या–7

गुरूवार,

5 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

कोटा जिले के लिए ब्लेक बोर्ड योजना

156. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में ब्लेक बोर्ड योजना के तहत कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त योजना कोटा जिले में प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) कोटा जिले में ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के तहत कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(2) उपरोक्तानुसार।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने फरमाया, ब्लेक बोर्ड योजना के तहत कोटा जिले में कार्य प्रारम्भ हो चुका है, तो किन-किन पंचायतों को कितना-कितना पैसा किस तारीख में दिया गया और स्पेशली पंचायत समिति इटावा में उक्त भवन बनाने के लिए राशि कब दी गई ?

दूसरा, मंत्री महोदय, यह भी बतायें कि कोटा जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें भवन नहीं है ? और पंचायत समिति इटावा में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनके लिए भवन उपलब्ध नहीं है। तीसरा, क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति इटावा के लिए एक एक लाख रुपये 40 स्कूल भवन बनाने के लिए स्वीकृत हुए थे ? उनमें से एक पैसा भी पंचायत समिति में नहीं पहुंचा है और वहां से बार-बार कलक्टर साहब को लिखा गया है कि हमारी जो स्वीकृत राशि है, स्कूल भवन बनाने के लिए वह भेजें, लेकिन वह अभी तक नहीं भेजे जाने के क्या कारण हैं ? चौथा, ऐसे कितने विद्या- हैं जिनमें केवल एक ही अध्यापक है और ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें सामान, जैसे ब्लैक बोर्ड, दरी, डस्टर, चॉक, मेजकुर्सी तथा पाठ्य सामग्री को पढ़ाने का अभाव है और उनकी पूर्ति अभी तक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय

(2)

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चाहा है कि कोटा जिले में इटावा पंचायत समिति में जितने स्कूलों के अन्दर इसके अन्तर्गत काम करने की स्वीकृति दी गई और कब दी गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इटावा में तीन विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई और राशि एक लाख इकसठ हजार चार सौ रुपये स्वीकृत किये गये। दूसरा आपने चाहा है कि रुपया आपने अलाट कर दिया लेकिन वहां पर अभी तक पहुंचा नहीं। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग द्वारा जितनी भी राशि है, इसका अलाटमेंट ग्रामीण विकास अभिकरण को दे दिया जाता है और यह जो भवन निर्माण का पैसा है, यह आर. एल. ई. जी. पी. के माध्यम से कराया जाता है और यह पैसा उनको दे दिया जाता है। आपका कहना है कि पैसा नहीं पहुंचा तो बीच में इन कार्यों के अन्तर्गत कई प्रकार की शिकायतें आई थी तथा जिनमें रोक लगा दी थी, किन्तु इस प्रकार के स्कूल जिनमें कार्य चल रहा है, प्रारम्भ हो गया है। उनको रुपया देने के बारे में कलक्टर और जो इस प्रकार के सक्षम अधिकारी हैं उनको हिदायत दे दी गई है। दूसरी बात आपने कही है कि किन-किन विद्यालयों के अन्दर अध्यापक नहीं है, इस योजना के अन्तर्गत और जो एकल अध्यापक के स्कूल थे, उनके लिए दो पद सृजित करने की बात थी। कोटा जिले के अन्दर पिछले दो वर्षों में 442 अध्यापक पदों का सृजन किया वर्ष 87-88 और 88-89 में। जहां तक इटावा का सवाल है इटावा में 55 इस प्रकार के अध्यापकों के पद विभाग द्वारा सृजित किये गये हैं।

जहां तक आपने दूसरा सवाल यह किया है कि सामान आदि की पूर्ति, तो सामान आदि के इस योजना के अन्तर्गत लोहे की बाल्टी, कुर्सी मेज, इस प्रकार के साधन उपलब्ध कराये गये हैं। वहां सारा सामान 87-88 और 88-89 में यह जो आपका ग्रामीण विकास विभाग है, उसको दे दिया गया है।

श्री हीरालाल आर्य : मंत्री महोदय ने अभी जो जवाब दिया कि तीन स्कूलों की स्वीकृति हुई है। मैं जवाहर रोजगार और आर. एल. ई.जी.पी. की बात नहीं करता। यह तीन विद्यालय तो इसके तहत स्वीकृत हुए लेकिन मेरे पास सूची है 31 विद्यालयों की जो ब्लैक बोर्ड योजना के तहत जिनमें एक-एक लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी मैं इनके लिए पूछ रहा हूं। मैं आर. एल. ई. जी. पी. और जवाहर रोजगार की बात नहीं कर रहा, वह तीन विद्यालय केवल उस योजना में थे लेकिन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 31 विद्यालयों के लिए एक-एक लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी। मंत्री महोदय उसके बारे में आप बताने का कष्ट करें, उनका क्या हुआ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत तीन विद्यालय भवन बनाने की कोई योजना नहीं थी। जो पैसा नाइन्थ फाइनेंस कमीशन के माध्यम से मिला था, वह इसके अन्दर लाया गया है।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन यह मेरे पास स्वीकृति है और उसकी एक कापी है, विद्यालयों के नाम हैं और उनकी राशि लिखी हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विराजे ना।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जो बात आप कह रहे हैं ना वही बात मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मंत्री जी बिराजें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में 35 विद्यालयों में काम चल रहा है लेकिन केवल कोटा जिला ही ऐसा है....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे सुनें, हो गया आपका, आपके सवाल का जवाब आ गया। मैं बता रहा हूं कि यह 31 विद्यालयों में, जो आप बता रहे हैं, वह कह रहा हूं ब्लैक बोर्ड योजना में ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : सूची मेरे पास है, कलक्टर के लिखे हुए आदेश हैं।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं है ही नहीं, इनके पास रुपया।

श्री हीरालाल आर्य : और पंचायत समिति के पास पहुंचा है, फिर यह कैसे नहीं है कैसे कह रहे हैं और जिले में काम शुरू हुआ है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं कह रहा हूं। मैंने आपसे निवेदन किया कि काम और जगह शुरू हुआ होगा, आपके यहां भी हो गया होगा। नहीं हुआ तो....

श्री हीरालाल आर्य : यह नहीं हुआ है। मैं सूचना दे रहा हूं। एक भी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। स्वीकृति केवल गई है, पैसा आवंटन नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये आप।

श्री हीरालाल आर्य : आप इस बात की जानकारी करें कि....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये न, इनको बोलने तो दीजिये न, Let him speak. बोलिये, हां अब बताइये। वे 31 लाख के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जो माननीय सदस्य चाहते हैं, मैं और जानकारी करके आपको बता दूंगा....

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : लेकिन नवें वित्त आयोग के अन्तर्गत 31 लाख रुपये अलाट हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है, चलिये। आप विराजे। श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली राशि को राज्य सरकार द्वारा बीच में स्थगित किया गया था?

५

श्री अध्यक्ष : वह तो आ गया, आप सुन नहीं रहे थे जवाब ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : क्या यह सही है कि यह राशि डी. आर.डी. ए. के माध्यम से पंचायतों को दी गई और उसमें भारी अवरोध पैदा हुआ था ? तीन-तीन बार लिस्ट बनी । कलक्टर साहब ने विशेषकर के जन प्रतिनिधियों और ए. सी एम. विकास अधिकारी महोदय की एक कमेटी बनाई गई । उसके बाद में भी ऐसा कोई अन्तिम निर्णय हो पा रहा है । इस दृष्टि से वहां भारी विषमता है । क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करवाकर कि पैसा सही समय पर मिले और यह अभावग्रस्त बिल्डिंग्स हैं और बच्चे पेड़ों के नीचे या किसी पटेल जी की पोल मे पढ़ रहे हैं, उनके समाधान हेतु पूर्ण प्रयत्न कर यह पैसा अतिशीघ्र पहुंच जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : विराजे । श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि किशनगंज पंचायत समिति भी आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्दर चयनित हुई थी । दो वर्ष पहले एक-एक लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी, परन्तु पंचायत समिति को अभी तक केवल स्कूलों के हिसाब से 50-50 हजार रुपये ही प्राप्त हुए हैं। सारी बिल्डिंग्स् अधूरी पड़ी हुई हैं । विद्यार्थियों को बैठने में बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है । क्या मंत्री महोदय बाकी पैसा बचा हुआ है, कब तक पंचायत समिति को दिलवायेंगे ? यह पहला सवाल है । दूसरा, शाहबाद पंचायत समिति भी हाल ही में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत चयनित हुई है । केवल मात्र स्कूल स्वीकृत हुए हैं अभी तक राशि का आवंटन और राशि वहां पर नहीं पहुंची है । तीसरा, किशनगंज पंचायत समिति को 6 लाख रुपये, जो आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत चयनित पंचायत समिति थी, उसके अनुसार शिक्षा की सामग्री खरीदने के लिए जिला परिषद् और एज्युकेशन विभाग के द्वारा बात हुई थी । परन्तु एजुकेशन विभाग के द्वारा वह 6 लाख रुपया खर्च न करने की पाबन्दी लगा दी गई । फिर डेढ़ वर्ष बाद वह पैसा एजुकेशन विभाग ने जिला परिषद् के माध्यम से वापस मंगाया घटिया, हल्की और अनुपयोगी सामग्री खरीदकर पंचायत समितियों को दी । वह सामग्री कोई उपयोग में स्कूल में नही आ रही है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा क्या यह घटिया किस्म की सामग्री खरीदी गई है, उसकी जांच करवायेंगे ?

दूसरा सवाल, क्या पंचायत समिति में 6 लाख रुपया जमा हुआ था । मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि क्या आप उसकी तत्काल जांच करवा लेंगे और जांच में यदि दोषी पाये गये तो कार्यवाही करेंगे? क्या सरपंच और ग्राम प्रमुख असक्षम थे जो स्कूलों की सामग्री खरीदने में उन पर विश्वास नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । आप रिपीट कर रहे हैं । सम्पतसिंह जी ।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय जैसे नगर पंचायत समिति में मेरी जानकारी में है कि जो ब्लेक बोर्ड आपरेशन स्कीम के तहत रुपया आवंटित हुआ था

(श्री सम्पत सिंह)

वह सब के सब वापस मंगा लिये हैं, क्या यही स्थिति पूरे प्रान्त में है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय अमृतजी।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, पाली के गिरासिया क्षेत्र के अन्दर पीपड़ा गांव हैं....

श्री अध्यक्ष : यह कोटा का सवाल है, आप बिराजिये।

श्री अमृतलाल परमार : मैं इसलिए पूछना चाहूंगा, यह इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : पाली के लिए मंत्रीजी तैयार नहीं हैं, कोटा का सवाल है। विराजिये आप। आप बैठिये। आपको कोटा के बारे में पूछना हो, पूछिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाटन से आने वाले माननीय सदस्य और शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चाहा है, स्कूलों के बारे में हमारे यहां फण्ड का अलाटमेंट हो गया लेकिन कहीं तो पैसा पहुंचा नहीं और कहीं वह चयनित होने में ही फंस रहा है। इस बारे में मैंने पूर्व में निवेदन किया यह पैसा आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत नहीं दिया है, डी. आर. डी. ए. के माध्यम से कलक्टर द्वारा इसका अलाटमेंट हुआ है जो नहीं पहुंचा है। मैंने पहले आपको बता दिया है पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य के जवाब में कि इस प्रकार की जो कोई विसंगति है इसके बारे में जांच करा कर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : वह तो आप फिर जांच की मांग करें, आप से ही पूछ रहे हैं सम्पत सिंहजी।

श्री सम्पत सिंह : मंत्रीजी, जो पैसा आवंटन हो गया, पहुंच गया था वह वापस मंगा लिया है, यही स्थिति पूरे प्रान्त में है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। वह जवाब दे रहे हैं। पहले कहां सवाल आ गया ?

श्री मांगीलाल मेघवाल : कुछ पैसा नहीं आया जिसकी बात कर रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये पहले। हां, मंत्रीजी, बताइये आप। माननीय मंत्रीजी सम्पतसिंहजी पूछ रहे हैं, रुपया भेजा वह वापस मंगा लिया, यह पूरे राजस्थान में हुआ क्या ऐसा ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : नहीं, इस प्रकार की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपके यहां की बता रहे हैं....

श्री सम्पत सिंह : फिर नगर में ही क्यों है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं इसकी जानकारी....

श्री सम्पत सिंह : नहीं, आपको जानकारी तो पूरी है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, मंत्रीजी, आप इसकी जानकारी कर लें पूरी।

(6)

श्री सम्पत सिंह : आपकी जानकारी पूरी है और आप सही बात नहीं बता कर मुकर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज में 6 लाख रुपया भेजा गया और वह शिक्षा विभाग द्वारा वापस मंगा लिया गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, आप बिराजिये।

श्री हेमराज मीणा : शिक्षा विभाग द्वारा हल्की किस्म की सामग्री और घटिया किस्म का सामान खरीदा गया। जिला परिषद् के प्रमुख और प्रधान द्वारा सामान खरीदने की परमिशन क्यों नहीं दी गई ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब एक साथ बोलेंगे ? आप बिराजिये। पहले बैठिये, एक मिनिट बैठिये।

श्री सम्पत सिंह : माननीय मंत्री महोदय, आप इसकी जांच करवायेंगे क्या कि आवंटित रुपया क्यों वापस मंगा लिया ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : बराबर करवायें अगर ऐसी बात हुई है तो।

श्री अध्यक्ष : यह सारी आप जांच करवा लीजिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं यह निवेदन कर रहा था मेरे ख्याल से जो इस कोटा जिले से सम्बन्धित प्रश्न है और जिन माननीय सदस्यों ने पूछे उसका मैं उत्तर दे रहा हूं और कुछ का मैंने दे दिया है। जहां तक पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर का सवाल है, इनका अलग से सवाल आयेगा तो मैं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, डिफरेंस यही है कि वहां पर एक्चुअल स्थिति क्या है ? (व्यवधान) आप बिराजिये पहले। मैं बोल रहा हूं। बैठिये, आप बैठिये।

श्री हेमराज मीणा : वह 6 लाख रुपया वापस मंगा लिया गया।

श्री मांगीलाल मेघवाल : यह, साहब, प्रशासन ने हेराफेरी की है।

श्री अध्यक्ष : मैं पूछ रहा हूं इनसे।

श्री हेमराज मीणा : यह सामान एजुकेशन डायरेक्टर ने खरीदा है। जिला परिषद् और पंचायत समिति को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया कि इसकी जो सामग्री थी वह जिला परिषद् और पंचायत समिति खरीदे।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं यही बात कह रहा था, आज से चार-पांच दिन पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात को कहा था....

श्री अध्यक्ष : आप जांच करवा लीजिये कि जो यह कह रहे कि वहां एक्चुअली नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य: जांच तो पहले से चल रही है, इनकी खास तौर से जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : बस ठीक है। आप पूरी जांच करलें। (व्यवधान) नैक्स्ट, श्री बालचन्द आर्यवीर।

कोलवी नदी पर बांध

157. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र डग में कोलवी नदी पर बांध निर्माण हेतु सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो इसमें कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ? यदि नहीं तो इसका सर्वे करवाया जाकर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायगी ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री जीवराम कटारा) : जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता । इस योजना को लिये जाने का विचार नहीं है ।

श्री बालचन्द आर्यवीर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इस कोलवी नदी पर बांध बनाने के लिए सर्वे कराया जायगा ? आपने जो जवाब दिया है क्या यह पर्याप्त है ?

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछ रहे हो ? वह कह रहे हैं सर्वे ही नहीं कराया है, हमारी योजना ही नहीं है ।

श्री बालचन्द आर्यवीर: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का जवाब देते हैं तो हम जब भी माननीय मंत्री महोदय से मिलते हैं तो यह बताते हैं कि छोटे बांध की बात करो । जब छोटे बांध की बात की तो उसमें जब पूछा गया है कि क्या सर्वे कराया जायगा तो जवाब इनका क्या यह पर्याप्त है?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । आप सर्वे करवायेंगे क्या, यह पूछ रहे हैं ।

सिंचाई मंत्री (श्री विजयसिंह झाला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नाले की नीचे एक मीडियम प्रोजेक्ट है क्यारसी, इस बंधे को बंधाने से उसकी आवक पर प्रभाव पड़ता है इसलिये इसको नहीं बंधाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । नैक्स्ट, श्री लक्ष्मीलाल । अब ही गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इनकी योजना ही नहीं है ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : वहां पर सर्वे तो कराओ ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री विजय सिंह झाला : सर्वे का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह निचले स्तर को प्रभावित करता है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री लक्ष्मीलाल ।

आसीन्द तहसील के भेड़ एवं ऊन केन्द्र

158. श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : क्या भेड़ एवं ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले की आसीन्द तहसील में भेड़ एवं ऊन विभाग के केन्द्र कार्यशील हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

(2) क्या यह सही है कि आसीन्द तहसील में स्वीकृत कुछ केन्द्र अन्यत्र कार्यशील हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार आसीन्द तहसील में स्वीकृत केन्द्र आसीन्द तहसील में ही कार्य

(श्री लक्ष्मीलाल)

करें ऐसी व्यवस्था करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार भेड़ एवं ऊन बहुल क्षेत्र आसीन्द में इस वर्ष नये केन्द्र खोलेगी ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री रमजान खां) : (1) जी हां। भीलवाड़ा जिले की आसीन्द तहसील में भेड़ व ऊन विभाग के दो केन्द्र क्रमशः कृत्रिम गर्भाधान प्रसार केन्द्र (भेड़) आसीन्द एवं भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, बदनौर में कार्यरत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। आसीन्द तहसील में स्वीकृत दोनों ही प्रसार केन्द्र यथावत कार्य कर रहे हैं।

(4) जी नहीं।

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्रीजी से यह सूचना चाही थी कि आसीन्द तहसील में भेड़ ऊन पालन केन्द्र जिसके अन्दर प्रजनन केन्द्र और प्रसार केन्द्र और गड़रिये के उप-केन्द्र सब शामिल हैं। यह सूचना चाही थी। माननीय मंत्री महोदय ने केवल कृत्रिम गर्भधान प्रसार केन्द्र और ऊन प्रसार केन्द्र, इन दो केन्द्रों की जानकारी दी है। मैं जानना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जहां गड़रिया की पोस्ट होती है इस तहसील के अन्दर पालड़ी, जगपुरा, अंटाली, निम्बाहेड़ा और पड़ासोली में यह पद सृजित नहीं है और क्या यह केन्द्र नहीं हैं ? और यदि यह केन्द्र है तो उनमें से दो केन्द्र जगपुरा और पालड़ी के जो स्वीकृत गड़रिया है वह गंगापुर और पोटला में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह आसीन्द से उठा रहे हैं और इन केन्द्रों पर काम नहीं चल रहा है ? तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, यह केन्द्र वहां क्यों चल रहे हैं ? इन केन्द्रों को वापस आसीन्द में स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल केवल प्रसार केन्द्र पूछने का ही था, वही दिया है। परन्तु आपने जब उप-केन्द्रों की यहां पर बात उठाई है तो यह बात सही है कि इन दोनों ही केन्द्रों के माध्यम से दो-दो उप-केन्द्र हैं भी चल रहे हैं आसीन्द तहसील के अन्दर आसीन्द तहसील के अन्दर बागजी का डोला और दौलतगढ़ के अन्दर उप-केन्द्र चल रहे हैं। बदनौर के अन्दर जगपुरा और अटाली के अन्दर उप-केन्द्र चल रहे हैं। दूसरी जगह उप-केन्द्र कोई भी नहीं चल रहे हैं। यहां पर इन चार ही उप-केन्द्रों पर गड़रिये विभाग द्वारा तैनात हैं जो भेड़ों के प्रजनन कराने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी अभी फिलहाल कोई भी योजना नहीं है।

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचना चाह रहा था कि यह कितने उप-केन्द्र हैं ? मैंने केन्द्र और उप-केन्द्र जो सारे भेड़ पालन केन्द्र हैं उनकी सूचना चाही थी। तो कितने उप-केन्द्र हैं,

(श्री लक्ष्मीलाल)

आप बताने की कृपा करेंगे कि आसीन्द में कितने उप-केन्द्र स्थापित हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह चार बताये ना उन्होंने कि चार उप-केन्द्र हैं ।

श्री लक्ष्मीलाल : मेरी जानकारी में पांच हैं, क्या यह गलत है ?

श्री रमजान खां : यह गलत है, केवल चार ही हैं ।

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, कि आपने यह जो नये केन्द्र खोलने के बारे में "ना" जवाब दिया है कि नये केन्द्र खोलने की सरकार की मंशा नहीं है, मेरा निवेदन यह है कि आसीन्द तहसील का आधे से अधिक भाग अरावली पर्वतमाला का पहाड़ी क्षेत्र है, वहां के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन भेड़ और बकरी पालन है । यह क्षेत्र निरन्तर अकाल की चपेट में आता है । इस वर्ष भी 154 गांव 197 गांवों में से अकाल ग्रस्त हैं । यह क्षेत्र डार्क जोन घोषित है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । माननीय मंत्रीजी, यह जो बता रहे हैं उस पर जरा विचार करिये । आप बैठिये । ठीक है । और खुलने चाहिये । आप कारण बता रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के मार्फत यह आश्वासन चाहूंगा कि जहां पर इस क्षेत्र के अन्दर भेड़पालन के धन्धे की बहुत आवश्यकता है और गुन्जाइश है और यह बहुल क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में इस तरह की सघन योजना का काम सरकार के विचाराधीन है क्योंकि आजीविका इसी आधार से लोगों को मिल सकती है । यह आश्वासन चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । मंत्री जी ध्यान दें । इसको नोट करें ।

श्री रमजान खां : इसका सर्वे करा लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रकाश चन्द बैरवा । (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या 159

(कृपया आगे देखें)

श्री दयाराम परमार ।

जन जाति क्षेत्र में उद्योग

160. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजातीय बहुल क्षेत्र में उद्योग लगाने की राज्य सरकार की नीति के तहत उदयपुर जिले की कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुन्दा, सराड़ा, सलूम्बर, खैरवाड़ा और धरियावद पंचायत समितियों में अब तक कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

(2) क्या सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को कोई विशेष रियायतें देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) स्थापित उद्योगों की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) पूर्व से ही जनजाति बहुल क्षेत्रों में राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण से ब्याज पर विशेष छूट दी जा रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने जो उद्योग धन्धों के नाम दिये हैं—अनाज पीसने का, जूते रंगने का, जूते बनाने का इनसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो 90% गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, क्या वह गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाएंगे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सूची दी है उसमें जितने भी कुटीर उद्योग हो सकते हैं उन सबको मैंने गिनाया है और कौन-कौन से उद्योग वहां लगा रखे हैं । फिर भी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति, गोगुन्दा में 381 दस्तकारी एवं लघु उद्योग स्थाई रूप से पंजीकृत हैं । पंचायत समिति, कोटड़ा में 197, खैरवाड़ा में 376, धरियावद में 262, सलूम्बर में 576, सराड़ा में 461 तथा झाड़ोल में 249 दस्तकारी उद्योग लघु उद्योग निगम द्वारा स्थापित किये गये हैं । उनमें अनुमानतः 4300 व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाये हुए हैं । इनके अतिरिक्त आपके पंचायत समिति, खैरवाड़ा के चन्द ग्राम में सिद्धार्थ सिन्थेटिक्स जिसको अब मैसर्स ऋषभदेव टेक्सटाइल्स प्रा. लि. कहा जाता है, वह चल रही है, 1989 में इस पर 36.75 लाख का विनियोजन हुआ है और इसमें 4300 स्पिंडल्स लगे हुये हैं । तो यह जो सूची मैंने आपको बताई है कि कारखाने आपके काम कर रहे हैं फिर भी मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है उसको देखते हुए इससे संतुष्ट नहीं कहा जा सकता । जितने आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी बन्धु अपनी क्षमता के अनुसार आएंगे उनको राज्य सरकार, जितनी सहायता दी जा सकती है, देने का प्रयास करेगी ।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पूछने के पीछे मेरी मन्शा यह थी कि जितने उद्योग धन्धे जैसे ऋषभदेव की मिल चल रही है उसी तरह से अन्य पंचायत समितियों में, अन्य ट्राइबल एरिया में भी ऐसे उद्योग धन्धे जहां पर एक हजार आदमी कम से कम काम पर लगे हुए हैं और ऐसा कोई उद्योग नहीं है । यह जूते रंगने का काम एक दो आदमी करते होंगे । अनाज पीसकर एक आदमी अपने घर का खर्चा चला सकता है लेकिन जो संख्या आज वर्तमान ट्राइबल एरिया में शिक्षित बेरोजगारों की, और लोगों की जिनके पास कोई धन्धा नहीं है उनके लिए सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि ऐसे उद्योग धन्धे स्थापित करें जहां एक तहसील में कम से कम एक हजार आदमी हों, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके ।

श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : अध्यक्ष महोदय, क्या पंचायत समिति, कोटड़ा में

(श्री कुबेरसिंह)

पिछले कई सालों से रणकपुर सीमेंट फैक्ट्री के नाम से उद्योग लगाने की योजना राज्य सरकार के पास है ? अगर हां, तो पिछले कितने सालों से विचाराधीन है तथा उसको चालू करने में क्या-क्या कठिनाइयां आ रही है ? दूसरा यह कि क्या सरकार या भारत सरकार की नीति के अनुसार जनजाति क्षेत्र में उद्योगों को विशेष गति देकर जल्दी कार्य प्रारम्भ करने के लिए सरकार विचार रखती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मंत्री महोदय, जवाब दे दें, उसके बाद पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, नोट कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आम तौर से मंत्रियों को बड़ी राहत मिलती है जब 5-7 साल सवाल एक साथ पूछे जाते हैं तो जिनका उत्तर सुविधाजनक होता है उनका उत्तर तो दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आपका अनुभव है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अनुभव का लाभ तो मैं उठाऊंगा निश्चित रूप से इसलिए माननीय मंत्री महोदय, जवाब दे दें पहले तो पूछूंगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में चित्तौड़गढ़ जिले को छोड़ कर जिसमें प्रतापगढ़ आता है सभी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र घोषित किये हुए हैं और उनमें उद्योग लगाने के लिए काफी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे वित्त निगम अन्य कर्जों का जो ब्याज वसूल करता है उसके मुकाबले में इन क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों पर उनके मुकाबले में आधा प्रतिशत ब्याज कम लिया जाता है। इसी प्रकार से इन क्षेत्रों को कैटेगरी नं. 1 गिना गया है। कैटेगरी नं. 1 के जो क्षेत्र हैं, उनको जो सुविधा मिली है कारखाने लगाने के लिए, बिक्री कर मुक्ति या बिक्री डेफरमेंट योजना, 89 में बिक्री कर मुक्ति का लाभ सात वर्ष के लिए दिया जाता है जबकि अन्य जिलों के अन्दर यह लाभ केवल 5 वर्ष के लिए होता है। इस प्रकार से बिक्री कर मुक्ति व बिक्री आस्थगन योजना, 1987 में कैटेगरी नं. 1 में जो सारे आदिवासी क्षेत्र आते हैं उनके अन्दर बिक्री कर मुक्ति, बिक्री आस्थगन की सुविधा लघु उद्योगों के मामले में अस्थाई यानि फिक्स्ड कैपीटल का शत-प्रतिशत तथा बड़े व मध्यम उद्योगों को उनकी स्थाई परिसम्पत्ति को 90% सीमा तक 7 वर्ष के लिए सुविधा दी जाती है। जबकि कैटेगरी नं. 2 में यह सुविधा केवल 75 प्रतिशत तक दी जाती है और केवल 5 साल के लिए होती है। इसी प्रकार से लघु उद्योगों के लिए पूंजी विनियोजन के लिए शत-प्रतिशत तक कैटेगरी नं. 1 में बिक्री मुक्ति अस्थिगन की सुविधा 7 वर्ष तक के लिए दी जाती है जो अन्य स्थानों पर केवल पांच साल तक है। इसी प्रकार से अगर कोई सिक युनिट हो जाती है उसमें जो सुविधा उनको दी जाती है अन्य क्षेत्रों में केवल 5 साल में डेफरमेंट होता है, पोस्टपोनमेंट होता है, इन क्षेत्रों के अन्दर वह

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

सात साल तक दी जाती है। इसी प्रकार अनेक सुविधाएं दी गई हैं इन आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि पिछले पांच सालों में इन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में यह तमाम सुविधाएं देने के बाद में भी वहां पर उद्योगों की स्थापना नहीं के बराबर है। जैसे आपकी काटेज इंडस्ट्रीज में, अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है कि आदिवासियों के पास जमीन नहीं है। रोजगार के साधन नहीं हैं और जैसे हिन्दुस्तान में बहुत से इलाकों में नक्सलाइट की समस्या इस बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हो रही है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित करने के बाद भी, सैल्स टैक्स और इन्कम टैक्स की सुविधा देने के बाद भी, रेट आफ इन्टरेस्ट कम करने के बाद भी नहीं के बराबर उद्योगों की स्थापना यहां पर हुई है। जो सरकार इस इलाके की बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग लगाने का प्रयत्न करे जिससे कि लोगों को अधिक संख्या में रोजगार मिल सके। सरकार का इस बारे में क्या विचार है। क्या वहां कोई कैम्पेन चला कर या कोई स्पेशल मेजर्स लेकर वहां उद्योगों की स्थापना करने के बारे में कोई योजना अगर सरकार के पास विचाराधीन है? मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। यह सच है कि सभी कुछ सुविधायें दिये जाने के बाद भी जिस गति से उद्योगों का प्रसार इस क्षेत्र में होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। इसका कारण प्रमुख रूप से यह रहा है कि जब-जब भी कोई इन्सेंटिव योजना इन्वेस्मेंट पर सब्सी के सवाल की या कोई भी सवाल हो, स्थायित्व नहीं लाया गया। जो इन्सेटिव्ज दिये गये उनको वापिस ले लिया गया। इस अनिश्चितता की स्थिति के कारण यह सारी स्थिति पैदा हुई है। सरकार स्वयं अपने स्तर पर स्टेट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम को लाने का विचार कर रही है। जिसको सारे राजस्थान में लागू किया जाएगा। यह भी सच है कि अब तक केन्द्रीय सरकार का राजस्थान के अन्दर केवल दो पर्सेन्ट का नियोजन है, जो बहुत ही चिन्ता का विषय है। इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड आज से 16-17 साल पहले राजस्थान में लगा उसके बाद से राजस्थान में नई पब्लिक सेक्टर के अन्दर कोई भी इण्डस्ट्री नहीं आई राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि केन्द्रीय सरकार से अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर के अन्दर राजस्थान में करवाया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा—

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। प्रश्न काल में अनेक लोग पूछने बैठ गये। आप बैठिये। श्री परसादी लाल जी पूछिये आप। हां, पूछिये आप।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : मेरे क्षेत्र में जो कि पिछले कई सालों से विचाराधीन हैं और मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : इन्होंने पंचायत समितिवार उद्योग धन्धों के विवरण दिये हैं कि इतने उद्योग धन्धे चल रहे हैं और इतने लोग वहां काम कर रहे हैं। पर मेरी जानकारी के मुताबिक मन्त्री जी वहां पर आप लोनिंग जिन उद्योग धन्धों के लिए देते हैं, वे सब ज्यादातर बन्द हो जाते हैं। जब तक वहां पर सरकारी क्षेत्र के आप उद्योग धन्धे नहीं लगायेंगे वहां—

श्री अध्यक्ष : कृपया आप रिपीट कर रहे हो सवाल। यह पूछ लिया माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी ने, जवाब भी दे दिया। आप बैठिये रिपीट मत कीजिये। यह सवाल हो चुका है, जवाब आ चुका है। चलिये आपके पास सवाल नहीं है।

नेक्सट श्री रामप्रसाद (अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या 161

(कृपया आगे देखें)

श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरे क्षेत्र की माननीय मन्त्री महोदया, बता रहे थे—।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, हो गया।

एक माननीय सदस्य : क्या करोगे उद्योगों से। उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है।

श्री कुबेर सिंह : मेरे क्षेत्र की बात है आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विराजिये। अभी बैठिये बाद में पूछ लेना। श्री बंशीलाल पटवा।

उद्योगों से प्रदूषण

162. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) एवं **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कपड़ा रंगाई छपाई उद्योग से निकलने वाले दूषित से जल प्रदूषण फैलता है जो पर्यावरण एवं मानव-जाति के लिए हानिकारक है?

(2) क्या पाली में प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्थापित ट्रीटमेंट प्लांट सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है? यदि हां तो सरकार क्या कदम उठा रही है?

(3) जोधपुर एवं बालोतरा के रंगाई-छपाई उद्योग से जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक इस योजना को क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

(4) पाली, जोधपुर एवं बालोतरा में जल प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या जल प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जारी किये जाने वाले लाइसेंस की शर्त के अनुसार अपना वेस्ट मैटेरियल स्वयं ही अपनी कीमत पर नष्ट करना होता है? यदि हां, तो राज्य में स्थापित ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों, जो कि ऐसा नहीं करती

(15)

(श्री बंशीलाल पटवा)

हैं, के विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में क्या कानूनी कार्यवाही की गई ?

(6) राज्य में वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार ने अब तक क्या-क्या उपाय किये हैं ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्रीमती मदन कौर):(1) जी हां, कपड़ा रंगाई-छपाई उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित जल से जल प्रदूषण की सम्भावना रहती है ।

(2) पाली में मंडिया रोड, तृतीय चरण में रीको द्वारा स्थापित ट्रीटमेंट प्लांट वर्तमान में कार्यरत है ।

(3) जोधपुर और बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योगों से निस्रावित उच्छिष्ठ से उत्पन्न जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु मंडल द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :—

1. उद्योगों को जल (प्रदूषण, नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत पूर्व में सम्मति प्राप्त करने व उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए बाध्य किया जाता है ।

2. लघु उद्योगों के मार्ग दर्शन के लिए रंगाई-छपाई उद्योगों के बारे में उनकी जानकारी के लिए दस्तावेज तैयार किया गया है ।

3. सामूहिक उपचार संयंत्र स्थापित करने के बारे में रीको एवं राज्य सरकार को सलाह दी गई है ।

4. दोषी उद्योगों के विरुद्ध राजस्थान प्रदूषण एवं नियंत्रण मंडल द्वारा कानूनी कार्यवाही भी की गई है ।

5. पाली सहित जोधपुर एवं बालोतरा में रंगाई-छपाई के नये उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

रीको द्वारा जोधपुर एवं बालोतरा में तकनीकी परामर्शदाताओं के सहयोग से ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना तैयार करवाई जा रही है । बालोतरा के लिए मैसर्स पैरामाउण्ट कंसलटैण्ट एवं जोधपुर के लिए नेशनल इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की विस्तृत योजना तैयार करवाई जा रही है । इन संयंत्रों हेतु वांछित भूमि एवं धनराशि उपलब्ध होने पर अगस्त, 1993 तक इन संयंत्रों के चालू होने की सम्भावना है ।

(4) पाली, जोधपुर एवं बालोतरा में जल प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को जल अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए उद्योगों को कानूनी नोटिस जारी किये गये हैं । अधिनियम के प्रावधानों एवं राजस्थान प्रदूषण निवारण नियंत्रण मंडल के निर्देशों की निरन्तर अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप मंडल द्वारा पाली में 134, जोधपुर में 15 एवं बालोतरा में 6 मुकदमे जल अधिनियम, 1974 की धारा 33, 43 व 44 के अन्तर्गत दायर किये गये हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से पाली के 4 उद्योगों के विरुद्ध पानी व बिजली के सम्बन्ध विच्छेद करवाने के आदेश जारी करवाये गये ।

(5) कारखाना अधिनियम, 1948 के

(श्रीमती मदन कौर)

तहत उद्योगों को वेस्ट मैटिरियल व उच्छिष्ठ स्वयं ही उपचार कर डिस्पोज करना होता है। इसके अलावा जल अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक उद्योग को उच्छिष्ठ निस्रावित करने से पहले राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है। मण्डल सम्मति प्रदान करने से पूर्व उद्योग को उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र स्थापित कर उच्छिष्ठ को मण्डल मानकों तक उपचारित करने के लिए बाध्य करता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में 131 मुकदमे दायर किये गये।

(6) राज्य में वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु केन्द्रीय अधिनियम जल (प्रदूषण, निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 लागू हैं। इन अधिनियमों के प्रावधानों को अनुपालना करने के लिए राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मंडल गठित है। मंडल प्रदूषण करने वाले व्यक्ति/उद्योग/संस्था को बाध्य करता है कि उससे निस्रावित/उत्सर्जित जल व वायु प्रदूषकों को निर्धारित मानदण्डों तक उपचारित करके ही वातावरण में छोड़ें। दोषी व्यक्तियों/उद्योगों/संस्थाओं के विरुद्ध मण्डल कानूनी कार्यवाही करता है।

उपरोक्त के अलावा पर्यावरण विभाग एवं प्रदूषण मंडल प्रदूषणों को करने वालों के विरुद्ध जन चेतना जाग्रत करना, उद्योगों के प्रबन्धकों को प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने का काम भी करता है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा संशोधित अधिनियम, 1987 और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के अन्तर्गत प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी मानकों की अधिसूचना जारी होने के बाद ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के बारे में कदम उठाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री वंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में इस तरह के कौन-कौन से उद्योग और छपाई के कारखाने और प्रोसेसिंग हाऊस हैं, जिनके यहां ट्रीटमेंट प्लान्ट न होते हुए भी उनको आज दिन तक बाध्य नहीं किया गया, और न उनके खिलाफ कोई कोर्ट में कार्यवाही की गई है। इस तरह के कोई उद्योग हैं तो वे बतायें। दूसरा, भीलवाड़ा में ऐसे कौन से प्रोसेसिंग हाऊस हैं, जिन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रखे हैं और ध्वनि प्रसारण की दृष्टि से भी प्रदूषण होता है और जल की दृष्टि से भी नदियां और तालाब खराब हो रहे हैं तो इस तरह के कौन-कौन से उद्योग हैं? ये दो मेरे सप्लीमेंट्री प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीया मंत्रीजी।

श्रीमती मदन कौर : इन्होंने जो भीलवाड़ा के सम्बन्ध में सवाल पूछा, वह तो भीलवाड़ा का मूल सवाल में नाम कोई है नहीं। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि रंगाई-छपाई के उद्योग मूलतः तीन-चार जिलों में काम कर रहे हैं और तीन जगह के सम्बन्ध में प्रश्न में जानकारी चाही गई है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन

(श्रीमती मदन कौर)

करना चाहती हूं कि जिस समय वे उद्योग लगे उस समय—

श्री अध्यक्ष : माननीया मंत्रीजी, एक बार उसमें प्रश्न का जो पहला भाग है उसमें और पांचवें में वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में पूरे ही कवर हो जाते हैं, खैर आपने जानकारी तीन की दी है, लेकिन कवर पूरे हो जाते हैं।

श्रीमती मदन कौर : मैं उसके बारे में भी आपको निवेदन कर दूं। खास तौर से पाली के सम्बन्ध में बात कही गई, केवल एक उद्योग ऐसा है जिसने अपना संयंत्र लगाया है बाकी कुछ लघु उद्योग हैं जिन्होंने एक समूह बना कर रीको के माध्यम से वहां एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है और आज की तारीख में वह चालू है लेकिन स्थिति यह है कि रंगाई-छपाई का काम पिछले कुछ वर्षों से इन जिलों में बहुत तेजी से विकसित हुआ और विकसित होने के साथ-साथ उनका जो पानी निकल रहा था, जो साल्ट से मिला हुआ पानी निकल रहा था, वह हमारे जल को प्रदूषित कर रहा था। लेकिन यह जानकारी मिलने के बाद में और लोगों की इस सम्बन्ध में चेतना जागृत होने के बाद में स्थिति ऐसी आ गई थी कि एक तरफ तो बेरोजगार को रोजगार देने का प्रश्न था और दूसरी तरफ हमारे अंडर ग्राउण्ड पानी को बचाने का प्रश्न था। आज कानून तो हमारे सामने है लेकिन अगर उन कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाय तब भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमने तय किया कि लघु उद्योगों से और पर्यावरण विभाग से और सम्बन्धित एजेन्सीज से मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाये कि रोजगार भी चलता रहे और उसके साथ-साथ अण्डर ग्राउण्ड पानी भी हमारा प्रदूषित नहीं हो। इस प्रकार की कार्यवाही में हम लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस सम्बन्ध में हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दहियाजी।
(व्यवधान)

आप विराजिये। पहले इनको पूछने दीजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी और राज्य सरकार से यह जानकारी चाहूंगा कि प्रश्न संख्या 6 के अन्दर वायु प्रदूषण के बारे में जो जानकारी आप सदन को दें, उसमें यह बतायें कि पेट्रोलियम पदार्थ के अन्दर जो मिलावट की जाती है और उसके तहत जो प्रदूषण होता है। पेट्रोल पदार्थ के अन्दर सालवेन्ट नाम का द्रव मिलाया जाता है जिसकी कीमत पांच रुपये प्रति लीटर है और वह पदार्थ एक राजकीय उपक्रम गुजरात और केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। जितने भी पेट्रोल पम्प हैं, वहां पेरेलल एक संस्था चल रही है और वह उनको सप्लाई करती है यह मैटेरियल पेट्रोल के अन्दर मिलाया जाता है। उससे प्रदूषण खूब ज्यादा फैलता है और साधारण स्थिति के अन्दर आम उपभोक्ता को उसका पता नहीं लगता है। मेरा राज्य सरकार और मंत्रीजी से निवेदन है कि इससे जो प्रदूषण बढ़ता है उसके लिए आप क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री खंगार सिंह।

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री महोदय, आप अलग-अलग जवाब देना चाहेंगी या एक साथ पूछ लें ?

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि पाली तहसील के अन्दर जो बांडी नदी में इस प्रदूषण का गंगा-प्रवाह बह रहा था उसमें 70 गांव प्रभावित हैं और वह खेती से महरूम हो गए हैं। उन गांवों का पानी बिल्कुल तेजाब हो गया है, उसके लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है और उनको क्या राहत देगी ? जो खेती करने वाले काश्तकार हैं वह बिल्कुल बरबाद हो गए हैं और पानी के अन्दर, पीने का तो काम ही नहीं है, अगर जानवर पानी में बैठता है तो उसका चमड़ा जल जाता है। ऐसे 70 गांव प्रभावित हैं उनके लिए सरकार क्या इन्तजाम करेगी ? क्या इन पूंजीपतियों को पनपाने के लिए फैक्ट्री-उद्योग को कायम रख कर उन 70 गांवों के काश्तकारों को खेती से महरूम करना चाहती है ? या उसके लिए कोई दूसरा ईलाज करना चाहती है इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मी नारायण जी दवे।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत) : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि जो पाली तहसील के अन्दर और पाली के अन्दर रंगाई-छपाई की फैक्ट्रियां हैं उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने जो मुकदमे दायर कर रखे हैं, कितनी फैक्ट्रियों को दण्डित किया गया है ? एक तो इसकी जानकारी दें। दूसरे बालोतरा के अन्दर बस्ती में गन्दे पानी से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए रीको ने एक संयंत्र बनाने के लिए खसरा नं. 668 629, 631 और 632 की कृषि भूमि का आवंटन किया था। क्या उस कृषि भूमि को वहां के उपखण्ड अधिकारी ने अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया है ? क्या यह बात सही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय हीरा सिंह जी

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से प्रश्न पैदा होता है। पिछले सालों में पाली में जो यह औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है, इनके द्वारा जो जल प्रदूषण फैल रहा है उसके लिए लगातार हमारे सदन को आश्वासन दिये जाते रहे हैं कि इस जल प्रदूषण को रोकने के लिए सम्बन्धित इकाइयों के साथ ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायेंगे और जैसा हम लगातार कहते रहे, कम से कम 60-70 गांवों की जमीन कृषि योग्य नहीं रही और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि बेरोजगारों को रोजगार देना भी जरूरी है, औद्योगिक इकाइयां चलाना भी जरूरी है। सदन के नेता भी बिराजमान हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लगातार इस प्रकार लोगों को असहाय स्थिति में छोड़कर हम इकाइयों को चलाते रहे और दूसरी तरफ हमारा यह लगातार नारा रहा कि प्रदूषण को रोक रहे हैं, प्रदूषण निवारण वर्ष मना रहे हैं, इसीलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग प्राकृतिक रूप से अपनी खेती करते थे, कुओं से सिंचाई करते थे, उनको ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। मात्र केवल मुकदमे बना दिये, अदालत में पेंडिंग पड़े हैं, इस प्रकार से मुकदमे बनाने का कोई अर्थ नहीं है। आज दिन तक किसी को कन्वीक्शन या दण्डित नहीं किया गया। औद्योगिक

(श्री हीरासिंह चौहान)

इकाई लगाने की यह पहली शर्त है वह कि प्रदूषण नहीं फैलायेंगे। इसके बावजूद भी प्रदूषण फैलाते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार हमें आश्वस्त करे कि इस प्रकार की जो इकाइयां प्रदूषण फैला रही हैं उन पर तत्काल रोक लगायी जायेगी और उनको बन्द किया जायेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के नोटिस में जो चीज आती है....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। अब बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : उस पर तत्काल रोक लगाई जावे। उस पर भी सरकार अविलम्ब काग्नीजेंस लेकर इसकी उचित कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय अमृत जी।

श्री अमृत लाल (बाली) : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि हम पांच सालों से इस आवाज को उठाते आये हैं....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : जवाब ही नहीं आया।

श्री अमृत लाल : पांच साल से इस बात को उठाते आए हैं कि प्रदूषण का कोई ईलाज किया जाये। आज दिन तक उसकी कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय हीरासिंह जी बोल गये. माननीय खंगार सिंह जी बोल गये, माननीय लक्ष्मीनारायण जी बोले, हमने इसके लिए पाली के अन्दर आन्दोलन भी किया परन्तु इसके बाद कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। 70 गांव इतने डूब गये, हालत खराब हो रही है। जब हम सिरोही से और पाली एरिया से पाली के अन्दर घुसते हैं तो जितने लोग बस में बैठते हैं उनको नाक बन्द करनी पड़ती है तो माननीय अध्यक्ष जी, जमीन का क्या हाल होगा ?

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका ? यह तो सब बाद में है।

श्री अमृत लाल : सवाल यह है कि प्रदूषण को अविलम्ब बन्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय अचलाराम जी।

श्री अचलाराम (देसुरी) : अध्यक्ष महोदय, पाली में रंगाई-छपाई के कारखानों में काम करने वाले कितने मजदूर काम करते-करते प्रदूषण की वजह से मर चुके हैं, यहां जो किसान उससे प्रभावित हुए हैं उनके कितने खेत नष्ट हो चुके हैं और कितने मजदूर अभी बीमार हैं ? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय पटवा जी।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा कुल मिलाकर एक निवेदन यह है कि राज्य भर में जितने भी उद्योग हैं, छपाई के कारखाने हैं, प्रोसेसिंग हाऊस हैं, इनमें हायर पोटेन्शी के केमीकल काम में लिए जाते हैं। प्रारम्भ में यदि ऐसे उद्योग लगाने का या स्थापित करने का हम लाइसेंस देते हैं उसके साथ ही यदि पाबंद किया जाता और पिछली सरकारों द्वारा यदि निरन्तर कारगर कदम उठाये जाते तो निश्चित रूप से रोकथाम होती, समाप्त तो नहीं किया जा सकता लेकिन इस तरह के हाई पोटेन्शी के जो केमीकल्स काम में लिये जाते हैं और वह पानी खुला

(श्री बंशीलाल पटवा)

बह रहा है, नदियों में जा रहा है, खेतों में जा रहा है, कृषकों की जमीन खराब हो रही है और तालाब खराब हो रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है—क्या राज्य सरकार इस तरह के प्रयत्न करेगी कि फिर से राज्य व्यापी जितने भी इस तरह के उद्योग लगे हुए हैं जिनमें हाई पोटेन्सी के केमीकल्स काम में लिए जाते हैं और राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत बड़े हानिकारक है? तो क्या फिर से हम समीक्षा करके कोई ऐसा कारगर कदम उठायेंगे जिससे हम तत्काल इसकी रोकथाम करें और लोगों की यह तकलीफ कम हो? इससे जो जल प्रदूषण है, इस तरह का बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण तो अलग बात है लेकिन जल प्रदूषण से बहुत बड़ी हानि हो रही है। इसलिए तत्काल हम इस तरह की किसी समीक्षा के कदम उठा कर, क्या इस तरह का कमिटमेंट माननीय मंत्री महोदय दे सकती हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। हो गया, विराजिये।

श्रीमती मदन कौर : पैट्रोल में मिलावट के सम्बन्ध में....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : एक सवाल मैं पूछूंगा। क्या यह बात सही है कि 1974 के लगभग जल प्रदूषण का मामला सदन के सामने आया था और उसके बाद में कई तरह के कानून भी बनाये, प्रशासनिक व्यवस्थायें भी की, कुछ लोगों के चालान भी किये गये, लेकिन क्या यह सही है कि उसके पश्चात् यह समस्या बढ़ी है? पहले पांच-दस गांव इससे प्रभावित थे, अब अत्यधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपका कानून तो केवल कारखानेदारों को शोषण करने के लिए है, आपकी व्यवस्था के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, घटा नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई (ओसियां) : अध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न मंत्रीजी से पूछूंगा कि जितनी भी आपने संख्या बताई कि 130 132 मुकदमों के अन्दर चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं। मेरा एक ही प्रश्न है—क्या यह सही है कि जो प्रोसीक्यूटर प्रदूषण विभाग की तरफ से लगाये हुए हैं वह उद्यमियों के साथ मिले हुए हैं और कुछ मुकदमों के अन्दर आज तक एक भी मुकदमे का फैसला नहीं हुआ है और जिस स्थिति के अन्दर मुकदमे चल रहे थे उसी स्थिति के अन्दर आकर यह कहा जा रहा है कि मुकदमों की कार्यवाही हो रही है? इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उनके अन्दर स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर लगा कर इस ओर ध्यान दिया जाय कि जो लोग दोषी हैं उनका निर्णय तुरन्त किया जाय ताकि आइन्दा प्रदूषण को रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। बैठिये बहुत सवाल हो गए।

(व्यवधान)

श्री रखबचंद मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं रोड़ी की मशीनों के बारे में। जयपुर जिले में ही सैकड़ों रोड़ी की मशीनें लगी हुई हैं और रोड़ी की मशीन पर दो साल से ज्यादा एक कर्मचारी काम नहीं कर सकता है, उसे टी. बी. हो जाती

(श्री रखब चन्द मीणा)

है। संकड़ों पेशेन्ट भरती हैं। एक रोड़ी की मशीन को आप चेक कर लें तो मालूम पड़ जाएगा। उसमें एक मजदूर दो साल से ज्यादा काम नहीं करता है और टी. वी. से ग्रसित होकर हास्पिटल में भरती हो जाता है। इसलिए मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की जांच करायें। पब्लिक की तरफ से कई बार डेपुटेशन गये हैं और आश्वासन भी दिया है उनको बन्द करने के लिए लेकिन कुछ नही हुआ। बस्ती के बीच में रोड़ी की ऐसी मशीनें लगी हुई हैं जो निवास करने वाले हैं, मजदूरों की बात तो छोड़ें, रहने वाले हैं उनको भी टी. बी. हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल की मिलावट के सम्बन्ध में जो प्रश्न यहां उठाया गया है। गुजरात में यह पैदा किया जाता है लेकिन उसको हमारे राजस्थान में, किसी उद्योग में मिलावटी पैट्रोल काम में लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, इसकी जांच करा लेंगे।

दूसरा, बालोतरा के ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन के बारे में किया था। उसके बारे में मेरा निवेदन है कि एस. डी. ग्रो. ने उस जमीन को आवासन बोर्ड को देने का तय किया था। उस आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। मैं इस सदन में यह आश्वासन दिये जाने की स्थिति में हूं कि वह जमीन ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दी जाएगी और प्रयास यह होगा कि वहां जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे।

तीसरा सवाल यह है कि निरन्तर जल प्रदूषण हो रहा है, रंगाई-छपाई के कारखानों की वजह से। यह बात सही है और यही वजह है कि राज्य सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि नये रंगाई-छपाई के कारखानों को लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। इस बात पर रोक लगा दी है। लेकिन अब सवाल हमारे सामने इस बात का है कि जो रंगाई छपाई के अभी उद्योग चल रहे हैं और उनके जरिये जो जल प्रदूषण हो रहा है, उसको किस प्रकार रोका जाय। एक विकल्प तो यह हो सकता है कि यह सदन इस बात का फैसला करले कि जितने उद्योग लगे हैं, उनको एकदम बन्द कर दिया जाय। मैं तो इस सदन का आदेश मानने को तैयार हूं और यह राज्य सरकार भी मानेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि इन उद्योगों में हमारे ग्रामीण इलाकों के काफी मजदूर इस काम पर लगे हुए हैं और उनको भी बेरोजगार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस रंगाई-छपाई से जो प्रदूषित जल निकलता है वह कम अशुद्ध होकर निकले और कम पोटेशिएलिटी के केमीकल काम में लिये जायें इस बात की सलाह और प्रयास भी जल प्रदूषण मंडल उद्योगों को दे रहा है और अब हम आगे इस बात की भी कोशिश करेंगे कि यह उद्योग कम पोटेशियलिटी के केमीकल काम में लें और जो पानी प्रवाहित हो रहा है उसको ट्रीट करके बाहर निकाला जाय। इस प्रकार प्रदूषण मंडल कार्यरत है, प्रयत्नशील है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। एक बात मेरी सुन लें....अब मेरी सुनेंगे या आप बोलेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

यह सवाल जिस तरीके से आपने पूछा उसके सारे पहलू सरकार के सामने आ गए और सरकार ने, मंत्रीजी ने साफ तौर पर जो प्राब्लम है वह आपके सामने रख दी और अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि हम हर हालत में इस प्रदूषण को बन्द करने के लिए कृत संकल्प हैं। आपके व्यक्तिगत सुझाव इस सम्बन्ध में हों तो कृपया सरकार को दे दें ताकि वह उस पर भी गौर कर लेगी। अब इसमें चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 163

बाल अपराध के प्रकरण

163. **श्री रतनलाल** (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने बाल अपराधियों पर न्यायालय में मामले विचाराधीन हैं ?

(2) कितने बाल अपराधी न्यायिक प्रक्रिया में जेल के अन्दर हैं ?

(3) गत 5 वर्षों में पेरोल व प्रोबेशन पर कितने अपराधियों को छोड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 163 स्थगित किया गया। प्रश्न संख्या 164

क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्य

164. **श्री सालिगराम** (बयाना) : व **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के विभिन्न श्रेणी के अधीनस्थ व राज्य स्तर के अधिकारियों के होते हुए भी क्षेत्रीय मूल्यांकन का कार्य विभिन्न विभागों द्वारा बाहरी अनुसंधान व सर्वेक्षण संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कितनी स्वेच्छिक संस्थाओं को कितनी-कितनी धन-राशि उक्त कार्य हेतु दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता व भौतिक सत्यापन के लिए इस विभाग की सेवा नहीं लिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया। श्री हजारी लाल। प्रश्न संख्या 165। (व्यवधान) (अनुपस्थित) श्री गंगाराम चौधरी (अनुपस्थित) श्री बुलाकीदास कल्ला (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : आपका, कौनसे में है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 165 में माननीय हजारीलालजी के साथ मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : उसमें आपका नहीं है। तीन नाम है। माननीय हजारीलाल, माननीय गंगाराम चौधरी, माननीय राजेन्द्र गहलोत....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : मैं 165 की बात कर रहा हूं, उसमें तीन नाम हैं हजारीलाल, गंगाराम चौधरी और राजेन्द्र गहलोत।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उसमे मेरा भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : यह माननीय हजारीलालजी के साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे ?

श्री अध्यक्ष : 164 तो स्थगित किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह तो मेरे को मालूम है स्थगित कर दिया। पर 165 में मेरा नाम है। हजारीलालजी और मैंने साथ प्रश्न दिया है। आपने जवाब दिया है उसमें भी मेरा नाम है। उसमें गलती से रह गया होगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप पूछिये।

भूमि के घपलों सम्बन्धी बेरी आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही

165. **श्री हजारीलाल** (खेतड़ी), **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर), **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1977 से 1980 के दौरान भूमि के घपलों की जांच के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बेरी आयोग का गठन किया गया था ? क्या यह भी सही है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1981 में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी थी ?

(2) इस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों, और अब कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व मंत्री (श्री नत्थी सिंह) : (1) जी हां।

(2) अक्टूबर, 1981 में बेरी आयोग की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार ने बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर आयोग द्वारा दर्शाई गई अनियमितता के सम्बन्ध में उठाये जाने वाले प्रशासनिक एवं वैधानिक कदमों के सम्बन्ध में राय देने हेतु अप्रैल, 1982 में श्री सुरेश एच. माथुर की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति ने आयोग प्रतिवेदन का अध्ययन कर 1984 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। उक्त रिपोर्ट में, कृषि भूमि से सम्बन्धित आयोग द्वारा दर्शायी गई अनियमितताओं के बाबत, अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण वैधानिक कानूनी मुद्दे उभर कर सामने आये हैं जिन पर विधि विभाग एवं राज्य के भूतपूर्व महाधिवक्ता ने समय-समय पर विचार कर यह राय दी है कि उन पर भारत के सोलीसीटर जनरल/एटार्नी जनरल की राय प्राप्त की जाये। मार्च, 1990 में नई सरकार के गठन के पश्चात् यह प्रकरण पुनः विचारार्थ राज्य के नये महाधिवक्ता के पास भेजा गया है तथा इस पर उनकी राय का इन्तजार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार बेरी आयोग द्वारा दर्शायी गई अनियमितताओं से ग्रस्त भूमि

(श्री नत्थी सिंह)

की मौके की वर्तमान स्थिति, कब्जे, हस्तान्तरण एवं वास्तविक उपयोग के बाबत भी विभिन्न जिलों से जानकारी एकत्रित कर रही है।

(3) भाग 2 में उल्लेखित कानूनी राय एवं मौके की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या भूतपूर्व महाधिवक्ता ने कोई राय राज्य सरकार को दी है? अगर हां, तो बताने की कृपा करें। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कोई जानकारी कर रहे हैं नये महाधिवक्ता से और कोई राय ले रहे हैं तो क्या पहली राय जो मिली है उससे आप सहमत नहीं हैं?

तीसरा, प्रश्न यह है कि कब तक आप कार्यवाही कर लेंगे। क्या कोई समयावधि इस सम्बन्ध में आप बता सकते हैं?

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कमेटी अधिकारियों ने 1984 में रिपोर्ट दे दी पर गत सरकार इसको पिछले 6 साल से लटकाती चली आ रही है। आपने कहा कि कोई राय दी? राय नहीं देकर, राय के बाद उसकी राय ली जाये, उसकी राय ली जाय, सालिसीटर की राय ली जाय लेकिन फाइल कभी राय लेने के लिए उनके पास भेजी ही नहीं गई। नई सरकार बनी है उसने निर्णय लिया है कि जल्दी से जल्दी महाधिवक्ता की राय उस पर आ जाय और उस में हम सारी स्थिति को जानकारी कार्यवाही करने को कृतसंकल्प हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो बहुत साफ सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सरकार को महाधिवक्ता की राय मिली? क्या सालिसीटर जनरल की राय मिली? नहीं मिली तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि फाइल ही नहीं भेजी। राय लेने का निश्चय किया था लेकिन फाइल भेजी ही नहीं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कह दें कि नहीं मिली। गोलमोल जवाब नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मंत्रीजी ने यह स्पष्ट नहीं किया आपने एडवोकेट जनरल से कहा उसने राय दी या नहीं दी; राय दी तो क्या राय दी? पेण्डिग है तो आगे प्रोसेस चालू करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : और यह भी बतायें कि इस जमीन घोटाला कांड में कौन-कौन लिप्त हैं?

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये।

श्री नत्थी सिंह : महाधिवक्ता ने राय दी और राय यह दी कि सोलिसीटर जनरल और एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद कार्यवाही की जाय। राय लेने के लिए कार्यवाही होनी थी वहां इसके लिए भेजी ही नहीं गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया, मैंने प्रश्न संख्या बोल दी....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। समय समाप्त हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा नाम पुकार दिया था। मैंने संख्या बोल दी थी।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न काल समाप्त होने के बाद सवाल नहीं लूंगा। आप बिराजें Then there will be no end to it. फिर कोई एण्ड नहीं होगा। इसलिए आप बिराजें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा नाम पुकार लिया था....

श्री अध्यक्ष : साहब। पुकार लिया तो कोई बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका नाम स्नेह से पुकार लिया था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर जिले के नदी क्षेत्रों से बजरी की लीज

159. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के कौन-कौन से खनन क्षेत्रों में विभाग की ओर से सम्पर्क सड़क का निर्माण करवाया गया अथवा करवाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) जयपुर जिले में कौन-कौन सी नदी क्षेत्रों में बजरी निकासी के पट्टे (लीज) जारी किये गये हैं ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फागी से निकलने वाली नदियों एवं उससे निकलने वाले नालों से बजरी निकासी हेतु लीज देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के निम्न खनन क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण खनिज विभाग द्वारा कराया गया है :—

(क) भैमलाना से रघुनाथपुरा तहसील कोटपूतली।

(ख) नकची घाटी से नायला तहसील जमवारामगढ़।

(ग) लक्ष्मण डूंगरी से नरवल दास का खोला तहसील जयपुर।

(घ) झालाना क्वारीज में पहाड़ी के पीछे तहसील जयपुर।

खनिजों का उत्पादन बढ़ाने व निर्गमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया गया है।

(2) कोई लीज स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) बजरी को लीज देने का कोई विचार नहीं है क्योंकि राज्य सरकार की

(खनिज मंत्री)

नीति के अनुसार अधिशुल्क एवं परमिट फीस संग्रह का ठेका दिया जा रहा है जिससे विभाग को अच्छी आय हो रही है।

वैर (भरतपुर) क्षेत्र में भूमि विकास बैंक की शाखा

161. श्री राम प्रसाद (वैर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस हेतु राज्य भूमि विकास बैंक मण्डल ने लिखित में अनुरोध किया है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भरतपुर प्राथमिक भूमि विकास बैंक की खराब वित्तीय हालत होने के कारण वित्तीय शाखा खोलना सम्भव नहीं हैं।

(2) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल में रिक्त पद

203. श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल ने 15 जून, 1990 तक कनिष्ठ अभियन्ता के कुल कितने पद सृजित थे ? इनमें से कितने पद रिक्त थे ?

(2) मण्डल में ये पद कब से रिक्त हैं ? क्या मण्डल द्वारा उक्त पदों पर भर्ती हेतु पूर्व में भी आवेदन-पत्र आमन्त्रित कर फीस वसूल की गई थी ? यदि हां, तो दुबारा आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

(3) क्या उपरोक्त नियुक्तियों हेतु साक्षात्कार मार्च, 1990 में किया गया था यदि हां, तो सूची इतने विलम्ब से क्यों जारी की गई ?

(4) क्या इन पदों पर अस्थाई तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं, यदि हां, तो कब से व किस आधार पर की गयीं ?

(5) क्या यह भी सही है कि हाल ही मण्डल द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए सूची जारी की गई है ? यदि हां, तो यह सूची किस आधार पर बनाई गई ?

(6) मण्डल द्वारा इससे पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर नियमित चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती रही है एवं इस बार यह प्रक्रिया क्या थी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 15-6-90 तक मण्डल में कनिस्ठ अभियन्ताओं के कैडर में 21 पद सृजित हुये थे।

(पर्यावरण मंत्री)

इसके अतिरिक्त केन्द्रिय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 5 पद दिनांक 31-3-90 तक स्वीकृत थे, जिनकी स्वीकृति (अवधि बढ़ाने के लिए) आना बाकी है । इनमें से 13 नियमित रूप से एवं 5 पदों पर तदर्थ रूप से व एक पद पर एक मुश्त राशि प्रतिमाह के आधार पर कार्यरत थे । कुल सात पद रिक्त थे ।

(2) उक्त पद निम्न प्रकार से रिक्त हैं :—

केन्द्रिय प्रवर्तित दो योजनाओं के अन्तर्गत 5 पद सृजन की तिथि दिनांक 25-11-89 से रिक्त हैं व बकाया पद निम्नानुसार सृजन की तिथियों से रिक्त माने गये हैं :—

28-7-87	दो पद
16-12-83	दो पद
15-10-84	चार पद

(तदर्थ एवं एक मुश्त उपरोक्त अंकित नियुक्तियों वाले पद यहां पर भर्ती की दृष्टि से रिक्त माने गये हैं)

मण्डल द्वारा उक्त पदों पर भर्ती हेतु पूर्व में 20-8-88 को आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे । आवेदन-पत्र की कीमत 5/- रुपये थी, परन्तु कोई फीस वसूल नहीं की गई । दिनांक 20-8-88 से पूर्व वर्ष जुलाई, 85 में कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे, इनकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से 20-8-88 को आमन्त्रित किये गये आवेदन-पत्रों पर निर्णय निरस्त रखा गया । माह जुलाई, 85 में आमन्त्रित किये गये आवेदन-पत्रों पर अंतिम निर्णय माह जून, 89 में लिया गया जिसके द्वारा 6 कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति अस्थाई रूप से की गई । बाद में शेष पदों को भरने हेतु 12-1-90 को आवेदन-पत्र पुनः आमन्त्रित किये गये ।

(3) जी हां । आवेदन-पत्र प्राप्त अभ्यार्थियों में से अनुसूचित जाति व जन-जाति का कोई भी अभ्यार्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 30-4-90 को उसी सूची में से केवल अनुसूचित जाति व जन जाति के अभ्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु पुनः बुलाया गया । इस प्रक्रिया में सामान्य समय लगा ।

(4) जी हां । इन पदों पर निम्न दिनांक से तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं :—

29-7-89	तीन पद
16-11-89	एक पद
8-12-89	दो पद
1-2-89	एक पद

क्रम संख्या 1 व तीन पर अंकित तदर्थ नियुक्तियां शासन के आयोजना (जनशक्ति) विभाग से अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त कर नियुक्तियां की गई । शेष पदों पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर तदर्थ नियुक्तियां की गई ।

(5) जी हां । चयन समिति द्वारा चयनित 8 अभ्यार्थियों की अस्थाई नियुक्ति के आदेश 15-6-90 को जारी किये गये हैं ।

(6) पूर्व में मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार लेने के पश्चात् चयन

(पर्यावरण मंत्री)

किया जाता था, इस बार अन्य अभियांत्रिकी विभागों के अनुरूप साक्षात्कार कर चयन प्रक्रिया अपनाई गई।

टोंक जिले में आवास हेतु ऋण आवंटन

204. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत पांच वर्षों में टोंक जिले में कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु आवंटित भू-खण्डों पर को-आपरेटिव फाइनेंस सोसाइटी के माध्यम से गृह निर्माण हेतु कितना ऋण स्वीकृत व वितरित हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 85–86 से लेकर 89–90 तक के 5 वर्षों की अवधि में टोंक जिले में कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस संघ द्वारा कोई ऋण गृह निर्माण हेतु न तो स्वीकृत किया गया है और न ही वितरित किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में वृक्षारोपण

205. **श्री मनीराम** (लूणकरणसर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में पिछले दस वर्षों में कितने पेड़ लगाये व उनमें से कितने जीवित हैं?

(2) नहर की उन वितरिकाओं पर वृक्षारोपण का कार्य नहीं चलाये जाने के क्या कारण हैं, जिन पर सिंचाई एक तरफा होती है?

(3) क्या सरकार की नहरों में मिट्टी भरने को रोकने हेतु एक तरफा सिंचित क्षेत्र वाली वितरिकाओं पर वृक्षारोपण की कोई योजना विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक क्रियान्विति कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में गत 10 वर्षों में विभाग द्वारा कुल 101.52 लाख पौधे लगाये गये, जिसमें से 47.34 लाख पौधे जीवित हैं।

(2) सभी वितरिकाओं के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाता है। लूणकरणसर लिफ्ट क्षेत्र में कई वितरिकाओं पर वृक्षारोपण कार्य इसलिए हाथ में नहीं लिया जा सका क्योंकि :—

1. यह क्षेत्र किसी योजना में सम्मिलित नहीं हो सका।
2. क्षेत्र की नहरों में पानी की कमी के कारण सीमित कार्य ही हाथ में लिये गये।

(3) लूणकरणसर लिफ्ट क्षेत्रों में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय प्रावधानों के अनुसार वार्षिक योजना बनाकर वृक्षारोपण कार्य करवाये जाते हैं। शेष

(वन मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र में नहरों के किनारे वृक्षारोपण कार्य सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है।

सतर्कता निदेशालय के कार्यों का मूल्यांकन

206. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में वन सतर्कता निदेशालय कार्यरत है ? यदि हां, तो निदेशालय द्वारा गत 5 वर्षों में कितने प्रकरणों की जांच की गई व कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा इस निदेशालय के कार्यों का मूल्यांकन करवाया गया है ?

(3) क्या मूल्यांकन के आधार पर इस निदेशालय की उपयोगिता नहीं है ?

(4) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार का उक्त निदेशालय द्वारा सम्पादित कार्य भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अथवा पुलिस की सतर्कता विंग अथवा वन विभाग को सौंपने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 5 वर्षों में 1-4-1985 से 31 मार्च, 1990 तक कुल 837 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 103 सत्य व 221 असत्य पाये गये। इस प्रकार कुल 324 परिवादों का निस्तारण किया गया तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में 15 प्रारूप एफ. आई. आर. वर्ष 1990 में भेजे गये।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) फिलहाल यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

मैसर्स कल्याण सुन्दरम् से सीमेंट की खरीद

207. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मैसर्स कल्याण सुन्दरम् से विगत 10 वर्षों में कितने टन सीमेंट खरीदने का आदेश कब व किसके द्वारा दिया ? उक्त आदेश के तहत अब तक विभाग को कितने टन सीमेण्ट की आपूर्ति हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उक्त फर्म को सीमेण्ट आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान भी किया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

(3) क्या यह भी सही है कि फर्म ने आदेश की शर्तों के तहत आपूर्ति नहीं की ? यदि हां, तो फर्म के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त फर्म को किये गये भुगतान के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध ?

(29)

उत्तर

(1) मैसर्स कल्याण सुन्दरम् सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज की अधिशासी अभियन्ता प्रोक्योरमेण्ट खण्ड, बीकानेर के आदेश संख्या एफ. 7/सीमेण्ट/पीडी/1562-79 दि. 13-4-89 के द्वारा 15000 मै. टन सीमेण्ट आपूर्ति आदेश दिया गया था उक्त आदेश के तहत अब तक विभाग को 36 मै. टन सीमेण्ट की आपूर्ति हो चुकी है।

(2) जी हां। माह अप्रेल, 1990 में स्टोर परचेज कमेटी की सिफारिश के अनुसार फर्म को रुपये 50,61,300/- का अग्रिम भुगतान किया गया था।

(3) जी हां। फर्म द्वारा आपूर्ति नहीं करने के कारण विभाग द्वारा एडीशनल चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट बीकानेर के न्यायालय में 3 (तीन) इस्तगासे दिनांक 3-7-89, 14-8-89 एवं 16-8-89 सेक्शन 138, नेगोसियेबल इन्स्ट्रमेंट एक्ट के अन्तर्गत एवं धारा 420 और 120 बी.आई.पी.सी. के तहत दायर किये गये थे। फर्म ने विभाग द्वारा दायर इस्तगासों के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. क्रिमिनल पिटीशन दायर की और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एडीशनल चीफ जुडीसियल मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने जमानत स्वींकार कर ली। उक्त न्यायालय ने फर्म द्वारा दायर पिटीशन हेतु तथा एडीशनल जूडीसनल मजिस्ट्रेट, बीकानेर में अग्रिम तिथि क्रमशः 6-7-90 व 12-7-90 निर्धारित हुई है। इसके अलावा "बोर्ड फॉर इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रीकंस्ट्रक्शन" में भी 82.00 लाख रुपये का लक्ष्यपूर्ति का वाद दायर किया जा चुका है जो पहली सुनवाई दिनांक 14-6-90 को शामिल कर लिया गया है।

फर्म के विरुद्ध सिविल वाद दायर करने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है। मामला विधि विभाग में विचाराधीन है। अभी तक किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

निवाई में तालाब एवं बांधों पर अतिक्रमण

208. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कितने तालाबों एवं बांधों पर अतिक्रमण कर पेटा काश्त की जा रही है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारी इन मामलों को निपटाने हेतु मनमानी शास्ति थोपते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है?

(3) क्या सरकार इन सब पेटा काश्त की जमीनों को नियमित करने हेतु आवंटन की प्रक्रिया चालू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) टोंक जिले के विधान सभा क्षेत्र निवाई में कुल 48 तालाबों एवं बांधों में अतिक्रमण कर पेटा काश्त की जा रही है (सूची संलग्न है)

(2) जी, नहीं। राजस्व अधिकारियों द्वारा तालाब एवं पेटा बांध पर किये गये अतिक्रमण के मामलों का निस्तारण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की

(राजस्व मंत्री)

धारा 91 में वर्णित प्रक्रियानुसार एवं नियमानुसार ही किया जाता है। जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) पेटा काश्त की जमीन को नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं है और न ही नियमित किये जाने के प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माध्यमिक कन्या विद्यालय निवाई का क्रमोन्नयन

209. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व सुविधा की दृष्टि से उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय निवाई को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

निवाई में वर्तमान में माध्यमिक (कन्या) विद्यालय है। इस वर्ष कन्या माध्यमिक विद्यालय को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित हैं।

जनसंख्या, छात्रा संख्या शिक्षा की अन्य उपलब्ध सुविधाओं की दृष्टि से गुणावगुण के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के निर्णय लिये जाएंगे। क्रमोन्नति के समय इस पर भी विचार किया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र नागौर के लम्बित राजस्व प्रकरण

210. **श्री गुलाम मुस्तफा खान** (नागौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नागौर में कुल कितने राजस्व प्रकरण सहायक जिलाधीश नागौर एवं उप खण्ड अधिकारी नागौर की अदालत द्वारा फैसल शुदा है जिनके आधार पर नागौर तहसीलदार को उनकी पालना में नामान्तरकरण (म्यूटेशन) भरने शेष हैं ?

(2) उक्त फैसलों की पालना तहसीलदार नागौर द्वारा क्यों नहीं की जा रही है ? कब तक उक्त पालना कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नागौर के ऐसे प्रकरणों की संख्या 150 है।

(2) इन प्रकरणों में से अधिकांश के बाबत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर, नागौर ने तहसीलदार नागौर को निर्देश दे दिये हैं तथा शेष मामलों में भी ऐसा किया जा रहा है। पटवारियों की आगामी बैठक में इन निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा कर ली जावेगी।

कमानी राजेश मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्री लिमिटेड

211. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास लि. की संयुक्त क्षेत्र की क़मानी राजेश मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को निगम की किन-किन परियोजनाओं पर क्या-क्या कार्य आवंटित किये गये एवं उनकी समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्या प्रगति है ?

(2) सानू, चूना पत्थर परियोजना पर इस कम्पनी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने में हो रहे विलम्ब से निगम को कितनी हानि हुई है ?

(3) इस कम्पनी में निगम का कब-कब कितना पूंजी निवेश हुआ है एवं निगम को इसमें कितनी वित्तीय प्राप्तियां या हानि हुई ?

(4) यदि निगम को इस संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी से वांछित परिणाम नहीं मिले हैं तो उत्तरोत्तर पूंजी निवेश एवं भिन्न-भिन्न परियोजनाओं पर नए कार्य आवंटित करने का क्या औचित्य है ।

(5) हानि की स्थिति से उबरने के लिए निगम की क्या योजना है ? इस स्थिति के लिए निगम के कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) संयुक्त क्षेत्र की इस कम्पनी को निम्न परियोजनाओं पर कार्य आवंटित किये है :—

गोटन लाइम परियोजना पर स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का उत्पादन करने हेतु अनुबन्ध किया गया। जिसके तहत आवश्यकतानुसार श्रमिकों द्वारा लाइमस्टोन की गिट्टी बनवाकर राजेश मिनरल्स से निगम द्वारा ली गई।

(2) जैसलमेर जिले की सानू लाइमस्टोन परियोजना पर राजेश मिनरल्स द्वारा लगभग 65 लाख रुपये की लागत का एक क्रशिग एवं स्क्रीनिंग प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट से अभी प्रयोगात्मक तौर पर गिट्टी का उत्पादन किया जा रहा है। व्यावसायिक उत्पादन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(3) उदयपुर जिले की कानपुर रॉक फास्फेट माइन्स पर खनन का कार्य दिया गया जिसके तहत आवश्यकतानुसार पर्याप्त खनन किया गया है। कम्पनी द्वारा विलम्ब से कार्य प्रारम्भ करने में निगम को कोई हानि नहीं हुई है।

इस कम्पनी में निगम का कुल रुपये 9.00 लाख का पूंजी निवेश निम्न प्रकार से हुआ है :—

24 जनवरी, 1985	रु. 6.00 लाख
19 मार्च, 1986	रु. 2.50 लाख
31 मार्च, 1986	रु. 0.50 लाख
कुल	रु. 9.00 लाख

कम्पनी द्वारा अभी तक कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। इसलिए कोई वित्तीय

(खनिज राज्य मंत्री)

प्राप्ति नहीं हुई है। निगम द्वारा पूंजी का जो विनियोजन किया गया है अनुबन्ध के अनुसार सुरक्षित है।

(4) कम्पनी में वर्ष 1986 के बाद कोई पूंजी निवेश नहीं किया है। नये काम कम्पनी को लाभ में लाने के लिए दिये गये हैं क्योंकि जो भी लाभ इस कम्पनी को होगा उसमें निगम की भागेदारी होगी।

(5) निगम को कोई हानि नहीं हुई है। इस प्रकार अधिकारियों की जिम्मेवारी नियत करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्यावर में ऊन उद्योग का विकास

212. श्री हरीश भामनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ब्यावर में ऊन उद्योग के विकास के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ?

(2) क्या अजमेर जिले में भेड़ों के विकास हेतु "क्रासब्रीड" एवं विदेशी नस्ल के भेड़ों के विकास का कोई कार्यक्रम विचाराधीन है ?

(3) अजमेर जिले में भेड़ों के वध को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन का अपना एक ऊन वर्गीकरण केन्द्र, ब्यावर में है तथा ब्यावर कृषि उपज मण्डी में ऊन विपणन हेतु एक दुकान एवं गोदाम लेने की फैडरेशन द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। अजमेर जिले के भेड़ों के विकास हेतु एक कृत्रिम गर्भाधान प्रसार केन्द्र (भेड़) केकड़ी में स्थापित है, जहां पर शंकर प्रजनन का कार्य भेड़ों में किया जा रहा है।

(3) अजमेर जिले में सिर्फ नकारा भेड़े एवं मेंढे मांस के लिए भेड़ पालकों द्वारा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से बेचे जाते हैं।

बांसवाड़ा जिले के निर्माणाधीन तालाब

213. श्री बहादुर सिंह (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में सिंचाई विभाग के कितने तालाबों के निर्माण कार्य चल रहे हैं तथा कितने निर्माणाधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में हिम्मतगढ़, पीपलोन, चरकनी गोपालपुरा में तालाबों के निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार जन जाति उप योजना के तहत उक्त तालाबों का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसबाड़ा में सिचाई खण्ड, बांसवाड़ा के अधीन 25 तालावों पर निर्माण कार्य चल रहा है। (सूची संलग्न है)

(2) जी हां, इन योजनाओं में से चरकनी व गोपालपुरा प्रशासनिक रूप से स्वीकृत है। हिम्मतगढ़ी व पिपलोन की स्वीकृति इनके तखमीनों की जांच के बाद जारी होगी।

(3) धनराशि उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

माही नदी से नहर

214. श्री सोमा (वागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या फुलवा, टिम्बी, गागड़ तलाई, शेरगढ़, रौहनवाडी, आदि ग्रामों में माही नदी से नहर बनाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

(3) क्या इन ग्रामों में सिंचाई हेतु ऐनीकट्स के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है? नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कैनाल के विस्तार का विचार रखती है? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, ये गांव माही की नहरों के जल स्तर से काफी ऊंचाई पर है। इसलिए इन क्षेत्रों को माही की नहरों द्वारा सिंचित करना सम्भव नहीं हैं।

(2) इस विभाग में जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त क्षेत्रों की सिंचाई के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) जी नहीं। क्यों कि 50 एकड़ से कम के तालाब सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं आते।

(4) जी नहीं। क्योंकि इन गांवों का क्षेत्र माही की नहरों से काफी ऊंचाई पर स्थित हैं।

सिंचाई विभाग, जयपुर में प्रतिनियुक्तियां

215. श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग, जयपुर खण्ड, प्रथम एवं जयपुर खण्ड द्वितीय में मेसन, कारपेन्टर इलेक्ट्रिशियन, लेबोरेट्री सहायक के कितने पद हैं?

(2) क्या उक्त खण्डों में लेबोरेट्री है? यदि हां, तो वहां कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खण्डों में कितने कर्मचारी किसी अन्य खण्ड से प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा किन-किन पदों पर नियोजित हैं? प्रतिनियुक्ति का क्या औचित्य है?

उत्तर

(1) सिंचाई खण्ड जयपुर प्रथम के अधीन निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं।

1.	मैसन	दो
2.	कारपेन्टर	एक
3.	इलेक्ट्रीशियन	एक
4.	लेबोरेट्री सहायक	शून्य

(2) जी नहीं। केवल एक प्रयोगशाला सहायक प्रथम खण्ड के अधीन जल विज्ञान सम्बन्धित कार्य निपटाने हेतु कार्यरत हैं।

(3) कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 216

(स्थगित)

बुनकरों को ऋण

217. श्री गणपतराम गाडेगावलिया(दूदू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार अनुसूचित जाति के बुनकरों को आवास गृह व कार्य शाला निर्माण के लिए ऋण व अनुदान उपलब्ध कराती है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में किन-किन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी धनराशि ऋण व अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में भारत सरकार से उक्त मद में दी गई धनराशि का पूर्ण उपयोग राज्य सरकार द्वारा लिया गया? यदि नहीं, तो किस वर्ष में कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति के बुनकरों को कार्यशाला (करघा घर) निर्माण के लिए अनुदान (सहायता) 3000/- रुपये प्रति करघा घर की दर से दी जाती है। ऋण नहीं दिया जाता है। करघा घर योजना अन्तर्गत गत 5 वर्षों में उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

(उद्योग मंत्री)

वर्ष	स्वीकृत करघा घर की संख्या	सहायता की दर प्रति करघा	कुल उपलब्ध कराई गई राशि (रुपयों में)	राज्य सरकार के हिस्से की राशि (रुपयों में)	भारत सरकार के हिस्से की राशि (रुपयों में)	भारत सरकार से प्राप्त राशि (रुपयों में)	भारत सरकार से प्राप्त राशि का आधिक्य/बचत	लाभान्वित अनु. जाति के बुनकरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85–86	200	3000/-	6.00 लाख	3.00 लाख	3.00 लाख	3.00 लाख	—	200
86–87	280	3000/-	8.40 लाख	7.50 लाख	7.50 लाख	7.50 लाख	—	221
86–87	660	1000/-	6.60 लाख	,,	,,	,,	,,	,,
87–88	510	3000/-	15.30 लाख	13.91 लाख	13.91 लाख	13.60 लाख(—)	0.31	510
87–88	626	2000/-	12.52 लाख	,,	,,	,,	,,	,,
88–89	319	3000/-	9.57 लाख	4.785 लाख	4.785 लाख	7.00 लाख(+)	2.215	878
89–90	590	3000/-	15.60 लाख	7.80 लाख	7.80 लाख	5.40 लाख(—)	2.40	520
	3115		73.99 लाख	36.995 लाख	36.995 लाख	36.50 लाख	0.495	2329

(उद्योग मंत्री)

(2) उपरोक्त विवरणानुसार भारत सरकार से प्राप्त राशि का विवरण एवं किये गये व्यय राशि का विवरण अंकित है जिसके अनुसार वर्ष 88–89 में प्राप्त राशि का उपयोग वांछित आवेदन-पत्र प्राप्ति के अभाव में नहीं किया जा सका। अवशेष राशि का उपयोग आगामी वर्ष 89–90 में कर लिया गया है और भारत सरकार से 49500/- रुपये प्राप्त किये जाने है।

बालिका सैकण्डरी विद्यालय रामगढ़ की क्रमोन्नति

218. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार शिक्षित छात्राओं की संख्या व उनकी सुविधा की दृष्टि में राजकीय बालिका सैकण्डरी विद्यालय, राजगढ़ अलवर को क्रमोन्नत कर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) एक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के क्या क्या मानदण्ड हैं और क्या उक्त बालिका विद्यालय उन मानदण्डों की पूर्ति करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस वर्ष बालिका माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित हैं। शीघ्र ही प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय गुणावगुण के आधार पर लिया जायेगा। क्रमोन्नत के समय, इस पर भी विचार किया जा सकेगा।

(2) कक्षा 10 में छात्रा संख्या, जनसंख्या, शिक्षा की अन्य उपलब्ध सुविधाओं तथा उपलब्ध वित्तीय साधन आदि की दृष्टि से गुणावगुण के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जाता है।

हाथ करघा निदेशालय की स्थापना

219. **श्री गणपतराम गाडेगावलियां** (दूदू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में हाथ करघा निदेशालय अलग से स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त निदेशालय के लिए बजट में सांकेतिक धन राशि स्वीकार कर ली गई थी? यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि प्रावधानित की थी?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित धन राशि का उपयोग किया गया अथवा नहीं? यदि किया गया, तो किस कार्य में? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 88–89 में बी. एफ. सी. द्वारा 8.00 लाख एवं वर्ष 89–90 में 0.01 लाख की राशि का सांकेतिक प्रावधान किया गया था।

(उद्योग मंत्री)

(3) जी नहीं। प्रावधानित राशि का उपयोग हाथ करघा निदेशालय की स्थापना नहीं होने के कारण नहीं किया गया।

नमक क्षेत्र में वृद्धि

220. श्री हजारी लाल (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में नमक का क्षेत्रफल बढ़ रहा है?

(2) यदि हां, तो क्या उसके अनुरूप बढ़े हुए क्षेत्रफल का आवंटन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निजी काश्तकारों की भूमि लवणीय हो जाने के कारण काश्तकारों द्वारा अपने खातेदारी अधिकार समर्पित करने पर सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1961 के अन्तर्गत लवण भूमि परिवर्तन के आदेश जारी कर लवण निर्माण हेतु आवंटन किया जा रहा है।

(2) राजस्थान भूराजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन सम्बन्धि कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण खुले लवण क्षेत्र में उपलब्ध रिक्त भूमि के आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही नहीं हो सकी है।

नागौर क्षेत्र में जिप्सम का दोहन

221. श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर के पास स्थित भदवासी एवं उसके आस-पास के गांवों में जिप्सम का विपुल भण्डार है एवं सारा का सारा जिप्सम कच्चे माल के रूप में पूरे भारत में भेजा जाता है जिससे वहां के नागरिकों को जिप्सम का पूरा मूल्य प्राप्त नहीं होता?

(2) क्या सरकार उक्त दृष्टि में वैज्ञानिक आधार पर कोई जिप्सम उद्योग लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि भदवासी ग्राम व उसके आस-पास जिप्सम के विपुल भण्डार हैं जो कच्चे माल के रूप में देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। जिप्सम का खनन एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी, राज्य खनिज विकास निगम एवं फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा इस क्षेत्र में किया जाता है। यह राज्य के सीमेंट प्लांट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि उद्योगों की आवश्यकता को पूरी करता है। बचा हुआ खनिज देश के अन्य भागों में भेजा जाता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से ही जिप्सम बेचा जाता है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। नागौर के आस-पास पाये जाने वाले जिप्सम पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए वर्तमान में किसी भी उद्यमी/उपक्रमी ने आवेदन नहीं किया है।

बारां में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

222. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा जिले के बारां नगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या बारां में उद्योग लगाने के लिए क्षेत्र निश्चित किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) जी हां । कोटा जिले के बारां नगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की योजना राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम के समक्ष विचाराधीन है। मई, 1990 में निगम के अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में स्थलों का निरीक्षण किया गया है ।

(2) औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

राज्य सरकार के किसानों को साख क्रेडिट कार्ड

223. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट कार्डों की कामयाबी के बाद क्या राज्य सरकार भी अब सहकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को साख क्रेडिट कार्ड जारी करने का विचार रखती है ताकि खेती, डेयरी, पोल्ट्री आदि के काम में आने वाली चीजें खरीदने के लिए किसानों को समय पर कर्ज मुहैया हो सके ?

उत्तर

वाणिज्यिक बैंकों की भांति सहकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

केकड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गबन

224. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गबन व घोटाले के मामले प्रकाश में आये हैं ?

(2) क्या दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राशन डीलर्स के पैसे समिति में जमा हैं ? यदि हां, तो किस-किस डीलर की कितनी-कितनी रकम जमा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) उनके पुनर्भुगतान करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर दी गई हैं ।

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी हां। 16 डीलर्स की राशि 1,71,306,62 रु. समिति में जमा हैं। सूची परिशिष्ट–"अ" पर उपलब्ध हैं।

(4) पुर्नभुगतान के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, को लिख दिया हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अजमेर नगर का छात्रावास

225. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने छात्रावास अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु संचालित हो रहे हैं ?

(2) छात्रावासों में अनुसूचित जाति के कितने छात्रों का अध्ययन राजकीय व्यय पर हो रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार अजमेर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्रों के लिए और छात्रावास स्थापित करने की मंशा रखती है ?

(4) गत दो वर्षों में अनाथ बच्चों के लिए चल रहे आवास गृहों में से अब कितने आवास गृह बन्द हो गये हैं ?

(5) क्या सरकार अजमेर की जनसंख्या को देखते हुए अनाथ आवास गृहों की संख्या बढ़ाना चाहती है ?

(6) अजमेर नगर में गत वित्त वर्ष (1989-90) में कुल कितने वृद्धों एवं वृद्धाओं की वृद्धावस्था पेंशन दी गई ?

(7) अजमेर नगर के वृद्धावस्था पेंशन के कितने प्रार्थना-पत्र वित्त वर्ष 1989-90 में निरस्त किये गये ?

(8) क्या वृद्धावस्था पेंशन के प्रार्थना-पत्रों के कॉलम की पूर्ति हेतु सहायतार्थ राज्य कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध है ? यदि हां तो किस कार्यालय में ? नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 2 छात्रावास अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु संचालित हो रहे है।

(2) छात्रावासों में अनुसूचित जाति के 46 छात्रों का अध्ययन राजकीय व्यय पर हो रहा है।

(3) जी हां। वित्तीय संसाधनों एवं आवश्यकता के अनुसार छात्रावास खोलने पर विचार किया जावेगा।

(4) राज्य में संचालित अनुदानित निराश्रित बाल गृहों में से गत दो वर्षों वर्ष 1988-89 एवं 89-90 में दो निराश्रित बालगृह क्रमशः स्वाबलम्बन शिक्षण संस्थान, जालौर गेट, जोधपुर एवं मानव कल्याण सोसाइटी, जयपुर की मान्यता समाप्त की गई हैं।

(5) फिलहाल नहीं।

(6) अजमेर नगर में गत वित्त वर्ष 89-90 में कुल 146 वृद्धों एवं वृद्धाओं को

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया गया है।

(7) अजमेर नगर में वित्त वर्ष 88-90 में वृद्धावस्था पेंशन के 50 प्रार्थना-पत्र निरस्त किये गये।

(8) जी हां। वृद्धावस्था पेंशन के प्रार्थना-पत्र के कॉलम की पूर्ति तहसील कार्यालय में पटवारियों द्वारा कराई जाती है।

बांसवाड़ा जिले के छात्रावासों में सुविधाएं

226. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के बड़ली पाड़ा खेड़ा तथा अबापुरा स्थित छात्रावासों में कुल कितने छात्र एवं कितने कर्मचारी कार्यरतहैं ?

(2) उक्त छात्रावासों में छात्रों को क्या-क्या सुविधायें यथा, खाद्य सामग्री पुस्तकें, बिस्तर एवं आवास आदि की दी जा रही है ? प्रति छात्र प्रदत्त सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त छात्रावासों का निरीक्षण कराया जाता है ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में निरीक्षण किनके द्वारा किया गया एवं उन्होंने छात्रावास के सम्बन्ध में क्या कमियां दर्शायी ?

(4) राज्य सरकार छात्रावास में सुधार हेतु क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के बड़ली पाड़ा खेड़ा तथा अबापुरा ग्रामों में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई छात्रावास संचालित नहीं किया जा रहा है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 227

(स्थगित)

जोधपुर शहर के विद्यालयों में अध्यापक

228. **श्री मिश्रीलाल चौधरी** (बिलाडा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के अधिकांश विद्यालयों में तृतीय तथा द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों के स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किस विद्यालय में कितने शिक्षक सरप्लस हैं एवं इनका वेतन किस मद से उठाया जा रहा है?

(2) कितने शिक्षक जोधपुर शहर में अधिकतम ठहराव की श्रेणी में आते हैं ?

(3) क्या सरकार अधिकतम ठहराव वाले शिक्षकों को अन्यत्र अथवा ग्रामण क्षेत्रों में भेजने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) 296 शिक्षक अधिकतम ठहराव की श्रेणी में आते है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) स्थानांतरण नीति के अनुरूप आवश्यकतानुसार अधिकतम ठहराव वाले अध्यापक को ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जा सकता है।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में विद्यालय

229. **श्री सांवरलाल (भिनाय)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कितने एवं किस-किस स्तर के विद्यालय कहां-कहां है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी विद्यालयों में आवश्यक स्टाफ कार्यरत है ? यदि नहीं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

भीलवाड़ा जिले में वित्त आयोग के तहत विद्यालय भवनों का निर्माण

230. **श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले में नये वित्त आयोग के तहत प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि की ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यह स्वीकृति किस आधार पर दी गई है ?

(3) इन भवनों के निर्माण पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने आदेश निकाल कर इन स्कूल भवनों का निर्माण कार्य रूकवा दिया है ? यदि हां तो क्यों ?

(5) जिन स्कूल भवनों के निर्माण पर रुपया व्यय हो गया है उनके भुगतान की क्या व्यवस्था होगी और जो भवन अधूरे रह गये हैं उनके निर्माण की क्या व्यवस्था की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रत्येक विद्यालय को एक लाख रुपये की राशि भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की गई हैं। पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) पंचम शैक्षिक सर्वे में भवन विहीन प्राथमिक विद्यालयों की प्राप्त सूचना के आधार पर स्वीकृति जारी की गई।

(3) व्यय सम्बन्धी सूचना एकत्रित की जा रही हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी हां, मूल सूची में संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए निर्माण कार्य रुकवा दिया गया।

(5) निर्माणाधीन कार्यों पर से रोक हटा ली गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विद्यालय

231. श्री हुकमाराम (सिवाना) एवं **श्री मनोहर सिंह** (शेरगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में मिडिल, सैकेण्डरी, हायर सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय कितने हैं?

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने एवं कहां? रिक्त पदों को कब तक भर दिये जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में उच्च प्राथमिक, विद्यालय, एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्नानुसार है :—

1. सी. उ. मा. विद्यालय	02
2. मा. वि.	09
3. उ. प्रा. वि.	41

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है तथा रिक्त पद कहां-कहां है का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

	स्वीकृत	रिक्त
व्याख्याता	30	08
व. अ.	112	14
अध्यापक	312	41

रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

नागौर शहर में डायट केन्द्र की स्थापना

232. श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के सहयोग से नागौर शहर में डायट (Diet) शिक्षण संस्थान केन्द्र खोले जाने के सरकार द्वारा आदेश दिये गये थे?

(2) क्या उक्त संस्था के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत है?

(3) क्या उक्त संस्था के निर्माण हेतु निविदा स्वीकार हो चुकी है? यदि हां, तो इस भवन निर्माण में क्यों विलम्ब हो रहा है?

(4) क्या राज्य सरकार इस संस्था को नागौर से अन्यत्र ले जाना चाहती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां, उक्त संस्था के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार ने 63.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया है जिसमें से वित्तीय वर्ष 1989-90 में 37.45 लाख रुपये जारी किये जा चुके हैं।

(3) उक्त कार्य हेतु अधिक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त 11 अजमेर के द्वारा निविदा आमन्त्रित की गई थी किन्तु निविदा दर अधिक होने तथा कई अतिरिक्त शर्त होने के कारण निविदायें अस्वीकृत कर दी गई। तत्पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड; नागौर द्वारा पुनः निविदाएं आमन्त्रित की गई। दिनांक 1-6-90 को निविदाएं प्राप्त कर स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को 7-6-90 को भिजवाई जा चुकी हैं।

(4) प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है।

पर्यावरण योजनान्तर्गत शिक्षा विभाग को राशि

233. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डोली) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी योजना के तहत शिक्षा विभाग को नर्सरी लगाने हेतु वर्ष 1989 में धन राशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी व किस-किस विद्यालय को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस कार्य हेतु वस्तुएं क्रय करने हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया था ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में अनियमितता व घपलों की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) जयपुर I तथा जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर को प्रत्येक में 1000 विद्यालय, प्रत्येक को 1600/- रुपये की दर से सामग्री क्रय करने हेतु आवंटित की गई थी। विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस कार्य हेतु वस्तुएं क्रय करने हेतु 32.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई प्रत्येक को 16.00 लाख रुपये।

(3) क्रय संबंधी अनियमितताओं व घपलों की शिकायतें प्राप्ति हुई है। राज्य सरकार उनकी जांच करवा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बिजोलियां में खनन लीज

234. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हेम निवास सहकारी समिति बिजोलिया (भीलवाड़ा) के पास पट्टियों के खनन की लीज कब से है एवं इसकी समयावधि कितनी है ?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष जनवरी में इस खान की पत्रावली पर पूर्व में अंकित किसी टिप्पणी को बदलने की नीयत से मौजूदा पत्रावली के पन्ने पर एक नया पन्ना चिपका दिया गया ?

(3) यदि हां, तो ऐसा करने अथवा करने के लिए बाध्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(4) इस समिति की अवैध रूप से बढ़ी हुई लीज अवधि को घटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) हेमनिवास सहकारी समिति बिजौलिया (भीलवाड़ा) के पास पट्टियों के खनिज की कोई लीज नहीं है। बिजौलिया तहसील माण्डलगढ़ में खनिज सैण्डस्टोन की पट्टियों की लीज नहीं दी जाती है। खनिज सैण्डस्टोन के केवल क्वारी लाईसेन्स ही स्वीकृत किये जाते हैं। ग्रामदानी ग्रामसभा हेमनिवास को ग्रामदानी गांव हेमनिवास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 3(145) खान/ग्रुप-2/80 दिनांक 14-5-81 के अनुसार ग्रामदान हेमनिवास बा. में 80 ब्लॉक साइज 60×30 मीटर प्रत्येक के क्वारी लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं। जो कि केवल ग्रामदान के सदस्यों को ही स्वीकृत किये गये है। इन 80 ब्लॉकों में से वर्तमान में केवल 7ब्लॉक स्वीकृत है। इनकी अवधि दिनांक 30-9-90 तक है।

(2) जी नहीं। टिप्पणी अंकित करते समय ही नोटशीट की अन्तिम दो पंक्तियों में अत्यधिक कटा-फॉस हो जाने के फलस्वरूप एक इंच की स्ट्रिप चिपकाई गई है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) अवैध रूप से जब लीज अवधि बढ़ाई ही नहीं गई तो घटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सहायक अभियन्ता कार्यालय का स्थानान्तरण

235. **श्री अजय सिंह** (दांतारामगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्तमान में खनिज विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय का मुख्यालय नीमकाथाना में है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीकर जिले की दांतारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, धोद, सीकर के निवासियों के हित में इसका स्थानांतरण सीकर जिला मुख्यालय पर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, कार्यालय सहायक, खनि अभियन्ता को सीकर जिला मुख्यालय पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस कार्यालय के अन्तर्गत प्रमुख खनन क्षेत्र नीमकाथाना के निकट स्थित है।

अजमेर जिले में मत्स्य पालन

236. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में 1985 से 1989

(श्री हरीश भामनानी)

तक मत्स्य विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ? क्या वर्तमान में मत्स्य पालन का कार्य बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या केकड़ी उप खण्ड में मत्स्य पालन एवं ठेकों का कार्य एक वर्ग विशेष के लोगों को ही गत सरकार ने दिया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन हेतु 1989-90 में अजमेर जिले में कितना अनुदान दिया गया ?

(4) क्या अजमेर में मत्स्य विभाग का कार्यालय तत्कालीन मत्स्य विभाग के निदेशक के निवास स्थान पर स्थापित किया गया ? यदि हां, तो कितने किराये पर और क्यों ?

(5) पुष्कर सरोवर में मछलियों की सुरक्षा हेतु क्या मत्स्य विभाग कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में वर्ष 1985 से 1989 तक मत्स्य विभाग द्वारा विभिन्न मदों पर राशि 23.48 लाख रुपये चार वर्ष में व्यय हुए है। वर्तमान में भी मत्स्य पालन कार्य चल रहा है।

(2) जी, नहीं।

(3) वर्ष 1989-90 में मत्स्य पालक विकास अभिकरण, अजमेर को सरकार द्वारा 6.07 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(4) जी, नहीं। वर्तमान निदेशक ने अप्रेल 1988 में कार्यभार सम्भाला। मई 1988 में भवन खाली कर दिया गया।

(5) जी, नहीं। किसी योजना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि विभाग द्वारा पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी मत्स्य आखेट हेतु आवश्यक सतर्कता बनाये रखते हैं। जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनता भी जागरूक है।

ग्राम ठींगला (सवाई माधोपुर) के रास्ते का पंजीकरण

237. श्री अमृत लाल (बाली) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ठींगला तहसील सवाई माधोपुर के खसरा नम्बर 880/854 गैर मुमकिन आम रास्ता का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान के नाम से पूर्व किया गया था ? यदि हां, तो क्या रजिस्ट्रेशन से पूर्व जिला कलक्टर या सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया ? यदि नहीं, तो गैर कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? कृपया रजिस्ट्रेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपशासन सचिव देवस्थान एवं वक्फ ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर से खसरा नम्बर 880/854 गैर मुमकिन आम रास्ता की वस्तुस्थिति रिपोर्ट पत्र क्रमांक प. 10 (1) राजस्व/7

(श्री अमृत लाल)

देव/88. दिनांक 8-3-1989, 29-8-89, 22-1-90 चाही थी ? यदि हां, तो जिला कलक्टर ने क्या रिपोर्ट दी है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सचिव, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा जिला वक्फ कमेटी सवाई माधोपुर के प्रार्थना-पत्र वक्फ अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत ग्राम ठींगला तहसील सवाई माधोपुर के खसरा नम्बर 880/854 का रजिस्ट्रेशन कब्रिस्तान के रूप में किया गया है। उक्त धारा के अन्तर्गत रजिस्टर इन्द्राज को अदालत दिवानी द्वारा दावा दायर कर रिवोक (Revoke) अथावा मोडीफाइड (modified) करवाया जा सकता है। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, उक्त धारा के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया कर इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करने हेतु सक्षम है। अधिनियम की धारा 27 के तहत वक्फ बोर्ड को जिला कलक्टर के अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर से रिपोर्ट आपेक्षित है।

डालमिया डेयरी, भरतपुर

238. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डोली) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन को क्या राष्ट्रीय डेयरी डवलपमेंट कार्पोरेशन ने भरतपुर स्थित डालमिया डेयरी के सम्बन्ध में कोई निर्देश प्रदान किये हैं ?

(2) यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीकर जिला मुख्यालय पर डेयरी प्लांट की स्थापना

239. **श्री अजय सिंह** (दांतारामगढ़) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सीकर जिला अर्घ रेगिस्तानी जिला होने के कारण क्या सरकार अनपढ़ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जिला मुख्यालय पर डेयरी प्लान्ट लगाने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सीकर जिले में दुग्ध उत्पादन की क्षमता एवं गत वर्षों में हुए दुग्ध संकलन को ध्यान में रखते हुए डेयरी संयत्र लगाने की कोई अनुशंसा नहीं है।

प्रति व्यक्ति औसत व्यय

240. श्री हजारी लाल (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति व्यय का राष्ट्रीय औसत क्या था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त काल में राजस्थान का प्रति व्यक्ति व्यय का औसत प्रतिवर्ष क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1990-91 में 1 जून को प्रति व्यक्ति व्यय का राष्ट्रीय औसत क्या रहा तथा राजस्थान का क्या रहा ?

उत्तर

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष योजना व्यय का राष्ट्रीय औसत निम्नानुसार रहा :—

(योजना व्यय रु. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)

वर्ष	राज्यों का योजना व्यय
1985–86	172.9
1986–87	205.3
1987–88	221.3
1988–89 ×	228.0
1989–90 × ×	269.6

× संशोधित आवंटन

× × योजना आवंटन (Plan outlay)

(2) राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में वर्षवार प्रति व्यक्ति योजना व्यय की सूचना निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्रति व्यक्ति राज्य योजना व्यय	प्रति व्यक्ति राज्य योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना व्यय
1985–86	110.44	158.43
1986–87	132.45	191.24
1987–88	158.01	225.79
1988–89	156.66	253.17
1989–90	184.98	303.58

प्रति व्यक्ति योजना व्यय की राशि ज्ञात करने के लिए सम्बन्धित वर्ष की प्रक्षपित (Projed tel) जनसंख्या के आधार पर ज्ञात की गई है।

(3) सम्बन्धित सूचना का संकलन अभी नहीं किया गया है।

भेरूघाटी तालाब झालरापाटन

241. श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति झालरापाटन की पंचायत ग्राम सरोद के पश्चिम दिशा में पहाड़ियों के बीच भेरूघाटी नामक पुराना तालाब है ? क्या इसका सर्वे करवाकर एवं अपने अधीन लेकर इसकी मरम्मत के उपरान्त किसानों को सिंचाई हेतु पानी देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । पंचायत समिति के अधीन छोटे तालाबों को सिचाई विभाग में लेने का विचार नहीं है।

अथु'ना डिस्ट्रीब्यूटरी की नहरों की मरम्मत

242. श्री सोमा (बागीडोरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अथु'ना डिस्ट्रीब्यूट्री की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(2) टामटिया, रइना जौलाना आदि गांवों के पास कैनाल की मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी ?

(3) उक्त क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(4) जिन किसानों की जमीन पानी से भरी रहती है, क्या सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इन नहरों के क्षतिग्रस्त होने का कारण इनमें प्रयुक्त निम्न स्तर की निर्माण सामग्री है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, अथु'ना वितरिका व इससे निकलने वाली 35 वितरिकाएं सही हैं। छोटी-मोटी टूटी-फूटी रबी सिचाई से पहले एक वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष नहरें खोलने से पहले ठीक कराई जाती है। इस वर्ष भी कार्यक्रम के अनुसार ठीक कराई जाएगी।

(2) टामटिया एवं जौलाना गांवों के पास पारसोलिया एवं गोपीनाथ का गढ़ा वितरिका पड़ती है जिन पर छोटी-मोटी आवश्यक मरम्मत पहले ही करा दी गई है।

(3) पारसोलिया वितरिका की आवश्यक मरम्मत कराने हेतु लगभग 5000 रुपये खर्च हुए हैं। यह कार्य खरीफ हेतु पानी छोड़ने से पहले ही करा दिया है।

(4) जी नहीं। कच्ची नहरों में पानी चलाने के कारण पिलोंग रिचेंज में कहीं-कहीं नहरों पर पानी का रिसाव होता है जिस पर तत्काल कार्यवाही कर पानी खेतों में जमा होने नहीं दिया जाता है।

(5) जी नहीं। इन नहरों पर निर्माण हेतु निम्न स्तर की सामग्री उपयोग में नहीं ली गई है।

किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों की लघु सिंचाई परियोजनाएं

243. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की किशनगंज तथा शाहबाद तहसील क्षेत्रों में स्थित लघु सिचाई परियोजनाओं की दुरुस्ती एवं रख-रखाव के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) इन परियोजनाओं की क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण नहरों तथा मोरियों को

(श्री हेमराज मीणा)

दुरूस्त करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(2) इन परियोजनाओं की नहरों तथा मोरियों को दुरुस्त करने हेतु वांछित धन-राशि की स्वीकृति पर विचार किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

राजगढ़ (अलवर) के बिगोता बांध का निर्माण

244. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) में बिगोता बांध को बनाने की स्वीकृति होते हुए भी इसके निर्माण कार्य को रोका हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निर्माण कार्य में स्वीकृत राशि में से 25 से 30 हजार की राशि खर्च हो चुकी है ?

(3) इस रोके हुए निर्माण कार्य को राज्य सरकार कब तक पुनः चालू करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निर्माण कार्य स्वीकृति के अभाव में रूका हुआ है।

(2) जी नहीं। केवल प्रारम्भिक सर्वे पर वर्ष 1987-88 में रु. 25 हजार एवं वर्ष 1988-89 में रु. नौ हजार कुल रुपये 34 हजार का व्यय किया गया है।

(3) तखमीना स्वीकृत होने के पश्चात् तथा बजट उपलब्ध होने पर ही बांध का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

झालावाड़ में जल स्रोत का सर्वे

245. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में चम्बल व देहकाली सिंघ नदी पर देह मक्सी ग्राम के पास उपलब्ध अथाह जल स्रोत का सर्वे करवा कर सिंचाई योजना बनाने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इन सिंचाई योजनाओं को बनाने पर गांधी सागर बांध की भराव क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इनका पानी गांधी सागर बांध में जाता है।

ब्यावर में जेल का निर्माण

246. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ब्यावर जेल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(श्री चम्पालाल जैन)

(2) यदि हां, तो उक्त जेल का संचालन कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उप कारागृह, ब्यावर के भवन निर्माण हेतु 8 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत राज्य सरकार के पत्र सं. 1 (ग) (4) गृह-2/82 दिनांक 12-9-85 द्वारा 25.00 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की गई। भवन का निर्माण कार्य वर्ष 86 में शुरू किया गया एवं माह अक्टूबर, 89 में में निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना प्राप्त हुई। निरीक्षण करवाने पर कमियां पाई गई जिनको सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दूर किये जाने पर भवन को दिनांक 30-4-90 को अधिग्रहण किया गया। विधिवत् इस भवन को कारागार के रूप में राज्यादेश संख्या प. 9 (3) गृह-12/कारा/90 दिनांक 23-6-90 द्वारा घोषित कर दिया गया है।

(2) कारागृह का कार्य क्षेत्र निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है, स्टाफ उपलब्ध होते ही जेल का संचालन प्रारम्भ हो जएगा। जिसके लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

तहसील लालसोट के निर्माणाधीन बांध

247. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की लालसोट तहसील में निर्माणाधीन बांध राहूवास परियोजना पर अब तक कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है ? मदवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राहूवास-बांध से कुल कितनी भूमि सिंचित होगी ?

उत्तर

(1) राहूवास बांध के निर्माण पर मई, 1990 तक कुल 74.99 लाख रु. व्यय किये जा चुके हैं। इस राशि का मदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत।	रु. 6.60 लाख
योजना मद (लघु सिंचाई योजना)	रु. 68.39 लाख

(2) इस बांध के पूर्ण होने पर इसमें 1540 एकड़ भूमि सिंचित होना प्रस्तावित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 248

(स्थगित)

चूरू जिले के विद्यालय

249. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में तहसीलवार कुल कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

(2) क्या सरकार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की नीति के अन्तर्गत विद्यालयों की उक्त संख्या को पर्याप्त समझती है? यदि नहीं, तो सरकार का किस-किस श्रेणी के कितने कन्या विद्यालय कब तक खोलने का विचार है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले की 727 प्राथमिक विद्यालय, 309 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 90 माध्यमिक विद्यालय हैं जिनकी तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । सीमित वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर कन्या विद्यालयों को खोलने का प्रयास किया जायेगा । इस वर्ष भी कन्या माध्यमिक विद्यालयों को सीनीयर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लिए प्रावधान प्रस्तावित है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

राज्य में उद्योग

250. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में एक करोड़ से अधिक की लागत के कुल कितने उद्योग निर्माणाधीन है ? सरकार उन्हें क्या सहयोग कर रही है ?

(2) क्या अजमेर में रीको के पास औद्योगिक इकाइयों को आवंटन हेतु भू-खण्ड उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कितने भू-खण्ड उपलब्ध हैं और कब तक आवंटन का विचार है ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

(3) क्या सरकार नई औद्योगिक नीति बना रही है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए उद्योग कर्मियों से विचार विमर्श किया जाकर सुझाव आमंत्रित किये गये हैं ?

(4) राज्य में कुल कितनी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं ? राज्य सरकार इनको चालू करने एवं संचालित करने हेतु क्या कदम उठा रही है ? रुग्ण इकाइयों के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य के वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित एक करोड़ से अधिक लागत के लगभग 78 उद्योग निर्माणाधीन हैं । राज्य सरकार एवं राजकीय वित्तीय संस्थाएं नियमानुसार इन उद्योगों की स्थापना हेतु हर सम्भव सहयोग प्रदान कर रही है ।

(2) अजमेर में रीको के पास पर्वतपुरा औद्योगिक क्षेत्र में केवल एक भू-खण्ड दो हजार वर्ग मीटर का आवंटन हेतु उपलब्ध है । प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते ही आवंटन कर दिया जायेगा ।

(3) जी, हां । परन्तु उद्योग कर्मियों से विचार विमर्श का कोई इरादा नहीं है ।

(4) राज्य में कुल 66 बृहद एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां तथा अनुमानतः लगभग 17500 लघु इकाइयां रुग्ण/बन्द हैं । राज्य सरकार द्वारा इन्हें चालू करने एवं संचालित

(उद्योग मंत्री)

करने हेतु उठाये जाने वाले उपायों का विवरण सूची "क" पर संलग्न है। रुग्ण इकाइयों के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों की सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

आय-व्ययक 1990-91 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बजट को लेकर के इस सदन में कई तरह के दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गये हैं। कोई भी बजट जो राज्य सरकार प्रस्तुत करती है, वह सरकार की राजनीतिक सोच एवं....(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, क्या शून्यकाल नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : होगा। विराजिये आप। होगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : क्या व्यवस्था बदल दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : हां, बदली गई है। माननीय मंत्रीजी।

श्री नत्थी सिंह : तो मैं कह रहा था, बजट जो मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप बेरी आयोग पर बोल रहे हैं या बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री नत्थी सिंह : बजट पर बोल रहा हूं। मैंने कहा, बजट जो होता है वह उसकी राजनीतिक सोच एवं आर्थिक नीति की दिशा का द्योतक होता है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो वित्त मंत्री भी हैं, भाजपा और जनता दल की संयुक्त सरकार की ओर से जो बजट पेश किया है उसमें निश्चित रूप से हमारे राजनैतिक संकल्पों के प्रयत्नों को किस तरह से क्रियान्वित किया जाये, यह दिशा साफ तौर पर दर्शायी गई है। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, कई लोगों के दिमाग में कुछ भ्रम उत्पन्न हुए हैं। 4 मार्च को पहली दफा चार सदस्यीय मंत्रिमण्डल का गठन हुआ। उसके बाद अधिकारियों की, शीर्ष अधिकारियों की जो पहली मीटिंग ली मुख्य मंत्रीजी ने, उसमें स्पष्ट तौर से दिशानिर्देश दिये। यह सरकार बनी है, हमारे दोनों भाजपा और जनता दल के चुनाव घोषणा पत्र हैं। यह सरकार उन चुनाव घोषणा पत्रों को क्रियान्वित करेगी 5 साल की अवधि में। इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक भाजपा और जनता दल के जो चुनाव घोषणा पत्र हैं, उनको पढ़िये और यह देखिये कि उनके क्रियान्वयन में किस तरह सतर्कता, सावधानी और चुस्ती बढ़ाई जाये। इसके बाद....

श्री सम्पत सिंह : महोदय, यह बात आप विपक्ष के लिए कह रहे हैं या भाजपा और जनता दल के लिए कह रहे हैं ?

श्री नत्थी सिंह : मैं सारे सदन के लिए कह रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जनता दल के लिए कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। जो बहरे नहीं हैं उन सबके लिए है। बोलिये।

श्री नत्थी सिंह : मैं इस सम्बन्ध में एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : कई बहरे हैं कई ज्यादा गहरे हैं।

श्री नत्थी सिंह : 16 मार्च को मंत्रिमण्डल का विस्तार किया गया। इसके बाद 16 मार्च को राज्यपाल महोदय ने इस सरकार की दिशा नीति और संकल्प के सम्बन्ध में इस सदन में इन शब्दों में घोषणा की कि पिछले 4 महीनों में जनता ने दो बार स्पष्ट जनादेश देकर प्रदेश का राजनैतिक परिदृश्य बदल दिया है। पहले केन्द्र में तथा बाद में प्रदेश सरकार बदलकर उसने सत्ता परिवर्तन की अपनी इच्छा को स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है। जनता द्वारा किया गया यह परिवर्तन नयी व्यवस्था एवं मूल्यों का परिवर्तन है। इस परिवर्तन से देश में लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। जहां इससे जनता में नया विश्वास और नई आकांक्षाएं जगी हैं, वहीं सरकार का यह विशेष उत्तरदायित्व बना है कि वह जनता की इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाये। मेरी सरकार आपसी सामंजस्य एवं सहमति की प्रक्रिया अपनाकर इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने के लिए वचनबद्ध है। स्पष्ट तौर पर सरकार की नीति की जो विवेचना राज्यपाल महोदय ने की है, हमने जनता में जो आकांक्षाएं जगायी हैं, जनता के सामने हमने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं, उनको निभाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को इसके बाद भी कोई शक हो कि यह सरकार कोई संयुक्त सरकार नहीं है, अकेली एक पार्टी की सरकार है तो मैं समझता हूं आज के बाद वह अपने भ्रमों को दूर कर लेंगे और समझ लेंगे कि यह संयुक्त सरकार मिल-जुलकर इस राजस्थान में सारे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बोलिये।

श्री परसादी लाल मीणा : कृपया किसानों की कर्ज माफी पर बोलो, मंत्रीजी।

श्री नत्थी सिंह : मैं कर्ज माफी पर भी बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Parsadilalji, Please get sit down. देखिये, मेरा निवेदन है कि अभी कई लोग बोलने वाले हैं। यदि आपने यह परम्परा शुरू कर दी। आप हाउस को चलने क्यों नहीं देते ? सुनिये आप बैठकर के। माननीय मंत्रीजी।

श्री नत्थी सिंह : हमें अपने कार्यक्रम को पूरा करना है। निश्चित तौर से....

श्री डूंगरराम पंवार : देखिये, लिमिट से ज्यादा बोलने वालों में+++

श्री अध्यक्ष : Please. Please sit down. Please sit down. Please sit

---

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ग्रध्यक्ष)

down. Please sit down I say please sit down. आप बोलिये । Please do not intefere.

श्री नत्थी सिंह : लेकिन इस सारी बात को सोचते हुए बजट को जब पेश किया गया है, जब हमारे सामने वे परिस्थितियां भी विद्यमान थीं, जो पिछली सरकार जाते-जाते इस प्रदेश के सामने उत्पन्न कर गई। पर कैपिटा इन्कम घटी, हमारा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वह भी घटा और उसके साथ-साथ इतनी गिरावट ग्रायी कि आप पांच हजार तीन सौ सत्तर का कर्जा इस प्रदेश पर छोड़कर गये, जिसमें से 32 से 46 करोड़ का कर्जा केन्द्र सरकार का है। इतना ही नहीं स्थिति यहां तक बनी, 1977-78 में इस प्रदेश में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोग 33 प्रतिशत थे। आपने परिभाषा भी बदल ली लेकिन जब यह सरकार गई, तब इस प्रदेश के गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 33 से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई। इतना ही नहीं यह सरकार....

श्री ईश्वरलाल सैनी : महंगाई कितनी बढ़ गई।

श्री नत्थी सिंह : चिन्ता मत करो। सब पर आऊंगा।

श्री रामनारायण बैरवा : असत्य आंकड़े क्यों पेश कर रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री नत्थी सिंह : इतना ही नहीं उस सरकार ने 2 से 4 करोड़ का बजट घाटा छोड़ा। उस स्थिति में क्या स्थिति हमारे प्रदेश की थी, इसका चित्रण मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के पैरा नम्बर 7 में किया है। इसमें बताया है, देश के 14 बड़े राज्यों की उपलब्धियों में नवीन तुलनात्मक जानकारी के आधार पर गांवों को सड़क से जोड़ने की दिशा में हमारा 13 वां स्थान है, प्रति किलोमीटर क्षेत्र में ग्रौषधालय की सुविधा की दृष्टि से 12 वां स्थान, गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में हम 12 वें स्थान पर, प्रति व्यक्ति विकास कार्य पर खर्च करने में हम 8 वें स्थान पर, प्रति व्यक्ति आय में हमारी क्रम संख्या 9 वीं.... (व्यवधान) सुनते जाइये आप। आपने पढ़ लिया है, आपको ज्ञान है तो मैं वह छोड़ देता हूं। कोई बात नहीं।

श्री लालचन्द डूडी : यह पढ़ने के बाद भी ग्रापके पास कुछ रह जाता है क्या बोलने को ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था कर लीजिये। यदि विपक्ष के माननीय सदस्य इण्टरप्ट करना चाहते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। आप यह परम्परा डालिये कि आप बोलें हम इण्टरप्ट नहीं करें और हम बोलें आप इण्टरप्ट नहीं करें। आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं, अभी वह बोल रहे हैं, मैं भी बोलूंगा, आप में भी कोई बोलेंगे। यह कौनसी व्यवस्था होगी कि बीच में अपन टोकते जायं, बोलते जायं। हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन नुकसान किसको होगा, इसका अन्दाजा लगा लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माफ करना, मुख्य मंत्रीजी, हम बोलते हैं तब उधर के 20-20 जने भी खड़े होकर इण्टरप्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। देखिये, सदन की व्यवस्था के अनुसार शान्ति से एक-दूसरे को सुनिये। यदि कोई महत्वपूर्ण सवाल बहुत ही जरूरी हो तो मैं इजाजत दे सकता हूं। लेकिन एक साथ खड़े होकर जिस तरह से आप बोलते हैं हर कदम पर, यह उचित नहीं है। यह सदन के नियमों के प्रतिकूल है।

श्री नत्थी सिंह : इस स्थिति से कैसे निकला जाय, यह प्रश्न भी इस सरकार के सामने था। लेकिन इस प्रश्न को बहुत दूर तक इस देश की जनता ने हल किया, इसका समाधान किया। समाधान इसलिए किया कि राजस्थान की तरक्की कैसे हो, इस बात की सुनवाई केन्द्र में होती नहीं थी। कारण यह था कि हिन्दुस्तान की राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। जिस जनतन्त्र और लोकतन्त्र के आधार पर हम इस देश को आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं, वहां एक तरह से व्यक्तिवाद पूरी तरह उभर कर सामने आ गया था। रात को सपना आया और सुबह मुख्य मंत्री बदल जाते। राजस्थान में दो-दो, तीन-तीन बदल गये, दूसरे प्रदेशों में भी गये। हिम्मत नहीं रही यहां के जन प्रतिनिधियों और मुख्य मंत्री में कि वे केन्द्र के सामने अपना पक्ष जोरदारी से उपस्थित कर सकें—और राजस्थान की मांगों को मनवा सकें। जनता ने इस फैसले को बदला। जनतन्त्र में, जैसी कि इस सरकार की धारणा है, ग्राम स्तर से लेकर पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केन्द्र स्तर पर हमारी स्वायत्तशासी इकाइयां इतनी मजबूत हों कि उन्हें अपनी बात कहने का, अपनी योजनाएं बनाने का, उन्हें क्रियान्वित करने का पूरा-पूरा अधिकार हो। उसी सन्दर्भ में जनता ने निर्देश दिया। उसके बाद राजस्थान में स्थिति बदली। आज यह स्थिति नहीं है कि हमारे मुख्य मंत्रियों को, सरकारों को पलक झपकते दिल्ली के इशारे पर बदल दिया जाय और दूसरे दिन किसी नये का अवतरण हो जाय। इसलिए हमने यह....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बजट का रिप्लाई है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, आप क्या बोल रहे हैं? अभी तक हुआ है कि इण्टरप्शन नहीं करना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इण्ट्रप्शन नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिए। वह जब बैठ जायं तब पूछना आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बजट पर बोलें न, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवस्था रखिये।

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय, लगाम से बोलें। क्या जो चाहें वह बोल लें, जो मन में आये वह बोल लें?

श्री जगतसिंह दायमा : इनको पिछला समय याद आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री नत्थी सिंह : इसलिए इस सरकार में यह शक्ति आई, हमने राजस्थान के मामले को पूरे जोर के साथ केन्द्र के सामने रखा। मुख्य मंत्रीजी भी गये, कई बार गये और हमने सफलता प्राप्त की कि हमारा एनुअल प्लान जो काट दिया गया था कांग्रेस के जमाने में, उसमें 161 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और 203 प्रतिशत की वृद्धि से से 956 करोड़ रुपये का हमारा एनुअल प्लान मंजूर हुआ। इसके साथ-साथ हमने अपना आत्मानुशासन भी कायम किया, जैसा आपको बजट में बताया गया है। चतुर्वेदी कमेटी ने जो अनुमान लगाया है 30 करोड की बचत का, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं, हमने की। हम बचत भी करेंगे और करारोपण भी करके अपनी आय बढ़ायेंगे। आय बढ़ने के बाद हम इस प्रदेश का इस तरह का वातावरण बनायें कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास को, जो पिछले 42 साल में, ढ़ाई साल के काल को छोड़ दें, पिछड़ेपन की ओर चला गया है, नई दिशा दे सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे करारोपण की जो दिशा है उसकी बड़ी आलोचना की गई है यहां पर और कहा गया कि यह तो पूंजीपतियों का बजट है। ऐसा लगा मानों पूंजीपतियों ने लिखकर यह मुख्य मंत्री जी के हाथ में दे दिया और वह बजट यहां प्रस्तुत कर दिया गया। मैं हमारे सम्माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि विलास कर लगाया, यह पूंजीपतियों का समर्थन कर है? हमने वीडियो फिल्म प्रदर्शन पर फीस लगायी, लीजिंग पर लगाई, विशेष पथकर लगाया। क्या यह वह है जिससे किसी तरह आपको यह लगता है कि पूंजीपतियों को राहत दी गई है? इतना ही नहीं, मैं तो एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े होशियार लोग आप बैठे हैं। यह जो मूंज और बान पर छूट दे दी, बड़े पूंजीपति हैं? मेरे भरतपुर जिले में मोहल्ला का मोहल्ला है गरीबों का। सिंधी लोग हैं, गरीब लोग हैं और मूंज-बान का काम करते हैं। यह पूंजीपतियों को छूट दे दी? छाते पर छूट दे दी, पूंजीपतियों को छूट दे दी? ज्योमेट्री बॉक्स पर दी, स्याही पर दे दी, पेंसिल पर दे दीऔर पेंसिल शार्पनर पर दे दी। ये सारे के सारे पूंजीपति हो गये? ये सारे के सारे बच्चों के, छात्रों के काम आते हैं। कहां सोच है आपका, समझ में नहीं आया मेरे। राखी, सिवइयों पर छूट, छोटे होटलों पर छूट आपको पूंजीपतियों की छूट दिखाई देती है। आप कहते हैं हीरा-मोती पर छूट दे दी। उसमें मजदूर लगते हैं। हमारा उद्देश्य है कि रोजगार बढ़े, उद्योग बढ़े। जो उद्योग यहां छूटकर जा रहे हैं, वापस आयें। इसलिए हमने सुनिश्चित किया है, वैज्ञानिकीकरण किया है सेल्स टैक्स का। उसमें लूप होल्स हैं उनको प्लग किया है और उसके साथ-साथ छूट दी है। उसी दिशा में यह है कि इस प्रदेश में उद्योग भी बढ़ें और रोजगार भी लोगों को मिले। कहीं आप यह नहीं पाओगे कि पूंजीपतियों को सुविधा दे गई है, छूट दे दी गई है। आप अपनी इस सोच को दिमाग से निकाल दीजिये। मतीरा, तूम्बा एवं अम्बाड़ी के बीजों के बीच रागी, कोदन और कुटकी छूट आपको पूंजीपतियों को छूट लगती हो तो आपकी बुद्धि पर बहिलहारी हुआ जा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हां, एक चिन्ता आपकी मुझे लगी, मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में एक मौका आपको मिला कुछ कहने का। वैसे तो उन्होंने किया, सारा कुछ सुधार हुआ है,

(श्री नत्थीसिंह)

कुछ इनकम होगी यह सोचकर लेकिन आपको पशु मेलों पर रवन्ना फीस और प्रवेश शुल्क याद आ गया । उस सन्दर्भ में गवों पर भी आपकी बढ़ती हुई सहानुभूति हुई। आपकी चिन्ता मुख्य मंत्रीजी को कहूंगा आप संवेदनशील है. इनकी चिन्ता का जरूर ध्यान रखिये और निवारण कीजिए कुछ न कुछ इस मामले में । आप करेंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनके विचार अलग-अलग हैं, ऐसा लगता है कि इनमें इनके दल के लोगों का विश्वास नहीं रहा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, विराजिये ।

श्री रामनारायण वर्मा : 1987-88 में स्टेट इन्कम क्या थी और 1988-89 में क्या बतायी है, इसी से साफ हो जाएगा कि 17 पर्सेण्ट....

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बिराजिये । हो गया आपका ।

श्री नत्थी सिंह : इस सदन में एक बात से मुझे बड़ी खुशी हुई । अबकी बार विपक्ष को हमारी बड़ी चिन्ता थी कि हमारे वायदों का क्या होगा, हमारे वायदे कैसे पूरे होंगे, नहीं होंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनसे पूछो ।

श्री नत्थी सिंह : आपको चिन्ता हुई, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई । उन सबकी चिन्ता तो वाजिब है, इनकी बेचैनी तो मैं समझता हूं । इनकी बेचैनी इसलिए है कि जनता में, जो मैंने पहले कहा, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी आया, कि हमने अपेक्षाएं जगायी हैं । उनको हम पूरा करना चाहते हैं ।

श्री हरि सिंह (महुआ) : मंत्रीजी, हमारी चिन्ता इस विषय पर है एक मिनट सुन लीजिये आप । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है । दिस इज नाट दी वे । आप हाऊस को चलाना चाहते हैं कि नहीं । आप व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं । प्लीज सिट डाउन, यह क्या बात हुई ? भाषण होने दीजिए । बाद में पूछ लेना ।

श्री हरि सिंह (महुआ) : नहीं, साहब, यह चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं । हम यही तो चाहते हैं कि वायदे पूरे करें । हमारी चिन्ता इस बात पर है कि फसल की व्यवस्था का टाइम आ गया, किसान को आप लोन नहीं मिला है । आपने बिलकुल चिन्ता नहीं की । आप अपना वायदा पूरा कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : हरीसिंह जी, बैठिये । मंत्री जी, बोलिये ।

श्री रामनारायण वर्मा : खेतों में बरसात में बुआई नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गए ।

श्री रामनारायण वर्मा : यह किसान हैं, गांवों में इनके खेत बिना बोये पड़े हैं ।

श्री लाल चन्द डूडी : बोलने दीजिये, उसके बाद आप नोट कर लीजिए ।

श्री डूंगर राम पंवार : आप ध्वनि प्रदूषण मत फैलाइये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का काम बोलने का है, हमें आपका संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नत्थी सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो वायदे किये हैं उनके लिए अगर ये चिन्तित नहीं होंगे तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। पार्टी के अन्दर भी और यहां भी हम पर इनको अधिकार है कि कोई भी यह कहे कि जल्दी से जल्दी वायदा पूरा करो। इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे पास जो सीमित साधन हैं उनके रहते हुए, जैसा मैंने कहा, पांच वर्ष की समयावधि है, एक-एक वायदे को हम पूरा करके रहेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब चुनाव में गए थे, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। जनता के सामने, जनता ने हमारा कौनसा सबसे बड़ा वायदा लिया था? वह वायदा था देश ने जो रक्षक बनाया है। वह भक्षक बन गया है। देश का रखवाला ही भ्रष्टाचार में ओत-प्रोत हो गया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाओ और एक तरह से इनसे पिण्ड छुड़ाओ। यह सबसे पहले जनता के दिल में विश्वास जागा था। आपको याद होगा, जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जनता दल के अध्यक्ष जयपुर में आए थे, रामनिवास बाग में सभा हुई। वहां एक खाली कुर्सी लगवाई गई थी। जहां जाते थे वह खाली कुर्सी रखी जाती थी। वे कहते थे, आइए राजीव गांधी जी। आपने चुनौती दी थी टी. वी. पर। किन्तु वहां पर तो नहीं आए। अब मैं आपको सब सभाओं में आमन्त्रित करता हूं, आओ। मैं कहता हूं बोफोर्स में क्या हुआ, मैं कहता हूं पनडुब्बी में क्या हुआ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या हुआ बोफोर्स में?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्लीज आर्डर (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। बैठिए आप लोग। कृपया आप लोग बैठिए। (व्यवधान) बिराजें आप लोग। सब एक साथ बोलेंगे? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बोफोर्स की तोप से दूर हट जाओ और पनडुब्बी से दूर हो जाओ। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : मुझे इस बात का खेद है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइन्ट आफ आर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है इनका। पाइन्ट ऑफ आर्डर है। हां बोलिए पाइन्ट आफ आर्डर क्या है?

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट तो गया इनका, आर्डर, आर्डर रह गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की तरफ से आपके आदेश की पूरी पालना होती है। लेकिन मंत्री महोदय अगर यहां पोलिटिकल स्पीच दे और अनर्गल बातें उन्होंने की? नहीं, अध्यक्ष महोदय बोफोर्स का है। कल नत्थी सिंह जी कांग्रेस में थे और कांग्रेस की टिकट पर राज्य सभा में गए हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइन्ट आफ आर्डर कि यहां बोफोर्स क्या इश्यू है ?

श्री अध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोफोर्स काण्ड का क्या किस्सा आया था ?

श्री अध्यक्ष : This is not point of order.

श्री सुरेन्द्र व्यास : This is a point of order.

श्री अध्यक्ष : I reject. This is not point of order. I reject your point of order. (व्यवधान) आपका नहीं, आपका नहीं, योवर्स नोट । It cannot be a point of order upon a point of order. (व्यवधान) आप किसी व्यवस्था को मानिए, समझिये । आपका है, आपका है क्या ?

एक माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप जो मर्जी आए बोलने की अनुमति देंगे ?

श्री अध्यक्ष : हो गया, अब विराजिये । अब आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं ? (व्यवधान)आप बिराजिये । बिराजिये । मुझे बोलने तो दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मुझे सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : हां सुनाइये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सदस्य का इटरवेंशन बजट स्पीच के ऊपर है ।

श्री नत्थी सिंह : बजट में ही हो रहा है । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोफोर्स बजट में नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अगर आप उनको नहीं रोकेंगे तो हम पर कैसे रोक लगायेंगे आप ? (व्यवधान) मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं अगर इस तरह से कांग्रेस के लोगों को प्रोवोक किया तो हम तादाद में कम होंगे, मंत्रीजी, इस भरोसे में न रहना आप । जो मर्जी आये बजट में आप इन्टरवीन करके बोलेंगे ।

एक माननीय सदस्य : हम बाहर चले जायेंगे, अगर ऐसा बोलेंगे तो ।

एक माननीय सदस्य : अगर ऐसा किया तो ये बाहर चले जायेंगे । इस धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : किसी भी बजट को.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप थ्रेटनिंग दे रहे हैं ? Are you threatening ? तो बिराजिये आप ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर ये इरलेवेण्ट बोलेंगे तो नहीं बोलने देंगे ।

श्री अध्यक्ष : Mr. Vyas, are you giving threatening ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नो, नो ।

श्री अध्यक्ष : Then sit down. तो बिराजिये । अब मेरी व्यवस्था सुनिये । आप

(श्री अध्यक्ष)

अगर....प्लीज सिट डाउन। मेरी व्यवस्था सुनिये। I am on legs. आप कोई मर्यादा नहीं रखते। जब चाहे जब खड़े हो जाते हैं। देखिये आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया बजट तक सीमित रहें। प्रोवोक नहीं करें।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य अगर बोफोर्स से नाराज हैं तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बोफोर्स का जिक्र न करें और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजीव गांधी को जो यहां हैं, सदन के कांग्रेस के सदस्यों ने बोफोर्स का नाम लेने पर जो प्रोटेस्ट किया है इस सदन से उनके पास वह मैसेज भिजवा दें ताकि इनकी सी. आर. ठीक हो जाय।

एक माननीय सदस्य : बोफोर्स में राजीव गांधी नहीं वी. पी. सिंह है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक आपके नेता खड़े होते हैं, आप 10 खड़े हो जाते है। यह कोई व्यवस्था है? आप सुनिये नहीं इनको। आप अपने सचेतक को भी नहीं सुनना चाहते हैं। यह क्या व्यवस्था है? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की अपनी आदत सजेशन को डिस्क्यूज करने की है, करते हैं और वे कहते हैं कि आपकी भावनाओं को राजीव जी के पास भिजवा दिया जाय। मेरा तो आपसे नम्र निवेदन इतना है कि माननीय मंत्री जी ने बोफोर्स के मुद्दे पर कहा था। लेकिन मैं इतना माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 6 महीने निकल जाने के बाद भी कोई चीज बोफोर्स के मामले में कांकरीट....

श्री अध्यक्ष : बिलकुल सही बात है। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) वे शान्ति से पूछ रहे हैं सवाल और आप बीच में खड़े हो जाते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि जो सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बहुत जोर-शोर से कहा था कि हमारी सरकार बन जाने के बाद हम एक महीने के अन्दर नामों को उजागर कर देंगे आज 6 माह निकलने के बाद भी कुछ नहीं है। मुझे मालूम है कि आप मुख्य मंत्री जी को राजी करने में लगे हैं जिस प्रकार से आपके लोगों ने यहां पर आलोचना की है, आप सफाई दीजिए मैं तो इसका उत्तर दूंगा, बोलते जाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठिये। माननीय मंत्री जी, कृपया शांति रखें।

श्री नत्थी सिंह : इन्होंने पूछा, जवाब दे दूं? बोफोर्स के इश्यू पर केन्द्र की सरकार ने भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जो मुकदमा तैयार किया और जो-जो सूचनाएं स्वीडन से मिलीं तो तिलमिलाकर इधर-उधर जा रहे हैं। सारा पर्दाफाश होगा और जो दोषी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जायेगा। और उसी भ्रष्टाचार के निवारण के लिए.... (व्यवधान) इसी प्रकार से राजस्थान में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शान्तिलाल जी।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भी हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को बड़े जोर से लिया है क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितना भी विनियोजन करें, बजट में कितना भी प्रावधान रखें पर अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया तो जो आपके पिछले राज में हुआ, 100 में से 85 दूसरों की जेब में गया और 15 जनता तक पहुंचा, वह करेंगे नहीं, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। इस लिए भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से अंकुश लगाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री हरि सिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, माननीयमुख्यमंत्रीजी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, भरतपुर में को-आपरेटिव में कितने कांड हुए और उन कांडों के बारे में क्या आपकी सदारत रही है....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : खुद भैरोंसिहजी साहब ने उन मुद्दों को उठाया है इनके खिलाफ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, आपका सवाल हो गया। (व्यवधान)

आय-व्ययक 1990–91 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री नत्थी सिंह : भरतपुर में और राजस्थान में जहां कहीं भी को-आपरेटिव में और दूसरी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, आप उन्हें नहीं पकड़ सके हैं यही सरकार करेगी। शुरूआत कर दी गई है, नत्थी सिंह तो बेदाग है आज तक दाग आया नहीं। मेरी चुनौती है आपको। मेरे ऊपर एक चार्ज साबित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके लोग पकड़े जायं, कल कितने नाराज हो रहे थे जब श्री चतुर्भुज वर्मा जी जवाब दे रहे थे, एक अध्यक्ष के लिए कुछ कह दिया था तो तिलमिला रहे थे। मैं कहता हूं कि सारे मामलों की पूरी जांच आपकी सरकार ने नहीं करायी है पर भ्रष्टाचार के हर पहलू पर यह सरकार जांच करेगी और दोषी को दण्डित करने से नहीं चूकेगी। (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरि सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, लेडिज फर्स्ट।

श्री अध्यक्ष : इनको पहले बोल लेने दीजिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : लेडीज फर्स्ट।

श्री अध्यक्ष : डा. साहब, लेडीज फर्स्ट।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : अध्यक्ष महोदय, अभी यह बोफोर्स के ऊपर + + + जब श्री राजीव गांधी भरतपुर पहुंचे 3 तारीख को उनको रिसीव करने कोई नहीं गये वहां

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

पर। श्री शिवचरण जी माथुर लड्डू खाने तो भरतपुर पहुंच गये, जहां लाठीचार्ज करवा कर आ सकते हैं और अपने नेता को रिसीव करने कोई नहीं पहुंचते हैं वहां।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये हरिसिंह जी।

श्री हरि सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ना।

श्री हरि सिंह : माननीय अध्यक्षजी, आज श्रीमान मुख्य मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी दोनों एक साथ होकर बोल रहे हैं लेकिन एक वक्त ऐसा था जब माननीय मुख्य मंत्रीजी, श्रीमान भैरोंसिंह जी शेखावत ने भरतपुर में को-आपरेटिव में जो भ्रष्टाचार हुए उनके बारे में सवाल उठाये थे। अब मैं जानना चाहूंगा कि आज माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस मामले में क्या विचार है?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे तब इसका जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : बोलूंगा तब इसका जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें। मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे तब बता देंगे।

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य डा. साहब को बता देना चाहता हूं कि एक जमाना वह भी था जब आप और मैं एक साथ थे और आपको यह मालूम है कि भरतपुर के को-आपरेटिव के मामले में इतना सा भी दाग नत्थीसिंह के ऊपर न लगा सके और न लगा सकेंगे। यह आपके सामने है। जो भ्रष्टाचार के मामले होंगे उनकी जांच होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब यह अलाऊ नहीं करूंगा। प्लीज अब यह तरीका नहीं है। अब आप बैठिये।... फिर इसका कोई अन्त नहीं है। मैंने आपको दो बार अलाऊ कर दिया, तीन बार अलाऊ कर दिया। It is not a debate.

श्री हरि सिंह : पर्सनल एक्सप्लेनेशन है....

श्री अध्यक्ष : आप प्रद्युम्न सिंहजी को बता दीजिये।

श्री हरि सिंह : पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री अध्यक्ष : हां, पर्सनल एक्सप्लेनेशन।

श्री हरि सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के ऊपर मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया है मैं तो को-आपरेटिव के मामले की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।....माननीय मंत्रीजी, बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री हरि सिंह (महुआ) : 6 लाख रुपये खा गये उसके लिये क्या कह रहे हैं?

श्री नत्थीसिंह : सारी बात आपकी असत्य है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महुआ से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया इन्टरप्शन आप बन्द कर दें। यह कोई तरीका नहीं है। प्लीज सिट डाउन। अब आप बैठिये। हां बोलिये।

श्री नत्थीसिंह : भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह सरकार सजग है। विपक्ष के माननीय सदस्यों से मैं कहता हूं कि राजस्थान में पहली दफा 1 करोड़ 5 लाख रुपये खाये, जो गरीबों के उत्थान के लिए देने वाले थे, आई. ए. एस. आफीसर्स उसमें उसमें लिप्त थे और दूसरे लोग हों, यही सरकार है जिसने उन्हें गिरफ्तार तक किया है, मुकदमा तक चलाया है। यह सरकार 40 वर्ष तक उसमें क्या कर रही थी ? हम कभी भी इन मामलों में पीछे हटने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाशचन्द जी, आप विराजें।

श्री नत्थीसिंह : दूसरा वायदा हमारे दल ने किया था सारी जनता से। वह वायदा यह किया था कि कांग्रेस की 40 वर्षों की भेद-भावपूर्ण नीति जिसमें 100 में 80 प्रतिशत गांव में रहने वाली जनता उस 100 में 19 रुपये और बड़े शहरों में रहने वाली 20 प्रतिशत जनता पर 100 में से 81 रुपये खर्च किये हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि गरीब और गरीब होते चले गये। गांव पिछड़ते चले गये। हमारे दलों ने वायदा किया था कि हमारी सरकार आयेगी केन्द्र में और राज्यों में तो 100 में से कम से कम 50 रुपये खर्च करेंगे गांवों पर, खेती पर और खलिहानों के विकास के लिये। आपको तो वाह-वाह देनी चाहिये, धन्यवाद दीजिये कि दिग्विजयी हों, शुक्रगुजार होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने कदम आगे बढ़ाया। 100 में से 60 रुपये गांव पर, खेती पर और खलिहानों पर खर्च करने का प्रावधान किया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी तक आपने खाद-बीज गांवों में उपलब्ध नहीं करवाये हैं बरसात हो रही है....

श्री अध्यक्ष : आप उनको बोलने दें। यह नहीं। आप हर वक्त जैसे खड़े होंगे तो देखिये परम्परा गलत पड़ जायेगी। और फिर कोई नहीं बोल पायेगा। गम्भीर रूप से कोई भी माननीय सदस्य भाषण दे नहीं पायेंगे। दोनों तरफ से फिर यह चलेगा। इसलिये आप शान्ति से सुनिये। यदि कोई बात हो तो....(व्यवधान) फिर आप खड़े हो गये। आपके नेता खड़े हैं, आप कुछ तो उनकी लिहाज करिये। मेरा तो मत करिये आप पर उनका तो रखिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : कांग्रेस के टाइम में तो 19 प्रतिशत बजट का खर्च होता था गांवों पर, अब तत्काल हो गया 60 प्रतिशत, आप एक ऐसी योजना बता दें। जिसके अन्दर 10 करोड़ आपने किया हो ? (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : सारी की सारी, बहुत सी। कांग्रेस की सरकार हमेशा यह नीति अपनाती रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति के वोट बैंक के आधार पर हिन्दुस्तान में और प्रदेश में 40 वर्ष तक राज करती रही। पर बैंगलोर में जब जनता दल की स्थापना का अधिवेशन हुआ था, तो हमने एक सवाल उठाया था कि इस हिन्दुस्तान में रिजर्वेशन तो है लेकिन उनकी सीटें खाली पड़ी रहती हैं और भरी नहीं जाती हैं। अगर वे नहीं भरी जायेंगी तो जनता दल आन्दोलन करेगा, जेल जायेगा। श्रीमान् राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि हम तीन महीने में सारी जगह भर

(श्री नत्थीसिंह)

देंगे । हमने तीन महीने तक इन्तजार किया और जब वह भरी नहीं गयीं तो उसके बाद हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा अपने आन्दोलन के सिलसिले में । लेकिन आज केन्द्र में जनता दल की सरकार है और यहां मिली-जुली सरकार है । कानून के जरिये अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को सुरक्षा प्रदान की गयी है । और जितने भी रिक्त पद होंगे, उन्हीं में से कानून के जरिये भरे जायेंगे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर बार-बार उठ रहे हैं । माननीय सदस्य, प्लीज । अब आप मेरे धैर्य की और अधिक परीक्षा मत लीजिये । यह बार-बार खड़े मत होइये । आप बैठ जायें ।

श्री नत्थीसिंह : मैं कह देना चाहता हूं कि हमने वायदा किया था कि जो मजदूर हैं उनको प्रबन्ध में साझीदार बनाया जायेगा । केन्द्र में कानून बना है और मजदूरों को प्रबन्ध में साझेदारी का अधिकार दिया जा रहा है । इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान में 40 साल तक राज करते रहे अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के आधार पर, महामना डा. अम्बेडकर साहब को याद करते रहे या उनकी प्रशंसा करते रहे कि उन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, परन्तु इस कांग्रेस की सरकार ने यह सुध नहीं ली कि इतने बड़े मनीषी का चित्र भी संसद के केन्द्रीय कक्ष में लगाया जाय । यही सरकार है जिसने संसद के केन्द्रीय कक्ष में उनके चित्र का अनावरण किया है । मैं कह देना चाहता हूं कि यह केन्द्र की सरकार और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी और जो सहयोगी दल सी. पी. एम. वगैरह सहयोग दे रहे हैं इस सरकार ने पहली बार....(व्यवधान) उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाये । मजदूरों के लिए । मई का दिवस हमारे मनता चलता आ रहा है मजदूर दिवस के रूप में, लेकिन इस सरकार ने पहली दफा मजदूरों के अधिकार को मान्यता दी और एक मई को भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है । हमारी समर्पण नीति है । हम जिन बातों को कहते हैं, हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है । देर लग सकती है लेकिन हम उसको अन्धेरे में नहीं बदलने देंगे । पूरा करके रहेंगे ।

मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 162 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया, जो कुल बजट का 17 फीसदी है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कब-कब आपने ऐसे प्रावधान किये थे ? मुझे बता दीजिये जरा । आज मेहनतकश को मजदूरी मिले, उसको पूरा का पूरा अधिकार मिले, यही सरकार करने वाली है, आप तो चले गये बातें करते-करते । हमने ही न्यूनतम मजदूरी 14 से बढ़ाकर 22 की है और 25 की है । कहां सो गये थे आप ? यह हमारी उपलब्धि नहीं है ? हमारे वचन का पालन नहीं है ? मैं कहना चाहता हूं यह सरकार सारी बाधाओं के बावजूद अपने वचन को निभाने के लिए आगे जा रही है । बहुत बड़ी बात कही है, सैनी साहब बोल रहे थे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंहगाई का क्या हुआ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गये । माननीय सदस्य, आप चुप रहिये, सुनिये ।

(श्री अध्यक्ष)

आपके सचेतक बोलेंगे, जवाब दे देंगे। आपको उनकी योग्यता पर विश्वास नहीं है क्या ?

श्री नत्थीसिंह : हमने एक वचन किया था, एक वायदा और किया था कि मेहनतकश को उसकी मेहनत का पूरा-पूरा फल देंगे, पारिश्रमिक देंगे। जहां हमने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है वहां इस बात की भी व्यवस्था की है कि किसान जो लुटता रहा, पिसता रहा, जिसका शोषण होता रहा, जिसका सही तौर से कभी समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया, वह समर्थन मूल्य नीति हमने तय की। उनके दाम बढ़ाये हैं। हमारे उप प्रधान मंत्री माननीय चौधरी देवीलाल जी ने कहा है कि लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गयी, किसान के गोश्त पर हम कोई ऐसी नीति नहीं बनायेंगे जिससे उसका शोषण हो और कुछ लोगों को फायदा हो। आपकी नीति क्या रही है ? आपकी नीति साफ तौर पर यह रही है किसान को दाम मत दो, इन्सेन्टिव मत दो, और बाहर से फौरी तौर पर कभी तेल मंगवा लो, कभी खाद्यान्न मंगवा लो। आपकी इन एडहाक नीतियों से ही देश की सारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। हम इसको नहीं होने देंगे। उत्पादन बढ़ेगा तो स्वावलम्बी बनेगा किसान और देश में खाद्यान्न भी भरपूर होगा। अपनेआप महंगाई पर अंकुश लगेगा। यह दीर्घकालीन नीति हमारी है। थोड़े दिन में आप देख लेंगे और थोड़े दिन देखा भी है आपने। इस सरकार ने कारगर कदम उठाये हैं, छापे भी मारे हैं और कंट्रोल लाने की कोशिश की है। जगह-जगह पर हम गये हैं। हम कोई सोये हुए नहीं हैं। हम पूरी तरह सजग और सावधान हैं इस मामले में। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिये कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

एक बड़ी-भारी यहां पर चिन्ता व्यक्त हुई। हमारा वचन है वृद्धों को पेन्शन दो। हां वचन है, बिल्कुल वचन है हमारा। हमने कहा है। हम बुड्ढों को सम्मान देना चाहते हैं। वृद्धों को, बुजुर्गों को सम्मान सूचक पेन्शन देना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बजट में भी मुख्य मंत्री जी ने 7 करोड़ 72 लाख से बढ़ाकर 11 करोड़ 4 लाख का प्रावधान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात पर हमको निश्चित रूप से कदम उठाने पड़ेंगे। पांच वर्ष का समय है, सब वृद्धों को पेन्शन देने के लिये देर लग सकती है लेकिन कांग्रेस की जो आज तक की नीति रही है किस को पेन्शन देते रहे हो, विधवा को दे दो। उसके बाद इसके कोई लड़का नहीं है, इसके कोई वारिस नहीं है। इसकी जो नीति रही है इसको निश्चित रूप से बदल कर आज जो लोग मेहनतकश हैं, आज जो लोग गरीब हैं, और गरीबी की सीमारेखा के नीचे जीवन-यापन करने को मजबूर हैं, उनमें चाहे उसके एक लड़का हो, चाहे दो लड़के हों वह दो जून रोटी नहीं पा सकते। इसलिये मैं निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा मुख्य मंत्री जी से, सारे सदन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए। इसमें चाहे खर्चा बढ़ता है, वह सोचें, खर्चा बढ़ायें शुरुआत करें 100 रुपया महीना पेन्शन देने की। जिससे सारे प्रदेश में इस तरह का मैसेज जाये कि यह सरकार अपने वचन को पूरा करने के लिए आज से कदम उठा रही है और पूरा करके छोड़ेगी।

(श्री नत्थी सिंह)

एक बड़ी बात कही कर्जा माफी के बारे में। मेरे दोस्त बड़े भारी उत्तेजित हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा इधर से लेकर इधर बैठे लोगों की चिन्ता और बेचैनी को मैं खूब समझता हूं और इसलिए समझता हूं कि हमने गांव-गांव में, झोंपड़ी-झोंपड़ी में यह आशा जगाई है कि हम दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ करेंगे लेकिन इनकी चिन्ता को तो मैं समझता हूं अच्छी तरह से। लेकिन आपकी चिन्ता इस सदन में मैं उधर बैठता था जहां आज हमारे विश्नोई साहब बैठे हैं। मुख्य मंत्रीजी विरोधी दल के नेता के रूप में उधर बैठते थे। पिछले चार साल और पांच साल से राजस्थान में लगातार अकाल पड़ रहा था। हम लोगों ने कांग्रेस की जोशी सरकार के सामने, माथुर सरकार के सामने व पहाड़िया सरकार के वक्त तो मैं नहीं था यहां, उनके सामने बार-बार यह प्रश्न उठाया कि चार साल से, पांच साल से अकाल पड़ रहा है। भारत सरकार ने नियोजित की थी कि रिजर्व बैंक की ओवर ड्यू कमेटी और ओवर ड्यू कमेटी ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में यह कहा कि तीन वर्ष तक लगातार अकाल पड़े तो जो सीमांत किसान होते हैं जो लघु कृषक होते हैं, उनकी देय क्षमता समाप्त हो जाती है. उनसे कोई कर्जा वसूल नहीं किया जाना चाहिये, कर्जा माफ होना चाहिये। कमेटी ने कहा था चार साल तक लगातार अकाल पड़े तो हर किसान की देय क्षमता खतम हो जाती है उससे कर्जा वसूल नहीं होना चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए हमने कहा अपनी बनाई कमेटी की रिपोर्ट को तो मानो आप। भारत सरकार ने बनाई है रिजर्व बैंक ओवर ड्यू कमेटी की रिपोर्ट है। हमारे पास साधन नहीं है। हमने कहा ठहरो, कर्जा माफ नहीं करते हो तो ओवर ड्यू अकाल के जो मारे हैं इनका ब्याज तो माफ कर दो, फ्लेट रिप्लाई था नहीं, हमारे पास साधन नहीं है। आज हमने 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है उन लोगों के लिए जिन पर कर्जे हैं। उन लोगों के लिए चार वर्ष का सवाल नहीं 1986-89 तक जो अकाल से पीड़ित रहे हैं उनको हमने 170 करोड़ का किया है लेकिन इससे हम सन्तुष्ट नहीं। यह आपने जो साधनों की सीमा रेखा खेंच दी है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि हम केन्द्र की नीति के अनुरूप इसको करेंगे। तीस करोड़ का प्रावधान किया गया लेकिन उसके बाद भी इसको बढ़ाकर 170 करोड़ रुपये तक ले गये। आज भी हम चिन्तित हैं कि इस परिधि को बढ़ाया जाये। ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह से इसमें शामिल करके लाभ दिया जाये। मैं कहना चाहता हूं, यहां पर यह चित्र खिंचा गया कि यह सरकार या मुख्य मंत्री इस पर चिन्तित नहीं है। मुख्य मंत्रीजी मुझे माफ करेंगे, मैं रहस्योद्घाटन तो नहीं, कोई शपथ लिया हुआ तो नहीं पर एक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक मैंने किसी से कहा नहीं, जरूरत नहीं थी, पिछली 11, 12 जून को प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई पंचायती राज और भूमि सुधार के लिए। उप प्रधान मंत्री जी ने उसमें शहरी सम्पत्तियों की सीमा बांधने का कार्यक्रम भी जोड़ा। उस मीटिंग के समय आपने कभी सोचा कर्जा माफी को लेकर, इतनी चिन्ता है कि हमारे मुख्य मंत्रियों ने एसोसिएशन बनाई मुख्य मंत्रियों की और श्री भैरोंसिंह

(श्री नत्थी सिंह)

जी शेखावत को उसका अध्यक्ष चुना गया। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हैं शरद पंवार, उनके सचिव चुने गये। तमाम मुख्य मंत्रियों की ओर से हमारे प्रधान मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया कि हमारी जो कर्जा मांफी की बात है इसको और बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसमें केन्द्र ज्यादा से ज्यादा 90 परसेंण्ट तक बर्दाश्त करे। 75 परसेण्ट तक वह बातें हुई, अभी हो नहीं पाई 50 परसेण्ट तक किया है। जब वहां पर बहस चल रही थी तब भी आप प्रधान मंत्री और दूसरे मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क बनाये हुए थे, मैं भी सम्पर्क बनाये हुए था। हम चिन्तित हैं कि कैसे इस परिधि को बढ़ाया जाये। लेकिन यह परिधि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही बढ़ेगी। संसाधनों के अन्तर्गत बढ़ेगी। यह कोई हदीस नहीं खींच दी है कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से हम अपने वायदों पूरा करने के लिए, संसाधनों की तलाश राष्ट्रीय नीति के निर्माण पर आज भी जोर दे रहे हैं और अपने वायदों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी तरह नहीं है कि किसान तो मरता जाये, अकाल पड़ता जाये, हम उसका कर्जा माफ करना दूर, हम उसका ब्याज भी माफ नहीं करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, अभी हमारे माननीय सदस्य, जो गंगानगर जिले से आये हैं उनकी चिन्ता स्वाभाविक है। उन्होंने कुछ बातें उठाई। मैं अभी गंगानगर के इलाके में जाकर आया हूं खालों की कीमत का मामला है, ठीक है आपने यह चिन्ता उठाई है, यह मांग है, आन्दोलन भी हुआ है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं यह सरकार इस मामले में बेखबर नहीं है। इसी बजट भाषण में मुख्य मन्त्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि खालों का जो मामला है वह खालों के मामले में पैरा 43 पर जहां कर्जा माफी से 13-14 लाख लोग प्रभावित होंगे वहीं हमने कहा है कि माण्ड क्षेत्र में खालों के निर्माण में ऋण में भी इस योजना के अन्तर्गत राहत दिलाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम आपकी मांग के औचित्य को समझते हैं और मानते हैं और हमारी सरकार की यह कोशिश है कि इस सम्बन्ध में राहत दिलाई जाये और प्रयत्न जारी है। एक बात और कही है यहां युवाओं के रोजगार के मामले में बिल्कुल सही बात कही गई। हमने यह वायदा किया कि एक साल के अन्दर-अन्दर संविधान को बदलेंगे और संविधान में काम के मूल अधिकार को जोड़ेंगे। कोई बेखबर नहीं है आज की हमारी सरकार ने यह कहा है 15 अगस्त तक कार्य योजना लायेंगे तब उसको लागू करके इस संविधान में संशोधन हो तो नौजवानों को रोजगार देने की स्थिति में हम हो सकेंगे लेकिन सबसे बड़ा वायदा एक और किया था और उस वायदे को सबसे ज्यादा जनता ने गम्भीरता से लिया है। मैं जानता हूं आप सबकी बात, आपको एक ही चिन्ता है कि हमारे वायदे पूरे हो नहीं नहीं और वह वायदे हमारे टूटने चाहिए। वह वायदे कि हम पांच वर्ष तक मिलकर सरकार चलायेंगे। कांग्रेस सरकार के कुकर्मों से जो प्रदेश और देश को नुकसान हुआ है उसका खामियाजा पूरा करके एक नयी राह पर ले जायेंगे। आपकी एक ही चिन्ता है कि पांच वर्ष तक यह सरकार चले नहीं लेकिन कहना चाहता हूं कि हम

(श्री नत्थी सिंह)

वायदे पूरे करेंगे और वायदा पूरा करने के साथ-साथ पांच वर्ष तक इस सरकार को चलायेंगे तथा देश की जनता को कोई नुकसान नहीं हो....

श्री जगत सिंह दायमा : पांच वर्ष नहीं 100 वर्ष कहिये....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के षड़यन्त्र को पूरी तरह समझे । यह कोई बात कभी हम बोलते हैं और शाबासी देते हैं तो इसलिए नहीं देते, वह कहते हैं कैसे उत्तेजित हो, कैसे फूट पड़े, कैसे सरकार टूटे ? रात-दिन चिन्ता आपको लग रही है । आपका सपना और इच्छा पूरी नहीं होने देंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की संयुक्त सरकार की ओर से मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, जो गरीबों को राहत देने वाली, जो सम्पन्न पर कर लगाने वाली, निर्धन को राहत देने वाली देश की समस्याओं को हल करने वाला, किसान मजदूरों को पूरी तरह से अपने साथ रख कर उनकी समस्याओं का निवारण करने वाला बजट है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने एक ही अर्ज की थी । आपने बहस की इसका 10 करोड़ का है । आप यह बता दीजिये कि यह हमने नई योजना बनाई है । ट्रेण्ड इन्क्रीज तो कुछ होता ही है । पिछले साल से इस साल खर्चा ज्यादा हुआ आप यह बता दें कि 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत ले लिया वह इस बजट में तो कहीं आया नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : एक साल में कितने बेरोजगारों को रोजगार देने का है ।

श्री अध्यक्ष : हो गया । आपके नेता बोल रहे हैं । (व्यवधान) आप फिर खड़े हो गये । मैं बार-बार कह रहा हूं । आप आसन की इज्जत रखना जानते नहीं आप नियम पढ़िये कृपया ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात आरम्भ करूं, बजट के बारे में उससे पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि राजस्व मंत्रीजी ने इन्टरवेन्शन के बतौर कुछ बातें कही है मैं उनके बारे में अपने विचार निश्चित रूप से व्यक्त करना चाहूंगा । आज अध्यक्ष महोदय, यह तय था कि प्रश्न काल के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी बजट बहस का उत्तर देंगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिससे मजबूर होकर राजस्व मंत्री जी को आज इस डिबेट के अन्दर इन्टरविन करना पड़ा । जिस प्रकार से उनके दल के माननीय सदस्यों के तेवर रहे और जिस प्रकार से उन्होंने बजट की आलोचना की राजस्थान के सारे अखबार इस बात के रंगे हुए थे कि जनता दल के सम्माननीय सदस्यों ने बजट की बहुत तीखी आलोचना की है । आज उसी के अनुरूप चूंकि वह जनता दल के नेता है आज सफाई बतौर उनको यहां खड़ा होकर अपनी सिनसियरिटी अपने दल का सहयोग बताने के लिए मजबूरी में उनको आज यहां भाषण देना पड़ा लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि राजस्व मंत्री

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जो एक बहुत पुराने सदस्य है। संसद में रहे हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी रहे हैं और उस वक्त भी समाजवादी विचार धारा के प्रबल समर्थक थे। लेकिन आज का जिस प्रकार का भाषण उन्होंने यहां पर दिया है और जिस प्रकार की सफाई के अन्दर जिस प्रकार की सीमाओं का रोदन उन्होंने किया है, जिस चेपा-चापी की बात और खुशामद की बातें जो उन्होंने की है उसकी जितनी आलोचना की जाये उतनी थोड़ी है।

श्री नत्थी सिंह : यह आदत हमारी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप यहां स्तुति गान के अन्दर कहने लगे कि राजस्थान का प्लांना 20 प्रतिशत बढ़ा है। यह तो हर स्टेट में है। हर स्टेट की सालाना योजना में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत का इजाफा है। ऐसा कोई प्रान्त नहीं है अध्यक्ष महोदय, जहां पर प्लान का एक्सपेण्डीचर प्लान का जो साइज है वह हर स्टेट का बढ़ा है। माननीय मंत्री जी बता देंगे कि हर स्टेट का कितना बढ़ा है और राजस्थान का कितना बढ़ा है। अपने आप यह बात सामने आ जायेगी। यह हो सकता है कि राजस्थान का बीस प्रतिशत प्लान का बढ़ा है लेकिन यह उपलब्धि दिखाना कि सिर्फ राजस्थान का ही बढ़ा है किसी प्रान्त का प्लान का साइज बढ़ा नहीं यह अपने आप में + + + क्योंकि इस तरह से लम्बे-चौड़े रूप के अन्दर इन्होंने यहां पर इस बात को कहा।

दूसरी बात का जो मुझे सख्त एतराज इसके लिए हमारे दल के सदस्य भी काफी उत्तेजित है। बोफोर्स के मामले को लेकर। तैयारी करके आते, बजट पर तैयारी करते, कुछ बोलते लेकिन पोलिटिकल भाषण देने की यहां आवश्यकता समझी तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, बोफोर्स में आज तक निकला क्या है? चुनाव का मुद्दा बनाया, प्रधान मंत्री राजीव गांधी पर आरोप लगाये, सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस प्रकार का प्रचार किया और सम्माननीय प्रधान मन्त्री जी, जो आज है मैं बहुत गम्भीरता से उनसे कहना चाहूंगा आपके मार्फत इस सदन के मार्फत, कि उन्होंने स्वयं वायदा किया था कि एक माह के अन्दर हम नामों को उजागर कर देंगे। आज 6 माह बीत गये कोई नाम नहीं आये।

नम्बर दो स्वीडिस आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ना आये?

श्री प्रद्युम्न सिंह : निश्चित रूप से हम चाहते हैं तभी तो आपने जो अनर्गल प्रचार किया उसका पर्दाफाश होगा। जरूर चाहते हैं जो लोग है उनके नाम आये इसके अन्दर। फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वीडिस आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट....

श्री सम्पत सिंह : माननीय सदस्य, बोफोर्स पर नाम बताना आज की तारीख में जनहित में ठीक नहीं होगा और हम स्थिति पर नजर भी रखेंगे।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : नो पाइंट आफ आर्डर। बिराजिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं अगर आप चर्चा नहीं करते तो मैं इस मुद्दे को उठाता नहीं आपको क्या दिक्कत आ रही है स्वीडिस आडिट ब्यूरो की जो आ गई आप लोक सभा में इसको टेबिल क्यों नहीं रख रहे हैं, क्या आपको दिक्कत है ? आपकी तो खुली सरकार है, ओपन गवर्नमेण्ट है, कोई चीज आज जनता से छिपाना नही चाहते। आपको इलेक्शन मेनीफेस्टो में में यह बात हुई है तो आप वह छिपा क्यों रहे हैं ? उसको आप सामने रखिये। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

दूसरी बात आपने यहां पर कही, आपने कहा भ्रष्टाचार के मामले में हमने बड़ा कीर्तिमान कायम किया एक आई. ए. एस. अधिकारी को गिरफ्तार करके, अच्छी बात है। मैं किसी की जाति के ऊपर नहीं जा रहा। आपकी यह पुरानी आदत है इस सरकार की कि इसी 1977 के अन्दर जब माननीय भैरोंसिह जी मुख्य मंत्री बने थे तब भी बड़े जोर का पहला भाषण दिया था नकुओं में से निकलवा लेंगें सबके। 28 महींने बाद चले गये नकुओं से कुछ नहीं निकला, सभी वहां धरा रह गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन लें आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुन लें आराम से दिक्कत क्या आ रही है। मैंने तो इन्टरफीयर नहीं किया आपको, हेकल करने की चेष्टा नहीं की। आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, यह जो आई. ए. एस. अधिकारी का मामला है अक्टूबर, 1989 में इसकी एफ. आई. आर. लोज हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके आप ढोल नगारे पीट रहे हैं इतने ज्यादा। लोकसभा इलेक्शन हुए नवम्बर के अन्दर उसके बाद आप जानते हैं कि सभी राजनैतिक दल और सरकार स्वयं विधान सभा के चुनावों में व्यस्त हो गयी इसके कारण से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई इसके अन्दर। आपने कौनसा गिरफ्तार कर लिया। वह अस्पताल में जा कर भर्ती हो गया। आपने कौनसा तीर मार लिया ? आपकी सरकार इतनी लम्बी थी तीन महीने तक भाग कर आपने क्या कर लिया ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर एस. सी., एस. टी. की बात कह डाली, सम्माननीय राजस्व मंत्रीजी ने, बड़ी हंसी आती है। यह एस. सी. और एस. टी बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान् आपको ध्यान होगा, आप तो स्वयं बहुत विद्वान् हैं। कांग्रेस सरकार ने एस.सी. एस. टी. की वेकेन्सीज को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चुनाव के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, चुनाव के लिए चलाया था, (व्यवधान) चलाया सही, चुनाव के लिए चलाया। (व्यवधान) हां, निश्चित रूप से चलाया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कितना किया, यह बताइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चुनाव के मौके के ऊपर निश्चित रूप से....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विज्ञापन निकले हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चुनाव के मौके पर निश्चित रूप से कुछ पापूलर कदम उठाये जाते हैं। मैं आपको कहता हूं। इसको मैं मानता हूं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। चुनाव के मौके पर पापूलर कदम उठाये जाते हैं। कांग्रेस ने कुछ सफलता पाई, वर्षों का बैकलॉग था एस. सी., एस. टी. का उसको भरने की कांग्रेस ने चेष्ठा की। निश्चित रूप से उसके पद भरे गये। (व्यवधान) आप गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं यहां पर। अध्यक्ष महोदय, अगर हम कहते हैं कि आपने चुनाव के फायदे के लिए किया तो आपने चुनाव के फायदे के लिए इतना बड़ा धोखा किया हिन्दुस्तान की जनता के साथ, कि हम कर्ज माफ कर देंगे, और कर्ज के नाम पर 1000 करोड़ का प्रावधान किया सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने। और यहां पर अगर और मगर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, आपने भी घोषणा करी थी 15 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करने की। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार होती तो हम निश्चित रूप से करते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, विराजिये, जवाब देने में यह सक्षम हैं। आप इन्हीं को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कई प्रान्तों में सरकारें आपकी हैं वहां पर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने केवल + + +घोषणा क्यों की ? यह प्रावधान लागू क्यों नहीं किया ? (व्यवधान) उस समय तो सरकार में थे आप।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारी घोषणाएं, राज्य आपका है। आप समाप्त करो ना उन सबको। विथड्रा कर लो।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट के ऊपर, क्योंकि अगर राजस्व मंत्रीजी ने कुछ बातें नहीं कही होती, राजनैतिक तौर पर उनका उत्तर देना मेरे लिए आवश्यक था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रामजन्म भूमि।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खैर, राम जन्म भूमि यहां चर्चा का मुद्दा नहीं है। वह इसी पर अलाइव है और उनके लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा लाजिमी है कि इस इश्यू को यह जिन्दा रखें। रखना चाहिए। अगर हम आपकी जगह होते तो निश्चित रूप से हम भी इसको जिन्दा रखते। उसमें कौनसी नई बात है। राजनीति में यहां कोई साधु तो बैठे नहीं हैं सदन के अन्दर, पॉलिटिकल पार्टीज में कोई साधु नहीं है, कहां साधु है।

+ + +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह तो राजनीति का खेल है । किसी मुद्दे को जिन्दा रखकर राजनैतिक लाभ जिसको उठना चाहिये वह उठायेंगे । हमारी आपकी क्या कमिटमेंट है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कोई राजनैतिक विषय नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारा आपका कमिटमेंट जिस आइडियोलॉजी के प्रति है, जिस नीति के प्रति है, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेंट है उसको हम पूरा करेंगे, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में, मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्रीजी का जब वे प्रतिपक्ष में बैठते हैं, सन् 1967, 1177, और 1980 में मुझे उनको सुनने का मौका मिला । मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूं, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में । मुख्यमंत्री के रूप में । और खास तौर से वित्त मंत्री के रूप में तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्रीजी ने कोई एक्सरलाइज नहीं की, किसी डिप्टी सेक्रेट्री ने बजट बनाकर पेश कर दिया, लाकर उसको पढ़ दिया । अध्यक्ष महोदय, किस डाइरेक्शन में, न तो अपनी पार्टी का मेनिफेस्टों इसमें पूरा करने की चेष्टा की है । आखिर आइडियोलॉजी क्या है इसमें, तीन ही आइडियोलॉजी है, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ पढ़ा है, राइटिस्ट, सेण्टरिस्ट और लेफिटस्ट । न तो आपकी पार्टी जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी, इकानॉमिकल आइडियोलॉजी के नाम से जानी जाती है, राइटिस्ट पालिसी के नाम से आपकी पार्टी जानी जाती है, दक्षिण पन्थी जिसे भारतीय जनता पार्टी को हिन्दुस्तान की राजनीति में जाना जाता है । मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं क्योंकि जनता दल आपके साथ है उसमें कुछ समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, कुछ सेण्टरिस्ट हैं । आपको दोनों का समन्वय करना था । न तो आपके बजट के अन्दर राइटिस्ट विचारधारा का दर्शन है और न ही लेफ्टिस्ट या समाजवादी विचारधारा का उसमें कहीं दर्शन है । यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय । इसलिए आपके बजट को मैं बिना किसी आइडियोलॉजी का, दिशाहीन बजट की संज्ञा दूं, अध्यक्ष महोदय, तो मेरे लिए यह सुनिश्चित नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुझे फिर कुछ बातें दोहरानी पड़ेगी, उन बातों को थोड़ा सा बीविएट करके मैं बताऊंगा । आपने विकास की बात की । चलिये आपने किसी आइडियालॉजी को नही रखा । राजस्थान के विकास की तरफ तो ध्यान दिया होता । आपने नये स्कूल नहीं खोले, नये चिकित्सालय नहीं खोले, नई सड़कों के निर्माण कार्य को आपने हाथ में नहीं लिया ।

एक माननीय सदस्य : आपने कितने खोले ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नई इर्रीगेशन की आपने कोई योजना को हाथ में नहीं लिया । धोलपुर की लिफ्ट इर्रीगेशन को आपने हाथ में नहीं लिया । समझ में आती है, आपने यह बात कह दी यहां पर कि जो स्कूल खुल गये हैं या चिकित्सालय खुल गये हैं उनको स्ट्रेन्थन करने की आवश्यकता है, इन्डिस्क्रिमिनेट रूप से विद्यालय खुलते चले गये हैं,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ऐसा समझ में आया है, ऐसी आपकी विचार-धारा है। मैं आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बजट के अन्दर आपने चिकित्सालयों की जो आज दुर्दशा है, एक बेड के लिए जो बजट निश्चित था उसमें आपने कहीं इजाफा किया, दवाओं के लिए आपने कहीं अधिक पैसे दिये। वह भी आपने कुछ नहीं किया। आपने नये स्कूल नहीं खोले, कोई चिन्ता नहीं, नहीं खोले तो। लेकिन आपने स्ट्रेन्थ न करने के लिए, मजबूर करने के लिए क्या किया। आज की पालिसी में आपने यह नहीं कहा कि इतनी आबादी के गांवों को हम सड़कों से जोड़ देंगे। उद्योग नीति की बात बहुत जोर-शोर से सुनते थे उसका आपने कहीं जिक्र नहीं किया कि आपकी नई उद्योग नीति क्या होने वाली है। तो अध्यक्ष महोदय, न तो इस बजट के अन्दर दिशा है और न इस बजट के अन्दर कोई कमिटमेंट है और न ही आपने विकास को गति देने के लिए इसके अन्दर कोई प्रावधान किया है। यह बात दूसरी है, मुख्यमंत्रीजी बहुत चतुर राजनीति के खिलाड़ी हैं, अपनी स्लीव्ज के अन्दर उन्होंने कुछ रखा हुआ हो जिससे सब मंत्री आकर खुशामद करें, वित्तमंत्री के रूप में नतमस्तक हों उनके सामने आकर के और फिर धीरे-धीरे, पैसा कहीं पेंडिंग करके रखा हो बजट के अन्दर, रिलीज करें, यह उनकी राजनीतिक शैली है। जिस हिसाब से वह काम करना चाहें यह तो उनकी इच्छा है। लेकिन आम आदमी जब सोचता है तो इसके ऊपर हमको निश्चित रूप से कमेन्ट करने पड़ते हैं और अपने विचार व्यक्त करने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर मैं आपसे कहूं, आज देश की और राजस्थान की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी की। हमसे बेरोजगारी के कारण लड़का नाराज था और आपसे भी नाराज है। आपने क्या किया? रोजगार मुहैया करने के लिए आपने कौनसी योजनाएं इस बजट के अन्दर हाथ में ली जिससे कि नौजवान युवा जो आज बेरोजगार मारा-मारा फिर रहा है उसको रोजगार मिले आपकी नई इण्डिस्ट्रियल पालिसी होती, नये उद्योगों की स्थापना होती। क्योंकि सरकारी नौकरियों के मामले के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट के कुल बजट का जब 80 फीसदी पेन्शन और तनख्वाहों पर खर्च कर रहे हैं तो सरकारी नौकरियों के अन्दर लड़कों को कितना खपा पायेंगे यह एक अलग विषय है। लेकिन स्वरोजगार योजना, नई इण्डस्ट्रीज को लगाने की बात इसमें नहीं कही। आखिर आप करना क्या चाहते हैं। इस बेरोजगारी की समस्या को, जो आज लड़का छटपटा रहा है, नौजवान छटपटा रहा है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस बजट के के अन्दर आपने किसी किस्म का प्रावधान नहीं किया है। न ही कोई बेरोजगारों के लिए नई दिशा देने की चेष्टा की है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मेरा आपसे निवेदन है। महंगाई, मैं जानता हूं कि राज्य सरकार का महंगाई से डाइरेक्टली कोई लेना-देना नहीं है। राजस्थान सरकार जो कुछ कर सकती है, वह कर सकती है कि अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेन्थेन कर सकती है लेकिन मैं यह जानता हूं कि आपकी सीमाएं हैं लेकिन तब भी डाइरेक्ट सेन्ट्रल के बजट में माननीय दण्डवते साहब ने जिस प्रकार का बजट पेश किया, आज उसी का कारण है आज यह देखिये किस चीज की रेट नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बढ़ी। आपने पैट्रोल, डीजल, रेल्वे, पोस्टर रेट, आपने हर चीज के ऊपर हाइक किया। आज उसका यह नतीजा निकला कि हर चीज की कीमत आसमान को छूने लगी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंत्री मंडल की बैठक के बाद बड़े जोर-शोर से सुना था कि राज्य के खाद्य मंत्री गुजरात जा रहे हैं और वहां से मूंगफली का तेल लेकर आयेंगे और यहां की जनता के बीच में बांटेंगे। यहां के खाद्य मंत्री जी गये, एक छटांक एक औंस तेल नहीं लेकर आये वहां से। आ रहा होगा सामने, देख लेंगे। लेकिन अभी तक एक औंस तेल नहीं मिला है इनको वहां से। यह इनकी सफलता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं डायरेक्टली एक्सक्यूज नहीं करता। सिर्फ कहने की खातिर कहना, किसी चीज की आलोचना की खातिर आलोचना करना। लेकिन चूंकि दिल्ली के अन्दर आज इनका दल वहां की सरकार को समर्थन दे रहा है तो इन्डाइरेक्टली नैतिक रूप से यह भी महंगाई के जिम्मेदार हैं और आज महंगाई से जनता कितनी त्रस्त है अध्यक्ष महोदय, कौन बचे हुए हैं। आज प्राइसेज बढ़ रही हैं और इस ओट के अन्दर इस आड़ के अन्दर हम किसानों को अधिक कीमत दिलाना चाहते हैं। आपने मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस फिक्स करी, कांग्रेस के जमाने में भी थी। इन्फ्लेशन बढ़ता है आपने ज्यादा की, मैं कहता हूं खुशी की बात है। मैं उसका वेलकम करता हूं। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप जो आम कंजुमर है, आम उपभोक्ता है आप उसके हित की की तरफ क्या करेंगे। जो आज खेतीहर मजदूर हैं, जो फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं आप उनको ऐसे थोड़े ही तिलांजलि दे सकते हैं। आपको उसके हित का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि महंगाई का समर्थन इसलिए करें कि हम किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हम भी किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं लेकिन ऐसा वर्ग जिसके पास जमीन नहीं है जो भूमिहीन किसान, भूमिहीन मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाला और शहरों में जो सर्विस ग्रुप हैं, फिक्स्ड इन्कम ग्रुप हैं उसके लिए, उसकी महंगाई को रोकने के लिए क्या करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो योजना थी,....मेरा एक सुझाव है माननीय मुख्य मंत्री जी, इस महंगाई के मामले में, जैसे आदिवासी इलाके के अन्दर एक फिक्स कीमत के ऊपर लोगों को आप अनाज मुहैया करवा रहे हैं आप, वह आज घोषणा करें कि राजस्थान के अन्दर जितने एस. टी. एस. सी. के लोग हैं हम उनको सब्सीडाइज्ड रेट्स पर अनाज मुहैया करेंगे, यह मैं मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की बात के साथ-साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी, अभी आपने एक नया आदेश जारी किया कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में भ्रष्टाचार है, बड़ा व्याप्त भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के कारण अब एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में सिर्फ नाम रजिस्टर्ड हो, लोग सीधी दरख्वास्त देकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और उसके तहत कई जगह दरख्वास्त लगी अध्यक्ष महोदय, सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बहुत जोर-शोर से बात करती है और अदना सा डिपार्टमेंट एम्प्लाय-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मेंट एक्चेंज में, मुख्य मंत्री जी, लेकिन इसके पीछे मंशा ही दूसरी है। मन्शा अध्यक्ष महोदय दूसरी है इसके पीछे भी। 77 में भी किया था इन्होंने। एक निश्चित मंशा है आपको खुलकर कहना चाहिए। भ्रष्टाचार की आड़ के अन्दर, भ्रष्टाचार का नाम लेकर के आप अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कोई योजना लागू करते हैं तो आपको सीधा कहना चाहिए कि नहीं हम इसको पूरा करना चाहते हैं इसमें हमारा राजनीतिक फायदा है। आप तो भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करना चाहते हैं। एक छोटे से डिपार्टमेंट में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन लड़कों के 8-8, 10-10 वर्ष से नाम लिखे हुए हैं उनका क्या होगा मुख्य मंत्री जी। आज जो एक साल वाले आये हैं उनकी पहुंच है, उसको नौकरी मिल जायेगी और जो आठ, दस वर्ष वाला, जिसका नाम लिखा हुआ है उसकी नौकरी का क्या होगा। तो आप इन बेरोजगारों के साथ एक तरफ तो बेरोजगारों की भरमार है। लोगों के छः-छः साल आठ-आठ साल से नाम लिखे हुए हैं दस साल के करीब एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में आपके यहां बेरोजगारों के नाम आप उनके जीवन से खिलवाड़ करने की चेष्टा मत कीजिए। कोई राजनैतिक लाभ भी नहीं मिलने वाला है आपको यह मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इलेक्शन मेनीफेस्टो के अन्दर चूंगी समाप्त करने की बात है, सेलसटेक्स समाप्त करने की बात थी और उसमें रिप्लेसमेंट करना चाहते थे केन्द्रीय किसी कर से। मैंने परसों ही पढ़ा था इसका चुनाव घोषणा पत्र। आपने चूंगी पर राहत दी, बड़े उद्योगों के लिए, बड़ी खुशी की बात है। नये उद्योग लगेंगे, उद्योग पनपें लेकिन जब चूंगी समाप्त करने की बात थी आपको इसके पहले फेज्ड मेनर के अन्दर कैसे करना चाहते हैं और अध्यक्ष महोदय मैं एक बात भूल गया था, कर्ज माफी की बात पंडित रामकिशन जी ने कही, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि हमारा पांच साल का वादा है। लेकिन वित्त मंत्री जी कहते हैं इस साल के बजट के बाद केन्द्र के वित्त मंत्री उसमें कोई प्रावधान करने वाला नहीं हूं। जो कुछ है फाइनल, लॉस्ट यही है। मैं गलत हूं तो मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर देंगे, मुझे करेक्ट कर दें। इसी प्रकार से चूंगी समाप्ति के बारे में आप क्या कर रहे हैं क्या आपकी नीति यह है कि आप अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप इसको पूरा करेंगे। हां यह बात दूसरी है कि अभी समय काफी है और इसके अन्दर पांच साल का वक्त है धीरे-धीरे देख लेंगे आपने कहा। एक बात यहां पर मुख्य मंत्रीजी आपने बीस रुपये तक के जूते के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो बिक्री कर से राहत दी, उसको आपने वापस ले लिया। आपने वापस कैसे ले लिया....

श्री अध्यक्ष : शायद जूते कम चलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्या मुख्यमंत्रीजी की जानकारी में नहीं है पी. वी. सी. के जूते आज भी दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह रुपये में मिलते हैं मुख्यमंत्रीजी, हवाई चप्पल आज चार रुपये से लेकर 15 रुपये तक की मिलती है और गांव का गरीब तबका इसको इस्तेमाल करता है फिर आपने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

20 रुपये तक के कपड़े, चतुर्वेदी को मालूम है नेकर भी आज 15-16 रुपये की मिलती है, आप पूछ लीजिये उनसे

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो अध्यक्ष महोदय, अब आपने कैसे वापस ले लिया, आप कहते हैं कपड़ा ही नहीं मिलता है बीस रुपये का कोई। मिलता है, बच्चों के कपड़े मिलते हैं बड़े आदमियों की नेकर मिल जाती है 15-20 रुपये की। तो आप यह कहते हैं श्रीमान्, मेरी राय के अन्दर यह आपने गलत कदम उठाया है और आपने यह कर छूट जो वापस दी है विथड्रा की है उसको जारी रखना चाहिये बल्कि उसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर कच्ची बस्तियों के बारे में भी, आज कच्ची बस्तियों का जो हाल है जयपुर और राजस्थान के बड़े शहरों में तौर कस्बों के अन्दर, उसके अन्दर भी कच्ची बस्तियों के लिए आपने कोई प्रावधान इस बजट के अन्दर नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कच्ची बस्तियों की समस्या को समय रहते टेकल नहीं किया, आप कहेंगे कि आपके वक्त में भी जयपुर में मेरे वक्त में स्वायत्त शासन नगरीय विकास मंत्री था। 42 कच्ची बस्तियों को पक्का करवाया था। उसके बाद कार्य में ढीलापन आ रहा है। मैं आपको जयपुर के अन्दर के नाम दे दूं। मेरे पास रिकार्ड है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन कच्ची बस्तियों में गरीब तबके के लोग रहते हैं उनके लिए भी आप मिनिमम फेसिलिटीज प्रोवाइड करायें।

अब मैं आपसे एक बात ड्रिंकिंग वाटर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। खुशी की बात है कि वर्षा हो गई। इसके बारे में कोई न कोई लांग टर्म पालिसी बनानी पड़ेगी। हैण्ड पम्प हैं और उनके जरिये आज दिक्कतें आ रही हैं जिन्हें किसी ने रियलाइज नहीं किया है। इनके रिपेयर की समस्या है। कहीं पर माइनर रिपेयर की आवश्यकता है तो कहीं पर मेजर रिपेयर की। धौलपुर जिला, जहां से माननीय मुख्य मंत्रीजी चुनाव जीत कर आये हैं वहां पर मेजर रिपेयर के हेड पेटे एक भी पैसा नहीं दिया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपने वहीं पर नहीं दिया तो आपका और जिलों के अन्दर क्या हाल होगा। आज की तारीख के अन्दर आधे से ज्यादा हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान जैसे प्रान्त के अन्दर जहां कि पानी की इतनी एक्यूट प्राब्लम है, कोई इस प्रकार की टेक्नालोजी डवलप करनी पड़ेगी कि इसका पक्का निस्तारण हो सके। मुझे माननीय फलौदी से आने वाले सदस्य का सन् 1972-73 का एक भाषण का अंश याद आ रहा है कि अगर एक बार हम यूरिनल के लिए जाते हैं तो 4-5 लीटर पानी बरबाद कर देते हैं। दिन में आदमी कई बार जाता है। डब्ल्यू. एच. ओ. का जो वाटर कन्जम्पशन का पर कैपिटा का माप दण्ड है वह राजस्थान में थोड़े ही लागू रह सकता है अध्यक्ष महोदय, जहां पर पानी की उपलब्धि इतनी कम है। इसके लिये जब इतना तकनीकी विकास हुआ है, वैज्ञानिकों ने नई-नई चीजें खोजी हैं तो आपको भी निश्चित रूप से, सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा अन्यथा इन हैण्ड पम्प के सहारे राजस्थान की पेयजल की समस्या का

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

समाधान आप नहीं कर सकते हैं। समय काफी हो गया है। मुख्य मंत्री जी का इशारा हो रहा है। मैं आपको कुछ सुझाव भी देना चाहता था लेकिन मैं समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए, उन सुझावों को अभी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बाद में दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैंने पिछले राज्यपाल के अभिभाषण के समक्ष कही थी, आपके सेल्स टैक्स की बहुत बड़ी हानि हो रही है। आटोमोबाइल फेयर्स मध्य प्रदेश में एक नहीं हर महीने किसी न किसी जिले में लगता है। राजस्थान के सैकड़ों लोग वहां का पता लिखा कर वहां से गाड़ियां खरीद-खरीद कर ला रहे हैं। आपसे मैंने कहा था इसके बारे में आगे विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सेल्स टैक्स की हानि इससे बहुत जबरदस्त हो रही है। इस बारे में भी राजस्थान सरकार को कुछ करना चाहिए। यही बात करता हुआ, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद और यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने बजट की चर्चा में भाग लेते हुए बजट की आलोचना की, बजट की सराहना की और कुछ मुद्दों पर इस प्रकार के भी भाव प्रकट किये कि उनकी मांगे मन्जूर नहीं की गई तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने बजट की प्रशंसा की, सुझाव किये, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने बजट की आलोचना की मैं उनके प्रति आभार प्रकट करणा चाहता हूं और जिन्होंने चुनौती दी उसका भी में स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में बजट प्रस्तुत किया गया है उसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने अपने बजट भाषण में उसका विस्तार से उल्लेख किया है। मैं उसको दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस बजट पर किसी भी प्रकार की कमी निकालने या आलोचना करने का विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है। यदि ईमानदारी से विचार करें और विपक्ष की ओर से जो भाषण हुए उनका विश्लेषण करें तो परिणाम निश्चित रूप से निकलेगा कि विपक्ष के पास इस बजट की आलोचना करने का कोई आधार नहीं है। जिस प्रकार के भाषण हुए उन भाषणों से मैं यही अनुमान लगा सकता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने आलोचना की है वह आलोचना उन्होंने मन से नहीं की केवल वाणी से की है....

एक माननीय सदस्य : अन्तर मन से की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ बातें सदन में कही जाती है, कुछ बातें सदन के बाहर कही जाती है। आपका कर्तव्य है आलोचना करने का, आप विपक्ष में बैठें हैं। इसलिए आलोचना अगर नहीं करेंगे तो आपको भी यह महसूस होगा कि हमने, जो विपक्ष के नाते उत्तरदायित्व था उसका निर्वहन नहीं किया है। लेकिन मुझे दुःख है कि अबकी बार आपको इस प्रकार का अवसर नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिला है। (व्यवधान) सब आ जाऊंगा धीरे-धीरे। सुन लो आप।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता और पूर्व वित्त मंत्री का कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा भाषण था। मेरी दृष्टि से तो मैं उसको अच्छा भाषण नहीं मानता। उन्होंने खास तौर से वित्त आयोग द्वारा राजस्थान सरकार को जो धनराशि अधिक मिली है उसको लेकर यह वातावरण बनाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी के प्रयत्नों के कारण वित्त आयोग से इतना अधिक डिवोल्यूशन मिले। मैं इस सन्दर्भ में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का शासन बहुत पहले से है और उसका मैं उल्लेख कर यह बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने प्रयत्न पहले भी किये, मैं नहीं कहता कि आपने प्रयत्न नहीं किये, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होगी कि पांचवें फाईनेंस कमीशन ने जो डिवोल्यूशन किया वह 4.99 प्रतिशत था। छठे फाईनेंस कमीशन ने जो डिवोल्यूशन किया वह 5.87 प्रतिशत था सातवें ने 4.33 प्रतिशत। आठवें ने फाईनेंस डिवोल्यूशन का जो फार्मूला लिया वह 4.25 प्रतिशत था। नवें फाईनेंस कमीशन ने 6.15 प्रतिशत डिवोल्यूशन किया। यदि आपके प्रयास से यह सब कुछ हो जाता, आप सत्ता में थे, फाईनेंस कमीशन के सामने आपने मैमोरण्डम भी रखा है। फाईनेंस कमीशन के सामने आपने तर्क भी रखे हैं लेकिन उसके बावजूद जितना राजस्थान को मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला। इसमें तो मेरा दोष नहीं है। पिछले पांच फाईनेंस कमीशन में राजस्थान को राजस्थान का हक प्राप्त नहीं हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के शासन के अतिरिक्त और कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन नवें फाईनेंस कमीशन ने ज्यों ही अवार्ड दिया वह अवार्ड 6.15 प्रतिशत की वृद्धि का हुआ। तो कांग्रेस के नेता कहने लगे, हमारा प्रयास था। तो यदि आप उसको अपना प्रयास मानते हैं तो पिछले पांच फाईनेंस कमीशन के अवार्ड के कारण से राजस्थान की बरबादी हुई, उसके लिए भी आप जिम्मेदार है। अब अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आता है....

डा. हरिसिंह (महुआ) : जो बहबूदी बढ़ेगी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब बढ़ेगी आप चिन्ता मत करो। बहबूदी भी बढ़ेगी दूध भी बढ़ेगा। दूध पीने से मूछें भी बढ़ेंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मूछें बढ़ेंगी तो ताव भी दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर दूध नहीं पीयेंगे तो इनकी मूंछे साफ भी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था यह सदन और सदन के अतिरिक्त राजनैतिक दृष्टि से जो जागरूक और हमारे प्रद्युम्नसिंह जी जैसे मित्र जो समाचार पत्रों को पढ़ते हैं उनको यह जानकारी होगी कि नवें फाईनेंस कमीशन के सामने मैं भी विपक्ष की तरफ से गया था और आपको इतना ही कह सकता हूं कि फाईनेंस कमीशन के चैयरमैन से इन्टरव्यू के बाद फाइनेंस कमीशन के चैयरमैन जब प्रेस कांफ्रेस में गये तो उन्होंने यह कहा था कि राजस्थान सरकार ने जो अपना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पक्ष रखा है उससे कहीं प्रभावी ढंग से राजस्थान का पक्ष-विपक्ष के नेता ने रखा है। अब इसमें आप अकेले ही श्रेय लेना चाहें कि केवल कांग्रेस पार्टी के कारण से इतना अधिक डिवोल्यूशन हुआ है, मैं इसको मानता नहीं और इसलिए उसका श्रेय आपको मिलने की या लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उस समय आप विरोधी दल...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये आप अगर बैठ जायें तो ज्यादा अच्छा है। आप बीच में इन्टरप्ट करेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आपको जो कुछ पूछना है अभी 15-20 दिन हाउस और चलेगा पूछते रहिये, दिक्कत क्या है उसमें। हम कहां जाते हैं और आप कहां जाने वाले हैं। मैं इतना निवेदन कर रहा था कि इस अन्तराल में 4849.45 करोड़ रुपये का अन्तर आया है अब यह 4849 करोड़ का अन्तर अधिक हुआ, उसको लेकर तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कहने लगे कि राजस्थान मालामाल हो गया। भगवान उनके मुंह में घी-शक्कर देवें और राजस्थान मालामाल हो। मुझे भी खुशी होगी और राजस्थान की जनता को भी खुशी होगी। लेकिन उन्होंने सदन में यह इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि जो कुछ यह रुपया आया है उसका बजट में कहीं उल्लेख नहीं। यह रुपया गया कहां। इस रुपये का पता लगाया जाय। मेरा विश्वास है कि बजट का वो अध्ययन करते तो इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि अगर यह 4849 करोड़ रुपयों का अधिक अन्तर हमको मिला लेकिन एक फाइनेन्स मिनिस्टर के नाते उनको यह तो देखना चाहिए था कि हमें इस इस वर्ष कितनी धनराशि मिली है। इस वर्ष हमको कुल धनराशि मिली 876 करोड़। इसी डिवोल्यूशन के पार्ट के रूप में, कुछ केन्द्रीय करों के भाग के रूप में मिली, और कुछ नान-प्लेन का जो गेप है उसको मीट करने के लिए हमें धनराशि मिली। 876 करोड़ रुपयों में। गये वर्ष मिले 686 करोड़, अन्तर हुआ 190 करोड़। 190 करोड़ गत वर्ष से हमें अधिक मिले इस वर्ष में फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के कारण तो हमारे पास कुल रहे 190 करोड़। अब अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष वेतन भत्तों आदि पर बजट का प्रावधान था 942 करोड़ रुपया और इस वर्ष 1123 करोड़ रुपया और दोनों में अन्तर होता है 241 करोड़। 241 करोड़ रुपयों वेतन भत्तों पर बढ़ा है और हमें अधिक धनराशि मिली है 190 करोड़ रुपये की और 190 करोड़ रुपये तो उस वेतन भत्तों की राशि में समाहित है। अब आप यह कहें कि धनराशि का यहां उल्लेख क्यों नहीं किया गया। उल्लेख तो यदि आप बजट के फिगर्स देखते तो उल्लेख मिल जाता। लेकिन यह कहना 4000 करोड़ रुपये राजस्थान को मिले, राजस्थान मालामाल हो गया लेकिन इस वर्ष जो मिले और मिलने के साथ जिस प्रकार के खर्चे मिले, उस खर्चों के कारण 190 करोड़ रुपये की हमें कमी रही है, अधिक धनराशि नहीं। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी ने भाषण तो दे दिया लेकिन मुझे लगता है अध्ययन नहीं किया। अध्ययन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करते तो वो शायद किसी भी प्रकार से यह नहीं कहते। उन्होंने मुझे तो कह दिया कि मैं होमवर्क करके नहीं आया। वे यहां है नहीं इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं उनकी तरफ से कहना चाहूंगा कि होमवर्क तो करके आये लेकिन होमवर्क करने के साथ-साथ वे समझ नहीं पाये। अगर समझ जाते तो उनका होमवर्क हो जाता। मुझे लगता है कि उन्होंने होमवर्क में जो समय लगाया उसका कोई उपयोग नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा इश्यू उन्होंने उठाया कि पूंजीगत मद की राशि से राजस्व खाते के मद के घाटे को पूरा करने में उपयोग में ली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने कहना चाहूंगा कि मैं इस परिपाटी का हामी नहीं हूं, मैं इस परिपाटी का विरोधी हूं। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने निरन्तर इसका विरोध किया है और आज भी मैं समझता हूं यदि पूंजीगत मद से राजस्व खाते के घाटे को पूरा करने के लिए धनराशि दे दी जाती है तो वह कोई उचित परम्परा नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों से कि यह परिपाटी किसने डाली। यह मैंने नहीं डाली। सन् 1984-85 में पहली बार पूंजीगत खाते की मद से रेवेन्यू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए 61.59 करोड़ रुपये लिये गये, 1987-88 में 286.12 करोड़ रुपये लिये, 88-89 में 218.54 करोड़ रुपये लिये गये और 90-91 में परिवर्तित बजट में केवल 86.19 करोड़ रुपये लिये गये। मैं इस परिपाटी को गलत मानता हूं। मैं और मेरी सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि रेवेन्यु खाते के घाटे को पूरा करने के लिए पूंजीगत खाते की मद से रुपया स्थानांतरित नहीं हो लेकिन आप यह समझते हैं कि 6 वर्ष की बुराई को 3 महीने के अन्दर पूरा कर दें। हमने इस बात की कोशिश की है कि इस परिपाटी को बदला जाय और यह बदलने के नाते ही ही मैंने इस प्रकार की बात कही है।

अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि बजट में समग्र घाटा 59.28 करोड़ रुपये छोड़ा है। 4000 करोड़ रुपये इनको फाइनेन्स कमीशन के मिले और उसके बावजूद मैंने समग्र घाटा 59.28 करोड़ का छोड़ा है। मैं इस सदन में जानकारी में लाना चाहूंगा कि 87-88 में घाटा छोड़ा था 116.62 करोड़ रुपये का, 88-89 में छोड़ा था 252.04 करोड़ का, 89-90 में घाटा छोड़ा था 203 करोड़ का और 90-91 के बजट में घाटा मैंने छोड़ा है 59.28 करोड़। अब इससे क्या आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि....व्यवधान) वह भी सुनते हैं, सुनते जाइये डाक्टर साहब। डाक्टर साहब देखिये, डाक्टर साहब, बैठ जाओ। मैं आपसे माफी चाहूंगा, विपक्ष के सदस्यों से माफी चाहूंगा कि वे इस तरह से इन्ट्रप्ट न करें। मैं सब बता दूंगा, मैं मानता हूं क्या। आप मत सुनो तो बाहर बैठ जाओ, वाक आउट कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल यह निवेदन कर रहा था कि आज उस घाटे को कम करके यदि 59.28 करोड़ रुपये पर घाटा लाया हूं तो मैं ऐसा समझता था कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य कम से कम इस बात की तो प्रशंसा करेंगे कि यह इस प्रकार की स्थिति में जो कुछ हुआ है, उसमें राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की सरकार ने ठीक प्रकार का प्रयत्न किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने यह कहा कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण कर दें और राज्य की आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने काफी प्रयत्न किया हैं, उन्होंने उसके लिए धन्यवाद भी दिया है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में मैं 1952 से आया हूं इस विधान सभा में। 52 से लेकर आज तक मैंने कोई बजट भाषण ऐसा नहीं देखा, बजट अधिवेशन नहीं देखा जिस अधिवेशन में विपक्ष की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से दोनों ओर से एक बात नहीं कहीं गई हो कि राज्य में भ्रष्टाचार फैल रहा है और राज्य में फिजूलखर्ची हो रही है। यह पहला ऐतिहासिक बजट है जिसमें भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई जिक्र न विपक्ष कर सका न सत्ता पक्ष कर सका। यह पहला बजट है जिसमें फिजूलखर्ची के मामले को लेकर न सत्ता पक्ष कुछ कह सका न विपक्ष किसी प्रकार की बात कह सका। कम से कम वे दो उपलब्धि तो है....(व्यवधान) आप बैठ जाओ, मैं जो कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि... (व्यवधान) वह आएगा उस समय तो भगवान जाने किस-किस की टोपी उड़ेगी, यह नहीं बता सकता। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप कम से कम एक तो एप्रीसियेट करो कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। आप एक बात की तो प्रशंसा करो कि फिजूलखर्ची को रोकने का प्रयत्न किया गया। लेकिन सही बात कहने में भी संकोच होता होगा। मैं समझता हूं मैं विपक्ष में बहुत रहा हूं। मैंने इस तरह के कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया। सही बात भी मैंने कही।

अध्यक्ष महोदय, यह पहला विपक्ष है, पहली बार मैंने विपक्ष के सदस्यों को देखा, आलोचना तो कर गये, एक सुझाव विपक्ष की तरफ से नहीं दिया, । एक सुझाव । आप बजट को तो शून्य बताते हैं, दिशाहीन और मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष पूरा का पूरा दिशाहीन है। किस प्रकार की दिशा में हमें जाना चाहिये था, क्या हमें करना चाहिये था, उस सम्बन्ध में विपक्ष बिल्कुल मौन रहा। ऐसा लगता है कि विपक्ष खुद अपने आप में घबराया हुआ है। अब क्यों घबराया है, मुझे नहीं पता। लेकिन घबराहट अवश्य है। अब घबराहट धीरे-धीरे प्रकट होगी....

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : निरंकुश राज में ही घबराहट होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। डाक्टर साहब, आप नत्थी सिंह जी के बारे में बार-बार कह रहे हैं कि आप हमारे साथ में बैठो, आप मेरे साथ में बैठो। आपने मेरी बहुत प्रशंसा की है। बाहर भी की है। और सदन में भी की है। अब उन चीजों की मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता। मुझे डर लगता है कहीं सैंटीमेंट्स प्रोप हो जायं और इस समय प्रशंसा करने के लिए खड़े हो जाओ, वह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने सबने एक बात कही कि विपक्ष के लोग आपसे नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की। मैं समझता हूं कि विपक्ष लोग यदि नहीं बोलते तो इस सदन के अन्दर कोई भाषण सुनने वाला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बैठता ही नहीं, आप लोग तो कुछ बोले नहीं और सारी लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्वहन किया तो वह भी सत्ता पक्ष ने ही किया, विपक्ष का काम किया तो भी सत्ता पक्ष ने किया। आप में तो वह भी नहीं दम रहा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप मन से कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मन से ही कह रहा हूं। आप मेरी सुनिये, सैनीजी, बात सुन लीजिये। मन और मस्तिष्क का मेल होता है, कई बार अगर मेल नहीं होता तो परिस्थितियां बहुत ही विपरीत होती हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, डाक्टर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हो, मन और मस्तिष्क का मेल नहीं हो तो हालत क्या होती है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यहां कई प्रश्न उठाये गये। कहा गया, यह पूंजीपतियों का बजट है। यह भी कहा गया कि इस बजट की दिशा नहीं है। लेकिन गम्भीरता से किसी ने चिन्तन किया हो तो इस बजट में एक दिशा थी, राजस्थान का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो। इससे बड़ी कोई दिशा नहीं हो सकती। आप अभी कह रहे थे, बेकारी की समस्या का समाधान कैसे होगा। मैं समझता हूं, यदि बजट को आपने देखा होगा तो यह सारा बजट इस बात को लक्ष्य रख कर बनाया गया है। बजट में छूट देने से बजट में कर लगाने से, बजट में सारी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने से यदि राजस्थान में लोगों को रोजगार मिले तो मैं समझता हूं, बजट में टैक्स लगाना और टैक्स हटाना यह प्रमुख चीज नहीं है, मैं आज भी विश्वास से कहता हूं कि बजट में जो कुछ हमने व्यवस्था की है उस व्यवस्था में कम से कम 50 हजार लोगों को नये काम करने का मौका मिलेगा, 50 हजार लोगों को। आप उदाहरण के रूप में मांगेंगे, कि क्या है ? अब उसमें परेशानी यह है, आपको शायद इस बात की परेशानी है उन 50 हजार लोगों में ज्यादा जिन लोगों को धन्धा मिलने वाला है, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। आपको परेशानी यह हो रही है।

श्री हरिसिंह : आपका वहम है, अध्यक्ष महोदय, कोई परेशानी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप, डाक्टर साहब, देखिये आप हास्पिटल में जाकर सर्जीकल काम करें तो समझ में आ सकती है, राजनीति में कहां फंस गये ?

श्री हरिसिंह : पुलिस में किस मजबूरी से छोड़ी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, अल्पसंख्यकों के प्रति आपके प्रेम के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत बढ़िया। आपको बड़ी बेचैनी इस बात से हो रही है। अब आपने बहुत बातें कह दीं और बातें कहने के साथ आप यह भी कह गये कि आपने कपड़ों पर और इसके ऊपर एग्जम्पशन से विथड्रा क्यों किया? मैं केवल आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि बैदजी यहां नहीं हैं वह होते तो मैं निश्चित रूप से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनको बताता कि इस प्रकार का टैक्स केवल मैंने ही नहीं हटाया है, आपने तो लगाया था और लगाया किस तरह से है ? अध्यक्ष महोदय, जब वैदजी वित्त मंत्री थे, उन्होंने सदन में बजट जिस समय प्रस्तुत किया उस समय सिले सिलाये कपड़ों पर टैक्स की छूट दी और वैदजी ने यह कहा कि दस रुपये से कम कीमत के सिले सिलाये सूती कपड़ों के ऊपर छूट से कर अपवंचना हो रही है, इसका दुरूपयोग हो रहा है इसलिए मैं इसको विथड्रा करता हूं। आज वह वैदजी बोल रहे हैं और बोल कर यह कहते हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए पढ़कर ही सुना देऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, वही वैदजी आज कह रहे हैं, सॉरी, वैदजी का मतलब वह मत लेना, चन्दनमलजी से मतलब है, यह बजट भाषण है 1882-83 का उसमें वित्त मंत्रीजी कहते हैं, "इस समय 10 रुपये के मूल्य के कम के बने बनाये कपड़ों पर विक्रीकर से छूट है, इसका काफी दुरूपयोग किया जा रहा है, अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस छूट को समाप्त कर दिया जाय।"

अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं, या तो वह स्वीकार करें कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई और यदि यह स्वीकार नहीं करते तो उन्होंने किस प्रकार से स्वीकार किया कि दस रुपये की कीमत से कम सिले सिलाये कपड़ों की कीमत के ऊपर जो टैक्स था उस टैक्स से जो एग्जम्पशन मिला हुआ था उसको समाप्त किया जाय।

यहां जिक्र किया गया चप्पल और जूतों के मामले में। चप्पल और जूतों के मामले में राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही चिन्ता व्यक्त की कि वहां पी.वी.सी. की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनमें जूते और चप्पल बनते हैं उन फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए जूते और चप्पल के ऊपर टैक्स से जो एग्जम्पशन दिया है उसको विथड्रा करने की जो बात कही है वह विथड्रा करने की बात नहीं होनी चाहिये। मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आज की राजनीति में जूती और चप्पल का महत्व है और भरतपुर में कल जिस प्रकार की स्थिति हुई, मुझे पता नहीं है वहां उपयोग किये गये या नहीं किये गये....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां भर दी, साहब।

एक माननीय सदस्य : वहां लखानी भी चली, कोल्हापुरी भी चली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह नहीं कहता वहां पर किस सीमा तक उनका उपयोग हुआ, किसने उपयोग किया और कौन आदमी ऐसा है जो विना टैक्स दिये जूते वहां पर छोड़ कर आ गया, यह तो एक आपकी पार्टी का विषय है, मैं उस विषय में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता।

श्री रामप्रसाद (वैर) : नुकसान हो रहा है आप लोगों को राजीव गांधी का दौरा हो रहा है जब। चुनावों में जो पत्र पढ़ कर आये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। लेकिन इस प्रश्न के ऊपर कई माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्यों ने अपनी चिन्ता प्रकट की है और चिन्ता प्रकट करने के साथ कहा कि जूते और चप्पल गरीबों के काम आते हैं, स्माल स्केल इण्डस्ट्री में यह बनते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने भी उन सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है कि जूते और चप्पल पर जो हमने एग्जम्पशन विथड्रा किया है. वह नहीं होना चाहिये और उस पर कर नहीं लगना चाहिये। मैं समझता हूं वैर से आने वाले माननीय सदस्य को पूरी तसल्ली हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : या छूट हो जायगी ज्यादा चलाने की? ज्यादा चलाने की छूट हो जायगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जैसा भी उपयोग करें इनकी मर्जी पर है, इसके लिए कोई नियम सरकार नहीं बनायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था, माननीय सदस्यों ने इस बजट को पूंजीपतियों का बजट बताते हुए जो जवाहरात पर छूट दी है उसका उल्लेख किया। मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि यहां राजस्थान में जैम की कटाई और खरड़ की कटाई और उसकी सफाई का काम, घिसाई का काम वर्षों से चल रहा है। मैं आज के एक साल पहले सूरत में गया। और सूरत में जब मैंने देखा कि राजस्थान ही राजस्थान के कारीगर यहां बैठे हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे आये? कि राजस्थान में धन्धा नहीं चलता है इसलिए हम आये। अगर आप सूरत गये हों तो आपको जानकारी हो जायगी कि कितने राजस्थान के कारीगर....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं गया हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जानते हो ना मेरी बात।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसमें एक ही फर्क है अगर आपकी इजाजत हो, आपको इन्ट्रप्ट करने के हिसाब से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां कह देओ, बोलो बोलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सूरत के अन्दर थोड़ा स्पेशलाइजेशन है डायमण्ड का और अपने यहां यह बात सही है, मुख्य मंत्रीजी जो कह रहे हैं, जयपुर के अन्दर है कलर्ड स्टोन। फर्क इतना है, जयपुर का कारीगर कलर्ड स्टोन के मामले में जैसे खास तौर से एमरल्ड जो है अपने यहां का और चीजें जो कलर्स की हैं उनके मामले में जयपुर के अन्दर एक्सपर्टाइज हासिल है जबकि वहां का जो कारीगर है वह है हीरे के मामले में। इतना ही फर्क है। बिल्कुल सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह तो कहा नहीं कौनसा कारीगर है और नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले देखा हो तो जयपुर में इतने कारीगर इस धन्धे पर लगे हुए थे कि वह कारोगर ही नहीं रहे, खुद इन प्रेशियस स्टोन के अन्दर एक व्यापारी और उद्योगपति बन गये। आज राजस्थान का धन्धा गुजरात चला जाय, राजस्थान का धन्धा महाराष्ट्र चला जाय, राजस्थान का धन्धा और जगह चला जाय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान में आपकी सरकार थी, तो आपको मालूम होगा, आपने एक जैम पार्क बनाया और रीको के सहयोग से वह जैम पार्क बन रहा है अगर सारा का सारा वह सफल हो गया तो वह केवल हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं संसार के लिए राजस्थान एक केन्द्र बनेगा। एक तरफ लोगों को रोजगार मिले, हमारे यहां का रोजगार बाहर जा रहा है वह रुके। गुजरात, महाराष्ट्र में कोई टैक्स नहीं और राजस्थान में केवल टैक्स लगाकर इस सारे के सारे कारोबार को हम राजस्थान के बाहर भेज दें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई माननीय सदस्य इसको स्वीकार नहीं करेगा। विपक्ष के मित्रों ने कहा पूंजीपतियों का बजट है। मैं पिछले 89-90 के माननीय शिवचरण माथुर के भाषण को कोट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि जयपुर रत्न और बहुमूल्य प्रस्तर उद्योग के एक प्रधान केन्द्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैंने समस्त रत्नों और प्रस्तरों पर बहुल बिन्दु कर को हटाने का प्रस्ताव किया था। और फिर लिखते हैं, इस श्रमिक प्रधान उद्योग को, पूंजी प्रधान नहीं है, इस श्रमिक प्रधान उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने हेतु मैं हीरों पर विक्रय कर को छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं। मुझे बताइये कि यदि इनके ऊपर यदि कर छोड़ दिया गया तो गरीब लोगों की रोटी का इन्तजाम किया गया है और गरीब लोगों की रोटी का इन्तजाम हो तो आप उसे पूंजीपतियों का बजट कहें। दोनों में तालमेल कैसे होगा। यह एक साल नहीं, दो साल तक इसी प्रकार से करों में छूट दी गई है। आज इस प्रसंग को लेकर चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि जवाहरात उद्योग रोजगार प्रधान है वह इस आधार पर मैंने कहा।

आप लोग कई माननीय सदस्य जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में बकरी के बालों का कितना उद्योग चलता है। 1971 में मैंने वहां से चुनाव लड़ा था तो सारे गांवों में मुझे जाने का मौका मिला। कोई पश्चिमी राजस्थान का आदमी ऐसा नहीं होगा चाहे वह कोई भी काम करता हो भेड़ चराता हो, सिंचाई करता हो, खेत पर खड़ा हो, सड़क पर चल रहा हो या बस में हो। राजस्थान की भाषा में तो उसको ढ़ेरा कहते हैं, हाथ में ढ़ेरा रख कर घुमाता हुआ चलता था और बकरी के बालों से धागा बनता था। आजकल किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं। बकरी के बालों से बनने वाले माल पर टैक्स लगा कर हजारों के हाथों से जो धागा बनने की प्रक्रिया थी, धागा बनने का काम था उसको वापिस छीन लिया, लोगों को बेकार बना दिया। आज यदि हमने उसका टैक्स हटाया तो गरीबों को रोजगार मिले, उनको काम मिले इस दृष्टि से ही तो किया है। आज गरीबों को राहत मिले इसके लिए विपक्ष के लोग कहें कि पूंजीपतियों का बजट है तो मेरी समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था तुम्बा, मतीरा, खरतुम्का कई चीजों के जो बीजों को हमने टैक्स मुक्त किया। क्या इनको पूंजीपति इकट्ठा करते हैं और इनसे कोई आचार बनाते हैं? गरीब लोग इनको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद मुझे प्रत्यक्ष जानकारी है सारा का सारा माल गुजरात जाता है। उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। मैं इस बात की भी कोशिश करूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को इकट्ठा करें और इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि माल गुजरात नहीं जाय और इसका तेल निकालने का उद्योग राजस्थान में स्थापित हो ताकि लोगों की बेकारी की समस्या का समाधान निकल सके।

आज रागी पर और बाकी की चीजों पर हमने टैक्स हटाया क्या यह पूंजीपतियों के लिए रागी का टैक्स हटा ? रागी का उपयोग गरीब करते हैं या अमीर करते हैं ? उस गरीब को किस प्रकार की राहत मिल जाय, उसके लिए टैक्स में कमी कर दी तो आप कहते हैं कि पूंजीपतियों का बजट है। मेरी समझ में नहीं आता या तो पूंजीपति की परिभाषा आपके ध्यान में नहीं हैं। पूंजीपति की परिभाषा किताब और कानून में दी हुई है मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। आज सड़क के फुटपाथ पर बैठा हुआ गरीब बरसात में भीगता रहे और उसके मुकाबले में दो मंजिले मकान में कोई बैठा है तो उस गरीब के लिए वही पूंजीपति है। इस राजस्थान की विधान सभा में बैठे हुए माननीय सदस्य जिनको दो-ढाई हजार रुपये माहवार वेतन मिलता है आज गरीब जिसको सुबह शाम रोटी नहीं मिलती उसके मुकाबले में हम पूंजीपति हैं। आज यह समझ कर चलें कि जो करोड़पति और अरबपति है वही पूंजीपति है, हमें पूंजीपति की परिभाषा का इस आधार पर विचार करना पड़ेगा कि आज कम से कम आय वाला व्यक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति किस व्यक्ति को पूंजीपति मान कर चलता है और इस आधार पर आपको चिन्ता नहीं है कि गरीबों के काम आने वाली चीजों पर, गरीबों को रोजी रोटी की व्यवस्था करने वाली चीजों पर यदि हमने टैक्स हटा दिया तो कहते हैं कि पूंजीपतियों का पट्टा है। चांदी और सोने का वर्क मैं समझता हूं जो देखेगा वही कहेगा कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हथोड़ा मारते-मारते किसी ने देखा हो, पूरे शरीर में पसीना निकलता रहता है और हथोड़ा मार-मार कर अपना पसीना निकालते हैं। गरीबों के उस उत्पादन पर टैक्स हटा दिया तो कहते हैं पूंजीपतियों का टैक्स है। यह पूंजीपतियों का टैक्स नहीं, उस हथोड़ा मारने वाले कारीगर को जाकर देखो, उसके बहते हुए पसीने को जाकर देखो उसके पेट की रोटी की व्यवस्था को देखो। देखने के बाद कहो कि बजट पूंजीपतियों का है या इस बजट में गरीबों को रोजगार देने के लिए व्यवस्था की गई है।

आपने जिक्र किया रेशमी साड़ी का। मैं अध्यक्ष महोदय, उस भाषण का जिक्र करना नहीं चाहता जिसमें 80-81 में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा था कि सदन में कुछ माननीय महिला सदस्य भी हैं। महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर शायद वह कर रियायत की आशा कर रही होंगी। सुहाग और सिन्दूर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि कुंकुम, सिन्दूर और मेंहदी को राज्य में बिक्री कर से मुक्त किया जाय। 82-83

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से आज तक कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जिसने महिलाओं को लक्ष्य रख कर किसी न किसी प्रकार की छूट न दी हो। महिलाओं पर किसी ने कांच की चूड़ियों पर, किसी ने प्लास्टिक की चूड़ियों पर छूट दी, किसी ने किसी चीज पर छूट दी। मैं उसकी नकल नहीं कर रहा हूं। रेशमी साड़ी को कर मुक्त रखने के पीछे एक अन्य कारण है जो इस सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा। सदन यह अच्छी तरह से जानता है कि कॉटन और कॉटन के कपड़े पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। जो कपड़ों के व्यापारी हैं वह किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते। एक तरफ अभी नत्थीसिंह जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमें प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा और उन चीजों को छूट से अलग करना पड़ेगा जिनके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। एक आदमी की दुकान में एक लाख का सामान है यदि उसने एक सिल्क की साड़ी बेच दी तो सारा सेल्स टैक्स विभाग उसकी दुकान के पीछे पड़ जाएगा। बाबा आदम तक के जमाने का हिसाब देखेगा। तो सरकार को तो आय नहीं है। और व्यापारी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ और व्यापारी को जो नुकसान होगा वह व्यापारी अपनी जेब से नहीं देगा। जितना भ्रष्टाचार में पैसा जाएगा वह पैसा उसी कपड़े की कीमत बढ़ा कर वसूल करेगा। अध्यक्ष महोदय, इस कर में छूट दी, छूट देकर के कहते हैं रेशमी साड़ी पर छूट दे दी। मैं माननीय विश्नोई जी से निवेदन करना चाहता हूं आप तो जोधपुर में रहते हैं जोधपुर में इस रेशमी साड़ी पर बन्धेज करने वालों की क्या हालत है? सूनी कपड़े पर बन्धेज दुकान के बाहर बैठ कर, चौपाल में बैठ कर बन्धेज का काम कर सकते हैं लेकिन रेशमी कपड़े पर बन्धेज का काम कोई कारीगर करेगा तो लुक-छिप कर करेगा और वह इसलिए कि रेशमी साड़ी किसी ने देख ली तो कोई इंस्पेक्टर आया और झपट लेगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में रेशम के कीड़ों का उत्पादन हो और उनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले इस दृष्टि से हम चाहते हैं कि रेशम के सम्बन्ध में लोगों में यह जो भ्रांति पैदा हुई है कि राजस्थान में रेशम का कपड़ा नहीं बन सकता, इस भ्रांति को दूर किया जाय और लोगों को रोजगार देने के लिए एक नये आयाम में प्रवेश किया जाय। अगर इस दृष्टि से हमने किया तो हमें परेशानी किस बात की होगी? मैं समझता हूं इस सरकार की आलोचना करके यह कहना चाहें कि राजस्थान का बजट पूंजीपतियों का बजट है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान का बजट किसानों का बजट है, गरीबों, मजदूरों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का बजट है और अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों का बजट है लेकिन इसको स्वीकार नहीं करते कोई आपत्ति नहीं है आप लगातार गांवों में जाकर यह प्रसार करिये, यदि आप में हिम्मत है तो विधान सभा में भाषण दिया वह प्रसार करिये। जितना जवाहरात पर टैक्स हो जाता है पन्द्रह हजार, पचास हजार लोगों के रोजगार की व्यवस्था की है राजस्थान की सरकार ने गलती की। रेशम की चुनड़ी पर, रेशम के कपड़े पर, साड़ी के ऊपर बन्धेज के काम पर छूट देकर राजस्थान की सरकार ने गलती की। मतीरों, तुन्दे के बीज को

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कर मुक्त करके राजस्थान की सरकार ने गलती की। यहां तो भाषण दे दिया और आपका भाषण महत्वपूर्ण नहीं हुआ इसलिए अखबारों में नहीं छपा लेकिन यहीं बातें यदि आप पब्लिक में जाकर कहेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम वहां पर क्या बोल गये।

(2.00 म. प.)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सदन में भाषण देते हैं, जो पब्लिक है वह इसको महाजनों का, दुकानदारों का बजट कहती हैं या किसानों का, चलिये मैं चेलेंज करता हूं आपको।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं समझता हूं आप जहां भी चलेंगे मैं चलने को तैयार हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो आपको यह कह दूं....।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आप बोलिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कृपया एक बात का जवाब दीजिए कि इस साल सत्तर बेहतर करोड़ का जो घाटा है। अट्ठावन का दस का आपने टैक्स लगाया। पिछले साल बता रहे थे कि एक सो बेहतर करोड़ का घाटा है अगर दस करोड़ का नहीं लगाते टैक्स तो क्या हो जाता? मैं कहता हूं कि इसलिए ही यह कर छूट और....।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह ठीक है जो आप कह रहे हैं। आपकी इतनी सी शिकायत है न कि नये कर क्यों लगाये। इतनी सी है बाकी करों में छूट दी उसकी तो शिकायत नहीं है?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : छूट दी, क्योंकि मैं इससे सम्बन्धित नहीं हूं लेकिन आप यह एक दस-पन्द्रह करोड़ रुपये के लिए इतनी बात कह रहे हैं। मुद्दे की बात हमने नहीं कही तो आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि हमने मुद्दे की बात कही....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं कह रहा हूं मुद्दे की बात....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप ग्रामीण होते हुए आपने उनकी परवाह नहीं की....।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब अध्यक्ष महोदय, यह कर लगाने की बात कह रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 1985 से लेकर 1989 तक यहां सरकार आपकी थी। आपने ए. आर. एम. (Additional Resource Mobilization) के नाम पर एक हजार पैंसठ करोड़ रुपये जनता से वसूल किये। एक हजार पैंसठ करोड़ रुपये और एक हजार पैंसठ करोड़ रुपये का दो तिहाई हिस्सा आपने किसानों से वसूल किया बिजली की कीमतें बढ़ाकर। आज वह सरकार कह रही है दस-दस करोड़ रुपये की बात कर रही हैं। आप यदि जानकारी करना चाहते हैं तो मैं सब बता दूंगा। आप ले लेना एक कागज मेरे से। अब ऐसी स्थिति में दस करोड़ की बात आयी कि दस करोड़ का टैक्स लगाया लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस टैक्स को लगाने के बाद अभी भी आप बोले कई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय सदस्य भी कई बार बोल चुके हैं कि राजस्थान के बजट में नई स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के बजट में सड़कों की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के बजट में होस्पिटल की व्यवस्था नहीं है तथा किसान के कामों की व्यवस्था नहीं है। मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि 1985 में जब माननीय श्री हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे और उन्होंने राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया। वहीं पैराग्राफ पढ़कर सुना रहा हूं। "आप कह रहे हैं वर्ष 1985-86 में शिक्षा पर 32.50 करोड़ रुपये की योजना व्यय का प्रावधान प्रस्तावित है। शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए हम अभी बहुत कुछ करना है। इस दिशा में आगे बढ़ने से पूर्व यह श्रेष्ठकर समझा गया है कि जो वर्तमान ढांचा है उसे अधिक सुदृढ़ कर दिया जायें।" अब माननीय श्री हरिदेव जोशी पिछली बार बोल गये 1985 में वह तो बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं ना। यही बात शायद मैंने कही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उस वक्त आपने क्या कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही मैंने उस वक्त भी कही होगी कि जिस गति से विस्तार हो रहा है, उसका कन्सोलिडेशन किया जावें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनायी जावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डाक्टर साहब अच्छा होता कि आप इनके भाषण यहां रखते और पढ़कर सुना देते। समझ में आता कि ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब माननीय सदस्य यह कहें कि साहब अब की से तो इस बजट में इन चीजों का कोई प्रावधान नहीं रखा। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि इस बार 1989-90 के बजट में कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर 54 करोड़ का बजट प्रावधान था। इसको हमने बढ़ाकर 82 करोड़ रुपये का कर दिया गया। बजट तो बढ़ा हैं और बजट भी बढ़ा है 28 प्रतिशत। उसी प्रकार से ग्रामीण विकास पर 41 करोड़ रुपये का बजट पिछली साल था। उसको बढ़ाकर 57 करोड़ रुपये का किया गया। सिंचाई पर 160 था उसको बढ़ाकर 183 करोड़ रुपये किया गया। विद्युत पर 215 करोड़ रुपये था उसे 238 करोड़ रुपये किया गया। परिवहन पर 36 था उसको 47 किया गया। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर 226 था वह अब 237 किया गया। रुपये बढ़े है और रुपयों में कोई कमी नहीं है। कोई कंसोलिडेशन होता तो मुफ्त में नहीं होती। आज स्कूल में तीन अध्यापकों की आवश्यकता हैं और उस समय एक ही है दो अध्यापक वहां मुफ्त में नहीं पहुंचे, उनके ऊपर भी हमको खर्चा करना पड़ेगा। आज एक होस्पिटल खोल दिया वहां कोई भी नर्स नहीं, कोई कम्पाउन्डर नहीं, कोई डाक्टर नहीं तो खोलने से ही सेवा आरम्भ नहीं होगी। हमें डाक्डर को भेजना पड़ेगा। नर्स भेजनी पड़ेगी। कम्पाउण्डर भेजना पड़ेगा। दवाइयां भेजनी पड़ेगी। उसे कंसोलिडेशन जो कुछ हमने किया है। वह किया हुआ जनता की सेवा में लगे इस बात का प्रयत्न हमने किया। अब इस दृष्टि से मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि....।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसी होशियारी और चालाकी की कि दस करोड़ रुपये के नये लगाये और दस करोड़ रुपये के माफ किये। पच्चीस कलमें बतायी। महाजनों को भी ठगा और हमको भी ठगा। उनको भी क्या दिया आपने ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री विश्नोई साहब आप और मैं इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। कोई दूसरी स्कूल नहीं थी हमारी और आपने कहा कि दस करोड़ रुपये के टैक्स लगा दिये। मैंने बता दिया आपको। टैक्स लगा दिया और इतनी सेवाओं में राशि बढ़ा दी और इस पर मैं समझता हूं कि आपको खुशी हो गई, आपको नाराजगी नहीं रही। मुझे इस बात की खुशी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनके कोई पच्चीस कलमें माफ करी और उसमें आठ करोड़ की माफी करी। कहने को उनको कह दिया कि साहब हमने तो इतनी बदनामी मिली। इतनी बदनामी मिली। आपने करी खूब ही....।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से ग्रामीण पेयजल योजना में जहां तीस करोड़ रुपये का प्रावधान था, वहां बयालीस करोड़ रुपया किया। शहरी पेयजल योजना में तीस करोड़ रुपये का प्रावधान था उसको चालीस करोड़ रुपया किया। इस तरह तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि आखिर धनराशि हर क्षेत्र में हमने बढ़ाई है। दृष्टिकोण केवल एक ही था। स्कूल का कागजों में नाम खोल दिया कि फलां जगह स्कूल हैं, वहां न मास्टर है न बैठने को जगह है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक आध ही बजट ऐसे हैं, जिसमें पन्द्रह-बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं हुई हो। पन्द्रह करोड़ रुपये था राजस्थान बना जब। अब इग्तालीस अरब रुपये का तो वह तो हर साल बढ़ता हैं, उसमें क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो सही है। लेकिन आप अपना हिसाब लगायेंगे तो इसमें 89–90 में इतनी वृद्धि नहीं हुई। 88–89 की तुलना में, 89–90 की तुलना में, 87–88 की तुलना में और 85–86 में यदि आप बजट निकालें तो इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 27 प्रतिशत महंगाई बढ़ गई।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : 77 के पहले कभी नहीं हुई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल्ला साहब आपके समझने की बात होती तो मैं बैठ जाता। आपको तो दुःख केवल एक हो रहा है कि भांग के ऊपर मैंने टैक्स नहीं हटाया। मुझे आपकी वेदना मालूम है आप बोले या नहीं बोले। आपकी वेदना मुझे मालूम है। है ना। नहीं आप हां या नहीं आप बताओ। मैं भांग के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : भांग पर आप लगा दो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं लगा दूंगा। आपको पता नहीं है, भांग पर जब टैक्स लगा....

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : कल्लाजी घोटकर पीते हो या तलकर खाते हो भांग ? कैसे खा रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि यही व्यवस्था रही तो लोग आपके बारे में सोचने लगेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस बजट में किन मदों के ऊपर राशि अधिक खर्च की गई है। मैंने जैसा कहा कि किसान के प्रति इस बजट के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं वह पहले नहीं थी। यह सदन अच्छी तरह जानता है कि जिस समय मार्च के महीने में अधिवेशन होता था या इस समय कोई अधिवेशन होता तो माननीय सदस्य एक शिकायत करते कि बीज नहीं पहुंचा, खाद नहीं पहुंचा; अमुक प्रकार का सामान किसान के पास नहीं पहुंचा। आज मैं कह सकता हूं कि अगर सामान नहीं पहुंचा तो किसान के हितेषी सदस्य और खास तौर से विश्नोई साहब जरूर कह देते....

श्री रामनारायण वर्मा (नेनवा) : वह तो अभी तक नहीं पहुंचा है, अभी भी नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये, आप बीच में मत बोलिये, आप बैठ जाइये।

श्री रामनारायण वर्मा : जमीनें खाली पड़ी हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको कई बार निवेदन कर चुका हूं, आप कृपया सुन लीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : किसानों को खाद नहीं दी है, वास्तविक स्थिति यह है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनते क्यों नहीं हैं ? आप तो बोल लेना फिर, सुनिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : आप कहते हैं कि वास्तविक स्थिति यह है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Please sit down. Take your seat.

श्री मदनलाल सैनी (गुढा): यही तो कहा है हमने कि लोन नहीं बंट रहा है, लोन नहीं बंट रहा है तो बीज नहीं बंट रहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था और चीफ व्हिप महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने सदस्यों को बतायें कि इन्टरप्ट करने का मतलब क्या है और किस समय करना चाहिए। इतनी सी जानकारी दे दें, मेरी और आपकी समस्या का समाधान हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य की हम एक कृषि नीति बना रहे हैं। जैसा आपने जिक्र किया औद्योगिक नीति के बारे में, हम बना रहे हैं आप यह कह सकते हैं कि इतनी जल्दी क्यों नहीं बनाई ? केन्द्रीय सरकार ने भी अपनी औद्योगिक नीति बनाई है, आम जनता में उसके ऊपर चर्चा हो रही है। अन्य राज्य भी अपनी औद्योगिक नीति बना रहे हैं, हम भी इस बात की कोशिश कर रहे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं कि सब लोगों से सलाह-मशविरा करके राजस्थान की एक ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जाय जिसके कारण से राजस्थान का औद्योगीकरण हो । इसी प्रकार से हम राजस्थान की कृषि नीति बनायेंगे । मैं आपसे पूछना चाहता हूं विश्नोई साहब, ट्यूब वैल्स के खोदने के ऊपर यदि ट्यूब वैल असफल हो जाय, सामूहिक रूप से किसान ट्यूब वैल खोदें तो यहां तो आप सब लोग कहते हैं कि हम लोग किसान के वकील हैं, किसान हैं, सब कुछ हैं, आज तक राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में छूट क्यों नहीं दी ?

श्री पूनम चन्द विश्नोई : पहले आपके टाइम में तो आप कृषि विभाग वालों से पूछ लीजिये, ग्राउण्ड वाटर बोर्ड वालों से पहले सब्सीडी मिलती थी वह अब बन्द हो गई इसलिए मैंने अपने भाषण में यह जिक्र किया था कि जो ट्यूब वैल खुदवायें उनको सब्सीडी दी जाय या फिर आप उनका बीमा कराओ । आप उनका बीमा नहीं करवा रहे हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक आपको और बता दूं, आप मांग कर रहे हैं नई, लेकिन यह सब्सीडी किसने हटाई ? मैंने ? तो ? जिस समय सब्सीडी हटी उस समय विश्नोई साहब आप चुप रहे, मेरी यही शिकायत है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, हम दिल्ली गये थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस समय किसानों पर हमला हुआ उस समय बोले नहीं और अब किसानों को राहत दे रहे हैं तो आप आलोचना कर रहे हैं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कहां आलो-चना कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कहां आलोचना कर रहे हैं । मुख्यमंत्रीजी, आपसे एक प्रार्थना है, कभी-कभी आप, देखिये, आपने दो बात कही, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोयय, मुख्यमंत्रीजी कुछ चीजें अपनी तरफ से पैदा कर देते हैं फिर उनका जवाब स्वयं देने लगते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप उनको मौका दे रहे हैं बीच में बोल-बोल कर ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मौका नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये तो बड़े माहिर हैं इन बातों में, कि इस सब्सीडी पर....

श्री अध्यक्ष : आप उनको लगातार सुनते जाइये तो यह मौके नहीं आयेंगे । आप उनको मौका देंगे फिर वह नई बात और बत येंगे....

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारी कांग्रेस पार्टी ने कभी अप्रोज नहीं किया इस बात का....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विश्नोई साहब, इन्ट्रप्ट करें, मुझे बहुत खुशी होती है । मुझे उसकी कोई चिन्ता नहीं है, मैं बहुत खुशी अनुभव करता हूं । आखिर वयोवृद्ध हैं, किसान नेता है, सब प्रकार की आपको जानकारी है और जानकारी के आधार पर कुछ इन्ट्रप्ट करें तो मुझे तो खुशी होती है और इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि जिस समय इन कुओं के ऊपर भारत सरकार ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सब्सीडी खत्म की उस समय कोई नहीं बोले। मुझे खुशी है कि आज आपने बात कही है। मैं इस बात की कोशिश करूंगा विश्नोई साहब, कि सब्सीडी के नाम पर ट्यूब वैल खुदवा दिये और काश्तकारों को पैसा नहीं मिला, उस पैसे के लिए भारत सरकार को लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि उन किसानों को इस प्रकार की राहत दी जाय। मुझे विश्वास है कि आपका भी इसमें मुझे सहयोग मिलेगा और हम दोनों मिल कर अगर दिल्ली चलें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, यह भी मैं कह सकता हूं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ जिलों में अध्यक्ष महोदय, आधे से अधिक जिलों में प्रति व्यक्ति उत्पादन गिर गया है। मैं अभी इसी निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि 16 या 17 जिलों में प्रति व्यक्ति उत्पादन पिछले वर्षों में गिरा है। वह उत्पादन गिरा है तो किसानों की आय घटी है। वह उत्पादन कैसे बढ़े इसके लिए सरकार को चिन्ता है। इसीलिए पहली चिन्ता यह है कि सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के बाद एक किसान नीति बनाई जाय और उसी के साथ बजट प्रावधानों में, मुझे खुशी है कि विश्नोई साहब ने उन प्रावधानों की प्रशंसा की। स्प्रिंकलर्स के लिए हमने 1.50 करोड़ का विनियोजन किया। उसी प्रकार से कुओं की बीमा योजना हमने लागू की। मैं समझता हूं कि आप में से किसी ने कोई विरोध नहीं किया, अनजाने में विरोध कर जाये तो ठीक है, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। कुओं से सिंचित क्षेत्र में नाली बनाने के लिए हमने अनुदान देने की व्यवस्था की....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अच्छा किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा किया न ? तो कोई अच्छी चीज हो उसकी प्रशंसा करो, बहुत अच्छी बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्प्रिंकलर, नालियों के ऊपर पहले से सब्सीडी मिल रही थी आपने कुछ बढ़ाया है वह बात दूसरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, आप बैठिये। अभी विश्नोई साहब कहेंगे.... अध्यक्ष महोदय, यह तो बीमारी है।

श्री रामनारायण वर्मा : कुओं पर सब्सीडी मिलती है, आप दिखवा लीजिए। वास्तविक स्थिति है, आप दिखवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, आप बैठिये। अपनी सीमा को समझिये, अपनी सीमा में रहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुओं के लिए, तालाबों के लिए सब प्रकार का प्रावधान रखा है ताकि माइनर इर्रीगेशन के लिए किसान प्रोत्साहित हों और माइनर इर्रीगेशन के द्वारा सिंचाई की वह व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, अभी कह रहे थे कि बाजरे का बीज नहीं मिला और किसानों के साथ, कई कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे कि, अन्याय हुआ। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि बाजरे के बीज, डब्यू. सी. सी. 75, इसकी कीमत, जो हमने बाजरा बांटा है सात रुपये से घटा कर साढ़े तीन रुपये किया है, यह तो आप मानेंगे ? बीज की कीमत हमने घटाई है। शंकर बाजरे की कीमत ग्यारह रुपये से घटा कर हमने आठ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रुपये की। मक्का बीज की कीमत छः रुपये से घटा कर तीन रुपये की । आज जो कुछ हम कर सकते थे, विद इन लिमिटेशन्स, मैं इतना आपको कह सकता हूं कि मेरी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, इस सदन की भी इच्छा है कि राजस्थान में कृषि का विकास हो और राजस्थान कृषि उत्पादन की दृष्टि से कोई पीछे नहीं रहे । राजस्थान में जितना उत्पादन बढ़ेगा उससे सरकार की आय बढ़ेगी । उस आय के आधार पर हम राजस्थान का विकास कर पायेंगे । अध्यक्ष महोदय इसी आधार पर आठ जिलों में हमने बाजरे का विशेष अभियान चलाया है, उसके लिए विशेष धनराशि का प्रावधान किया है। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में बाजरे का उत्पादन खूब होता है उस दृष्टि से हमने सारी व्यवस्थाएं कीं, खाद की व्यवस्था की है । खाद लोगों को मिले, जल्दी से मिले, जहां चाहिये वहां मिले, उसकी भी हमने व्यवस्था की । फलों की खेती पर भी हमने विशेष जोर दिया, सोयाबीन की खेती पर विशेष प्रावधान किया गया है। कम पानी से उगने वाली फसलों के लिए भी हमने व्यवस्था की है । अगर आप आज यह कहें कि खेती की हमने उपेक्षा की, किसान की हमने उपेक्षा की, वह दोनों बातें किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकती ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसी निवेदन के साथ कहना चाहूंगा—कांग्रेस के और विपक्ष सदस्यों को बड़ी चिन्ता हो रही है, कहने लगे कि आपने वायदे पूरे नहीं किये । अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि नत्थी सिंहजी अपने मन से नहीं बोले । मुझे समझ में नहीं आता उनके मन की बात को पहचानने के लिए आपके पास कौनसा यन्त्र है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अखबार में आया है । जो कुछ अखबार में निकला कि हम इसका अपोजीशन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हरियाणा में जो कुछ हो रहा है इस सब सन्दर्भ के अन्दर, पूरे अखबार रंगे हैं राजस्थान के ।

श्री अध्यक्ष : आप तो राजस्थान पर बोल रहे हैं, हरियाणा यहां कहां से आ गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ । माननीय मुख्यमंत्रीजी अन्तर्यामी स्वयं हैं, दूसरों को क्यों अन्तर्यामी बना रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत:बता रहा हूं। अब आपका यंत्र या तो सही काम नहीं कर रहा है । मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेड आ गया और इम्पोर्टेड संयंत्र से आप नत्थी सिंहजी के मन को नहीं पहचान पाये । लेकिन इस सदन को एक बात की जानकारी है कि विपक्ष के पास एक चीज के सिवाय कोई कार्यक्रम नहीं है न गरीबों का हित, न किसानों का हित, न गांव के बारे में चिन्ता, न राजनीति के बारे में चिन्ता, केवल एक चिन्ता है और लगातार भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि इनमें आपस में फूट पैदा हो जाय । जैसे अध्यक्ष महोदय,कई बार मक्खन छींके में पड़ा हो और बिल्ली नीचे बैठी है । बिल्ली ताकती रहती है कि कब छींका टूटे और कब मक्खन मेरे मुंह में आये । लेकिन मैं प्रद्युम्न सिंहजी आपको बता दूं छींका टूटेगा नहीं और न आपको मक्खन मिलेगा और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह गरदन में स्पेण्डोलाइसिस की बीमारी ऐसी हो जायेगी कि पट्टी बंधवाना पड़ेगा। यह छींका टूटने वाला नहीं है और टूटेगा कैसे ? आपके नेता दिल्ली में इन्तजार करके बैठे हैं। आज भाषण देते हैं सरकार अपने बोझ से ही टूटेगी। कोई सपना आया, ज्योतिषी ने कहा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : कल कहा है हम तोड़ने में इन्टेरस्टेड नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई उदारता नहीं दिखाई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, उदारता नहीं, आप आरोप लगाते हैं इसलिए कहा कि हम गवर्नमेण्ट बनाने या तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। यह तो अपने कर्मों से ही टूटेगी। यह तो अपने बोझ से ही टूटेगी। बहुत क्लियर में कह दिया है राजीव गांधी ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस आदमी की हैसियत साइकिल पर बैठने की नहीं हो और वह कहे कि मैं मर्सडिज में नहीं बैठूंगा। है नहीं उसके पास साइकिल और कहे कि मैं मर्सडिज में नहीं बैठूंगा। आज आपके नेता यह कहें कि मैं सरकार नहीं गिराऊंगा तो औकात क्या है सरकार गिराने की ? क्या औकात है, जिससे वह सरकार गिरा देंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप आरोप लगाते हैं कि यह गिराना चाहते हैं, पत्रकारों ने पूछा उसका उत्तर उन्होंने दिया कि, हमारा सरकार गिराने की कोई मंशा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में बड़ा इन्तजार कर रहे हैं कि सरकार आज गिरेगी, कल गिरेगी, छींका देख रहे हैं। मैं आपको आज बता दूं कि छींका भी मजबूत है और बिल्ली जो बैठी है छींका देखने के लिए उस पर दो पार्टियों की ऐसी नजर है एक तरफ तो कम्यूनिस्ट पार्टी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और हमारी नजर उस बिल्ली पर है। इसलिए आप चिन्ता ही मत करो। छींका टूटने वाला नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बिल्लियां दोनों देखती ही रहेगी और यह बन्दर उठाकर ले जायेगा।

श्री अध्यक्ष : वहां तो बिल्ली एक ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि विश्नोईजी ने यह कहा कि यह बन्दर उठाकर ले जायेगा। मुझे इस बात की तो खुशी है कि इस बिल्ली के तो हाथ में मक्खन नहीं आया। बिल्ली जो प्रतीक्षा कर रही है उसके हाथ में वह मक्खन नहीं आया बन्दर उठाकर ले गया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक आधार पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बजट में यदि किसी भी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया होता कि बजट में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, इस बजट में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार की मद में ज्यादा खर्चा होना चाहिए, यह रुपया सीधा गरीब के पास पहुंचना चाहिए। अभी नत्थीसिंहजी जिक्र कर गये गलती से "बोफोर्स" का, नहीं करना चाहिए, किसी की दुखती हुई रग पर हाथ रखना यह अच्छी बात नहीं है। और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसलिए मैंने कहा नत्थीसिंहजी को कि यहां मत बोलो "बोफोर्स"....

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप फिर बोले ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस बोफोर्स की लोगों ने करामात नहीं देखी । यह तोप चली नहीं कि कांग्रेस खो गयी । इतनी बड़ी करामाती तोप और उसका आप यहां पर बार-बार जिक्र करते हैं।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हमने एक वादा किया कि जनता को स्वच्छ शासन देंगे । मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने मौन रहकर इस बात को सराहा, तारीफ तो नहीं कर सकते, विपक्ष में बैठे हैं । लेकिन मौन रहकर इस बात को सराहा और इस बात की प्रेरणा और इस बात की अगर इस बात की हमने सारी कार्यवाही शुरू की तो मुझे सबसे ज्यादा चिन्ता उस दिन हुई जब उदयपुर में पूर्व प्रधान मंत्री ने भाषण देते हुए कहा कि गरीब को मैं 100 रुपया भेजता हूं उसमें से 85 रुपया बीच में गायब हो जाता है । अब यह मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, बड़ी वेदना थी, उनको बड़ी पीड़ा थी । उस पीड़ा को आप नहीं समझ पाये और उन्होंने उसी पीड़ा में कहा कि मुझे राज दिया गया तो मैं 85 रुपये में से 15 रुपये और कम करूंगा गरीब के पास 30 पहुंचाउंगा और 70 रुपये खाने की छूट दूंगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रशासकीय व्यय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा नहीं कहा तो क्या कहा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बताता हूं क्या कहा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाओ कहीं शिकायत हो जायेगी तो सी. आर. खराब हो जायेगी ।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बड़ी निष्ठा से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में धन की कमी नहीं है, कोई धन की कमी नहीं है। इस बजट में चाहे हमने घाटा बताया हो या और कुछ किया हो, कोई धन की कमी नहीं है । यदि आप ईमानदारी से बजट का विश्लेषण देखें तो तीन महीने में आय के स्रोत बढ़े हैं बिना टैक्स लगाये बढ़े हैं क्योंकि लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है कि भ्रष्टाचार को अब यह सरकार टालरेट नहीं करेगी । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को मिटाने का अभियान हमने चलाया है, यह अभियान धीरे-धीरे जमीन तक पहुंचेगा । मेरा विश्वास है कि आप लोग जमीन तक पहुंचने में मेरी मदद करेंगे ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : बिल्कुल करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हरिसिंहजी ही बोल सकते हैं बाकी नहीं बोल सकते हैं ।

श्री हरिसिंह : लेकिन एक बात बताइये आज तक जिन सबके बारे में भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र किया है उनके खिलाफ कार्यवाही कर लेंगे तो आपकी मंशा को समझेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डाक्टर साहब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आरोप तो मैंने लगाये थे। मुझे मालूम है कि कौन-कौन से आरोप लगाये थे लेकिन आप समझते हैं कि तीन महीने के अन्दर सारे आरोपियों को मैं जाल में फंसा लूंगा (व्यवधान) एक मिनट जरा सुनें। आपने अपनी बात कह दी। सम्भव नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारी मशीनरी के अन्दर मैं आमूल चूल परिवर्तन करने की बात कह रहा हूं। इसलिए मैंने आरम्भ में जब मुख्य मंत्री बना था पहली घोषणा यह की थी कि जब तक राजस्थान का मुख्य मंत्री जनता की नजरों में निर्दोष नहीं होगा वह दूसरे दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता है। आपकी सरकारों ने मुख्य मंत्री को लोकायुक्त के परव्यु से बाहर रखा और मैंने परसों ही बिल पेश किया है जिसमें लोकायुक्त के परव्यु में मुख्यमंत्री को शामिल किया है। काम की शुरूआत मैंने उस जगह से की है।

मैं विश्वास देता हूं कि आप मेरी ओर से, सरकार की ओर से यह जिम्मेदारी ले लें कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चाहे पुराने मामले हों या नये मामले हों जो भी माननीय सदस्य जानकारी देंगे मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। इस सम्बन्ध में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : पर इनकी मदद मत लेना, फिर तो हो गई कार्यवाही ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इनकी मदद केवल एक ही काम में लेना चाहता हूं कि वह कम से कम शिकायत तो करें। तीन महीने से मैं लगातार लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मामले बताओ, भ्रष्टाचार के मामले बताओ। हमारे पक्ष के लोगों ने बहुत शिकायतें की हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि....

श्री परसादीलाल मीणा : हमने भी की है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कुछ दिन निकलने दो। नये-नये आये हो। जब समय आयेगा उस समय बताना शुरू कर देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : मैंने शिकायत की है पर भ्रष्टाचार विभाग के अधिकारियों ने उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने शिकायत की है और मैं उस पर एक्शन ले रहा हूं। इतना विश्वास देता हूं कि निष्पक्ष होकर जो भी कार्यवाही हो सकती है वह होगी, संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देंगे, हमने जनता से यह वायदा किया था। हमने जनता से वायदा कि बजट में 60 प्रतिशत ग्रामों में खर्च हो किसानों के लिए, गरीबों के लिए हो, उसकी व्यवस्था हमने की।

अब मै निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, तीसरा वायदा किया था "कर्ज माफी–करेंगे" कर्ज माफी के वायदे के संबंध में कांग्रेस के सदस्यों को तो बोलने का अधिकार नहीं है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमने 15 हजार का किया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने वायदा किया 15 हजार का, बहुत बढ़िया किया । मैं कब मना कर रहा हूं । आपने वायदा किया राजस्थान में कांग्रेस पार्टी तो सारे हिन्दुस्तान में एक ही है । कांग्रेस पार्टी का घोषणा-पत्र देख लें ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह वायदा किया उस समय हमारा शासन दिल्ली में नहीं था । इसलिए यह यहां के लिए ही किया था और हम आते तो पूरा कर देते । आप याद कीजिए हरिदेवजी ने किया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि विश्नोई साहब ने कहा कि हमने वायदा किया था कि 15 हजार की कर्ज माफी कर देंगे और विश्नोई साहब ने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, घोषणा पत्र था । यही कहा ना ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : घोषणा-पत्र में है नहीं कहा । यह कहा था, अध्यक्ष महोदय, जो फैक्ट्स सदन के अन्दर हैं उनको करेक्ट करना उचित रहेगा । विश्नोई जी ने कहा था कि पुरानी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि हमारा राज बना तो हम 15 हजार तक के कर्ज माफ कर देंगे । यह कहा था । प्रशासनिक आदेश निकाल दिये गये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब प्रद्युम्न सिंहजी यह हुआ कि यह चुनाव घोषणा-पत्र में नहीं था ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रशासनिक आदेश निकाल कर दिये थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह घोषणा-पत्र में नहीं था ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इलेक्शन से पहले कुछ मैजर्स लिये गये थे, कुछ रिफार्म्स के बारे में, कुछ सुविधा देने के बारेमें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सीधा मामला यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में जिक्र नहीं किया और वोट लेने के लिए अखबारों में छपवाया । यही बात है ना ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रशासनिक आदेश जारी कर दिये गये थे । खाली अखबारों में ही घोषणा नहीं की गई थी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छी बात है। अगर मैं आपको यह जानकारी दूं कि मैंने पूरी पत्रावलियां देखी हैं, प्रशासनिक आदेश भी नहीं थे । अब अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा जनता के साथ धोखा क्या हो सकता है ? घोषणापत्र में जिक्र नहीं, आदेश नहीं और अखबारों में लिख दिया, कांग्रेस पार्टी का राज आयेगा तो 15 हजार तक का कर्जा माफ किया जायेगा । मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक धोखा है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि ऐतिहासिक धोखा देने के लिए आपमें ऐतिहासिक क्षमता है, दूसरे में हो नहीं सकती ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तो हम आते और नहीं करते तो धोखा होता लेकिन आपने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

तो लिखकर दी और फिर भी नहीं किया यह है अफसोस ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बात भी सुन लें । अध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले मद्रास में चुनाव हुए तमिलनाडु में और उस समय मैं भी गया था । आपके नेता राजीवजी भी वहां थे, प्रधानमंत्री के रूप में गये थे । कांग्रेस पार्टी ने घोषणापत्र निकाला कि तमिलनाडु में हम 15 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करेंगे, एक । वहां पर हार गये, आपकी बात की इज्जत रह गई कि 15 हजार का कर्जा माफ करने की आपकी बात थी । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि वास्तव में कांग्रेस पार्टी किसानों के प्रति ईमानदार होती, कर्जा माफ करने की कांग्रेस पार्टी की नीयत होती तो कर्नाटक में किसका राज है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : हरियाणा में किसका राज है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं । हरियाणा में आयेंगे तब बताऊंगा । कर्नाटक में किसका राज है ? आंध्र प्रदेश में किसका राज है ? एक कौड़ी का भी कर्जा माफ नहीं किया । आज महाराष्ट्र में कर्जा माफ नहीं किया । मैं बताता हूं, अब ये तीनों राज्य पीछे घूम रहे हैं कि हम भी कर्जा माफ करना चाहते हैं । हमको केन्द्र की सरकार मदद दे और मैं आज कहता हूं कि यह विश्वनाथ प्रतापसिंह है, जिनका दर्द किसानों में प्रति है । यह उसी नेता की कृपा है कि उन राज्यों को भी कहा है कि कर्जा माफ करेंगे तो 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार देगी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कैसे और वह राशि करेंगे तो आपको भी उसी पेटर्न में सबको मदद देनी पड़ेगी आपको ।

श्री सम्पतसिंह : वह तो 40 साल किया आपने ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, गांवों में आजकल बरसातें आ रही हैं । कई मकान गिर रहे हैं । कई कीचड़ में जानवर फंस जाते हैं और कीचड़ में फंसे हुए जानवर को कैसे उठाते हैं, लकड़ियों में डालकर उठाते हैं । कांग्रेस की सरकार यहां पर जनता दल की दिल्ली में सरकार बनी तो सारे नेताओं ने कहा कि कर्जा माफ नहीं होगा और जब विश्वनाथ प्रतापसिंह ने घोषणा की कि 50 प्रतिशत की राशि हम देंगे तो सारे लोग पीछे पड़ गये कि कर्जा माफ करो तो हमने तो कांग्रेस को उठाया ही है कि आप भी किसानों का भला करो । 50 प्रतिशत हमसे ले जाओ । अब यह कहते हैं, कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ नहीं किया । मैं एक बात कहना चाहता हूं, विश्नोई साहब । मैं समझता हूं कई बार सही बातें कही जाती हैं और इस बार निश्चित रूप से सही रूप से कहेंगे । क्या कांग्रेस के जमाने में कर्जा वसूल करने के समय किसानों को मुर्गा नहीं बनाया जाता था, क्या उनके सिर पर पत्थर नहीं रखे जाते थे, क्या उनकी जमीन कुर्क नहीं की जाती थी, क्या बैंक जमीन को कुर्क नहीं करते थे, क्या उनकी फसल को तबाह नहीं करते थे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप बता दीजिये, आपका राज 77 से 80 तक था। तब यह काम हुए थे या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात बता दूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं आप इसका जवाब दें पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं जवाब दे रहा हूं। आप मुझे बता दो कि 77 से 80 में इस तरह से वसूली हुई क्या ? यह पहला राज था हिन्दुस्तान में।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक ही तरकीब से वसूल होता था। आपके टाइम में भी वही तरीका था और कांग्रेस के टाइम में भी वही तरीका था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो ठीक है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आगे की जब आप जांच करोगे, हम बता देंगे आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : एक मिनट साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बैठ जाओ साहब, मैं हाथ जोड़ूं आपके।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : कुर्की वारण्ट जारी हुए हैं आपके समय में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बड़े आदमियों के बीच में नहीं बोलना ही अच्छा है। आप बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : कर्जे के बारे में आपकी क्या ओपीनियन है ? क्या आप चाहते हैं, कर्जा माफ होना चाहिये। भविष्य में जो कर्जा किसान को दिया हुआ है, वह माफ होना चाहिये। जो कर्जा देंगे उसके बारे में आपकी क्या ओपीनियन है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं। इन्होंने ठीक सवाल पूछा है। इनको याद है, कर्जे का मामला विधानसभा में उठा था और आप सहकारिता मंत्री थे और आपने विधानसभा में कहा था एक कौड़ी माफ नहीं होगी। मैं समझता हूं, उस समय की व्यवस्था थी। आपकी मजबूरी नहीं थी।

श्री रामसिंह विश्नोई : लेकिन आप तो +++, किसानों के साथ में कर्जा माफ करने में। आपको मालूम है कि 6 महीने तो हो गये, आप कर्जा माफ नहीं कर सके और आप फिर नहीं कर सकेंगे और इस कर्जे से किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किस स्थिति में हैं ? मानलो आप कर्जा माफ कर रहे हो, उसके बाद जो नया कर्जा देंगे उसकी क्या स्थिति होगी यह बता दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सारी बात आपको बता रहा हूं। आप तसल्ली से

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सुनिये। आपके और हमारे तो सैद्धान्तिक मतभेद हैं। आप कहते हैं कर्जा माफ नहीं होना चाहिये और हम कहते हैं कि कर्जा माफ होना चाहिये बिलकुल सैद्धान्तिक मत-भेद हैं। यही कह रहे हैं। आपका मानना यह है कि कर्जा माफ करने से किसान तबाह हो जाएगा और हमारा मानना यह है कि कर्जा माफ करने से उसको राहत मिलेगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको सदन को गुमराह करने की आवश्यकता तो है नहीं। मेरा मतलब यह है कि आपने जिन किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही है, वह किसान न तो कर्जा ले सके हैं और न वह देने की स्थिति में हैं तो आप कम से कम यह तो बताइये, आज किसान को कर्जा मिलेगा कैसे। किस आधार पर जो किसान के ऊपर कर्जा है, वह कर्जा उसको नहीं मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं विश्नोई साहब। अब कर्जा माफ करने का प्रश्न भारत सरकार ने पहले विचार किया कि कर्जा किस प्रकार से माफ किया जाये। कर्जे का हिसाब लगाया गया। लगभग साढ़े 14 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हुआ। सुरक्षा पर जो बजट है, उससे भी अधिक। साढ़े 14 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ हो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। व्यवस्था यह हुई कि कामर्शियल बैंक ने जिन लोगों को कर्जा दिया है वह कामर्शियल बैंक का कर्जा भारत सरकार माफ करेगी और कोपरेटिव बैंक्स का जो कर्जा है, 10 हजार तक, वह कर्जा राज्य सरकारें माफ करेंगी। हमने कहा राज्य सरकारों की ओर से कि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पुरानी सरकार ने ऐसी नहीं छोड़ी मैदान साफ करके गये हैं। उस हालत में किसान का कर्जा माफ किया जाये, यह संभव नहीं है। हमें सहायता दो तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 10 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करेंगे और इसमें 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार की होगी। 170 करोड़ रुपये की हमने बजट में घोषणा की है कि 170 करोड़ रुपये का कर्जा माफ होगा। 170 में 85 करोड़ रुपये भारत सरकार से मिलेंगे, 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य सरकारों को करनी पड़ेगी। 30 करोड़ की व्यवस्था जिस समय मैंने वोट ऑन अकाउण्ट के लिए बजट पेश किया था, उस समय घोषणा कर दी थी और बाकी 55 करोड़ की सहायता देने के लिए भारत सरकार ने कहा है और आपको सुनकर खुशी होगी कि जिस दिन मैं बजट भाषण पढ़ रहा था, उसकी पहली रात को मैंने केन्द्र के वित्त मंत्री से बात की कि 50 प्रतिशत जो बाकी 55 करोड़ रुपये की राशि, इस राशि की भारत सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है तो हमारे सामने समस्या खड़ी हो जायेगी। और इसीलिये इसका उत्तर दिया जाय। मुझे इस बात की खुशी है कि नौ बजे जब मैं विधान सभा में पहुंचा तो वित्त मंत्री का टेलीग्राम मुझे मिला कि आपकी जो 55 करोड़ की राशि बनती है, नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया उसकी व्यवस्था करेंगे। उस व्यवस्था के साथ ही उन्होंने कहा कि आइंदा किसानों को जो कर्जा मिलना है उस कर्जे के लिये नाबार्ड को निर्देश दिये गये हैं कि फसली ऋण देना आरम्भ करे। अब इसमें आपकी क्या समस्या रही? मैं समझता हूं कोई समस्या नहीं रही।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आन एं पाइंट आफ इन्फार्मेशन। एक भी किसान को लोन नहीं मिला····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I will not concede.

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, एक बार पूरी बात तो सुनें। पहले पूरी बात तो सुन लीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : डॉक्टर साहब यह नियम कौनसा है?

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : एक कौड़ी का भी कर्जा नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप पूरी बात सुन लें पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इतनी अंगुलियां करने से किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आज 170 करोड़ रुपये का कर्जा माफ कर रहे हैं, क्या पहले कभी आपने एक कौड़ी का भी भी कर्जा माफ किया है। क्या एक पैसे का आपने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, मृगियां बनायी हैं किसानों की। हम 170 करोड़ रुपये का कर्जा माफ करें और आइंदा कर्जा दिया जाय, इसकी व्यवस्था तुरन्त चालू कर रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज तो कांग्रेस के माननीय सदस्य यह कहें कि पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। आपको मालूम है कि 600 करोड़ की राशि होगी। 600 करोड़ की राशि कर्जे की और यदि 60 वर्ष से ऊपर वालों को पेंशन दी जाय तो तीन सौ करोड़ का रेकरिंग एक्सपेन्डीचर वह, नौ सौ करोड़ इस बजट में से निकाल देऊं केवल दो कामों के लिये तो कालेज बन्द हो जायेंगे, स्कूल बन्द हो जायेंगे, सड़कें बन्द हो जायेंगी, दवाखाने बन्द हो जायेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : घोषणा तो आपने की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दवाखाने नहीं बन्द करूंगा चाहे कुछ भी हो।

श्री रामसिंह विश्नोई : इस तरह की घोषणा करने का किसने कहा था आपको, यह कर्जा माफ करने की, दुनियां भर की बातें करने का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कर्जा माफ।

श्री रामसिंह विश्नोई : सारे आपने स्कूल बन्द कर दिये। आप कर्जे के अन्दर इतने फंसे हुए हो, एक पैसे का कर्जा माफ नहीं हो सकेगा और किसान लोन भी नहीं ले सकेगा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का इन्टरप्शन बन्द करें।

मैं आज एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने 170 करोड़ का कर्जा माफ किया, क्या गुनाह किया? आप यह कह सकते हैं कि ज्यादा कर्जा माफ किया जाय, लेकिन 170 करोड़ का कर्जा माफ किया, क्या गुनाह है? 170 करोड़ रुपए जिन किसानों ने लिये, उनको तो राहत मिलेगी। 14लाख किसानों को इससे राहत मिलेगी। अब आप यह कहो कि....(व्यवधान) अब अध्यक्ष महोदय, यह तो फिर....

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये। विश्नोई जी, इस मामले में बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं बहस की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह बहस ही हो रही है। जब सिद्धान्त तय हो गया कि आप इस पक्ष के हैं कि कर्जा माफ करने से सरकार परेशानी में पड़ेगी, this is your principle कि नहीं होना चाहिए। यह कह रहे हैं कि हम जितना कर सकते हैं रिलीफ दे रहे हैं। तो अब आप इन्हीं को सुनिये, आप अपनी बात कह चुके हैं। आप इनकी सुनिये, आपने अपनी राय दे दी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि 170 करोड़ रुपये का कर्जा माफ कर क्या जनता दल या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई गुनाह कर रही है?

श्री ईश्वरलाल सैनी : कर रही है, बिलकुल गुनाह कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये न तो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इन्होंने कहा है, साहब। इनको कहिये पूछ रहे हैं वह।

श्री अध्यक्ष : यहां के भाषण की शैली नहीं समझते? आपको कोई नहीं पूछ रहा है। He is addressing the House, not to you.

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस की पार्टी यह स्वीकार कर रही है कि किसानों का 170 करोड़ का कर्जा माफ करके यह सरकार गुनाह कर रही है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सबका एक साथ कीजिये। घोषणा पत्र में है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकारी है, कह दिया, ठीक है, सुन लिया, आप गुनाह मानते हो, मान रहा हूं मैं। 170 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ करके मैं गुनहगार हूं, मान लिया मैंने। इसमें आपत्ति क्या है? मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूं, आपत्ति कहां है? मैं अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि कई माननीय सदस्यों ने मांग की कि और कर्जा माफ किया जाय। जैसे नत्थी सिंह जी ने कहा कि मैं भी प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मैं मेरे प्रयास के साथ-साथ दूसरी राज्य सरकारों से भी प्रेरणा ले रहा हूं। अभी गुजरात का बजट पेश हुआ, यू. पी. का बजट पेश हुआ और बिहार का बजट पेश हुआ। उन्होंने भी यही गाइडलाइंस स्वीकार की है जो भारत सरकार ने दी है और उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर मैंने कर्जा माफी की घोषणा की है। मैं गाइडलाइन्स से बाहर नहीं गया हूं। जो लोग कहते हैं कि ज्यादा कर्जा माफ किया जाय, वह दिल्ली जायं। दिल्ली जाकर वहां के प्रधान मंत्रीजी को कहें कि राजस्थान सरकार को कहा जाय कि कर्जा और माफ किया जाय। कर्जा माफ होगा तो आपको-हमको, सबको, लाभ मिलेगा। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के ऊपर दबाव डालने के साथ-साथ राज्य सरकार यह काम कर सके, इसके लिये भारत सरकार को भी कहना चाहिए।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुनकर, गरीब, इन लोगों ने कामशियल बैंकों से जो कर्जा लिया है उनका कर्जा माफ किया है। क्या इससे भी कांग्रेस के लोग नाराज हैं तो मैं दूसरा गुनाह स्वीकार कर लेऊंगा। पहला किसानों का कर्जा माफ किया, उसका गुनाहगार हूं। दूसरा, गरीबों, बुनकरों, चयनित परिवारों का कर्जा माफ हो रहा है. जो उनको कामशियल बैंकों ने दिया है। वह भारत सरकार माफ कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसको भी गुनाह मानती है तो मैं दूसरे नम्बर पर फिर गुनाहगार हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सदन के माध्यम से, राजस्थान के जो ऋणी हैं, जिन्होंने लोन लिया है, सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप उनको भ्रमित करने की चेष्टा न करें। हमने सिर्फ इतनी सी बात कही है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बोलने दो न।

श्री अध्यक्ष : यह आप इन पर छोड़िये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड स्ट्रेट होना चाहिए। अगर सदन के माध्यम से यह बातें बाहर राजस्थान की जनता में जायेंगी तो इसका उलटा असर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझती है। (व्यवधान) आप जनता की बात कर रहे हो, जनता समझती है सब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात की खुशी है कि बहुत देर से ही सही लेकिन कांग्रेस की समझ में आ गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर खालों और कैचमैण्ट एरिया की....

श्री रामसिंह विश्नोई : कई किसानों को महरूम रख दिया आपने लोन से, बीज से, खाद से। एक भी किसान को कर्जा नहीं माफ करा सके समय पर। बरसात हो गई और बीज, खाद नहीं दे पाये। कर्जे के नाम पर आप बात करते हो, इसलिए मैंने कहा था। आप कर्जा माफ करते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कर्जे माफी की जो घोषणा की है उसकी वजह से किसान कर्जा नहीं ले सकेंगे। उनके ऊपर ओवरड्यू हो रहे हैं। न तो कर्जा चुका सके और न कर्जा वापस ले सके। यही मेरा ऐतराज था, बाकी आप कर्जा कितना माफ करते हो, यह आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विश्नोई साहब, भगवान की दया से मेरी याददाश्त काम करती है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं करती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करती है, बता रहा हूं। सुन लेओ आप। आप नाराज क्यों हो रहे हो? आप जिस समय सहकारिता मंत्री थे, मैंने प्रश्न उठाया था कि कितने बैंक्स डिफाल्टर हैं और कितने काश्तकार डिफाल्टर हैं। आपने उस समय जो कोआपरेटिव सैक्टर की जो तस्वीर पेश की थी, उसमें काश्तकारों को कर्जा नहीं मिल रहा था, डिफाल्टर के रूप में उसको कर्जा नहीं मिल रहा था। यह 170 करोड़ का कर्जा माफ होगा तो डिफाल्टर को ही नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सबका कर्जा माफ होगा और उनको आइंदा कर्जा मिलेगा। मुझे याद है इसलिए कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, खालों की, कैचमैण्ट की यहां चर्चा की गयी। यहां पर चर्चा की गयी खालों की कीमत को और यहां पर चर्चा की गयी कोटा के कैचमैण्ट एरिया में जो लागत लगती है उसकी। मैंने यह मामला उठाया था। सदन में उठाया और सदन के बाहर भी उठाया। बाहर उठाकर हमने आन्दोलन भी किया। यहां पर सरकार से मांग भी की, सरकार को कहा कि खालों की कीमत मत वसूल करो। तो यही कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसने यहां धमकाकर कहा कि काश्तकारों ने यदि खालों की कीमत जमा नहीं करायी तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा, कुर्कियां की जायेंगी। यह तो हुआ, फिर भारत सरकार ने कामर्शियल बैंक्स ने जो कर्जा लिया है उसमें 10 हजार तक के कर्जे की छूट देने की भारत सरकार ने घोषणा की। मैंने बहुत दिन पहले भारत सरकार से निवेदन किया है कि खालों का और कैचमैण्ट एरिया का जो मूल्य दिया गया है वह किसी कोआपरेटिव बैंक ने नहीं दिया। यह कामर्शियल बैंक्स ने दिया है। फिर कामर्शियल बैंक्स ने यदि किसी दूसरी बैंक के थ्रू दिलवाया हो तो इण्डिपेण्डेण्टली उसको एजेन्ट बनाया है। जिम्मेदारी भारत सरकार की है। कर्जा माफ किया जाय और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अभी तो मैं दिल्ली गया नहीं। हम सब लोग मिलकर जायेंगे और जाकर भारत सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि खालों के कैचमैण्ट एरिया की सारा जितना भी कर्जा है इस गाइडलाइन्स के आधार पर वो कर्जा माफ किया जाय। इसमें मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

दूसरा प्रश्न आया, अध्यक्ष महोदय, ओल्ड एज पेन्शन का। वायदा किया हमने असहाय लोगों को, मोहताज लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने का वायदा किया था, कोई संदेह नहीं है। वायदा तो आपने भी किया था। बहुत जल्दी वायदा किया था। 5 वर्ष तक तो आप वायदा कर नहीं पाये और जब लोकसभा के चुनाव हो गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए तो भगवान जाने कौनसा यंत्र काम करने लग गया इनका कि जिससे इनको ज्ञान हो गया। हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। जाते वक्त कर्जे माफ करो, जाते वक्त पेन्शन दो। घोषणा कर गए 100 रुपया माहवार पेन्शन देने की। आपने घोषणा की। कांग्रेस के राज्य जहां-जहां भी हैं, वो 100 रुपया माहवार पेन्शन क्यों नहीं देते?

एक माननीय सदस्य : चलती हो तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं दे रहे हैं और यहां कांग्रेस के मित्र मांग कर रहे थे कि वायदा पूरा करो। मैं आज आपको बताता हूं 60 रुपये माहवार 60 वर्ष से ऊपर वालों को पेन्शन की जाय तो लगभग 360 या 370 करोड़ रुपया साल की रेकरिंग एक्सपेंडीचर में आता है। 600 करोड़ रुपयों का कुल कर्जा 380 करोड़ रुपया, 360 करोड़ की पेन्शन की राशि 900 करोड़ रुपया इन दो मदों पर खर्च कर देऊं तो मैने तीसरा वायदा भी किया था कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास करूंगा, बिजली और सिंचाई की सुविधा जुटाऊंगा,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाकी का काम करूंगा। तो हम चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। आप लोग तो कहते हो कि यह राजा रहे हैं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जायेंगे नहीं। राजस्थान की सेवा करने का जनता ने हमको आदेश दिया है, हम सेवा करते रहेंगे और सेवा करते-करते नतीजा यह निकलेगा कि इस समय तो आप 54 आये है.....

एक माननीय सदस्य : 50।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 50। इस संख्या को आप सुरक्षित नहीं रख पाओगे। लेकिन मैं आज कहता हूं कि हमने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को 5 साल में पूरा करने का है लेकिन जैसा से कई बार कह चुका हूं कि राजस्थान में 77 से लेकर 80 तक गरीबों की सेवा करने के लिए हमने अन्त्योदय का कार्यक्रम बनाया। कई परिवारों को चौपाल में बैठकर उनका चयन किया। चयनित करके उसको सहायता दी और इस बजट भाषण में भी मैंने घोषणा की है और घोषणा करके मैंने यह कहा है कि हमारा अन्त्योदय का कार्यक्रम फिर चलेगा। मैं आज इस सदन को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं कि हमको कहीं से भी धन जुटाना पड़े जुटाएंगे लेकिन राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 70 वर्ष की उम्र के ऊपर 100 रुपये माहवार की पेंशन मिलेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : On a point of information, Sir.

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये प्लीज।

श्री रामकरण सिंह : I am on a point of information.

श्री अध्यक्ष : Let him complete.

श्री रामकरण सिंह : देखिये, मैं चुपचाप सुन रहा हूं, हर बात को देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी देर और चुपचाप सुन लीजिये।

श्री रामकरण सिंह : लेकिन जो बात मुझे कहनी है कम से कम मुख्यमंत्री जी को कहने तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, तो आपकी सुन ली है न।

श्री रामकरण सिंह : नहीं,नहीं, तो एक इन्फारमेशन....

श्री अध्यक्ष : हां, हां मुख्य मंत्री जी कहीं नहीं जा रहे हैं। आप बिराजिये। आप पूछ लेना बाद में।

श्री रामकरण सिंह : मैं कहता हूं कि किसानों की बारानी भूमि का लगान माफ करने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे थे। उसका हमने पार्लियामेंट के चुनाव में भी प्रचार किया है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये। हां हो गई आपकी बात। अच्छा अब आप बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार की सहायता देने से मैं समझता हूं कि कितने परिवार रोटी और रोजी के लायक हो जायेंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं विपक्ष के माननीय सदस्यों से। यह धनराशि आपके पास भी थी आप भी गरीब को सहायता दे सकते थे। दे रहे थे वो मुझे मालूम है।

श्री हेतराम बेनीवाल (सगरिया) : वृद्धावस्था पेंशन जो आप दे रहे हैं उसमें कितनी धनराशि खत्म हो जायेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें मैं समझता हूं लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

श्री रामकरण सिंह : इस बारे में माननीय ललित जी ने घोषणा की थी, आपने भी की थी। मैं भी आपके साथ था उस समय आपने जगह-जगह की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी छूट और इतनी रियायतें एक साथ देकर मैं राजस्थान के विकास की गति को अवरुद्ध नहीं कर सकता।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : आपने एक बात कही है, एक बात पूछना चाहूंगा इन गधे-घोड़ों के ऊपर जो किया उसके ऊपर भी कुछ कर रहे हो क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात मुझे याद दिलाई वो मुझे कल से याद थी क्योंकि आप लोगों ने बहुत आग्रह किया था। गधे-घोड़ों पर जो लगाया गया है वो वापस ले लिया जाय, आपने कहा था।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : पशु मेला, रवन्ना के ऊपर टैक्स लगाया गया है वो वापस ले लिया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : यह जो आपने पशुओं के ऊपर, मेले के अन्दर जो कर बढ़ाया है उसको 'विथड्रा' किया जाय, हमारी मांग थी उसको वापस दोहराते हैं यहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी मांग नहीं थी। आपने भाषण दिया उस समय न मेला याद आया, न पशु याद आया, न रवन्ना याद आया, कुछ नहीं आया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं दल की तरफ से कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आपको तो याद नहीं आया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कभी-कभी ऐसे सवाल करेंगे जैसे घबराकर मना करेंगे कि नहीं, नहीं हमने नहीं किया, हां हमने कहा। कभी ऐसे सवाल करते हैं मुख्यमंत्री जी आप इस मामले में....

श्री अध्यक्ष : आपका क्या है? आप इनके ऊपर हैं क्या ? हद कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्यमंत्री जी, इस मामले में जिस ब्रिलिन्टेंसीकुली, जिसे कहना चाहिये, साइक्लोजीकल आपने ऐसा कहा था, हां कहा था....

श्री अध्यक्ष : अब आप चुप रहिये। हो गया आपका।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम मांग कर रहे हैं हमारे दल की मांग है कि आपने जो पशुओं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के ऊपर जो कर लगाये हैं उनको आप विथड्रा कीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर चन्दनमल जी का भाषण हुआ। उन्होंने पशु मेले पर कर बढ़ाने का विरोध नहीं किया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : मैंने किया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां अध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब बोले । अच्छा आप खड़े होकर बता दीजिये, किन-किन ने नहीं किया ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जितने लोग बोले हैं, उसमें से अधिकांश ने यह मांग की है कि जो पशुओं के ऊपर आपने पशु मेले के अन्दर टैक्स बढ़ाया है कृपया उसको बहुत सारी चीजें रिपीटीशन नहीं होती है लेकिन आम तौर से यह सहमति है दल के अन्दर कि इसको माफ किया जाना चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री अगर आपने पूछा है तो उसका उत्तर मैं आपको ही दे रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर दें रहे हैं तो बता दें कि किस-किसके ऊपर कितना रुपया बढ़ा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसी में 450 और किसी में 500 पर्सेन्ट है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक बात सुन लीजिये । अगर माननीय मुख्यमंत्री इम्तहान लेने की बात कहते हैं तो बिना किताब देखें मुख्यमंत्री जी बता दें कि किस-किसके ऊपर कितना बढ़ा है ? मुख्यमंत्री जी बता दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज क्यों होते हो, ऐसी बातों पर । ऐसी बातों पर नाराज होने की जरूरत नहीं है । मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जब से इस बजट के ऊपर डिबेट शुरू हुई है पशु मेलों पर कर या रवन्ना बढ़ाने की बात कही है ।

मैं इतना ही निवेदन कर सकता हू कि जो फाइनेंस बिल पेश होगा उस समय जो कुछ भी इसमें रियायत करनी है, कुछ वापस लेना है उस समय में उसकी मैं उसकी घोषणा करूंगा, अभी ठीक नहीं । लेकिन जो माननीय सदस्यों ने दुःख व्यक्त किया, मेरी भी उसके साथ सहानुभूति है, इससे अनुमान लगा लें क्या हो सकता है । मैं इतना अवश्य निवेदन कर दूं, माननीय विश्नोई साहब ने अभी सदन में कहा कि एक रुपये के कर्जे का वितरण नहीं हुआ । मैं आपको बता सकता हूं कि अप्रेल से जून तक लगभग 23 करोड़ रुपये का नया कर्जा दिया गया है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : मैंने तो नही कहा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नहीं, एक विश्नोई जी और है । आप अकेले ही नहीं हो । आपमें और उनमें बड़ा अन्तर है । आप तो सही बातें स्वीकार कर लेते हैं वो कभी स्वीकार करते ही नहीं है । मैं अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में एक लीक से हटकर हमने बजट बनाया है । (व्यवधान) अब वो ठीक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है जितना मिलता है । आपने गये साल कितना दिया ? मैं समझता हूं कोई, बात सही नहीं कहनी हो तो उसकी सीमा नहीं रखनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी वो तो धरती का बीज यहीं है, अब कौन नापने जायेगा ।

(3.00 म. प.)

श्री रामसिंह विश्नोई : 1 हजार करोड़ रुपये के दिये थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि कोई बात सही नहीं कहनी हो तो उसकी समय सीमा नहीं रखनी चाहिये आप इस सिद्धान्त को मानने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी, वह तो धरती का बीज यही हैं, कौन वहां से जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को कम से कम अब विश्वास हुआ होगा कि यह बजट किसी नीति विशेष के लिए बनाया गया है, यह बजट किसी उद्देश्य से बनाया गया है, यह बजट जनता से जो वायदे किये थे उनको पूरा करने के लिए बनाया गया, गरीब को राहत देने के लिए बनाया गया है, यह बजट किसानों का कर्जा माफ करने के लिए बनाया गया है, यह बजट किसानों के ऊपर जो अन्य भार था उनसे मुक्त करने के लिए बनाया गया है, यह बजट गरीबों की रोजी-रोटी मिले और रोजगार के साधन मिले इस दृष्टि से बनाया गया है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज हिन्दुस्तान मे कोई राज्य नहीं है, यह पहला राज्य हिन्दुस्तान में होगा जिसने कि, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जिन परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिला, उनको 100 रुपये माहवार की पेन्शन मिलेगी । आज तक हिन्दुस्तान भर में किसी राज्य ने इस प्रकार की राहत नहीं दी ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको मन से, वाणी से और कर्म से इस बजट का समर्थन करना चाहिये । यदि आप समर्थन करेंगे तो गांव में मैं समझता हूं कि आपकी वाहवाही होगी और लोग यह कहेंगे कि कांग्रेस के आदमी भी, सही बात यदि सत्ता पक्ष कहता है तो, उसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करते हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट को किसी भी आधार पर,किसी भी मापदण्ड के आधार पर, मूल्यांकन करेंगे तो यह बातें जो मैंने कही हैं निश्चित रूप से सामने आयेगी, जो कुछ भ्रान्ति थी, मेरे भाषण के बाद उन भ्रान्तियों का निराकरण हुआ होगा । इस बजट को जिस प्रकार से मैंने रखा है उसी प्रकार से बजट पारित होगा । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक दो नीतिगत प्रश्न है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी ने, जो सामान्य चर्चा बजट पर हुई थी, उस पर यह विचार जाहिर किये थे कि विपक्ष ने जो वाद-विवाद में हिस्सा लिया है उसको सुनकर बड़ी निराशा हुई है । खैर । मैं अर्ज कर दूं कि आपके भाषण को सुनकर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मुझे और भी ज्यादा निराशा हुई है। क्योंकि सब पूरा बजट....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको निराशा होनी चाहिये थी क्योंकि 100 रुपये माहवार की गरीबों को पेन्शन मिल रही है, आपको निराशा होनी चाहिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह प्रचार के लिए सब कुछ हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोईजी, एक मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब बन्द करो साहब।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि आप लोग सब इतने पुराने हैं इसलिए मुझे बात कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन सदन की यह व्यवस्था नहीं है। वाद-विवाद सम्पूर्ण होने के बाद में मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दे दें तो फिर से डिबेट शुरू की है। देखिये, क्वेश्चन भी आपने कर लिए पौने दो घण्टे तक, आप समय का भी ध्यान रखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विनियोग विधेयक आयेगा।

श्री अध्यक्ष : आयेगा। मैं समझता हूं उसमें आपको मौका मिलेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट की राशि.... (व्यवधान) पहले सुन तो लीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पाइन्ट ऑफ आर्डर पर आपत्ति करने की....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौनसे नियमों के तहत है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि रखी गई है . .

श्री अध्यक्ष : नहीं आपका पाइन्ट ऑफ आर्डर क्या है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि 21.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी योजना में की गई है, उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि इसमें केवल 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तर हुई है, क्योंकि जो योजना मन्जूर हुई थी पिछले वर्ष की उससे ज्यादा का खर्चा हुआ है।

श्री दिग्विजय सिंह : नो पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दूसरी बात, माननीय नत्थीसिंहजी ने जो सदन को गुमराह किया है कि 19 प्रतिशत राशि गांवों में खर्च की जाती थी और 21 पर्सेन्ट राशि....

श्री अध्यक्ष : आप काहे पर बोल रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय नत्थीसिंहजी ने सदन को गुमराह किया है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बाहर कमेन्ट्स करिये। माननीय सदस्य, माननीय नत्थी सिंहजी भाषण दे चुके हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस समय आपने बोलने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप सुन लें पहले, मुख्य मंत्रीजी का भाषण हो गया, जिनको बीच-बीच में इन्फ़ार्मेशनसीफं करनी थी वह कर ली....

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिन्होंने नहीं की वह?

श्री अध्यक्ष : नहीं आपको यदि लगता है कि कुछ बातें गलत कही गई हैं तो उसके लिए दूसरा तरीका है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप सुन तो लें पहले।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री ईश्वरलाल सैनी, प्रद्युम्न सिंह, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर एवं सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से असम यूनाईटेड लिब्रेशन फन्ट (अल्फा) के उग्रवादियों द्वारा हत्या, आगजनी, लूट, अपहरण आदि की बर्बर गतिविधियों से राजस्थान प्रदेश के लगभग 10 लाख लोगों के भयभीत होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर जिले की 1980 में स्वीकृत क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की तकनीकी स्वीकृति न होने से भिनभिनवाली, देदडियार व बालेवा रिडाण आदि गावों में पीने के भारी संकट के सम्बन्ध में।

(3) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर एवं श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर अन्य पिछड़े वर्ग के समुदाय को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पिछले दो दिनों में जोधपुर, जयपुर, कोटा, सिरोही इत्यादि क्षेत्रों में भयंकर वर्षा से 15 लोगों की मृत्यु एवं संकटपूर्ण स्थिति बन जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर में असाधारण वर्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु भेजा जा रहा है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में अवैध व गैर कानूनी निर्माण के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है जिस पर आज दिनांक 5 जुलाई, 1990 को वक्तव्य रखा गया है। माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण चाहने की अनुमति होगी। अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में हरिजनों पर अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि दिनांक 5 जुलाई, 1990 व 16-6-90 को हुई हत्याओं के सम्बन्ध में मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे हथियार भी बरामद कर लिए गये हैं। दिनांक 4-4-90 को हुई हत्या के सम्बन्ध में अपर अधीक्षक पुलिस से जांच कराई गई है। मृतक की जेब से एक पत्र मिला जिसमें लिखा है कि मैं एस. एच. ओ. से परेशान होकर आत्म हत्या कर रहा हूं। जांच अभी चल रही है।

(3) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम खजूरी, तहसील नैनवा, जिला बूंदी में अकाल के कारण भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि श्री रामस्वरूप बैरवा की दिनांक 21-5-90 को मृत्यु हुई थी और मृत्यु का समाचार मिलते ही उप खण्ड अधिकारी व उप अधीक्षक नैनवा द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच की गयी जिसमें तथ्य पाये गये कि मृतक मजदूरी करने के लिए नहीं आया था बल्कि अपने ग्राम खजूरी में पैत्रिक मकान को सम्भालने गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पाया कि मृत्यु का मुख्य कारण अत्यधिक रूप से गर्मी से तेज ज्वर होना बताया गया और मृतक ने मृत्यु से 10-12 घण्टे पहले खाना खाया बताया गया।

(4) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर व जैसलमेर में अध्यापकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति नहीं किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि उपरोक्त सीमावर्ती जिलों में अध्यापकों के कुछ ही पद रिक्त हैं। जिससे ऐसा नहीं है कि शिक्षा कार्य सम्भव नहीं। संशोधित चयन प्रक्रिया व स्थानांतरण नीति जल्दी ही तय हो जाने पर उपरोक्त समस्या का समाधान होने की आशा है।

(5) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली में कानून व व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि यह सही है कोटपूतली हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यह तथ्य गलत है कि दिल्ली से सीधे असामाजिक तत्व आकर स्थानीय लोगों को उकसा कर घिनौने कृत्य, कत्ल, गुण्डागर्दी, डाका, चोरी कराते हैं और पुलिस द्वारा कार्यवाही करने पर राजनेता दखल देते हैं। जब कभी भी पुलिस के पास इस क्रम में शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर अविलम्ब बिना किसी राजनीतिक प्रभाव में आये उचित कार्यवाही की जारी है।

अतः उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। मैं उन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में पिछले पांच वर्षों से मूर्ति चोरों के गिरोह से जनता में व्याप्त आक्रोश व आतंक के सम्बन्ध में।

(2) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्य नहीं खोलने व रोजमर्रा की चीजों के भाव बढ़ने के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में किसानों को बिजली के कृषि कनेक्शन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पटवार मण्डल बोरदा, तहसील घटोल, जिला बांसवाड़ा के दांई मुख्य नहर के गांवों के 31 आदिवासियों को मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से डीग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मांडेरा रूंध में जंगली जानवरों द्वारा किसानों व ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नैनवा की पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।

(7) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (रक्षा) बीकानेर के कारण विस्थापित परिवारों की दर-बदर स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को नगर परिषद् पाली द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा-पत्र जारी करने में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

(10) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में सिंचित योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री यदुनाथ सिंह जी, सदस्य, विधान विधान सभा (विभाजन संख्या 123) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाये।

श्री भंवरलाल शर्मा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री ओमप्रकाश गुप्ता ने जो प्रस्ताव रखा है श्री यदुनाथ सिंह जी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 123) को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित करने का, उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री ओम प्रकाश गुप्ता (विभाजन संख्या 12) ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

श्री यदुनाथ सिंह (विभाजन संख्या 123) निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्यमंत्री, श्री नत्थीसिंह, राजस्व मंत्री, श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा श्री यदुनाथ सिंह को अपने स्थान से उनके लिए निर्धारित स्थान पर ले जाकर बैठाया गया)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो अतिवृष्टि का स्थगन प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : अतिवृष्टि के बारे में मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। आज समय मिलेगा तो आज देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें कोई विशेष नहीं है। इतना सा अनुरोध है कि आज ही वक्तव्य हो जाये, चिन्ता का विषय है।

श्री अध्यक्ष : आज ही करवा देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक, अध्यक्ष महोदय, आपने जानकारी के लिए भिजवाया था कि यह सरसों के भाव और तिलहन के भाव जो मार्च के अन्दर 600 रुपये में किसान ने बेचा जब मण्डी में माल पहुंच गया। अब उपभोक्ता के पास माल जायेगा तब हजार रुपये का भाव हो गया। अब ट्रेडर को पूरा फायदा हो रहा है। उपभोक्ता को तो मार पड़ रही है और किसान को फायदा नहीं होगा उससे। इसका भी आप वक्तव्य दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा....

श्री अध्यक्ष : आप दे चुके हैं। हफ्ते में एक।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमारे राइट को आप प्रोटेक्ट कीजिए मेहरबानी करके।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से बात कर लें।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था श्री रामप्रसाद बैरवा के बारे में जो फैक्ट्स आये हैं वह गलत हैं। सही स्थिति यह है कि वह भूख-प्यास से मरा है। वह 10-15 दिन से भूखा था। उसको काम नहीं मिल पाया।

(3.15 म. प)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि ग्राम खजूरी के रामप्रसाद बैरवा की अकाल के कारण भूख और प्यास से मौत हुई है उसके बारे में जिला प्रशासन की ओर से जो फैक्ट्स आये हैं वह बिलकुल गलत हैं। सरकार की ओर से जो तथ्य पेश किये गये हैं वह सही नहीं हैं। उसके ऊपर चर्चा की जाये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान पत्रिका कोटा एडीशन में समाचार छपा है वह तीन दिन से भूखा था। उसके अन्दर लिखा हुआ है कि गांव वालों से जानकारी प्राप्त

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

करने पर यह मालूम पड़ा है कि वहां रोजगार की तलाश में आया था । अकाल राहत का काम चला नहीं । अब यह राजस्थान पत्रिका एक जिम्मेदार अखबार है यहां का, और गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह से लिखता भी नहीं है। तो जिन लोगों से उनके करेसपोण्डेन्ट ने बात करी है उन लोगों के बयान हुये या नहीं हुये ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि 174 की इन्क्वायरी रिपोर्ट तो हुई होगी । उसके पेपर्स मंगवाकर गवर्नमेंट देख ले कि इन्क्वायरी रिपोर्ट क्या है । सीधा-सीधा जिला प्रशासन से लिखा हुआ आ गया और उसको भेज दिया । उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अभी बताया गया इस प्रकार की जानकारी सरकार से आयी है, कि उसको खाना मिला । हो सकता है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है तो उसको तो मैं चुनौती नहीं देना चाहता लेकिन स्टेटमेंट्स रिकार्ड किये होंगे 174 की इन्क्वायरी में । वह फाइल अगर मंगवा लें, सरकार ही मंगवा लें । इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, अकाल राहत कार्य न खोलने के कारण भूख से अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, यह अपने आप में एक असाधारण घटना है । सामान्यत: इस प्रकार की घटना न तो घटित होती है, न सरकार इसको मानने को तैयार होती है । हालांकि क्युमुलेटिव इफेक्ट तो होता है, कई लोग भूख से मरते हैं । पर सीधे-सीधे क्युमुलेटिव इफेक्ट भूख से हो यह गम्भीर मसला है । मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर पुर्नविचार करके सरकार से पूरी जानकारी मंगवायें ।

श्री रामनारायण वर्मा : आप इसको मंगवा लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के काम में तो लगेगा नहीं । सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट बताया है कि वहां तुरन्त उप खण्ड अधिकारी पहुंच गये, तुरन्त ही वहां उप अधीक्षक गये और उसकी जांच की गयी । जांच के आधार पर जो कुछ रिपोर्ट सरकार के पास आयी वह रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की है । फिर भी आपको कोई शंका है, भ्रम है कोई और जानकारी है तो आप राज्य सरकार से बात कर लें । अध्यक्ष की व्यवस्था हो गई ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो जिक्र आया था, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी लेकिन राज्य सरकार से मैं यह कहता हूं कि अध्यक्ष जी मंगवा कर देख लें, राज्य सरकार मंगवाकर देख ले, 174 में इनक्वायरी तो कण्डक्ट हुई होगी । अनयुजवल सरकमस्टान्सेज में किसी की डेथ होती है तो वह इनक्वायरी रिपोर्ट तो मंगवाकर देखें क्योंकि लोगों से करेसपोण्डेंट ने बात की है । यह सन्देह इस बात से पैदा होता है कि वह काम की तलाश में आया ही नहीं था । इस प्रकार की बात, सरकार को अगर जिला प्रशासन ने ब्रीफ किया है तो गलत किया है । इसलिए कम से कम आप जो व्यवस्था दे रहे हो, कि सदन मंगवाकर देखे यह बात तो उचित नहीं है, लेकिन सरकार ही मंगवाकर देख ले । इसलिये दुबारा इसकी जांच के लिए भेज दें । सरकार का जवाब दुबारा....

श्री उपाध्यक्ष : आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया । सरकार निश्चित तौर पर....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप दुबारा सरकार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है इस पर।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से दिया गया है, यदि और भी किसी बात में आपको शंका है तो आप चैम्बर में उसको मंगवाकर देख लें। उसके बारे में बात कर ले जो भी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज 295 के अन्र्गत जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर आदि कई स्थानों पर अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण एक नोटिस दिया था। उसके बारे में यहां कोई सूचना ही नहीं है कि यह पहुंचा कि नहीं पहुंचा। क्या हुआ उसका ? उस बारे में आप व्यवस्था दें कि उसके बारे में आज यदि स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं तो उस समय हमें बोलने का मौका दे दें अथवा उसके अन्दर व्यवस्था दें कि कब बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : लिस्ट में तो नहीं है। मैं दिखवाता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : बाढ़ की जो बात कही है तो आज इरिगेशन की डिमाण्ड है उस पर चर्चा कर लेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यदि बाढ़ इसमें आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वह अलग डिमाण्ड है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बाढ़ तो आकस्मिक आपदाओं में मानी जायेगी। बाकी आपकी इच्छा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य आ रहा है। श्री मांगीलाल मेघवाल।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

बून्दी जिले में मूर्ति चोरों के गिरोह से व्याप्त आक्रोश

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बून्दी जिले में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण धार्मिक भावनाओं और जनता में जो असुरक्षा की भावना हो रही है उसी के प्रसंग में नियम 295 के तहत प्रस्ताव पढ़ रहा हूं।

मान्यवर, बूंदी जिले में पिछले पांच वर्षों में मूर्ति चोरों के गिरोह द्वारा लगातार विख्यात विशाल प्राचीन एवं ऐतिहासिक मन्दिरों से मूर्तियां, कलश तथा पुरातत्व महत्व की वस्तुओं आदि की चोरी किये जाने से जनता में भारी आक्रोश, भय एवं आतंक व्याप्त है। स्थानीय जनता का पुलिस विभाग पर विश्वास एवं भरोसा नहीं रहा है। निम्न चोरियों की पूर्ण तफ्तीश की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे ताकि जनता, जन प्रतिनिधि एवं स्वयं सरकार जान सके कि मामला कितना गम्भीर एवं जनता से जुड़ा है।

1. इसी वर्ष 8 मार्च को केशोराय-

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

पाटन में वराह भगवान की मूर्ति तीन चार क्विंटल वजन की, पांच सौ वर्षों से अधिक पुरानी, अति महत्व की बेश कीमती पत्थर की थी, चोरी हो गई। इस प्रसंग में स्थानीय पुलिस, जिला पुलिस प्रमुख तथा डी. आई. जी. स्तर पर पुलिस ने न तो कोई विशेष कार्यवाही की है, और न ही वर्तमान में कर रही है। जनता की धार्मिक भावना को ठेस लगने से आन्दोलित है। इस प्रकरण में कोटा डी. आई. जी. महोदय से मैं शिष्ट मण्डल के साथ मिला। उचित कार्यवाही नहीं होने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

2. कुछ वर्षों पहले खटकड़ थाना क्षेत्र के गांव खटकड़ से धूगलेश्वर महादेव की विशाल चमत्कारी मूर्ति जो नीलम की बताई जाती है, चोरी हो गई। बहुत गम्भीर एवं प्रशासन के लिए चुनौती का मामला था। सम्पूर्ण जिले में आक्रोश था। मामला सी. आई. डी. को भी सौंपा गया। आज तक न तो सी. बी. आई. की रिपोर्ट आई और न ही खुलासा बात सामने आई। कुछ चोरों से स्थानीय ए. एस. आई. का नाम लेने पर कि यह व्यक्ति चोरों से मिला हुआ है, इसकी जांच वर्तमान कार्यरत एडीशनल एस. पी. द्वारा करवाई गई।

श्री ठंडी लाल मीणा ने इस ए. एस. आई. के घर छापा मारा। परिणाम अभी तक नहीं मिला, मामला पुलिस से जुड़ा है, अतः सी. बी. आई. की जांच एवं एडीशनल एस. पी. की जांच रिपोर्टों को तुरन्त पेश किया जावे।

3. इसी प्रकार तलवास (नैनवा) में भी अजीतगढ़ जिले से भी श्री रुगनाथ जी की अष्ट धातु की विशाल मूर्ति चोरी हो गई, अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है।

4. गेन्डोली थाना से भी गेन्डोली गांव से चारभुजाजी की मूर्ति की चोरी का आज दिन तक पता नहीं चला।

5. देई में भी चार भुजा के मन्दिर के कलश चोरी गए। इस चोरी में देई के कलश नाटकीय ढंग से बरामद किये गये परन्तु चोर कौन थे? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई। अभी तक पता नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर एवं चिन्ता का विषय है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जावे।

6. नैनवा में भी चारभुजाजी के मन्दिर के जेवर चोरी हुए। रामदेवजी के मन्दिर से भी जेवर एवं अन्य बेश कीमती सामान चोरी गये। पता अभी तक नहीं लगा। जनता में रोष है।

7. कापरेन में भी नृसिंह के मंदिर के जेवर लाखों रुपयों के चोरी गये, अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई है।

8. महाकवि सूर्यमल मिश्रण की बूंदी शहर में स्थित हवेली से पुरातत्व की पुस्तकें एवं सामान चोरी जाना एवं पूरी तरह बरामद नहीं होना चिन्ता का विषय है। पुलिस के लिये यह बहुत ही शर्म की बात है।

9. बूंदी के क्षार बाग की चोरी का अभी तक पता नहीं चला है। ऐतिहासिक पुरातत्व की वस्तुओं की चोरी से जनता में रोष है।

10. राष्ट्रीय धरोहर महाकवि सूर्यमल मिश्रण की बूंदी स्थित हवेली को (इन्टक) भारतीय संस्कृति निधि को 20 हजार रुपये

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

में सरकार द्वारा बेचा जाना तथा उसके अंदर के सामान पंच तारा होटलों में बिकने के लिये समाचार आये दिन छपने से जनता में रोष है। सरकार के लिए शर्म की बात है। इसलिये इसकी पूर्ण जांच करवाई जाये।

अतः मैं अपने इस 295 के महत्वपूर्ण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए मांग करता हूं कि मूर्ति चोरों के गिरोह को तुरन्त पकड़ा जावे। बेशकीमती मूर्तियां बरामद कराई जावें एवं इस पर की गयी अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया जाये। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मूर्तियों का मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है और कई पुरातत्व महत्व की चीजें हैं। इसलिये आप विशेष करके सरकार को इस निमित्त इंगित करें कि उचित कार्यवाही हो। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्य न खोलने के सम्बन्ध में

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत, डूंगरपुर जिले में जो स्थिति बनी है अकाल और मंहगाई के बारे में, मैं पढ़ कर सुना रहा हूं।

महोदयजी, डूंगरपुर जिले के अकाल में आये ग्रामों में उचित मजदूरी नहीं खोलने एवं सभी आवश्यक (रोजमर्रा) की चीजों के भाव बढ़ने से लोगों की हालत खराब हो गई है। जिन गांवों में अकाल है वहां काम नहीं खोले हैं, लोग काम के लिए मारे-मारे घूम रहे हैं, कुछ कार्य पूर्व सरकार ने स्वीकृत किये थे लेकिन वे सारे काम, रोड आदि, बन्द कर दिये हैं, पंचायत समितियों के तालाब, जो गत अतिवृष्टि से टूटे थे, प्रस्ताव देने के बाद भी स्वीकृत नहीं किये हैं। फलस्वरूप इन तालाबों के नीचे की भूमि (खेत) पूरे के पूरे बरबाद हो गये हैं और हो रहे हैं। लेकिन इस वर्ष सरकार के वायदे जो अप्रेल, मई में मजदूर लगाने के किये थे वे भी नहीं हुये हैं, सरकार ने जवाहर रोजगार के कार्य, जो अकाल क्षेत्र से बाहर हैं, उन्हें भी अकाल में मान लिया है। लोग गांव छोड़कर मजदूरी की तलाश में भाग गये हैं। मजदूरी नहीं मिलने से लोगों की क्रय शक्ति समाप्त हो गयी है।

इधर सरकार ने रोजमर्रा की चीजों के भाव बढ़ा दिये हैं, किराये भाड़े में भी काफी बढ़ोतरी हो गयी है. सरकारी अनाजों के भाव भी काफी बढ़ाये गये हैं। साझा सरकार ने चुनावी वायदों के खिलाफ काम करना प्रारम्भ कर दिया है। कांग्रेस के समय चीजों के जो भाव थे उससे काफी भाव बढ़ा दिये गये हैं। इन सारी परिस्थितियों के कारण लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। अभी जून समाप्ति पर भी बरसात पूरी नहीं हुई। जहां बरसात हुई है वहां लोगों ने बुवाई की थी वह भी चोपट हो गई है। इस कारण लोगों को उन खेतों की पुनः बुवाई करनी पड़ेगी। सरकारी बीज जो समय पर मिलता था। वह भी पूरा नहीं मिला है। इस प्रकार डूंगरपुर जिले में अकाल एवं मंहगाई के कारण लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि रोड जो कांग्रेस के समय में

(श्री नाथूराम अहारी)

स्वीकृत की थी उन्हें पुनः स्वीकृत करायी जायें, पंचायतों के तालाब जो टूटे हैं स्वीकृत किये जायें सिंचाई विभाग के, जंगलात विभाग के जो काम अधूरे हैं वह स्वीकृत किये जायें, साथ ही जो कीमतें बढ़ी हैं उन्हें भी कम किया जाये। पैट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हैं उन्हें कम करने के लिये केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजी जाये ताकि लोग अपने खेतों में खड़ी फसलों को कुओं, तालाबों एवं नदी नालों से पानी लेकर उन्हें बचा सकें। लोग यह महसूस करने लग गए हैं कि इस सरकार ने तो काफी वायदे किये थे कि महंगाई कम होगी, कर्जा माफ होगा, समय पर अकाल राहत के कार्य खुलेंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो महंगाई कम करने के बजाय चीजों के भाव काफी बढ़ा दिये हैं। रोजमर्रा की हर चीज के भाव बढ़ा दिये। बेरोजगारी दूर करने के बजाय, जो कांग्रेस सरकार ने प्रशिक्षित लोगों को लगाया था, उन्हें हटा दिया गया है। जनता सरकार ने गरीबी दूर करने के बजाय गरीबों को ही समाप्त कर डाला है।

अतः आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार जिस मंशा से आई है उसके अनुसार अपने वायदे पूरे करें। महंगाई को कम करें, तथा अकाल राहत काम जल्दी से जल्दी जहां अकाल है उस क्षेत्र में खोलें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लाल मीना।

किसानों को बिजली कनेक्शन पर रोक के सम्बन्ध में

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान में किसानों को बिजली के कृषि कनक्शन देने पर जो तीन महीने की पाबन्दी लगा रखी है उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि माह मार्च, 1990 से अब तक किसानों ने पिछले वर्ष लक्ष्य के अनुसार बिजली के डिमाण्ड नोटिस मिलने के बाद डिमाण्ड राशि जमा करवा कर एल. फार्म लगा दिये, उसके बाद भी कनक्शन जारी नहीं किये जा रहे हैं बल्कि कृषि कनक्शन पर विद्युत बोर्ड द्वारा रोक लगाने के कारण पिछले तीन महीने से राजस्थान में एक भी कृषि विद्युत कनक्शन जारी नहीं किया गया है। राजस्थान में करीब 22 हजार किसानों ने कृषि कनेक्शन के लिए डिमाण्ड राशि जमा करवा रखी है। वर्ष 1989-90 के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण किसानों को कृषि क्षेत्र में भारी नुकसान होने की सम्भावना है और इस कारण किसानों में भारी आक्रोश है।

विद्युत विभाग ने किसानों के साथ भारी अन्याय किया है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन किसानों की डिमाण्ड राशि जमा है उन किसानों को अविलम्ब निश्चित समय में आगामी फसल से पहले कृषि कनक्शन देने के आदेश विभाग को दिये जायं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र लालसोट में करीब 400 किसानों को कृषि कनक्शन के लिये डिमाण्ड राशि जमा करवा कर एल. फार्म लगाने के बाद भी कनक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। इसके कारण लालसोट क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है।

(श्री परसादीलाल मीना)

अतः सरकार से अनुरोध है कि लालसोट में विचाराधीन कृषि कनेक्शन शीघ्र दिलाये जाने के आदेश देकर किसानों को राहत प्रदान करें।

आशा है सरकार राजस्थान में सभी विचाराधीन कृषि कनेक्शनों को शीघ्र दिलवाकर किसानों को राहत प्रदान करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीतलाल नीनामा।

तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में 31 आदिवासियों को मुआवजा न देने के सम्बन्ध में

श्री नवनीतलाल नीनामा : उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा सुझाव है कि जिला बांसवाड़ा में माही डेम बना, वहां किसानों का मुआवजा बाकी है। पटवार मण्डल बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के माही बांध की दांयी मुख्य नहर की कन्ठाव से गांव दुकवाड़ा नहर के 17 किलोमीटर से 28 किलोमीटर पर स्थान गांव बामनपाड़ा में माही विभाग द्वारा 31 आदिवासी किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत मेरा निवेदन है कि तहसील घाटोल जिला कार्यालय बांसवाड़ा में कन्ठाव नहर को प्रारम्भ हुए करीब 4 वर्ष हो गये हैं व जिलेदार कार्यालय पटवारी द्वारा 31 आदिवासी किसानों के क्षेत्र में जहां नहर निकाली गई है का खसरा, नक्शा व खेतों की रिकार्ड हल्का पटवारी से तैयार करवाकर माही विभाग बांसवाड़ा कार्यालय में दबा पड़ा है।

जिला हैडक्वार्टर से बामनपाड़ा गांव 35 किलोमीटर दूर है जिससे किसानों को बार-बार माही आफिस कार्यालय में जाने से अनावश्यक किराया लग जाता है व माही विभाग अधिकारी आदिवासी किसानों पर ध्यान नहीं देते हैं। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि बांसवाड़ा जिले में माही विभाग की दांई मुख्य नहर पर, जहां किसानों का मुआवजा बकाया है, पूरी-पूरी जांच करकर बकाया मुआवजे का चुकारा किया जावे।

श्रीमान् की जानकारी के लिये ग्राम बामनपाड़ा के बकाया किसानों की सूची मैं पेश कर रहा हूं। उन किसानों के खेतों के बकाया मुआवजे की फाइलें माही विभाग में जमा पड़ी हैं जिनकी जांच करा कर मुआवजे का चुकारा दिलाने की मांग करता हूं कि श्रीमान् आदिवासी किसानों पर अवश्य ध्यान देंगे। जय भारत।

ग्राम मान्डेरा रूंध में जंगली जानवरों से हुए नुकसान के सम्बन्ध में

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए धन्यवाद बहुत-बहुत।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : कम से कम भरतपुर का नाम तो चलता ही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं राजस्थान का हूं।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीग विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मांडेरा रूंध में वन विभाग

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

का बहुत बड़ा जंगल है, जिसमें काफी मात्रा में जंगली जानवर पाये जाते हैं। जंगल से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले काफी समय से जंगली जानवरों द्वारा कृषि भूमि एवं फसल को नुकसान पहुंचाने की बहुत घटनायें हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार इस जंगली क्षेत्र के लगे हुए गांवों के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए अतिशीघ्र कोई बाड़ लगाने अथवा दीवाल बनाने का फैसला करे और कार्यवाही शुरू करे क्योंकि इस क्षेत्र की गरीब जनता में इस विषय को लेकर काफी रोष बना हुआ है जो कभी भी कोई आक्रामक रुख ले सकता है। मेरा अपनी सरकार से यही निवेदन है कि किसान भाइयों की इस समस्या के समाधान हेतु कोई आवश्यक घोषणा कर जनता के रोष को तुरन्त शांत करना चाहिये जिससे भविष्य में कोई घटना नहीं हो। साथ ही किसानों से प्रत्येक मवेशी पर जो इस मांडेरा रूंध में बरसात के मौसम में चराये जाते हैं, सरकार पुच्छी लेती है यानि लोकल टैक्स। यह वर्षा के समय में लिया जाता है उसे माफ करने की कार्यवाही की जावे तथा मवेशी जो रूंध में वर्षा के कारण मर जाते हैं उसका भी मुआवजा किसानों को आवश्यक रूप से दिलाया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा। ग्राम नैनवा में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नैनवा में पीने के पानी की जो भारी समस्या है, अनुसूचित जाति के लोगों को जिस तरह से निग्लेक्ट किया गया है उसके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले काफी समय से अकाल रहने से पीने के पानी की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। बीसलपुर बांध की नींव से नैनवा की तरफ आने वाली पानी की सीर का कहीं से रास्ता बन्द हो चुका है। इस वर्ष हैण्डपम्प लगाने में शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के मोहल्ले व ढाणियों को प्राथमिकता नहीं दी गई है।

नैनवा शहर में पिछले दिनों हैण्ड पम्प ड्रिलिंग करते समय करीब 350 फीट तक पानी नहीं मिला है। रायथल क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की प्रगति बहुत धीमी है। तलवास जल प्रदाय योजना का कार्य अभी भी आरम्भ नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पानी की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें हैण्डपम्पों से पानी लेने के लिये घण्टों इन्तजार करना पड़ता है। मेरे द्वारा 150 ऐसे स्थानों की सूची, जहां हैण्ड-पम्प लगाये जाने अति आवश्यक है, जिलाधीश बून्दी को पेश की जा चुकी है।

पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु तहसील बून्दी में रायथल के झोंपड़े, बस स्टेण्ड राताबरडा, पूर्वी तरफ के तथा पश्चिम तरफ के पीपल्या के झोंपड़े, दक्षिण तरफ के मडीत्या के झोंपड़े, हणुत्या, पंचायत रायथल के व्यासहाली बलाई बागदा, पाठशाला प्रांगण जखाना, बण का खोडा (पुराना गांव), रेगर मोहल्ला ऐवर, झरमहादेव बालापुरा तथा तहसील नैनवा में बालाजी के स्थान मुरली, रघुनाथपुरा, सबलपुरा के पठार पर बसे झोंपड़े, पाठशाला प्रांगण रतनगंज, जीवणपुरा, महावीरपुरा (सीसोला पंचायत), छोटी पडाय, बन्जारी बावड़ी, नाडी के झोंपड़े (मगरा मोतीपुरा), बैरवा मोहल्ला,

(श्री रामनारायण वर्मा)

एवं बस स्टैण्ड देई, बैरवा मोहल्ला गुढा देवजी, रेगड मोहल्ला, लीलदारोड़ देई, बैरवाओं के झोंपड़े अरयाली, मजरा करवर, दिल्ली दरवाजा ग्राम करवर, मोरजालों के झोंपड़े (मजरा लालदा), देवरिया के उत्तर पूर्वी तरफ के बसे झोंपड़े, धूल्या खेड़ा के झोंपड़े, बाड़ी के झोंपड़े, धनपुरिया, स्कूल प्रांगण तेजपुर, रेगर मोहल्ला, बाली, खान की झोंपड़ियां, पुजारी, हनुमानजी का स्थान सहण, चन्दपुरा स्थित काली पीपल के देवनारायण के स्थान पर, कीरों के झोंपड़ों के बीच (पंचायत खानपुरा) में एवं अन्य पीने के पानी से समस्याग्रस्त मोहल्ले, मजरों, घाटियों में हैण्ड पम्प लगाये जाने पर पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है।

इन्दिरा रेगरान कालोनी देई में विभाग जानबूझकर पाइप लाइन नहीं डाल रहा है। भारी असुविधा हो रही है।

अतः पेयजल की गम्भीर समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उसके निराकरण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थानों पर हैण्ड पम्प लगाए जाने तथा जल प्रदाय योजनाओं को शीघ्र पूरा करवाये जाने तथा इन्दिरा रेगरान कालोनी देई के लिए पाइप लाइन डाली जाने का आदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जावे और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाये।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (बीकानेर) में विस्थापित परिवारों की दर-बदर स्थिति के सम्बन्ध में

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनीराम सियाग।

श्री मनीराम सियाग (लूनकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करता हूं।

मैं आपके माध्यम से नियम 295 के अन्तर्गत महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (रक्षा) बीकानेर के कारण विस्थापित परिवारों की दर-बदर स्थिति से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। महोदय, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज के निर्माण के लिये मेरे लूनकरणसर विधान सभा क्षेत्र के 33 गांवों की कृषि भूमि अवाप्त की गई और परिणामतः लगभग 2800 परिवार पूरी तरह विस्थापित हुए। इनको आवासीय व कृषि भूमि बीकानेर जिले में ही आवंटित कर पुनर्वास कराने के कार्य का दायित्व भी राज्य सरकार का है। परन्तु विडम्बना है कि इस रेन्ज में सेना का तोपाभ्यास पूरी तरह चालू है परन्तु विस्थापित परिवार आज भी बन्जारों व बेघरों की तरह जिन्दगी बसर करने को मजबूर हैं। लगभग 25% परिवारों को या तो भूमि आवंटित ही नहीं हुई और यदि हुई है तो वे इस पर छप्पर डालने व फसल पैदा करने से इसलिये महरूम हैं कि वह विवादग्रस्त है। राजस्व व उपनिवेशन विभाग, जहां पटवारी ही सर्वोच्च शक्ति धारक बनता जा रहा है, काश्तकार को दीवारों के भंवरजाल में उलझाये हुये हैं।

मेरे इन विस्थापित काश्तकारों को जिन बस्तियों में बसाने की कार्यवाही चली वहां भी सुविधाओं जैसे कि शिक्षा व स्वास्थ्य केन्द्र, के निर्माण नहीं कराये गये। इस हेतु प्रावधान की गई राशि का सही व पूर्ण उपयोग नहीं हुआ। परिणामतः इन्हें पेय-

(श्री मनीराम सियाग)

जल, यातायान व विद्युत सुविधायें नहीं मिली। राज्य सरकार इसे विशेष योजना बनाकर क्रियान्वयन के लिये विशेष प्रयास करें अन्यथा मेरे क्षेत्र के काश्तकार को क्षेत्र से पलायन करना पड़ सकता है।

इन काश्तकारों को बारानी व उपनिवेशन क्षेत्र में अन-कमाण्ड भूमि निश्चित कीमत लेकर आवंटित की गई थी ओर खातेदारी अधिकार दिये गये। परन्तु आज भी उपनिवेशन विभाग उक्त खातेदारी अधिकारों का अंकन नहीं कराता है। उपनिवेशन विभाग अब इन काश्तकारों को, जिन्हें कानूनी खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं, पूर्व में जमा कराई गई राशि के अतिरिक्त राशि जमा कराने का नोटिस जारी कर रहा है। विधि प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त किसी भी काश्तकार से कोई राशि की मांग वसूल नहीं कर सकता। पिछली सरकार की कार्यशैली से भिन्न होने की हम घोषणाएं कर रहे हैं तो अनपढ़, गरीब काश्तकार को इस तरह के नोटिस जारी कर पटवारियों की धोंस व सिकंजे में जकड़ना हमारी इन घोषणाओं के विपरीत है।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि आप राज्य सरकार को निर्देशित करावें कि मेरे क्षेत्र के लोकहित के इस प्रश्न पर तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक विशेषाधिकार नियुक्त करें जो इन समस्याओं निराकरण के लिए कार्य करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

ग्राम पीपल्दा में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या है तथा बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। समस्या हल होने के बजाय समस्या और गम्भीर होती जा रही है। इटावा पंचायत समिति केन्द्र है तथा इस क्षेत्र का प्रमुख कस्वा है, लेकिन पिछले 5 दिनों से वहां की पेयजल व्यवस्था ठप्प पड़ी है। कारण यह है कि पम्प हाउस वर्षा के कारण गिर गया है। पम्प हाउस के क्षतिग्रस्त होने तथा उसके अभी भी गिर जाने की शिकायतें उच्च अधिकारियों को कई बार की लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप पम्प हाउस के गिर पड़ने से नगर में जल व्यवस्था ठप्प पड़ी है तथा जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। साथ ही पिछले कई महीनों से इटावा कस्बे में केवल एक बार पानी छोड़ा जाता है और वह भी कम समय के लिए तथा प्रेशर भी उसमें आधा किया हुआ है जिससे नगर में पेयजल की कमी रहती है। इटावा में पेयजल पर्याप्त सुलभ कराने हेतु एक और ट्यूब वेल करीब 6 माह से खुदा पड़ा है लेकिन बार-बार कहने के बावजूद भी उसका उच्च जलाशय से कनेक्शन नहीं हो पाया है जिससे नगर में पेयजल का भारी संकट है। इसे अविलम्ब दूर किया जाना अति आवश्यक है।

इसी प्रकार खातौली, पीपल्दा, तथा गैंता, बगोरीकला कस्बों की पेयजल समस्या है। वहां पर पर्याप्त पानी पूरे समय नहीं छोड़ने के फलस्वरूप पेयजल का संकट हमेशा बना रहता है। लोगों ने खड्डे कर रखे हैं।

(श्री हीरालाल आर्य)

शहरों में ही प्रभाव पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

मांगरोल नगर में भी दूसरा उच्च जलाशय बने हुए करीब एक वर्ष से अधिक हो गया लेकिन उसका कनेक्शन नहीं होने से अभी तक चालू नहीं हो सका है ।

इन्द्रगढ़ तथा मोहनपुरा में भी पेयजल का भारी सकट है । मोहनपुरा के अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंचता तथा हरिजन मोहल्लों में पाईप लाइनें नहीं हैं लेकिन उसे सुधारने तथा पाईप लाइन बिछाने के बजाय इन्द्रगढ़ में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वहां के ट्यूब वैल से पानी दिया जाने लगा जिससे दोनों जगह समस्या गहरा गई है । इन्द्रगढ़ में नया ट्यूब वैल शीघ्र खोदकर वहां की समस्या हल करनी थी तथा क्षतिग्रस्त टंकी की मरम्मत की जानी थी । लेकिन जनता के त्राहि-त्राहि करने के बावजूद भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है ।

ग्रामीण क्षेत्र में जिन स्थानों पर प्राथमिकता से हैण्ड पम्प खोदने चाहिए थे वहां पर नहीं खुदे । श्रीपुरा, मीहोद, संग्रामपुरा, हरिनगर, कांकरा, खेड़ली, बोरदा, श्यामपुरा, चेनपुरा, चन्द्राहेडी, बालापुरा, वलवन, डोबरली, चायदा खुर्द तथा खेदला खुर्द आदि गांवों में शीघ्र हैण्ड पम्प खोदे जाने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

ग्रामीण क्षेत्र में हैण्ड पम्प सुधारने का जो अभियान चला वह केवल कागजों में ही है । हैण्ड पम्प सुधार कार्यक्रम के बाद हमारे द्वारा क्षेत्र का भ्रमण करने पर पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र में आधे से अधिक हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं । अभियान के तहत जिन सामानों का उपयोग किया गया वे असली नहीं होकर नकली तथा डुप्लीकेट थे । फलस्वरूप हैण्डपम्प सुधारने के तुरन्त बाद ही खराब हो जाया करते थे । गांवों में तथा गांव की पेयजल समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । अतः उक्त प्रस्ताव के माध्यम से माननीय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार एवं मनमानी को अविलम्ब समाप्त कर पेयजल समस्या को दूर करने में कोताही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब कठोर कार्यवाही करें तथा क्षेत्र की पेयजल समस्या को अविलम्ब दूर करने की कृपा करें ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिह चौहान ।

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भवन निर्माण की स्वीकृति न मिलने के सम्बन्ध में

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको उपाध्यक्ष चुनने के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं ।

एक माननीय सदस्य : पूरे सदन की ओर से ।

श्री हीरासिह चौहान : मैं तो मेरी ओर से, सदन के तो नेताओं ने दे दी है । मिठाई भी मिल जायेगी आप जब उनके चेम्बर में पधारेंगे । तैयारी है ।

एक माननीय सदस्य : आप हीरासिह जी के साथ जाना ।

श्री हीरासिंह चौहान : आप मेरे साथ आ जाना ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये एक प्रश्न को उजागर कर रहा हूं कि पाली नगर न्यास द्वारा सन् 1976 में इण्डो-पाक वार में जो सैनिक शहीद हुऐ उन शहीद सैनिकों के आश्रितों को, 10 परिवारों को महावीर नगर, पाली, में कुछ भू-खण्ड आवंटित हुए । मुझे बड़े दु:ख के साथ सरकार से निवेदन करना पड़ रहा है कि आज दिन तक उन दस आश्रित परिवारों में से तीन लोगों को अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया लेकिन सात लोग अभी भी अपने भवन नहीं बना पा रहे हैं । यह खुशी की बात है कि स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, सदन में विराजमान हैं, वो अविलम्ब इसमें हस्तक्षेप करके नगर परिषद् पाली से 1976 में जिन भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्लॉट आवंटित किये गये थे उनको भवन बनाने की अनुमति देंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए पाली जिले के दस सैनिकों के आश्रितों को तत्कालीन नगर सुधार न्यास पाली ने अपनी बैठक दिनांक 10-12-76 के एजेन्डा संख्या 13 के अनुसार दिनांक 11-11-76 को लाटरी द्वारा महावीर नगर, पाली में भूतपूर्व सैनिक श्री कूपसिंह, श्री भंवरसिंह, श्री एस. रावत, श्री जैठूनाथ सिंह, श्री रामसिंह, श्री जोधाराम, श्री शम्भूराम, श्री नाथूसिह, श्री शैतान सिंह, श्री देवपाल सिंह के क्रमश: उनके आश्रित श्री गणपत सिंह, श्रीमती भंवर कंवर, श्रीमती कबरी देवी, श्रीमती नर्बदा देवी, श्रीमती भंवर कंवर, श्रीमती हीरा देवी, श्री केशाराम, श्रीमती ऊगम कंवर, श्री भंवर सिंह तथा श्रीमती प्रकाश कंवर को पाली नगर के महावीर नगर के भू-खण्ड संख्या 136, 134, 133, 128, 137 126, 135, 132, 127 तथा 131 आवंटित किये गये थे ।

उक्त आवंटितों में से श्री रामसिंह के आश्रित श्रीमती भंवर कंवर को दिनांक 9-2-77 तथा शम्भूराम के आश्रित श्री केसाराम को 30-6-77 तथा श्री भंवर सिंह के आश्रित श्रीमती भंवर कंवर को 2-12-78 को नगर परिषद् द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी कर उक्त भू-खण्डों पर इमारत बनाने की आज्ञा दे दी गई थी, लेकिन शेष आश्रितों को अनुज्ञा पत्र देने में नगर परिषद् पाली ने कोई विशेष रुचि नहीं ली जबकि भूतपूर्व सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए देश की सीमा पर अपनी कुरबानी दी थी ।

विधान सभा के अष्टम् सत्र में मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 573 दिनांक 29.3.88 को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा मेरे प्रश्न के उत्तर में शहीद सैनिकों के नाम, उनके आश्रितों के नाम तथा भूखण्ड संख्या का स्पष्ट विवरण दिया गया और उक्त प्रश्न के भाग संख्या दो के उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया था कि नगर परिषद् पाली द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के उत्तराधिकारियों की जांच नहीं करवाई जा रही है बल्कि निदेशालय स्तर कार्यवाही चल रही है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री से यह जानकारी चाहता हूं कि जब भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों का नाम नगर परिषद् पाली के रिकार्ड में अंकित है तथा उपरोक्त भूखण्डों पर गत 15 वर्षों से उनका कब्जा

(श्री हीरासिंह चौहान)

है, तो उन आश्रितों को कब्जाशुदा भूखण्ड पर इमारत बनाने का नगर परिषद् द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने का क्या विशेष कारण है जबकि उक्त भूखन्डों में से श्रीमती भंवर कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह को भूखण्ड संख्या 134 पर दिनांक 2.12.87 को अनुज्ञा पत्र जारी किया गया । इससे भी जाहिर होता है कि नगर परिषद् उक्त भूखण्डों में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के साथ भेदभाव कर रही है तथा बचे हुए भूखण्डों पर भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं कर उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। श्रीमती प्रकाश कंवर बेवा देवपाल सिंह को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने भूखण्ड की अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु रिट याचिका करने को बाध्य होना पड़ा है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, नगर सुधार न्यास, पाली द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को सहायतार्थ उपरोक्त भूखण्ड आवंटित किये गये, जिस पर तत्कालीन समय की प्रचलित दरों से विकास शुल्क लेकर अनुज्ञा पत्र जारी करना आवश्यक नहीं, न्याय-संगत भी है ।

अत: निम्नलिखित बिन्दुओं पर सरकार गम्भीरता से विचार करें :—

(1) नगर परिषद् पाली द्वारा पिछले 10 वर्षों से भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को अनुज्ञा पत्र में विलम्ब क्यों किया जा रहा है कृपया स्पष्ट करें ।

(2) जिस समय उक्त भूखण्ड आवंटित किये गये उसी तत्कालीन दर पर आवंटन या विकास शुल्क लेकर भवन बनाने का अनुज्ञा पत्र जारी किया जायेगा या आज की मौजूदा दर ली जायेगी ? यदि आज की दर ली जायेगी तो कारणों से भी सरकार स्पष्ट करें ।

(3) राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को तत्काल अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए नगर परिषद् पाली को कितने दिन का समय देगी । या तत्काल भवन निर्माण करने की अनुज्ञा पत्र जारी करेगी ।

(4) जब नगर परिषद् पाली के पास भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के नाम अंकित हैं तब उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की नगर परिषद् या सरकार को कहां जरूरत रहती है । इसी के साथ क्या इस प्रकार की अब मांग करना "शहीद परिवारों के आश्रितों के साथ ज्यादतियां" की तारीफ में नहीं आता है ।

(5)इसी आवंटन के आश्रितों को दिनांक 30.6.77, 5.2.77 तथा 2.12.78 को भूखण्डों पर भवन निर्माण के अनुज्ञा पत्र जारी किये या उस समय भी इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न की गई थी और यदि नहीं तो अब इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

अन्त में मेरा सरकार से निवेदन है कि इस गम्भीर प्रकरण के निवारण में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना आवश्यक है, और शेष सात परिवारों को भवन निर्माण के लिए तत्काल अनुज्ञा पत्र जारी करके शहीद परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करें ।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि यह एक ऐसा जटिल प्रश्न है कि हमारी सीमा पर शहीद हुए लोगों के

(श्री हीरासिंह चौहान)

परिवारों के प्रति पिछले दस साल से खिलवाड़ करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं उनसे आशा करता हूं कि तत्काल इसमें हस्तक्षेप करके अविलम्ब उनको भवन बनाने की अनुज्ञा पत्र जारी करें। मैं तो यह भी चाहूंगा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी इसके ऊपर अपने कुछ उद्‌गार प्रकट करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सदस्य, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि विधान सभा के बाद आप स्वयं पधारें, जैसी भी कार्यवाही होगी तुरन्त करने की कोशिश करेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नंदकिशोर शर्मा।

ग्राम छबड़ा में सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में पार्वती, अन्धेरी, रतेली, लहासी व परवन 6 नदियां बहती हैं परन्तु इनमें से, जिनमें 12 महीने पानी भरा रहता है उन पर एक भी सिचाई योजना नहीं है। सारा बरसात का पानी बेकार जाता है और कभी बाढ़ का रूप ले लेता है। जनता शासन में हिंगलोट, बेतली और लहासी का सर्वे होकर स्वीकृति दी गई और कार्य प्रगति पर था लेकिन वह उस समय बन्द हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि उक्त योजनाओं में से कौनसी योजना इस वर्ष चालू होगी। उस समय तीतरखेड़ी, बठावदा, धार लिफ्ट योजनाएं, जो जनता राज में चालू हो गई थीं वह राज जाते ही बंद हो गई। क्या अब चालू होंगी? मूडक्या, मोजपुर, बिलेन्डी, सुकनेरी, फूलबड़ौदा, कोहनी गुगोर, इन लिफ्ट योजनाओं से एक हजार एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। क्या इन पर काम किया जायेगा? छबड़ा क्षेत्र में यदि सिचाई योजना शुरू की जाती है, तो सारा सूखा क्षेत्र, जहां छोटे-छोटे किसान बसते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं तथा अधिक बरसात से जो ग्रामों का नुकसान होता है वह भी बच सकता है, पैदावार बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, वहां का व्यापार भी बढ़ेगा। क्या यह भी बताया जायेगा कि छीपा बड़ौद की दो लघु सिंचाई योजनाएं फलिया व उतावली को इस वर्ष कितनी राशि मिल रही है। दोनों कार्य जनता राज में शुरू हो गया था, वह अधूरा पड़ा है। शीघ्र पूरा होने से जन मानस में एक खुशी होगी और काम मिलेगा और पैदावार बढ़ेगी। लघु सिचाई की अन्य छोटी-छोटी योजनायें, तालाब व लिफ्ट योजनायें शुरू की जा सकती हैं, उनसे तुरन्त ही लाभ मिल सकता है। जाला, गुगोर, भावपुरा, कँशेली यह चार ऐसे छोटे-छोटे तालाब है जिससे सबको लाभ मिल सकता है। उस क्षेत्र में भरपूर पानी है, भरपूर नदियां हैं लेकिन फिर भी सूखा है। मैं आशा करता हूं कि सिचाई मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर उस क्षेत्र का कुछ न कुछ भला करेंगे ताकि वह सूखा और पिछड़ा क्षेत्र फिर सिंचाई से भरपूर हो और पैदावार में आगे बढ़ सके।

धन्यवाद।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर शहर में अवैध भवन निर्माण से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, जयपुर शहर में अवैध भवन निर्माण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री हेतराम बेनीवाल द्वारा जयपुर में गैर-कानूनी विशाल अट्टालिकाओं जैसे प्लाजा काम्पलैक्स, के निर्माण किये जाने एवं दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों के सन्दर्भ में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उसके बारे में स्थिति निम्न प्रकार है।

सर्वश्री चेतसिंह, रणवीर सिंह व श्रीमती फूल कंवर द्वारा रायसर हाउस बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चौकड़ी तोपखाना देश में मकान नं 724 में निर्माण के नक्शे आवासीय स्वीकृति हेतु दिनांक 6.6.87 को पेश किये गये थे। प्रार्थीगण द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ बैसमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम फ्लोर, द्वितीय फ्लोर एवं तृतीय फ्लोर तक के निर्माण करने के नक्शे पेश किये गये थे। इस पर आयुक्त, चांदपोल जोन ने नगर परिषद् द्वारा तृतीय फ्लोर के निर्माण को छोड़कर विशेष निर्माण की स्वीकृति दिनांक 10.8.87 को दी गई थी जिसके आधार पर दिनांक 26.8.87 को स्वीकृति जारी की गई। शहर की चार दीवारी की सीमा में भवन निर्माण उप विधियों के अनुसार कोई निर्माण चार मंजिल अथवा 18 मीटर से ऊंचा निर्माण नहीं कराया जा सकता। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा चौथी और पांचवीं मंजिल का अनधिकृत रूप से निर्माण करा लिया गया एवं मंजिल के खुले चौक को ढकने हेतु निर्माण कराया जा रहा था। तब यह दुर्घटना घटी जिसमें पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई एवं 9 व्यक्ति घायल हो गये। उक्त निर्माण जयपुर नगर परिषद् में भवन निर्माण के उप विधियों के विरुद्ध किया जा रहा था। प्रार्थीगण को नगर परिषद् की ओर से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 170, 251, 174 और 254 के अन्तर्गत निम्न अनुसार नोटिस दिये गये :—

पहला नोटिस 28.7.88 को धारा 171 एवं 111 बी, 171 और 251 के तहत। दूसरा नोटिस 22.10.88, तीसरा नोटिस इसी दिन 22.10.88, फिर अगला नोटिस 20.12.88 को उसी दिन, नोटिस 20.12.88 को, फिर 22.12.88 को, अलगा 13.3.89 को, फिर 2.5.89 12.6.89, 11.10.89, 8.11.89, 19.12.89, और 3.5.90 को। प्रार्थीगण द्वारा नोटिसों का निरन्तर उल्लंघन किया गया। दिनांक 11 जून, 1990 को निर्माणाधीन शोपिंग काम्प्लेक्स रायसर प्लाजा में खुले चौक को ढकने के लिए आर.सी.सी. की छत डाली जा रही थी। आर. सी. सी. की छत डालने के लिए बल्लियां, फंटे तथा लोहे की प्लेटें लगाकर संटरिंग बनाई हुई थी। सरियों का जाल बिछाकर सीमेण्ट कांकरीट डाली जा रही थी। इस जाल पर 14-15 मजदूर आर. सी. सी. की छत डालने काम कर रहे थे। इस भवन के पूरे खुले चौक की लम्बाई 70 × 59 फीट की है। इसमें से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

12 × 50 फीट का एक ब्लाक पश्चिम की तरफ 6–7 दिन पूर्व आर. सी. सी. की छत डाली जा चुकी थी तथा इसी के लगते हुए, दूसरे ब्लाक 12 × 50 फीट का, पर छत डाली जा रही थी, इस ब्लाक के दो तिहाई भाग पर सीमेण्ट कांकरीट बिछाई जा चुकी थी और छत पर लेवलिंग करने के लिए वाइब्रेशन मशीन चलाई जा रही थी कि अचानक दिन के 11 बजे जाल के नीचे लगी बल्लियां, फंटे मय जाल के सीमेण्ट कांकरीट के नीचे गिर गये। जिसमें छत पर काम करने वाले सभी व्यक्ति सीमेण्ट कांकरीट के जाल के साथ नीचे आकर गिरे तथा उक्त मलवे में आकर दब गये। मौके पर उस इंजीनियर श्री अशोक गुप्ता और जाकिर अली मौजूद थे जिनकी देखरेख में यह कार्य हो रहा था। इस भवन के निर्माण का ठेका मैसर्स जैन बिल्डर्स की ओर से शान्ति कन्स्ट्रक्शन की देखरेख में हो रहा था। इसके मालिक श्री मनमोहन लाल अग्रवाल निवासी सीकर हाउस हैं। ठेकेदार की ओर से नियुक्त सुपरवाइजर श्री मनोज तिवाड़ी भी मौके पर मौजूद था। 70 फीट की ऊंचाई पर जो आर. सी. सी. डाली जा रही थी उसकी संटरिंग, लकड़ी की बल्लियां, फंटे और लोहे की पतली प्लेटें कमजोर और घटिया किस्म की थी। कमजोर बल्लियां तथा उचित सटरिंग आदि नहीं होने के कारण उपरोक्त वर्णित कारणों से तथा उस समय लेवलिंग के लिए वाइब्रेटिंग मशीन चलाये जाने के कारण यह दुर्घटना घटी। परिणाम स्वरूप 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 9 व्यक्ति घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस व जनता मौके पर पहुंच गई और दबे हुए मृतकों एवं घायलों को बाहर निकाल कर उपचार हेतु भेज दिया गया। घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई। जिसमें अनुसंधान जारी है। दिनांक 11.5.1990 को जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा एक आदेश जारी कर एक निम्नांकित अधिकारियों की जांच कमेटी नियुक्त की गई जिसमें श्री नरहरि शर्मा, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जयपुर नगर, संयोजक श्री पी. एन. सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, पी. डब्ल्यू. डी. नगर वृत, जयपुर, श्री नाथूलाल चौहान, आयुक्त चांदपोल जोन नगर परिषद्, जयपुर अधीक्षण अभियन्ता, पी. डब्ल्यू. डी. वृत जयपुर द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त भवन का निर्माण जिस ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा था उसके द्वारा संटरिंग और संटरिंग का डिजाइन ठीक प्रकार से नहीं किया गया तथा उसके द्वारा उपयोग में लिये गये उपकरण जैसे बल्लियां आदि व बांधने के डफलर आदि मान्य मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये गये थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह प्लाजा आवासीय मकानों को कार्मशियल बनाने में जयपुर शहर और प्रान्त के अन्य भागों में जो गतिविधियां कर रहे हैं, वह वास्तव में सोचने का विषय है। और यह शुरूआत हुई जयपुर शहर में तो प्लाजा, बलदेव प्लाजा। बलदेव प्लाजा से यह काम शुरू हुआ और यह लगातार होता रहा तो अन्त में इसकी सीमा तक आगे बढ़ गई जब निवर्तमान मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा की चुनावों के साथ-साथ 15 अगस्त, 1989 तक इस प्रकरण के निर्माण होंगे उनको

(130)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नियमित कर दिया जायेगा । इस सबसे लोगों को गलत तरीके से प्रोत्साहन मिला और धीरे-धीरे यह इतने बढ़े, आज जयपुर में ऐसी स्थिति है जिनसे निपटना अभी थोड़ा कठिन पड़ेगा लेकिन फिर भी जो इस प्रकार के काम चल रहे थे उनको अब नगर परिषद् द्वारा रोक लगा दी गई है और यह काम कैसे सुलटाया जाय, कैसे रोका जाय, क्या व्यवस्था की जाय, इसके लिए निश्चित रूप से सरकार विचार कर रही है और सुझाव मैं आपसे भी मांगूंगा इस समस्या के निपटाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए । इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, निश्चित तौर पर यह रायसर प्लाजा दो सरकारों की कहानी है । वास्तव में 1987 में कांग्रेस के राज में बननी शुरू हुई और उस वक्त इसको 12 नोटिस मिले उनके राज में और ज्यों-ज्यों इसको नोटिस मिलते गये इन्होंने नोटिसों पर कोई परवाह नहीं की । वास्तव में नोटिस इसलिए नहीं दिये गये कि उन नोटिसों पर अमल हो । नोटिस खानापूर्ति करने के लिए दिये गये और चुपचाप इसको परमिशन दी गई कि तुम इस मकान को बनाते रहो और एक स्टेज पर आकर सन् 1990 में इस आवासीय जगह को सिर्फ इस बात के लिए कि किसके पड़ौस में एक आवासीय बिल्डिंग हैं, कि एक काम्प्लेक्स बना हुआ है और उस काम्प्लेक्स की क्योंकि, जो आनन्द चैम्बर्स है, उसको परमिशन मिल गई है इसलिए इसको परमिशन मिल जायेगी । बड़े ताज्जुब की बात है यही उसके मालिक की है जो इसके मालिक है तेजसिंह जी और रणवीर सिंहजी, वही आनन्द चैम्बर्स के मालिक है । उन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी की आवासीय भूमि में उसको कामर्शियल करवाया

(4.10 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

और इन्होंने भी सिर्फ इस चुनौती को लेकर इस सारे काम्प्लेक्स को आवासीय की बजाय कामर्शियल डिक्लेयर कर दिया और इसके चार लाख मात्र खर्चा करके पैसा बनवा लिया । सबसे पहले इसमें जो सवाल खड़ा होता है वो यह कि 11 जून, 90 की यह घटना है । राज्य सरकार ने जब यह घटना घटी, अगर ये गरीब 5 मजदूर नहीं मारे जाते तो शायद न सरकार का इसकी तरफ ध्यान जाता और न राज्य सरकार जो कुछ इस जयपुर में हो रहा है, उस पर ध्यान देती । उनकी बलि ने इसका ध्यान दिलवाया और सबसे पहले इसके लिए फैक्ट फाइण्डिग कमेटी बनाई गई । मुझे बड़ा अफसोस है कि इन्क्वायरी जब किसी चीज की की जाती है जहां पांच लोगों की मृत्यु हो गई, घायल हो गये, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई और अवैध बनी हुई है जिसके नोटिसेज दिये हुए हैं । खुद स्वायत्त शासन मंत्री मानेंगे कि दिनांक 5.3.90 का नोटिस उस वक्त दिया गया जब राज में थे, हुकूमत में थे । और स्वायत्त शासन मंत्री थे, एक उसमें छिपा गये । एक नोटिस और दिया, वह दिया उस घटना से पांच दिन पहले । उस घटना से पांच दिन पहले इनको दिया गया नोटिस, जो मैं देख कर आया हूं, वह अभी चिपका हुआ है । यह कहा गया

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कि इसको रोक दिया गया। इस घटना की इन्क्वायरी के लिए क्यों नहीं कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन बनाया गया जिसकी वाकई लीगल पावर होती? वह उसके जो फैक्ट्स मिलते उस पर कोई अमल कर सकता था।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि इसमें जो मजदूर लगे हुए थे वह सारे के सारे बंगाली मजदूर थे। पांचों के पांचों जो मरे हैं चार उनमें से बंगाली हैं, एक राजस्थानी है।

एक माननीय सदस्य : मार्क्सवादी हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : खैर पता नहीं मार्क्सवादी हैं या वहां कांग्रेसी भी बचे हुए हैं वह होंगे, कोई न कोई है।

इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार ने देखा कि जो माइग्रेटिंग वर्कर्स एक्ट, 1979 है, क्या उसके तहत यह मजदूर रजिस्टर्ड थे? इस बात की कोई सूचना न राज्य सरकार के पास है, न उस फैक्ट फाइण्डिंग कमेटी ने इस बात की तरफ तवज्जोह दी। ठेकेदार अग्रवाल, जिसने ठेके पर यह बिल्डिंग बनाई, उस अग्रवाल ने कांट्रैक्ट एक्ट के तहत उन मजदूरों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और इस तरह से मजदूर लगा रखे थे। रायसर प्लाजा जिस जमीन पर बना है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, वास्तव में यह किसके नाम से दर्ज है क्योंकि पास में जो आनन्द चैम्बर्स बना हुआ है वह आनन्द चैम्बर भी इस ठाकर के नाम से दर्ज है और इस ठाकर ने कुछ लोगों से मिलकर उसका निर्माण करवाया। बिल्डिंग आवासीय भूमि पर बनाई और उसको कामर्शियलइज कराके उसके अलग-अलग ब्लाक बेच दिये। तो इस लिहीजे से वास्तव में यह जमीन किस खसरा नम्बर में है? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक संवत 1925, शीट नम्बर 44, तोपखाना देश जो यहां चांदपोल में दर्ज होता है पहले, उसमें यह रावल रघुनाथ के नाम से दर्ज है, 308 से लेकर 328 तक, क्या यह सही है? क्या उन खसरों के अतिरिक्त सरकारी भूमि पर रायसर प्लाजा बनाया जा रहा था? क्योंकि 352 से लेकर 355 तक खसरे सरकारी हैं। 355 का खसरा उसमें तकिया राज के नाम से दर्ज है। अभी तक जो रिकार्ड है संवत 1925 का उसमें वह राज के नाम से दर्ज है। यह जो मेन बिल्डिंग है, क्योंकि यह बिल्डिंग जहां बनाई जा रही है इस रिकार्ड में इसका नक्शा आवासीय बिल्डिंग के नाम से दर्ज हुआ है और चतुर्वेदी ने सबसे पहले जो इसको आवासीय भूमि से कामर्शियल भूमि के लिये रिपोर्ट की उस रिपोर्ट में सिर्फ यही लिखा है, क्योंकि आनन्द चैम्बर्स इसके पास बन गया इसलिये इसको दे दी जाय। मेरा एक प्रश्न यह है कि नगर नियोजक जो हैं, उसकी राय इसमें क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जो टाउन प्लानर है उसने यह राय दी है, 1970 से लेकर 1991 तक इस सारे स्थान में कोई भी जगह आवासीय से कामर्शियल नहीं बनाई जाय। पिछले वर्ष मतदाता मण्डल ने एक शिकायत की। उनकी शिकायत पर एक नोटिस दिया गया 266 में। 266 का नोटिस यह दिया गया कि इसको तोड़ दिया जाय। इसको बाद में करेक्ट किया गया और करेक्ट करके इस बिल्डिंग के चार लाख छियासी हजार रुपये उनसे भरवाये गये। जमीन की मिल्कियत जब डिस्प्यूटेड थी और मतदाता मंडल ने

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इसकी शिकायत की कि यह वास्तव में सरकारी जमीन पर बन रहा है तो फिर 355 नम्बर खसरा जो है वह सरकारी जमीन का है। मैं उस बिल्डिंग को खुद देख कर आया हूं, अभी भी इसके आगे एक कुआं है और कुए के पास एक पीपल का पेड़ है। वहां का जो मोहल्ला है और मतदाता मंडल है वह सारे कहते हैं कि यहां पहले नई का नहान किया करते थे, औरतें यहां पर स्नान किया करती थीं, सार्वजनिक स्थल था। वह सारा सार्वजनिक स्थल है, वह इन्होंने घेर कर, बीच में अपने मकान के साथ-साथ उसको घेर कर बिल्डिग बनाई, क्या इसकी भी इन्क्वायरी सरकार ने करवाई? इसके बाद इस बात पर सबसे पहला एतराज नरपतसिंह भंडारी ने, जब वहां प्रशासक थे, किया टाइटल का। टाइटल के ऐतराज की कोई इन्क्वायरी नहीं हुई? बिना इन्क्वायरी के ही उसकी कन्वर्शन फीस भरवा ली गई। इसके बाद इस सरकारी भूमि की जो कीमत है उसको नहीं आंका गया। किसी ने यह नहीं देखा कि कितनी जमीन है। एक रिकार्ड ओवरसियर जो आनन्दीलाल है उसने रिपोर्ट दी और उसने यह फैसला दिया, इसकी उस वक्त तक चार मंजिलें बन चुकी थीं। चार मंजिल बनने के बाद पिक्चर में हमारी नई सरकार आती है। चार मंजिल से पहले यह बिल्डिग जिन लोगों ने बनवाई उन लोगों में सात लोग शामिल थे। तीन उस राजपूत परिवार से, रायसर ठाकुर के परिवार से, एक चेतसिंह, रणबीर सिंह और फूलकंवर, इन तीनों का वह जमीन का टुकड़ा था और चार इसमें सेठ मिले, विमल, कुशल यह दोनों सुराणा परिवार से हैं जो जयपुर का करोड़पति परिवार है, यह इसमें शामिल रहा। रामदास सौंखिया और विमल दास सौंखिया यह दोनों नेता जो हैं, नई सरकार के नेता थे जो इसमें शामिल थे। इन चारों ने मिलकर, जब तक यह चलता रहा उस वक्त भी पिक्चर में रहे। वह दोनों विमल सुराणा और कुशल सुराणा और उन्होंने 11 नोटिस के बाद भी इस चीज को जारी रखा। इस रायसर प्लाजा की जो पार्टनर सब डीड है, क्या राज्य सरकार ने इस बात की कोशिश की, माननीय मंत्रीजी ने अभी स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में यह नहीं आया कि इनकी जो पार्टनर सब डीड है उसमें क्या लिखा है, किस तरह से यह पार्टनर्स बने। यानि यह तीन लोगों की जमीन थी, कुछ हिस्सा इनका है उसमें, बाकी जो चारों सेठ हैं वह इसमें किन शर्तों पर शामिल हुए, किस तरह शामिल हुए और इनका क्या डीड था?

दूसरा इसमें यह है कि यह जो आवासीय बिल्डिंग है इसके अन्दर 700 कमरे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि किसी बिल्डिंग में 700 कमरे हों और उसको आवासीय बिल्डिग मान लिया जाय और आवासीय बिल्डिग के नाम से उसकी चार मंजिलें बन जायं। चार मंजिल उसकी बन गई और 700 कमरे बनते रहे। इसके बाद इस मामले में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मुझे सबसे बड़ा एतराज यह है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया उस मुकदमे के तहत सिर्फ दो इन्जीनियर ही गिरफ्तार हुए। यह सही है कि मुकदमा सबके खिलाफ दर्ज करवाया गया पर पुलिस ने और प्रशासन ने इस तरह की ढील दी कि इसका कोई भी सेठ गिरफ्त में नहीं आये। निश्चित रूप से ऐसी अगर घटना हो, जो उसका मालिक है, जो उसका कान्ट्रेक्टर है वह कोई भी पुलिस की गिरफ्त

(श्री हेतराम बेनीवाल)

में नहीं आये, वह जो दो जूनियर इन्जीनियर इसको बनाने वाले सिर्फ वह दो ही गिरफ्तार हुए, बाकी ने ऊपर से जमानत करवा ली और वह कोर्ट से इंटरिम वेल, एन्टीसिपेटरी बेल करवाने में कामयाब रहे, मैं समझता हूं, इसमें भी जिस तरह प्रशासन पहले मदद करता रहा उस सरकार में रहकर उन लोगों की, आज से प्रशासन ने भी वही नीति अपनाई।

इसमें एक सवाल जो है वह यह कि जांच करने वाले जो लोग हैं इसमें, निश्चित रूप से इस सारी घटना में बहुत बड़े-बड़े अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने इसकी परमिशन दी और उसकी जांच करने वालों में उनमें से भी एक को सौंप दिया गया है। एक पी. डब्ल्यू. डी. का एस. ई, एक म्यूनिसिपैलिटी का कमिश्नर और एक ए. डी. एम.। जिसमें पांच मजदूर मारे गये, जिसमें एक बिल्डिंग का सवाल नहीं, भंवर लालजी ने सही बात कही है कि जयपुर में एक रायसर प्लाजा नहीं बहुत से प्लाजा हैं और जिस प्लाजा का उन्होंने जिक्र किया है वह प्लाजा तो केन्द्रीय प्लाजा है, बलदेवजी का प्लाजा है, वह केन्द्रीय सरकार का प्लाजा है वह तो जब केन्द्र सरकार में सत्ता में थे तब का बनाया हुआ प्लाजा है....

श्रीमती उजला अरोड़ा: क्या केन्द्रीय सरकार की बात कर रहे हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल: मैं आपकी सरकार की नहीं, जो पहले के हैं निश्चित तौर पर अबके इस तरह के 44 प्लाजा हैं जयपुर शहर में। तो इस तरह की घटना हो जाय और बड़े-बड़े असरदार करोड़पति लोग सम्मिलित हों और इसकी जांच एक ए. डी. एम, एक एस. ई. और एक मामूली कर्मचारी करे जिसमें 15-15 नोटिस देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। निश्चित तौर पर यह बात सही नहीं रही। इसको देखा जाय। दूसरी बात, बिल्डर्स जो थे जिनको 12 नोटिस दिये गये उन पर क्या कार्यवाही हुई यह बात स्पष्ट सदन में आनी चाहिए कि यह किस तरह के नोटिस थे कि नोटिस जांच उनमें लिखा हो कि मकान को तोड़ दो, रोक दो। फिर भी नहीं रुके।

एक बात जो राजस्थान के अखबारों में छपी कि 1945 में क्या यह सही है कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जयपुर स्टेट के मिर्जा इस्माइल उन्होंने इसको सरकारी घोषित कर दिया था रायसर ठिकाने के स्थान को और इसके चारों तरफ जो चहार दीवारी बनी हुई थी उसको तुड़वा दिया। यह 13992 वर्ग फुट जगह उस रेकार्ड में दर्ज है। उस जगह को साफ करवा दिया और डिक्लेयर कर दिया कि यह सरकारी जगह है। उसके बाद 1947 में शहरी भूमि का बन्दोबस्त हुआ उसके रेकार्ड में भी यह सरकारी जगह है। रायसर ठिकाने की जगह नहीं है।। 31 मार्च, 1951 तक यह भूमि राज्य सरकार की मानी गई। क्या वजह है कि 1951 के बाद किस तरह तरह से यह मालिक आ गये। किस तरह से उन्होंने कब्जा किया और आज यह प्लाजा खड़ा कर दिया? स्वायत्त शासन सचिव ने 7-2-89 को इसका निर्माण बन्द कर करवाया, यह नोटिस दिया कि इसको तोड़ दिया जाय और उसी ने 22 फरवरी को नोटिस दिया, कि इसको चालू रखा जाय और पैसा भरवा लिया जाय। क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें स्पष्ट बात नहीं हुई कि क्या उन उच्चाधिकारियों के

(श्री हेतराम बेनीवाल)

खिलाफ जिन्होंने इस तरह का नोटिस दिया कि इसको तोड़ दिया जाय और जब टूटने के लिए इसकी व्यवस्था की गई तब उन मालिकों से मिलकर चुपचाप नोटिस दे दिया कि इसका पैसा भरवा लिया जाय। उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे यह स्पष्ट नहीं है। मैं उनके नाम बता दूं आर. के. चतुर्वेदी, सतर्कता आयुक्त कर्नल बहादुर सिंह, विपिन चतुर्वेदी, आनन्दर्शी चौहान, एन. एस. भण्डारी और पशुपतिनाथ सिंह। यह सारे अधिकारी वही हैं जिनके दस्तखतों से नोटिस गये हैं, जिनके यहां से जांच गई है और उन्होंने आदेश दिया है। क्या राज्य सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ करने की मन्शा रखती है ? और मैं सबसे बड़ी बात इस मामले में कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो उन परिवारों को मुआवजा दिया है जिनके पांच मजदूर मर गये और पांच में से चार बाहर के प्रान्त के थे। यह समझ कर कि वह किसी दूसरे प्रान्त के थे, निश्चित रूप से उनके लिए न कोई जलसा हुआ न बन्द हुआ न सरकार पर कोई दबाव डाला गया जिस प्रकार से दूसरी घटनाओं में डाला जाता है। राज्य सरकार ने मात्र 5-5 हजार रुपये देकर निश्चित रूप से उन परिवारों के साथ अन्याय किया गया है जिसमें वह पांच मजदूर मारे गये।

मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि यह जो मेरे प्रश्न हैं उनका जवाब देते हुए माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिल्डिग्स यहां बनी हैं उनके बारे में आपकी क्या नीतियां हैं और इस बिल्डिग के बारे में राज्य सरकार क्या करने का इरादा रखती है कि इसकी जांच करवाई जाय, यह भूमि सरकारी है या व्यक्तिगत है और क्या राज्य सरकार इसकी भी जांच करवाएगी कि किस तरह से आवासीय मकान बनाकर, आवासीय प्लाट बनवाकर कुछ जुर्माना भर कर बहुत बड़े लोग, इस तरह के पूंजीपति लोग जो हैं, अगर सरकार वाकई इसको कामर्शियल के आधार पर दे तो वाकई यह वह जगह है जहां दस हजार रुपये दर गज की रेट है। दस हजार से ज्यादा होगी। वह जगह इस तरह से मामूली सी रकम सरकार को देकर उन्होंने भूमि को ले लिया। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इसकी जांच करवाएगी और उन लोगों को निश्चित रूप से दण्ड देगी और उन मालिकों को भी।

मुझे एक बात और यहां कहनी है, मैंने उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस के नेता इसलिये दिलचस्पी रखते थे कि विमल सुराणा और कुशल सुराणा हैं और इधर के सत्ता में बैठे हुए लोग निश्चित रूप से इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि रामदास सौंखिया और विमल दास सौंखिया दोनों के दोनों बी. जे. पी. के नेता हैं और उनकी वजह से ही इनको तीन-तीन नोटिस मिलने के बाद भी बिल्डिंग नहीं रुकी। जो देरी कांग्रेस के राज में हुई और कांग्रेस के राज में नोटिस देकर के बिल्डिग जिस तरह से तैयार करवाई, आपके राज में भी 5 महीने तक यह बिल्डिंग बनती रही जो गैर कानूनी थी और गैर कानूनी बनने के बाद यह दुर्घटना हुई और म्यूनिसिपल कौंसिल को पता लगा। मैं समझता हूं इनका स्पष्टीकरण करेंगे और मेरे इन आरोपों का जवाब मंत्री महोदय देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, 7 मार्च को मुख्य मंत्रीजी ने पद सम्भालने के तुरन्त बाद एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया था ।

श्री सम्पतसिंह : अखबार नहीं पढ़ते क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्यों क्या दिक्कत है ? अखबार में है—"राजस्थान में सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कब्जों और अवैध निर्माण को रोकने के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही एक नया कानून लाने जा रही है बहुत सम्भव है कि यह कानून राज्य विधान सभा में अगले सत्र में पेश किया जाय । प्रस्तावित कानून में अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों को संगीन अपराध घोषित किया जायगा और तब सम्बन्धित मुकदमे की संक्षिप्त सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी । कानून में इस बात का प्रावधान भी होगा कि जिस जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया है उस पर मालिकाना हक भी काबिज को ही सिद्ध करना होगा । अवैध कब्जा करने वाले के अलावा उस पर अवैध निर्माण में सहयोग करने वाले कारीगर अथवा ठेकेदार की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी । मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने शासन सचिवालय में आज शाम तुरत-फुरत बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य मंत्रिमंडल में प्रदेश के शहरों, कस्बों और गांवों में होने वाले अवैध कब्जों तथा निर्माणों को कड़ाई से रोकने का फैसला किया है । उन्होंने जनता से अपील की कि वे अवैध कब्जे व निर्माण बन्द करें क्योंकि किसी भी कीमत पर इन कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । इन पर लगने वाला पैसा भी उनका बर्बाद जाएगा । उन्होंने बताया कि यदि निर्माण नियमानुसार पाये गये तो उन्हें अवश्य नियमित किया जाएगा । नया कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है और कोशिश की जा रही है कि राज्य विधान सभा के अगले सत्र में इसे पेश कर बहस कराई जाये । चूंकि विधान सभा का सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण करिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, यह मौजू था कि आर्डिनेन्स आप इसलिए प्रोमलगेट नहीं कर रहे हैं कि सेशन बुलाया जाने वाला है । तो सेशन भी निकल गया । उन्होंने कोई कानून बनाया नहीं । क्योंकि आपकी खुद की राय के हिसाब से कानून की आवश्यकता थी । उसके बाद यह दूसरा सेशन भी आ गया इसमें भी आपने आर्डिनेंस प्रोमलगेट किया नहीं । अभी जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसमें ऐसा कोई मामला, बिल जिसमें कोई इस तरह का कानून बनाने जा रहे हों, ऐसा कोई है नहीं । आपने प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई क्योंकि आपने अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया था । आगे और लिखा है कि आदेश दे दिये हैं इसलिये कि इन्होंने डेड लाइन तय कर दी कि फलां तारीख तक निर्माण को वैध कर देंगे ।

सभापति महोदय, मैं इसमें निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी इसको चेकअप कर लें कि उनकी इस घोषणा के बाद में प्रदेश में अतिक्रमण की रफ्तार दूनी हुई है । आपकी मंशा जो थी उसको

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आपने ट्रांसलेट नहीं किया, कानून नहीं बनाया। अव्वल तो मेरी निजी राय में जो वर्तमान कानून है वही डील-विद करने के लिए एडेक्वेट, बिल्कुल सफिसियेंट है उसमें कोई कमजोरी है तो प्रशासकीय कमजोरी है। इसलिए एक तो आपने आज तक क्या किया और दूसरा मंत्रीजी का वक्तव्य भी पूरा जनरल स्टेटमेंट है। यह रायसर प्लाजा की दुर्घटना अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। परन्तु ऐसी दुर्घटना की आशंका हर इस प्रकार की इमारत के अन्दर रहेगी और यह रोग जयपुर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण का भी ज्यादा बढ़ गया है। इस पर्टिकूलर केस में मैं पूछना चाहता हूं। किस रोज यह स्वीकृति जारी हुई है। '25-3-88 को स्वीकृत हुआ और 28-7-88 को नोटिफाई किया यह पहले 16-1-88 को इसने यह लिखकर दिया कि टाइमली इसे परस्यू क्यों नहीं किया तो उन्होंने यह लिखकर दिया कि साहब अब शुरू कर रहे हे इसके बाद इनको नोटिस दिया तब रेजिडेंसियल काम्लेक्स के लिये इसका नक्शा पास किया और कार्मशियल काम्पलेक्स बनाया है इन्होंने। सभापति महोदय, भवन निर्माण के पश्चात् यह तथ्य प्रस्तुत किया जाता है कि यह नक्शा वेस्टेज होगा। इसका काम भी कम्पलीट हो गया, इसकी बिल्डिंग भी खड़ी हो गई। मैटीरियल का नुकसान होगा। नेशनल रिसोर्सेज का होगा लेकिन दो रेजिडेंसियल काम्पलेक्स, यह कार्मशियल काम्पलेक्स बनाया आपको यह पता क्यों नहीं। तब तो इनके हाथ में था। एक तो बनी बनायी बिल्डिंग को डेमोलिस करना और बनते ही निर्माण को रोकना। फिर अभी भी माननीय श्री हेतराम जी कह रहे थे कि ग्राउण्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सैकण्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की अनुमति प्रदान नहीं की गई। सभापति महोदय, लेकिन थर्ड फ्लोर भी बनी है। अब इसके विवाद में नहीं फंसना चाहिए कि कांग्रेस का शासन था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था। इतनी छोटी-छोटी बातों को मैं नहीं समझता कि कांग्रस के मुख्य मंत्री भी तब करते होंगे वर्तमान मुक्य मंत्री भी तय करते होंगे लेकिन निश्चित रूप से कुछ अधिकारी और कुछ लोग जिम्मेदार होंगे उसके जो थर्ड फ्लोर बनी उस वक्त। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। आपके वक्त में भी बनी है फोर्थ फ्लोर इस वक्त। तो इन्डीविजुअल में चूंकि यह प्रेस कांफ्रेंस में आपने कहा था। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा मंत्रीजी से आपने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है वह कौनसे सैक्शन में दर्ज करवाई है यह जो एफ. आई. आर. दर्ज करवाई है न आपने कौनसे सैक्शन मे दर्ज करवाई।

श्री भंवरलाल शर्मा : 304 और 308 में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दूसरा सवाल यह आता है कि उन इन्जीनियर्स के खिलाफ और बाकी की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई और मुकदमें की क्या प्रोग्रेस है ? हालांकि अभी आप लोकल सेल्फ गवंनमेंट के मिनिस्टर हैं आपका यही जवाब होगा लेकिन मैं समझता हूं कि वह इश्यू बिल्कुल क्लीयर था जब लिस्ट आफ बिजनस के अन्दर मंत्री जी का स्टेटमेंट फिक्स हुआ था। तब क्लीयर था कि यह पूरा मसला रायसर प्लाजा के ऊपर है। स्टेट बनाम रायसर प्लाजा का जब आपने मुकदमा दर्ज करवाया तो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

निश्चित रूप से यह सवाल भी खड़ा होगा और अन्त में मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी अब आप किस प्रकार की सख्ती से कैसे निपटना चाहते हैं How far do you stand by your statement that you have made in the Press Conference ? और उसको आप कैसे करना चाहते हैं और सदन में भी अभी सैशन चल रहा है। जो आप कानून पास करवाना चाहें। वैसे ही आपको सब पावर्स हैं। और यह भी नहीं सोच सकते कि सदन उसका अनुमोदन नहीं करेगा। वर्तमान कानून भी कई हैं आपके यह सिर्फ आपकी विल पावर होनी चाहिए और विल पावर जो है सजा की तो दोषी को सजा मिलेगी यह कहने से तो पार पड़ेगी नहीं। माननीय सभापति महोदय, दोषी को आप सजा देंगे। सजा वो कोर्ट देती है। आपने जो चालान किये हैं वे सब इन-डिफेक्टिव हो जायेंगे अगर आप सख्ती नहीं बरतेंगे तो सजा देने का काम तो होना है नहीं। लेकिन दोषी को आप पकड़ पाये और आप चालान कर पाये, कार्यवाही कर पाये तो भी पर्याप्त होगा और अन्य जो डिमोलिशन के जो पावर्स आपके पास हैं। एक इसके अन्दर कम्पाउण्ड करने के उसके अन्दर रूल्स बने हुए हैं। सभापति महोदय, वहां पर जे. डी. ए. के अन्दर तो उन्होंने रूल्स बना दिये। परन्तु इसकी रिजर्व प्राइस रेजीडेंसियल काम्पलेक्स की अगर, रेजीडेंसियल काम्पलेक्स को कामर्शियल काम्पलेक्स में इस्तेमाल करें तो रिजर्व प्राइस रेजीडेंसियल काम्पलेक्स की और कामर्शियल काम्पलेक्स के रिजर्व प्राइस के डिफरेंस का 25 पर्सेन्ट या 20 पर्सेन्ट है इस तरह का जे. डी. ए. ने डिसाइड किया है। उसको भेज दिया आज म्युनिसिपैलिटी के अन्दर वह शायद सात लाख पैंतालीस हजार या सात लाख चालीस हजार है। तो 27 करोड़ रुपये वाला तो कोई तर्क ही नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि अगर बोरो करके उसको अन्दर करवा देंगे तो वह कोर्ट में क्यूशन कर देगा और वहां आपका आर्डर फस हो जाएगा। इसलिए बैटर यही है, मेरा यह कहने का अभिप्राय कतई यह नहीं है कि आप न करें, आप इससे भी ज्यादा ओवर पेनल्टी लगा सकते हैं तो आवश्यक संशोधन आप करके या खुद की लिस्ट बनाकर म्युनिसिपैलिटी में लागू कर फिर करें लेकिन पूरा और फाइनल एक्शन होना चाहिए। यह जो एक मनोवृत्ति है पुराने वक्त से, चली आ रही है इस विषय में सभापति महोदल, जो सम्बन्धित कानून और रूल्स हैं वह आज ओब्सोलीट हो चुके हैं। वह वर्तमान में समय और परिस्थितियों के हिसाब से उसका सामंजस्य नहीं है। और यह पचास रुपये कम्पाउण्ड फीस के, पचास रुपये की कोई फीस होती है। उसका एक्स्ट्रा दो सौ रुपये ढाई सौ रुपये के अन्दर आज लाखों करोड़ों रुपयों की प्रोपर्टी हो गई प्रोपर्टी का डेपरीसेशन हुआ हैं। उस सब में तामील करने की जरूरत है नहीं। न उसको अनाउन्स करने की जरूरत है। जो मै निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि मंशा कम्पाउण्ड करने की नहीं होनी चाहिए। कम्पाउण्ड करने की मंशा अगर हमारी होती है तो हर जो आदमी है जो कानून का उल्लंघन करने वाला है वह किसी आधार पर आगे चलता है। किसी बात को मौखिक रूप से लेकर आगे चलता है कि अपने को

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कम्पाउण्ड करने में कितना पैसा लगेगा। बैटर है कि वैल्यूज कन्सीडर होनी चाहिए। इन सब मुद्दों पर अगर माननीय मंत्रीजी विचार करेंगे और योजना बनायेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो तथ्य दिये हैं या जो चिन्ता व्यक्त की है वह सब की चिन्ता है। माननीय हेतरामजी ने जो तथ्य दिये हैं जो करीब-करीब मेरे हिसाब से मिलते हुए तथ्य हैं कुछ आपने और अधिक बात कही है आपने एक प्रश्न यह किया है कि उसका मालिक कौन था ? यह रिकार्ड मैंने भी देखने की कोशिश की है फाइल पर इसमें सिटी सर्वे का जो रेकार्ड है और उसकी जो मिसल है उसके ऊपर लिखा हुआ है 'अतियात'। और यह अतियात बड़ा उर्दू का शब्द है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अतीयात मिन्स गवर्नमेंट लैण्ड।

श्री भंवरलाल शर्मा : Yes, It is a matter of interpretation

श्री हेतराम बेनीवाल : दान में दे दिया।

श्री भंवर लाल शर्मा : अता मिन्स दान में दे दिया। मुझे सूझा कि अता मानी दान देना। अतियाराज यही है। अतियाराज का मतलब होता है दान में दी हुई जमीन जो मुझे दान में दी जाती है तो मैं उसका मालिक बन जाता हूं लेकिन फिर भी आपने यह बात कही है कि शायद मालिक नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अतियाराज और रावल छाकर।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, यही इसमें है। अतियाराज चिड़ावा राय से....।

श्री हेतराम बेनीवाल : 355 जो है उसके एक्सक्लूजिव में कुछ नहीं लिखा। इसमें खसरा नम्बर कई है। माननीय मंत्री महोदय जो खसरा नम्बर अलग-अलग हैं, उनके अलग-अलग मालिक हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपकी बात को डिस्प्यूट नहीं करता। इसमें जो लिखा है वही निवेदन कर रहा हूं फिर भी आप कहते हैं कि अतियाराज जो जमीन है, उतनी है। उससे अधिक भी होगी उनके पास में। यह जांच का विषय है, हम कुछ छिपाना नहीं चाहते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उर्दू का कोई ट्रांसलेटर नहीं मिला क्या आपको ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मिल गया न। अतिया मिन्स अता। अतियाराज मैं कह रहा हूं न आपको।' यह जो आपका जो इन्टरप्रिटेशन है वह नहीं हैं कि सरकारी। अतियाराज का मतलब है....।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो आपका ओथेन्टिक ट्रांसलेशन है वह बताने में आपको दिक्कत क्या है ? अतियाराज मिन्स ग्राण्टेड बाई गवर्नमेंट।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नहीं है बतलाया न आपको। माननीय श्री हेतराम

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जी भी क्लेम नहीं करते । मैं भी क्लेम नहीं करता । कोई भी क्लेम नही करता इस सदन में ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप ओथेन्टिक बतायें । अतियाराज का मतलब है ग्राण्टेड बाई दी गवर्नमेंट....।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही कह रहा हूं मैं आपको । अता किया हुआ ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह जो गवर्नमेंट का ट्रांसलेशन है वह सही है तो आप यह ढीला ढीला जवाब क्यों देते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ढीलाढाला क्या होता है ? सुनने वाला ढीलाढाला होगा, मैं तो ठीक ही कह रहा हूं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपको अर्ज कर दूं कि वे इन्ट्रेस्टेड हैं यह बात समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गई क्योंकि अतियाराज यह बतलाते हैं मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो मैंने 1945 के जो फैक्ट्स बतलाये हैं वह भी आप वेरीफाई करवा लीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : देख लेता हूं, उसको दिखवा लेता हूं....।

श्री हेतराम बेनीवाल : क्या मिर्जा इस्माइल ने इसको डिसमेंटल करवाया था और किस कारण से करवाया था...।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने जो तथ्य रखे हैं, जो एक्सट्रा दिये हैं उनको भी दिखवा लेते हैं और जहां तक इसके लिए कानून बनाने का सवाल है आपने एक अखबार पढ़कर बतलाया माननीय श्री सुरेन्द्र जी, सरकार की मंशा निश्चित यह है कि इस प्रकार के कामों को रोका जावे और भविष्य में कोई न करे इसके लिए सख्त कानून बना दिया जावे । अभी वर्तमान में जो कानून है वह इतना मजबूत नहीं है । इसको हटा देंगे तो क्या हुआ, जल्दी ही बना देंगे आप चिन्ता क्यों करते हो । आपको बनाना हो तो पहले ही बना लो, नहीं तो कानून बनने वाला है । जल्दी बन जाएगा यह तो । आपका यह जो प्रश्न है....।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये आपके चीफ मिनिस्टर हैं, पब्लिक को नोटिस दिया है नोटिस देने की आदत पड़ गई है आपकी....।

श्री भंवरलाल शर्मा : अतिक्रमण जितना करवाना हो उतना कर लो । अवैध निर्माण करवाने हैं करवा लो । यह केवल व्यक्तिगत अनुमति दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे मित्र हैं । मैं समझता हूं कि आपने जो नोटिस दिये हैं, उन नोटिसों की पालना नहीं हुई । यही मैं कह रहा हूं आपको । नोटिस देने के बाद भी रोका नहीं वह काम चलता गया । यह सब जांच का विषय है और आपने जो तथ्य दिये हैं उनकी भी जानकारी करके मुकम्मल रिपोर्ट इसकी तैयार करके जिसके भी खिलाफ करना है निश्चित करेंगे किसी को भी बक्शा नहीं जायेगा । और इसमें बी. जे. पी. का आप कहते हो कि कोई पदाधिकारी नहीं है । आपको जो भ्रम है वह श्री रामदास अग्रवाल से है वे दूसरे हैं वे वह नहीं है ।

श्री सभापति : कटौती प्रस्तावों पर अब चर्चा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब तो वक्तव्य आना था, जोधपुर में वर्षा के ऊपर अकाल सहायता मंत्री का....

श्री बुलाकीदास कल्ला : जोधपुर में कई लोग मरे हैं....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जोधपुर में असाधारण वर्षा से, सौ साल के अन्दर जो वर्षा हुई है, 11 आदमी जोधपुर के अन्दर मर गये। बड़ी खुशी का विषय है कि बरसात हो रही है। अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि आज ही इसके ऊपर वक्तव्य देंगे क्योंकि यह एक चिन्ता का विषय है।

सभापति महोदय, यह एक प्रसन्नता का विषय है कि पूरे प्रदेश में व्यापक बरसात हो रही है और साथ ही यह भी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : चिन्ता का विषय है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : महावीर प्रसादजी, कभी गम्भीर रहना भी सीखो। सभापति महोदय, यह भी एक चिन्ता का विषय है कि जोधपुर शहर के अन्दर मंगलवार के दिन 339 मिलीमीटर बरसात हुई, अभी लगातार जारी है। 425 मिली मीटर कुल मिलाकर हो गई और 11 आदमी मर गये। पांच आदमी जीप में मरे, पांच एक दफा मरे। अब कितने मरे, कुल मिलाकर, वहां पर रिपोर्ट यह है कि प्रशासन की पूरी जगहों पर पहुंच नहीं हो पाई है तो इसकी गम्भीरता को देखते हुए अनावश्यक बिना कोई जानकारी के, मैं अभी सीधा कोई आरोप लगाने वाली बात नहीं कह रहा हूं, परन्तु चिन्ता का विषय है इसलिए इसकी जानकारी करना चाहता हूं। सदन भी इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है इसलिए अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि आज इस पर वक्तव्य दिला देंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि एक वक्तव्य दिला दें तो कम से कम हमको एक जानकारी तो मिल जाय कि क्या रिलीफ आपरेशन्स चल रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है या नहीं है, क्योंकि यह गम्भीर विषय है। अध्यक्ष महोदय ने खुद ने आज के लिए कहा था।

श्री डूंगरराम पंवार : प्रकृति का विरोध मत करो, बरसात बन्द हो जायेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, यह जो कुछ हुआ है और जिस तरह का मौसम है, मौसम विभाग के कार्यालय ने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वक्तव्य दे रहे हैं न।

श्री प्रेमसिंह वहिया : सभापति महोदय, जालोर रोडवेज की बस भी गिर गई नदी में, उसकी क्या स्थिति है, वह भी बता दें वक्तव्य में।

श्री सभापति : मंत्री महोदय वक्तव्य दे रही हैं इस विषय पर।

राज्य में वर्षा से जन-जीवन की हुई हानि

सुश्री पुष्पा जैन (अकाल राहत मंत्री) : सभापति महोदय, इस वर्ष मानसून की वर्षा सर्वप्रथम 28 जून को कोटा डिवीजन तथा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं डूंगरपुर जिलों में

(सुश्री पुष्पा जैन)

आई। जुलाई तक लगभग समस्त राज्य में मानसून पहुंच गया जो कि निर्धारित समय पर आया हुआ माना जा सकता है। इस प्रकार राज्य में कुल 27 जिलों में से 17 जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बरसात जून माह के दूसरे पखवाड़े में हुई। जुलाई माह के आरम्भ में ही कुछ जिलों में अधिक वर्षा हुई। चूरू जिले में दिनांक 2 जुलाई को रामगढ़ तहसील के सिद्धमुख गांव में तीस मकान बरसात से गिरे एवं पच्चीस मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन मकानों में रह रहे व्यक्तियों को तत्काल स्थानीय धर्मशाला में ठहराने का जिला प्रशासन द्वारा प्रबन्ध किया गया। इसी प्रकार राजगढ़ में 40 कच्चे मकान अधिक बरसात से गिर गये परन्तु इन स्थानों पर कहीं से कोई जान या माल के नुकसान होने की जानकारी नहीं मिली है।

जोधपुर में दिनांक 2 व 3 जुलाई को लगभग 340 मिली मीटर वर्षा हुई, जो इस जिले की सामान्य वर्षा की तुलना में अत्यधिक थी। इस बरसात से जोधपुर शहर के निचले हिस्से में पानी भर गया जहां पम्पिंग करके पानी निकलवाया गया। वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इन व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था भी की गई। इस बारे में सेना से भी मदद ली गई जिसका सहयोग प्रशंसनीय रहा। सेना वर्तमान में भी इस सम्बन्ध में सहायता कर रही है। जोधपुर शहर में कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बिजली व पानी की सप्लाई में व्यवधान पड़ा जिसकी शीघ्र व्यवस्था करके सप्लाई मेन्टेन की जा रही है। जोधपुर शहर के निकट मसूरिया पहाड़ी क्षेत्र में भी वर्षा से कुछ मकान गिर गये। मकान गिरने से पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ऐसी भी खबर मिली है कि छह व्यक्ति जोजरी नदी में वाहन पार करते समय बह गये।

सभापति महोदय, जिस समय यह स्टेटमेंट मैंने बनाया उस समय मेरे पास ऑफिसियल जानकारी नहीं आई थी लेकिन मैं स्वीकार करती हूं कि छह व्यक्ति उस जीप में मारे गये। पहले जो पांच व्यक्ति हैं उनके सम्बन्धियों को पांच-पांच हजार रुपये की सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को एक हजार रुपये की नगद सहायता दी गई है। जोधपुर से उदयपुर जाने वाली बसें चल रही हैं लेकिन

(4.45 म.प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पाली और बाड़मेर जाने वाले मार्ग बन्द हैं। जोधपुर के निकट मैथानियां क्षेत्र में दाजलिया के भांकरे में कुछ स्थानों पर पानी इकट्ठा होने की सूचना मिली है और वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थलों पर ले जाया जा रहा है। आज सुबह वायु सेना के हैलीकॉप्टर्स द्वारा जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने मथानियां क्षेत्र के भांकरी गांव का हवाई सर्वेक्षण किया जहां दस-पन्द्रह कच्चे मकान पानी से घिर गये हैं। क्षेत्र के निवासियों के लिए वायु सेना के हैलीकॉप्टर से खाने के पैकेट्स पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

सिरोही जिले में सिरोही तहसील के कमेड़ी बांध टूटने के समाचार मिले हैं।

(सुश्री पुष्पा जैन)

जिला प्रशासन ने ओट, मडवाड़ा गांव के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की है। इस जिले में पिछले तीन दिनों में लगभग दस इंच- बरसात हुई है।

जयपुर जिले में बस्सी तहसील के चतुरपुरा ग्राम के एनीकट के टूटने के समाचार मिले हैं जिससे तीन-चार मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा और सीकर जिलों में सामान्य से काफी कम बरसात हुई है। अब प्राप्त सूचना के आधार पर तहसीलदार वर्षा के आंकड़ें लेने में संलग्न है व सभी तहसीलदारों को यह हिदायत कर दी गई है कि वह अपने हल्के में, जहां कहीं भी बरसात से नुकसान हुआ है, उसकी तुरन्त सूचना दें और वहां पर राहत पहुंचाने का कार्य करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जालौर, सिरोही जिले, राज्य के जिन-जिन स्थानों से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि वहां की व्यवस्था ठप्प हो गई है, और वहां पर लोगों के मकान गिर गये हैं या अव्यवस्था हो गई है, उनको हैलीकॉप्टर द्वारा इन सारी जगहों पर हमने खाने का प्रबन्ध करवाया है और जिला प्रशासन वहां पर बिल्कुल सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं और वह इन पीड़ित लोगों की पूरी तरह से मदद कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री कल्ला साहब ने अभी-अभी सूचित किया है,हालांकि इनका प्रस्ताव मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन इन्होंने जो मुझे सूचना दी है, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं कि बीकानेर ही नहीं, राज्य में कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना होने की जानकारी देने पर या जानकारी प्रशासन के देने पर हम इस बात के लिए कोई इन्तजार नहीं करेंगे कि वहां पर राहत पहुंचाने के लिए हमें कोई मीटिंग करनी है या कोई योजना बनानी है। तत्काल जितनी भी रिलीफ दी जा सकती है इसके लिए प्रशासन को हिदायत कर दी गई है और प्रशासन सुचारू रूप से इसके लिए पूरी तरह से सक्रिय है। मैं आपको भी विश्वास दिलाती हूं,सूरसागर के लिए आपने मुझे कहा कि अगर हमको भी तत्काल रिलीफ में नहीं लिया गया तो बीकानेर में तबाही आ जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सूरसागर एक ऐसी योजना है, निश्चित रूप रूप से जिसकी टेक्नीकल तौर पर व्यवस्थित रूप से उसकी योजना बनानी पड़ेगी, वह भावी योजना है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसकी योजना बनाते समय आपको भी विश्वास में लेकर जो भी सम्भव हो सकेगा, उसको किया जायेगा।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप सर्वप्रथम ऐसे समय विराजे हो कि पानी, बरसात और सिंचाई पर चर्चा होने वाली है, आप बधाई के पात्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी तरफ से आप कोई विचार व्यक्त कर लें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अभी अपनी तरफ से करेंगे।

श्री सम्पत सिंह : वह तो करते रहेंगे, आप आज्ञा देंगे तो करते ही रहेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में दो-एक सवाल पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत विस्तृत स्टेटमेण्ट था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं स्टेटमेन्ट के सिलसिले में सवाल पूछना चाहता हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि अजमेर में दो आदमी मारे गये....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से मांग संख्या 46 के विचार एवं पारण होने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग संख्या 46 के पारण होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्रीजी, आप यह क्या करवा रहे हो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज आपने यह कहा था कि डिमाण्ड आगे डेफर करवायेंगे। पांच बज गये, प्रेस तो चली जायेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, प्रेस से मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो 1-2-12 बजे तक बैठे हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, यह ठीक है लेकिन आज आपने कहा था कि मांग को डेफर कर देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 2-2 बजे तक बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं, समय का महत्व है। आज चर्चा है इर्रीगेशन पर, आई. जी. एन. पी. पर, इधर बरसात आ रही है, उससे लाभ मिलेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 19 को कर लेंगे डिमाण्ड। आपने खुद कहा था कि आगे डेफर कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, 19 को नहीं।

शासकीय वक्तव्य

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टेटमेण्ट के सिलसिले में दो-एक सवाल पूछ रहा हूं, मंत्रीजी स्पष्ट कर दें।

श्री प्रेमसिंह बहिया : मेरा भी एक सवाल है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक तो जयपुर शहर में आप यह चैक अप करवा लें कि प्रशासन सब जगह पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है। अभी माननीय सम्पत सिंहजी फिर एतराज करेंगे, राजस्थान पत्रिका अखबार में ही छपा है कि जोजरी नदी में पानी भरा है, वहां लोग अपना बचा-खुचा सामान समेटते नजर आये। बरसात के पानी की त्रासदी झेलते इन लोगों का दर्द जानने के लिए

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

प्रशासन अभी वहां नहीं पहुंचा है और इस बात को लेकर बस्ती के लोगों में काफी रोष है। तो आप इसको चैक-अप कर लें क्योंकि कई लो-लाइन एरियाज के अन्दर हो सकता है कि प्रशासन नहीं पहुंच पाया हो।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े शहरों के अन्दर तो फौरन मैसेज ट्रांसमिट हो जाते हैं परन्तु जो छोटे गांव बाढ़ से घिर जाते हैं जिनका कॉन्टेक्ट भी कम होता है उनका कम से कम आपकी रेवेन्यू ऐजेन्सीज से पता लगा लें अन्यथा उन लोगों को तो कोई मदद मिल ही नहीं पायेगी और ऐसे कई गांव हैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, 11 गांव ऐसे हैं जो बरसात से घिरे हुए हैं। आपके स्टेटमेण्ट में शहर का हवाला है। गांव का, ढाणी का हवाला नहीं है। इनके सम्बन्ध में जानकारी करें और व्यवस्था बनायें। यह मेरा सुझाव है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। एक रोडवेज की बस जिसका ड्राइवर शराब पिये हुआ था और बारिश में वह बह गई है,उसमें कितनी जान-माल की क्षति हुई है ? यदि जानकारी हो तो सूचना दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में दो व्यक्ति मारे गये, उनके परिवारों को सहायता दी जाय। इसी तरह नैनवां में 50 मकान गिर गये हैं और भीलवाड़ा क्षेत्र में कोटडी क्षेत्र में भी एक एनीकट टूटने से काफी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपके बाढ़ के नियंत्रण कक्ष हैं उनको प्रभावशाली बनाया जाय और जहां-जहां लो लाइन एरिया हैं उन क्षेत्रों में लोगों को पानी से बचाने के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू किये जायं। जहां तक सूरसागर का प्रश्न है माननीय सदस्य को विधान सभा सचिवालय से मेरा प्रस्ताव भेजा नहीं गया है। जबकि मैंने सुबह के समय स्वयं आकर प्रस्ताव को देकर गया था....

अनेक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदया।

श्री सम्पत सिंह : अब आप सदस्य हैं और वह मंत्री महोदया हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं मंत्री महोदया ही कह रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हमारे छाया मंत्री हैं।

श्री सम्पत सिंह : अब खुशी इस बात की है कि आप सदस्य हैं और वह मंत्री हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने ऐसा नहीं कहा था मंत्री महोदय को प्रस्ताव नहीं मिला। आपका ध्यान कहीं और था।

उपाध्यक्ष महोदय, सूरसागर में 12 मिली मीटर बारिश होने पर यह स्थिति है, कहीं ज्यादा बारिश आई तो बीकानेर का क्या होगा। इतनी सी बारिश होने से सूरसागर के पास चिनानी बस्ती, प्रताप बस्ती और आस-पास के क्षेत्रों में जो पानी फैला है उससे लोग काफी भयभीत हैं और लोग भटक रहे हैं। उसका पानी हमेशा हमारे ऐतिहासिक जूनागढ़ किले में डाल दिया जाता है जिससे उसके रख रखाव को करने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

में कई दिक्कतें आ रही हैं। महाराजा राजसिंह ट्रस्ट से उसका रख रखाव किया जाता है। बहुत पुराना स्मारक है। उसकी खाई में पानी छोड़े जाने से काफी नुकसान हो रहा है। उसमें पिछले दिनों दस लाख की लागत से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात बता दें। यह खाई में पानी कब से डाला जा रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कह रहा हूं पहले से डाला गया है। मैं कोई असत्य नहीं बोल रहा हूं। योजना भी बनी है। प्रशासन गलत डाल रहा है हमने उस समय भी मना किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके मना करने पर भी प्रशासन ने यह काम कर दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : डाल दिया उसके बाद मैंने मना किया मेरे मना करने का प्रश्न नहीं है उसके बाद यह पहली बारिश आई है। पहले उन्होंने डाल दिया था मैंने कहा आइंदा मत डालना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मंत्री थे ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिस समय मैं चीफ व्हिप था, उस समय डाला। मैंने मौके पर अधिकारियों को हिदायत दी कि आइंदा न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिकारियों ने सुना नहीं। आपने जो कहा वह अधिकारियों ने सुना नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब तो आपकी सरकार है वह क्या सुनेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उस समय की कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : घटना हो चुकी थी उसके बाद की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि कई बार आपने इस सूरसागर की वकालत की है, विधान सभा में की है। अब तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। हमने पहले फिलट्रेप बनाया और 10 लाख की लागत से योजना शुरू की उस योजना को आगे बढ़ायें और आप डाइवर्शन चैनल बनाकर उस सूरसागर की समस्या, को हमेशा के लिए जो एक नासूर है, बीकानेर की कचहरी के पास, जहां लोगों का आना जाना बन्द हो जाता है और इस डाइवर्शन चैनल को नहीं बनाते हैं तो गन्दगी और महामारी से बीकानेर के लोग हमेशा परेशान रहे हैं इसलिये उनको परेशानी से बचाइये और जिस योजना को हमने शुरू किया है उस योजना को पूरा करके बीकानेर के लोगों को राहत दीजिए। वर्ना थोड़ी सी बारिश में ही बीकानेर के लोगों को भारी परेशानी हुई है। आने वाले समय में अधिक बरसात होने पर वहां के लोगों के मकान गिरेंगे और लोग वहां नहीं रह सकेंगे।

धन्यवाद।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मेरा सवाल है कि बाढ़ से जो नुकसान होता है उस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट करें। हमारी पड़ौसी सरकारें हैं वह बाढ़ से पीडित लोगों को चाहे फसल का नुकसान हो, चाहे मकान का नुकसान हो, उन्होंने नीति तय कर रखी है, जिन किसानों की फसल तबाह होगी उनको मुआवजा दिया जायेगा। जिन लोगों के मकान गिरेंगे उन लोगों को मुआवजा दिया जाता है और जिन लोगों की बस्ती में पानी भरता है बहुत से ऐसे परिवार हैं और निश्चित तौर पर बड़े-बड़े शहरों के अन्दर हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके मकान पानी से घिर जाते हैं जिनका रोजगार समाप्त हो जाता है क्या राज्य सरकार इस तरह का प्रोग्राम, नीति बना रही है कि ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाय? इस सम्बन्ध में नीति स्पष्ट करें।

श्री अमीन खां : बाढ़ का जहां-जहां भी खतरा है हमारे यहां अभी बरसात नहीं हुई है। उसको पहुंचाने की भी व्यवस्था करें।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी का विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर की स्थिति भयंकर बरसात के कारण बहुत ही दयनीय बनी हुई है मथानिया, रामपुरा, बांदरवा तमाम गांवों का सम्पर्क जोधपुर शहर से कट चुका है और 8-10 फुट पानी वहां जमा हो चुका है प्रशासन की शिथिलता की वजह से लोगों की पूरी सहायता नहीं की जा रही है। ऐसे में मंत्री परिषद् का कोई सदस्य वहां होना चाहिए जहां कम से कम 10 आदमी की मृत्यु हो चुकी हैं और हालत बहुत बिगड़ी हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समय के अन्दर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : पाली से जोधपुर आ रही जीप जोजरी नदी पर जो नाला है वहां पर उलटने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इसको आपने क्लियर नहीं किया, आपने जानकारी नहीं की। क्या जानकारी है वह बता दें।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये है, मैं उनके सुझावों का स्वागत करती हूं और निश्चित तौर पर उन पर और भी ज्यादा मुस्तैदी से विचार करके जिला प्रशासन को सक्रिय बनायेंगे। मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहती हूं कि जोधपुर शहर में जब ज्यादा वर्षा हुई तो मैं स्वयं भी रात को तीन बजे तक सूचनाएं प्राप्त करती रही लेकिन सम्पर्क साधन टूट गये थे, सम्पर्क नहीं हो सकता था, वायरलेस से जैसे-तैसे सूचनाएं प्राप्त करके उसके आधार पर उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्टेटमेण्ट दिया। यद्यपि मैं चाहती थी कि थोड़ा समय मिल जाय तो पूरी विश्वसनीय सूचनाएं आने के बाद यहां बयान दूं लेकिन माननीय सदस्य बहुत उत्सुक थे कि स्टेटमेण्ट आज ही दिया जाय। लिहाजा दिया है। हम किसी तथ्य को छिपाना नहीं चाहते थे। निश्चित रूप से जो मृत्यु हुई है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है, उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, भगवान उनको सद्गति दे। मैं उनको लौटा तो नहीं सकती हूं लेकिन उन परिवारों के लिए राज्य सरकार जितनी अधिक

(सुश्री पुष्पा जैन)

से अधिक मदद कर सकती है आप यकीन करें उसमें कहीं कमी नहीं होगी और जिला प्रशासन सक्रिय है तभी तो हमने सेना की मदद ले ली थी और आज शाम साढ़े पांच बजे जिला प्रशासन और सेना के साथ एक मीटिंग हो रही है कि जोधपुर के लोगों को और भी ज्यादा राहतें कैसे पहुंचाई जा सकती हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं और उनका भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूं कि प्रशासन और सरकार की कमी के कारण किसी को राहत नहीं मिल सके ऐसी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। मैं आपको यही विश्वास दिला सकती हूं। मैं आपसे भी पूरा सहयोग चाहती हूं, बड़ा मानवीय प्रश्न है और गम्भीर प्रश्न है, जिसमें आपके पूरे सहयोग की कामना करती हूं।

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सूचना चाही है, वह मेरे को अधिकृत रूप से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कलक्टर अभी इलाके में गये हुए हैं इस कारण मेरा उनसे सम्पर्क नहीं हो सका। लिहाजा मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें एक जीप जिसमें 6 व्यक्ति थे, उनके मना करने के बावजूद भी जीप के ड्राइवर ने जबरदस्ती जोजरी नदी के बहते हुए प्रवाह में उसको छोड़ दिया। जो प्रवाह आ रहा था उसमें वह जीप रुक नहीं पायी और वह बह गयी और उनकी मृत्यु हो गयी। अधिकृत रूप से चाहेंगे तो एक घण्टे के अन्दर उनके नाम क्या हैं आदि और जानकारी प्राप्त हो गई तो सदन को बता दूंगी। मैं सदन से कोई तथ्य छुपाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे सदन का विश्वास प्राप्त करना है और उनका सहयोग लेना है। छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर मैं सहयोग की कामना करती हूं तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं सदन के सामने पूरे राजस्थान की स्थिति को स्पष्ट करूं तब ही सहयोग प्राप्त कर सकती हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी के कथन के अनुसार स्थिति गम्भीर है। जहां पर मंत्री जी टेलीफोन से बात नहीं कर सकते हैं और जब यह कह रहे हैं कि मेरा प्रशासन से सम्पर्क नहीं हो रहा है। उनको खुद को जाना चाहिये था।

सुश्री पुष्पा जैन : राहत के लिए इलाके में गये थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बात सुनिये। लाइन खराब है, जाना चाहिये ना। आपको मालूम क्या है ?

सुश्री पुष्पा जैन : लाइन ठीक है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको नोलेज ही नहीं है। आज तो हैलीकोप्टर गवर्नमेंट के पास है। ऐसी क्या बात है। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति इससे गम्भीर है और आपके पास इन्फोर्मेशन ही नहीं है। आपके पास वायरलैस से टूटे-फूटे मैसेज आये हैं, उसी के हिसाब से वक्तव्य दे रहे हैं। खड़े होकर कह दीजिए ना कि हमारे पास आफिशियल इन्फोर्मेशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या इन्फोर्मेशन चाहते हैं आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह खुद ही कह रही हैं मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह तो वायरलैस से हर पांच मिनट के बाद मैसेज आते रहते हैं। आप मुझे बताइये मैं आपको इन्फोर्मेशन दूंगा।

श्री सुरेंद्र व्यास : मुख्य मंत्रीजी यह कह रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं क्या कह रही हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लोकलिटीज के अंदर नहीं पहुंचे परन्तु इन्होंने यहां पर पूछा है। 11 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो जानते हो। कम्युनिकेशन की व्यवस्था है। लोग वहां लगे हुए हैं, कलक्टर, कमिश्नर वहां लगे हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लगना चाहिये मुख्य मंत्री जी। अगर इतनी सीरियस बात होती है। मेरा भी सुझाव यही है कि यहां से पोलीटिकल गाइडेन्स हो, वह मिलना चाहिए ना। पूर्णतया प्रशासन को आपने छोड़ रखा है। मंत्रीजी को भिजवा दीजिये वहां पर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह जा रहे है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यही हम चाह रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं जा रही हूं माननीय सदस्य। मैं स्वयं जोधपुर जा रही हूं और माननीय मोहन जी मेघवाल, राज्य मंत्री है रवाना हो चुके हैं।

श्री प्रेमसिह दहिया : मंत्री महोदय का जाना आवश्यक है। नदी के अन्दर बस वह गयी और उसका क्या हुआ, उसमें कितनी जान माल की हानि हुई।

सुश्री पुष्पा जैन : वह बस खाली हो चुकी थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप जालौर चले जाओ और देखकर बता दो।

श्री प्रेमसिह दहिया : मैं जवाई नदी की बात कर रहा हूं। उसमें बस बह गई, जालोर की। उसमें क्या जान-माल की हानि हुई। शायद आज का अखबार आपने नहीं पढ़ा हो तो यह मेरे पास है, आप पढ़ लो।

श्री चुन्नीलाल इन्दालिया : मेरा निवेदन आपकी मार्फत मुख्य मंत्री महोदय से है कि जोधपुर मुख्य मंत्रीजी आपको स्वयं को पधारना चाहिये था। मामला काफी गम्भीर है, आपके पास साधन हैं। आपकी जिम्मेदारी सारे राजस्थान की है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि मैं आया था, उस समय जोधपुर जाने के लिए व्यवस्था करने की बात कह कर आया था। जिस समय मैं बजट भाषण पर बोल रहा था, उस समय मुझे सूचना मिली कि जोधपुर में हैलीकोप्टर अवेलेबिल नहीं है।

श्री रामनारायण विश्नोई : मुख्य मंत्री जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने 1979....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं खुद ही जा रहा था और मुझे पूरी सूचना तो नहीं है लेकिन शायद एक आदमी का प्लेन या हैलीकोप्टर गया है और जसवंत सिंहजी ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पूरे इलाके का राउण्ड लिया है और देखा है। वह भी संसद सदस्य है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब आप मुख्य मंत्री बनते हो तो बैठते ही जोधपुर के ऊपर तो कोई न कोई, 1979 में भी यही हुआ और अब फिर यही हुआ। बाद में बरसात नहीं होती 4 साल तक।

श्री रामनारायण विश्नोई : वही 1979 वाली स्थिति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह उपाध्यक्ष महोदय, कइयों के भाग्य की बात है। कांग्रेस वाले जब मुख्य मंत्री बनते हैं तो अकाल ही अकाल पड़ता है और मैं मुख्य मंत्री बनता हूं तो बरसात पूरी होती है। यह भाग्य की बात है और इससे जनता का भाग्य जुड़ा हुआ है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक सैकिण्ड उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कल्ला साहब ने हमारे बीकानेर के सूरसागर के बारे में कहा। मुख्य मंत्रीजी आप जानते हैं लम्बे अरसे से कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर धन भी भूतपूर्व सरकार ने बहुत खर्च किया है। लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ है। जूनागढ़ हमारा ऐतिहासिक किला है। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी खाई में पानी डालने से किले को भी खतरा है। इसलिये इस ओर भी आप देखें और कल्ला साहब ने यह कहा कि बार-बार हर साल यह मुद्दा उठता है, यह बात भी सही है। काफी जगह से जब घिर जाता है थोड़ी सी बरसात से तो गन्दगी फैल जाती है, लोगों की बीमारी का खतरा है। इसलिए इस ओर भी आप ध्यान दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सूरसागर का मसला कल्ला साहब निरन्तर उठाते रहे हैं। यह कई वर्षों तक सरकार में थे। मुझे बहुत ही दुःख है कि सरकार में बैठे हुए उनकी चली नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : देखिये, यह पूर्व की सूचना है। फिलटर्प बन चुका था और आगे भी काम चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आपकी चली नहीं और चली तो इस सुरसागर की समस्या पर 10 वर्ष तक आप मंत्री रहे और उसका समाधान नहीं हुआ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं दस साल तक मंत्री नहीं रहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई बार बीच में हट गए, आ गये, कई बार चीफ व्हिप हो गये, कई बार मंत्री बने, कई बार राज्य मंत्री हो गए। अर्जुन की आंख के सामने जिस प्रकार से एक मछली थी उसी प्रकार कल्ला साहब आपके सामने सूरसागर है लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका भी समाधान नहीं हुआ। (व्यवधान) अब आपने किया है तो यहां पर क्यों बोल रहे हो। मैं बीकानेर चलूंगा और इस सारी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है....(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : बस ये ही लोग खा गये। वह तो वैसा ही पड़ा है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर के बारे में कहना चाहती हूं अभी माननीय सदस्य ने जो कहा था कि जोधपुर के अन्दर कोई सरकारी व्यवस्था नहीं हुई, उनको जानकारी नहीं है। वहां पर सारी व्यवस्था हो रही है और अधिकारी लोग वहां पर लगे हुए हैं। रात को टेलीफोन से सम्पर्क कर चुके हैं, यह आपको जानकारी नहीं है। यह बगैर जानकारी के बोल रहे हैं। मैं यह बात कहना चाहती हूं, यह पूर्व कांग्रेस सरकार की वजह से आज अगर वहां नुकसान हो रहा है तो आप लोगों की वजह से हो रहा है। कच्ची बस्तियों के नाम पर लाखों रुपये उठाये मगर एक भी कच्ची बस्ती का कोई समाधान नहीं हुआ है। आज लोग वहां पर जो मरे हैं, तो पूर्व कांग्रेस सरकार की वजह से, जोधपुर शहर के अन्दर हानि हुई है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं जोधपुर शहर के अन्दर आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई। जो हुई है, वह आप लोगों की वजह से हुई है। वह आप लोगों की वजह से मकान टूट गये हैं। मैं बता रही हूं, पूर्व सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने आज तक लाखों रुपये के बजट उठाये हैं, कच्ची बस्तियों के नाम पर मगर उनका विकास नहीं हुआ। नहरों के नाम पर बजट उठाया, मगर उनका विकास नहीं हुआ, नहरें आज इतनी बुरी तरह से भरी हुई हैं। मैं जब कभी भी चीफ मिनिस्टर जोधपुर आते तो उनको ज्ञापन देती और कहती नहरों की सफाई करिये, कभी भारी वर्षा आ गयी तो जोधपुर शहर में भारी हानि होगी। अब वही स्थिति हुई। यह बताना चाहती हूं आपको। आप किस मुंह से बोल रहे हैं आपको तो सिर नीचा झुका लेना चाहिये। यह तो हमारे मुख्य-मंत्री जी की कृपा से और हमारे मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश करने के लिए आये हैं उसी दिन से बरसात हुई है। मैं उनको बधाई देती हूं कि इनके आने से बरसात हुई है। आप लोगों के समय में अकाल ही अकाल पड़ा है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आप लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : कहने का मतलब सरकार शुभ नहीं थी अशुभ थी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर के अन्दर जो हानि हुई है मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उनको विशेष सहायता दी जाये। (व्यवधान)

हां, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपका जवाब दे दूं। बोलिये आप जरा। आप तो बोल ही नहीं सकते हैं। आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। जोधपुर के अन्दर सबसे बड़ा बांध भाईजी का तालाब है। वह कितना कचरे से भरा हुआ है। बहुत शर्म की बात है। यह कांग्रेस सरकार की देन है। इसलिये आप लोगों को तो बोलना ही नहीं चाहिये। आप लोगों का तो सिर शर्म से झुक जाना चाहिये।

व्यवस्था

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू हो रही है। अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू हो, मांगें और कटौती प्रस्ताव किस प्रकार प्रस्तुत किये जायेंगे, उसके बारे में मैं व्यवस्था देना चाहता हूं। सभी मांगें सामूहिक रूप से प्रस्तुत की जायेंगी। मांगों

(श्री उपाध्यक्ष)

पर बहुत सारे कटौती प्रस्ताव आये। सभी कटौती प्रस्तावों को मूव किया समझा जायेगा। एक साथ लिया जायेगा और जो माननीय सदस्य बोलें, वह सभी कटौती प्रस्तावों पर एक साथ बोलें। सभी कटौती प्रस्तावों पर बोला जाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारी संख्या में कटौती प्रस्ताव आये हैं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन माननीय सदस्य के कटौती प्रस्ताव पर माननीय मंत्रीजी जब उत्तर दें, जिन कटौती प्रस्तावों का उत्तर दिया जाना संभव नहीं हो, उनका लिखित उत्तर जल्दी से जल्दी माननीय सदस्यों को भिजवाने की व्यवस्था करें।

आय-व्ययक 1990-91
मांग संख्या 46–सिंचाई की प्रस्तुति

श्री विजयसिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,75,86,68,000 (चार अरब पचहत्तर करोड़ छियासी लाख अड़सठ हजार)रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

1. गुजरात में जाने वाले पानी को रोक कर रानीवाड़ा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा दिलाने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

2. बीसलपुर परियोजना से टोंक जिले व विशेषकर मालपुरा तहसील को वांछित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

3. इन्दिरा गांधी नहर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

4. कोलायत एवं गजनेर लिफ्ट सिंचाई योजना को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर खान (रामगढ़)

5. अलवर जिले में सिंचाई हेतु बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

6. भीनमाल तलवी के भरजाने पर अधिक पानी के निकाय हेतु आउटलेट व नहर बनाकर खजूरियावाला में पानी प्रवाहित करने पर चर्चा के लिये।

7. जालोर जिले के सूकड़ी व बाण्डी नदी में बेसमेंट स्कीम लागू कर कुओं के पानी का स्तर ऊंचा उठाने हेतु अधिक राशि व्यय किये जाने पर चर्चा के लिये।

8. भीनपुरा फूटा बान्ध के नवीनीकरण हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

9. इन्दिरा गांधी नहर से जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की सिंचाई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

10. इन्दिरा गांधी नहर सागरमल गोपा शाखा का कार्य गडरारोड़ की तरफ से भी शुरू करने हेतु चर्चा के लिये ।

11. इन्दिरा गांधी नहर पर जो एलोटमेंट हो रहा है उसकी जटिलता के सरलीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

12. इन्दिरा गांधी नहर की सागरमल गोपा शाखा को राष्ट्रीय सुरक्षा हित में गडरारोड़ तक समयबद्ध पूरा करने पर चर्चा के लिये ।

13. इन्दिरा गांधी नहर पर स्थानीय किसानों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया के सरलीकरण में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

14. इन्दिरा गांधी नहर पर युद्धस्तर पर कार्य कराने की आवश्यकता व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. इन्दिरा गांधी नहर को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से व अकाल से हमेशा के लिये छुटकारा दिलाने के लिए अधिक धन का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

16. इन्दिरा गांधी नहर पर अल्प संख्यकों को भूमि आवंटन में विभाग द्वारा भेदभाव किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

17. इन्दिरा गांधी नगर का निर्माण कार्य अतिधीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

18. इन्दिरा गांधी नहर पर वर्षों से लगे मजदूरों को केल्यूल लेबर न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री राजेन्द्र राठोड़ (चूरू) :

19. गन्देली साहवा लिफ्ट कैनाल का कार्यालय बीकानेर से तारानगर स्थानान्तरित कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

20. इन्दिरा गांधी नहर को चूरू जिले में लाने हेतु एवं नोहरसाहवा नहर का पानी सुजानगढ़ लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर):

21. निम्बोडा बांध (तहसील सिरोही) की ऊंचाई बढ़ाने व अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

22. आबू पर्वत और आस-पास की नदियों के जल को गुजरात में जाने से रोकने के लिये विभाग द्वारा कोई

(श्री टीकमचन्द कान्त)

कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

23. भैसासिंग बांध (आबूरोड़ क्षेत्र) योजना जो 10 वर्षों से लम्बित पड़ी है उसे पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

24. करोड़ीध्वज बांध(रेवदर तहसील) का कार्य तेजी से कराने हेतु चर्चा के लिये ।

25. सूकड़ी सेलवाड़ा बांध योजना को केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति लेकर प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

26. बरलूट बांध की स्वीकृति दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

27. सुकड़ी इनन्डेशन योजना उर्फ पांच देवल बांध की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल(केशोरायपाटन):

28. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र जैसलमेर में पश्चिमी राजस्थान के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटन कर बसाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

29. चान्दा का बांध में हो रही अनियमितता एवं अव्यवस्था में सुधार कर कार्य को पूरा करवाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

30. हिन्डोली के मरड़िया बांध को उचित एवं वांछित मापदण्ड के अनुसार नहीं बनाया जाने से जलस्तर में हो रही कमी को सुधारने हेतु वेस्ट वेयर एवं सेडल डेम में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये ।

31. सेहण बांध की योजना को अतिशीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये ।

32. बूंदी जिले के बांक्या बांध को तत्काल पूरा करवाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

33. राज्य में सिंचित क्षेत्र की नहरें पक्की करवाये जाने पर चर्चा के लिये ।

34. चम्बल क्षेत्र हेतु अनुदानित राशि प्राप्त कर ड्रेन व्यवस्था में सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये ।

35. सिंचाई विभाग में सभी वर्गों के राज्य सेवा में आरक्षित अनुसूचित जाति एवं जनजाति पदों का निर्धारित कोटा पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

36. चम्बल सिंचाई के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मुख्यालय पर नहीं रहने से व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

37. नहरों की अधिकता एवं अव्यवस्था

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

को सुचारू रूप से चलाने के लिये बेलदारों की नई भर्ती किये जाने पर चर्चा के लिये ।

38. बून्दी जिले में कोटा चम्बल विकास परियोजना का कोई भी अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

39. बून्दी जिले में पूर्व प्रस्तावित मेजा परियोजना का सर्वे के अनुसार बजट दिलाये जाकर कृषकों को राहत दिलाने पर चर्चा के लिये ।

40. चम्बल क्षेत्र में केचमेन्ट के (खर्चे) कर्जे से पीड़ित कृषकों को राहत देने हेतु उक्त राशि माफ किये जाने पर चर्चा के लिये ।

41. चम्बल क्षेत्र की नहरों के निर्माण, खुदाई, सफाई एवं नहरी सड़कों के निर्माण हेतु विशेष बजट राशि प्राथमिकता से दिलाकर नहरों में सुधार करवाने पर चर्चा के लिये ।

42. बांई नहर उपखण्ड केशोरायपाटन एवं कांपरेन को पूर्व में कार्य क्षेत्रों के अनुसार ही कार्यक्षेत्र निर्धारित कर देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

43. बांई नहर के लबान एवं खटियाड़ी सब डिविजन को पुनः स्टाफ एवं बजट आदि दिलाकर नहरी व्यवस्था में सुधार करने पर चर्चा के लिये ।

44. चम्बल परियोजना में कैचमेन्ट क्षेत्र को पुनः गिरदावरी विशेष अभियान चलाकर सभी के सामने कृषकवार मौके पर ही कब्जा दिलाये जाने पर चर्चा के लिये ।

45. केशोरायपाटन क्षेत्र की चम्बल मेज, कुंटील एवं अन्य वर्षभर बहने वाली नदियों पर सर्वे करवाकर वांछित स्थानों पर लघु सिंचाई एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

46. चम्बल सिंचित क्षेत्र में नहरों एवं ड्रेनों की सफाई उच्च कोटि की मशीनों द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

47. बांई नहर उपखण्ड, कॉपरेन एवं केशोरायपाटन सहायक अभियन्ता कार्य क्षेत्रों में नई नहरें खोदने एवं क्षतिग्रस्त या अपर्याप्त नहरों को पुनः खोदा जाने पर चर्चा के लिये ।

48. चम्बल की नहरों पर बाराबंधी अभियान विशेष कार्यक्रम के रूप में लिया जाकर सरकार कृषक एवं अधिकारियों के सहयोग से चलाये जाने पर चर्चा के लिये ।

49. बांई नहर के टेलों पर नियमित रूप से पानी दिलाये जाने की आश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) :

50. मरूस्थली क्षेत्र में बांध का निर्माण सोच समझकर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

51. फलौदी तक लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य तीव्रगति से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन):

52. चम्बल क्षेत्र की डैनों पर यथा सम्भव स्थानों पर विभाग द्वारा पुलियाएँ या उपयुक्त रास्ता बनवाया जाकर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. केशवरायपाटन क्षेत्र के वर्ष भर बहने वाले बड़े खालों पर पुलियायें बनवाई जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परवतसर):

54. जूणा की घाटी का बांध, बोसेड़ बांध, खोखरियां बांध के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने क सम्बन्ध में चर्चा लिये।

55. सर्वे शुदा मजेवला बांध गुढा मगलाना का नव निर्माण करवाने हेतु चर्चा के लिये।

56. जूण की घाटी का बांध नारीका नाका बांध व बुबरेड़ा बांध के मजदूरों का भुगतान मार्च, 90 से नहीं होने से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिये।

57. अकाल राहत के अन्तर्गत निर्मित अधूरे बांध पालड़ी, कुड़वा, पीपोलाई बांध, गोगवा, कालेटड़ा बांध ताड़ातोड़ा, पीलवा, रघुनाथपुरा बांध, केवलाद बांध, रावड़ियाद बांध खारीवाली बांध भकरी को विभाग द्वारा पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. नावां, परबतसर, डेगाना, मेड़ता व बीकानेर सिंचाई कार्य की अधिकता को देखते हुए अधिशाषी अभियन्ता खण्ड द्वितीय का मुख्यालय मेड़ता या नागौर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. निर्मित बांधों के रख रखाव के सम्बन्ध में विभाग द्वारा लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट):

60. मोरेल बांध का जलस्तर ऊंचा करने के लिये सरकारी आश्वासन के अनुसार 6 फ़ीट ऊंचा करके आधुनिकीकरण किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

61. बिनोरी सागर एवं सींकटोली बांध का पानी लालसोट के किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा है जिससे लालसोट के किसानों में व्याप्त जन-आक्रोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. मोरेल उपखण्ड कार्यालय को मोरेल बांध पर नहीं रखकर लालसोट में रखने के कारण बांध की समुचित देखरेख नहीं होने से किसानों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

63. मोरेल बांध में जिन किसानों की भूमि डूब में आई थी उनका अवाप्त

(श्री परसादीलाल मीणा)

जारी नहीं करने के कारण भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने के कारण किसानों में व्याप्त जन-आक्रोश एवं किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

64. राहुवास बांध का पानी लालसोट तहसील के किसानों को लिफ्ट द्वारा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

65. सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता गंगापुर सिटी द्वारा लालसोट के किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

66. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना समय पर पूरी नहीं होने से किसानों को भारी क्षति तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को कई गुना ज्यादा खर्च करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

67. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कार्य में गति लाकर चूरू जिले में नहर का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

68. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कार्य को गति देकर सिंचाई वृद्धि हेतु एवं अधूरी सिंचाई योजना के कार्य को प्राथमिकता देकर पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर):

69. तहसील सवाई माधोपुर में अपूर्ण ओलवाड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना को पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

70. जिला सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध एवं भीनमाल ढील बांध की दोनों तरफ की पटरी को सुरक्षा की दृष्टि से पक्की बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

71. जिला सवाई माधोपुर में पांचना बांध का पानी मुख्य लक्ष्य तक नहीं पहुंचाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

72. तहसील बौंली स्थित ढील बांध को ढाई फिट ऊंचा एवं सतह की मिट्टी बाहर निकाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. जिला सवाई माधोपुर के गांवों में बने सिंचाई बांधों को गहरा एवं पक्का बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

74. सवाई माधोपुर तहसील में बाहर से बहकर आने वाले पानी को सूरवाल बांध में डालकर सिंचाई में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

75. सवाई माधोपुर तहसील की बनास नदी स्थित चडवयादेह (डूब्बी बनास) जल का सर्वे किया जाकर लिफ्ट

(श्री मोतीलाल मीणा)

द्वारा सिंचाई कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

76. सवाई माधोपुर जिले के ओलवाड़ा, पपलेट, पीपल्दा एवं रौदई आदि अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा लिये ।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

77. झाडोल क्षेत्र में मासीवाकल योजना से किसानों को पर्याप्त पानी नहीं देने से किसानों को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये ।

78. विभाग द्वारा पंचायत समिति झाडोल, कोटड़ा सिंचाई हेतु कोई बड़ी योजना बनाने में असफल रहने पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

79. पीपल्दा क्षेत्र की कोलाना माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

80. पीपल्दा क्षेत्र में बिनायका गांव में सिंचाई करने हेतु नई माइनर निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

81. पीपल्दा क्षेत्र की गैंता डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल पर सिंचाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

82. पीपल्दा क्षेत्र में हथोली माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

83. पीपल्दा क्षेत्र में राजपुरा माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

84. पीपल्दा क्षेत्र में बमूलिया माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

85. पीपल्दा क्षेत्र में रामपुरा माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

86. पीपल्दा क्षेत्र में करवाड़ माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

87. पीपल्दा क्षेत्र में कंजोलिया माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

88. पीपल्दा क्षेत्र में गणेशखेड़ा माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

89. पीपल्दा क्षेत्र की विजयपुरा माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

90. पीपल्दा क्षेत्र की लुहावद माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

91. पीपल्दा क्षेत्र में अरनिया माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(श्री हीरालाल आर्य)

92. पीपल्दा क्षेत्र में हरिपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

93. पीपल्दा क्षेत्र में लुक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. पीपल्दा क्षेत्र में सीठोद माइनर की की सफाई, खुदाई व मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

95. पीपल्दा क्षेत्र की विभिन्न ड्रेनेज की सफ़ाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

96. पीपल्दा क्षेत्र की नहरों की टेलों पर सिंचाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. पीपल्दा क्षेत्र की मूंडला माइनर की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

98. पीपल्दा क्षेत्र की विभिन्न नहरों एवं ड्रेनों की खुदाई में अवाप्त भूमि का मुआवज़ा चुकाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में ड्रेनों एवं नहरों पर जनहित में विभिन्न स्थानों पर अविलम्ब पुलियाएं बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

100. पीपल्दा क्षेत्र के उपखण्ड इटावा में निर्मित विभागीय भवन रखरखाव के अभाव पर चर्चा के लिये ।

101. चम्बल परियोजना के द्वितीय फेज (मूल योजना) के कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

102. चम्बल परियोजना क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटरी खण्ड द्वितीय के कार्यालय को अन्ता के बजाय इटावा में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

203. पीपल्दा क्षेत्र की विभिन्न नदियों चम्बल, कालीसिंध, पार्वती, च्याकन खाड़ी (पीपल्दा) आदि से लिफ्ट सिंचाई प्रारम्भ कर सूखे खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

104. पीपल्दा क्षेत्र के इन्द्राजजी बांध को ऊंचा उठाकर क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

105. पीपल्दा क्षेत्र के अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु पापड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की स्वीकृति शीघ्र दिलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

106. पीपल्दा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नई ड्रेनें खोदने तथा अधूरी ड्रेनों को पूरा किया जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

107. पीपल्दा क्षेत्र की विभिन्न नहरों के के टेल पर पानी नहीं पहुंचने पर भी विभाग द्वारा किसानों से सिंचाई

(श्री हीरालाल आर्य)

शुल्क वसूल करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

108. सकनी साइफन से पश्चिम की ओर रनोदिया गांव तक ड्रेन बनाकर नहरों से सीपेज का पानी निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

109. झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र में कई छोटी व बड़ी नदियों का सर्वे करवाकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र में पोडला बांध का निर्माण कार्य शीघ्र चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र के मोगरा बांध में हुए घोटालों की जांच करवाने पर चर्चा के लिये।

112. झालावाड़ के पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के रेमाय दलपत का सर्वे करवाकर बांध निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) :

113. खेरवाड़ा तहसील क्षेत्र के लोदया बांध की कच्ची नहरों से पानी रिसाव से काश्तकारों को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये।

114. खेरवाड़ा तहसील क्षेत्र में झींझरी नामक स्थान पर बांध नहीं बनने से काश्तकारों की खेती में सुधार न होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन (भरतपुर) :

115. सिंचाई परियोजनाओं की विफलता पर चर्चा के लिये।

116. मैसर्स कल्याण सुन्दरम् सीमेण्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बांसवाड़ा को 50 लाख रुपये अग्रिम भुगतान कर देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

117. नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में 500 बीघा से अधिक सिंचाई क्षमता वाले यथा लवेरा, भटियानी, ढसि, तिलाना आदि बांधों को सिंचाई विभाग के अधीन हस्तान्तरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. अजमेर जिले में सिंचाई के साधन बढ़ाने हेतु विशिष्ट योजना बनाकर जल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

119. बड़ी सिंचाई योजनाओं से उत्पन्न पर्यावर्णीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रख छोटी सिंचाई योजनाएं ही बनाने पर चर्चा के लिये।

120. सिंचाई योजनाएं निर्धारित लक्ष्य पर पूरी न होने से लागत बढ़ने तथा सिंचाई सुविधा समय पर उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

121. अजमेर जिला खण्ड प्रथम (वाठ-खण्ड) द्वारा सिंचाई के निर्माण कार्यों में टेण्डर आदि समय पर न निकालने, स्वीकृत न करने व कार्य प्रारम्भ न करने से निर्माण कार्य अधूरे रह जाने व कहीं-कहीं तो प्रारम्भ ही न होने पर चर्चा के लिये ।

122. सिंचाई विभाग में अधिशाषी अभियन्ता व उससे उच्च पदों पर पद-स्थापित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में जांचों पर धीमी प्रक्रिया व दण्ड में विलम्ब पर चर्चा के लिये ।

123. मैसर्स कल्याण सुन्दरम् से सीमेण्ट की खरीद में भ्रष्टाचार व अग्रिम भुगतान व आर्डर की पूर्ति न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

124. अजमेर जिले के सिंचाई मण्डलों का अव्यावहारिक क्षेत्र वितरण व सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता के गलत स्थानों पर मुख्यालय बनाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

125. अजमेर जिले के अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के पदों पर लम्बे समय से कार्यरत व्यक्तियों का स्थानान्तरण नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

126. विभाग में अनुचित व गलत तरीके से किये गये गये अधिशाषी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

127. विभिन्न सिंचाई योजनाओं से उत्पन्न सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने से राज्य सरकार को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर**(नीमकाथाना) :

128. जैसलमेर को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से अविलम्ब जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

129. जोधपुर तक सिंचाई के लिये इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का जल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

130. अन्य राज्यों से राजस्थान के हिस्से का पूरा जल लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के ।

131. वर्षा के जल को सिंचाई के लिये राज्य भर की नदियों में संग्रहित रखा जाने की आवश्यकता पर चर्चा लिये ।

132. सिंचाई के लिये राज्य भर की नदियों के उपलब्ध जल का मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 46 सिंचाई पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोलें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं, सरकार की ओर से, यह नहीं कि इस सरकार की है, पुरानी सरकारों में भी यहां 25 साल हो गये मुझे कुछ विषय उठाते हुए । या तो मैं बेवकूफ हूं कि मैं जो कहता हूं आप लोग सुनते नहीं हो, लेकिन कभी-किसी मंत्री ने उनके बारे में जवाब नहीं दिया । मूल प्रश्न है । आपकी कृपा होगी, नई सरकार बनी है, आप बहुत कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो माननीय सदस्य जो कहते हैं उसको कम से कम सुन ले तो । उस पर जैसी आपकी राय हो वह राय तो कम से कम व्यक्त किया करें । मैंने बजट में भी मूल बातें कहीं, लेकिन आप मूल बातों की तरफ गये नहीं, हमको फटकारते रहे सदन में । इसलिये मेहरबानी करके जैसा-तैसा आपका जवाब हो आपकी समझ के अनुसार आप देने की कृपा करें ।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि माननीय सदस्य डिबेट शुरू करें, मैं दो बातें कहना चाहता हूं । पहले तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपने अपने कार्यालय का कब्जा मुख्य मंत्री जी से छुड़ा लिया कि नहीं छुड़ा लिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मामला अदालत में चल रहा है ।

श्री लालचन्द डूडी : दूसरा निवेदन जो मुझे करना था वह यह है कि आज सिंचाई की मांग है । दुर्भाग्यवश मैं कटौती प्रस्ताव नहीं दे सका, लेकिन रात में मुझे पता लगा कि हमारे राजस्थान की जिस सिद्धमुख कैनाल परियोजना के लिए गंगानगर जिले के लोगों ने कई सालों से संघर्ष किया है, उसके लिये आन्दोलन किया है, उस सिद्धमुख कैनाल प्रोजेक्ट को कल स्वीकृति मिल गई प्लानिंग कमीशन से । इसके लिए मैं हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस की सरकार ने इसको बड़े साल तक भुनाने की कोशिश की ।

श्री उपाध्यक्ष : अब अगला नम्बर आपका ही है ।

श्री लालचन्द डूडी : इस लोकसभा चुनावों से पहले भी हमारे उस वक्त के प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी ने बिना स्वीकृति आये उसका शिलान्यास किया और उसके ऊपर दो-ढाई करोड़ रुपये भी खर्च किये ।

अनेक माननीय सदस्य : इसीलिये हो गई स्वीकृति ।

श्री लालचन्द डूडी : नहीं, बिना मंजूरी ही । उन्होंने बड़ी कोशिश की थी । उसके बाद एक धेले का भी काम नहीं हुआ । उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लूं मुख्य मंत्री जी से कि राजीव गांधी जी का पत्थर वहीं पड़ा है, उसको वहीं पड़ा रहने देंगे कि निकाल कर कहीं और फेंक देंगे ? दूसरा निवेदन मैं यह कर दूं कि जब इतनी मेहनत के बाद सिद्धमुख कैनाल परियोजना मंजूर

(श्री लालचन्द डूडी)

हो चुकी है तो मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसका कार्य भी बहुत जल्दी ही शुरू करवायें ताकि वहां के लोगों को फायदा मिल सके। जो मंजूरी हुई है उसके लिये आप लोगों को धन्यवाद।

श्री डूंगरराम पंवार : शिलान्यास नहीं किया था। रुपयों का सत्यानाश किया था।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इरिगेशन के कट मोशंस के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। राजस्थान मुख्यतः शुष्क प्रदेश है। खास तौर से पश्चिमी राजस्थान तो बहुत ही रेतीला और कम बारिश वाला इलाका है। अरावली पहाड़ से जो नदियां निकलती हैं और बहकर पश्चिम की तरफ जाती हैं, उन नदियों पर जगह-जगह बांध बने हुए हैं। शुरू-शुरू में तो यह हुआ करता था कि एक नदी पर एक या दो से ज्यादा बांध नहीं बनाये जाते थे। वह बांध करीब-करीब हर साल भरते थे। चूंकि यह मौसमी नदियां हैं इन मौसमी नदियों में पानी सिर्फ बरसात के मौसम में ही आता है। वह पानी बहकर पश्चिम की तरफ जाता है, जिसमें कि ज्यादातर जालौर, बाड़मेर और सिरोही का इलाका आता है। यह पहले काफी सरसब्ज इलाका हुआ करता था और कुओं में पानी बहुत हुआ करता था। लेकिन फिर जगह-जगह पर इन मौसमी नदियों पर, जिनको सीजनल रिवर्स कहते हैं, बांध बांध दिये गये और उसके बाद बांध के ऊपर बांध, बांध के ऊपर बांध इस तरह कर दिये कि एक एक नदी पर 10-10, 12-12 बांध बांध बांध दिये गये हैं। पानी तो उस नदी में मुश्किल से एक दफा दो बांध भरने लायक ही आता है लेकिन किसी न किसी दबाव की वजह से, किसी न किसी प्रेशर की वजह से उसके ऊपर बांध बनते हैं। हुआ यह कि ये नदियां बिलकुल सूख गयीं। इन नदियों के सूखने से, नदियों के आसपास का जो सरसब्ज इलाका था, काफी कुएं थे, काफी खेती हुआ करती थी, बिना राज्य के खर्चे के उनको, उन किसानों को फायदा मिलता था, वह किसान गरीब हो गये, वह किसान बिना खेती के हो गये। मौसमी नदी पर जो बांध बंधते हैं उन बांधों के बंधने से मैं सोचता हूं कि फायदा कम है नुकसान ज्यादा। ऐसे बांधों से एक जगह चार इरिगेशन, पांच इरिगेशन जिसमें सीपेज भी होता है, आपरेशन भी होता है, नुकसान भी होता है और कार्य भी होता है। इतना होने के बाद थोड़े से इलाके को वह बांध पानी पिलाकर रह जाता है। उसमें सरकार का खर्चा भी बहुत होता है। जैसे मेरे इलाके में एक बाकली बांध है। वैसे दो बाकली बांध हैं—एक, पाली जिले में है और एक जालौर में है। लेकिन जालौर जिले के बाकली बांध की बात मैं कर रहा हूं वह बांध पहले पांच साल में करीब-करीब तीन साल भर जाया करता था और दो साल कभी कभी पानी नहीं आया करता था, जो कि कम वर्षा की वजह से होता था। अब होने यह लग गया है कि 10-11-12 साल से वह एक दफा भी नहीं भर पा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है, मैंने पता लगाया है कि उसके ऊपर कम से कम 10 जगह बांध बन चुके हैं और अभी नये बांध बनाने की योजना बनी हुई है जो कभी भी क्रियान्वित हो सकती है। उसके बनने से राज्य सरकार के कोष में से पैसा तो खर्च हो जाता है लेकिन उससे आमदनी न सरकार को हो पा रही है और न ही

(श्री गोपालसिंह)

काश्तकारों को हो रही है। यह बांध प्री-इण्डिपेण्डेंस टाइम से बना हुआ है। यह एक ही बांध था उस समय। प्री-इण्डिपेण्डे टाइम के बांध के ऊपर करीब 10 छोटे बड़े बांध बन चुके हैं, डाइवर्जन हो गया है, उसमें से कैनाल्स निकाल कर अलग-अलग पानी ले लिया गया है, उस पर चैक डैम्स, एनीकट्स बन गये हैं जिनकी वजह से उस बांध तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बांध से पहले खूब इरिगेशन होता था और यह करीब-करीब हर साल या कम से कम पांच साल में तीन दफा ओवरफ्लो भी हो जाया करता था। ओवरफ्लो होने से नीचे का जो इलाका था उसके कुओं को, उस इलाके के काश्तकारों को फायदा होता था। लेकिन अब बांध बंधने से न तो यह भर रहा है और न ओवर फ्लो हो रहा है। इससे नीचे के कुए या तो सूख गये हैं या उसका मीठा पानी कंसण्ट्रेशन आफ साल्ट्स बढ़ने से खतरा हो गया है, यानि वह इलाका पूरा वेस्ट हो गया है, उसके अन्दर किसी तरह की कोई खेती नहीं हो पाती। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें आज आप कृपा करके ऐसी नीति बनायें कि वहां पर जहां सीजनल रिवर्स हैं और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में बड़े बांध नहीं बनने चाहियें। पश्चिमी राजस्थान में अगर आप बड़े बांध बांधते हैं तो पश्चिमी राजस्थान को आप और ज्यादा गरीबी की तरफ, और ज्यादा पानी खत्म करने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। एक जगह एक आदमी खाना खा रहा है और एक जगह बीस आदमी खाना खा रहे हैं। आपने क्या किया कि बीस आदमियों के सामने से थाली उठा कर एक आदमी के सामने रख दी। एक आदमी को आपने पेट भर खाना खिला दिया लेकिन बीस आदमी बिलकुल भूखे रह गये। पहले उन नदियों से जो सीजनल रिवर्स थीं, पानी पहुंचता था सांचोर तक, आहोर, जालोर खास, सायला, रानीवाड़ा और सांचोर—इन सब इलाकों के अन्दर बहुत अच्छी खेती थी, बहुत अच्छे कुए थे, वह इलाका ग्रीन बैल्ट माना जाता था, बहुत सरसब्ज थे हम लोग और हमारा काश्तकार बहुत बड़ा पैसे वाला था। लेकिन इन नदियों के ऊपर जगह-जगह बांध बांधे जाने से पानी कम हो गया और जिस इलाके में कभी पानी कम होने का सोचा ही नहीं जा सकता था, आज वहां पर पीने के लिये पानी लोगों को दूसरी जगह से लाना पड़ रहा है या टैंकरों से पानी मंगवाया जा रहा है। जिन कुओं के ऊपर 4-4, 3-3 मशीनें लगी रहती थीं वहां उन कुओं के अन्दर पानी सूख गया है, उस कुए के काश्तकार को कहीं ओर से पानी लाना पड़ रहा है। मेरा निवेदन यह है कि जो बांध बंध गये हैं वह तो बंध गये, लेकिन पहला जो फ्लो होता है उस नदी का, उसको उसमें न भरें, चाहे उसके बाद भरे या न भरे बांध, लेकिन पहले फ्लो को आप निकल जाने दिया करें ताकि कम से कम एक दफा उस नदी में पानी आखिर तक पहुंच जाय। उसके बाद आप उसको रोकें, फिर वह पानी बांध को भरने के लिये काम में लें। मेरा दूसरा सुझाव यह है, अगर आप ठीक समझें, कि चूंकि यह बांध भर नहीं रहे हैं इसलिये इनके ओवर फ्लो को आप और नीचे बैठा दें। ओवरफ्लो को और नीचे बैठाने से वहां की कमाण्ड बढ़ जायेगी लेकिन, उस पानी से नीचे का कमाण्ड बहुत बढ़ जायेगा और नैचुरल वे में

164

(श्री गोपालसिंह)

कमाण्ड हो जाएगा क्योंकि कुओं में वह आबपाशी कर देगी, कुओं को चार्ज कर देगी। उसकी वजह से कुओं में पानी हो जाएगा और वह कुएं कामयाब हो जायेंगे। यहां पश्चिमी राजस्थान में आइन्दा के लिए राज्य सरकार से यह निवेदन है अगर आप नीति बनाए किसी तरह से बांध बांधने की तो मैं सोचता हूं यह घातक होगी। इसके चैक डेम्स या एनीकट्स के सिवाय दूसरे किसी तरह के बांध सीजनल रिवर्स के या मौसमी नदियों के नही बांधे जाने चाहिए। इन सीजनल रिवर्स के ऊपर चैक डेम्स या एनीकट बांध देते हैं तो उसकी वजह से कुओं में पानी भी चार्ज होता है और उसके साथ वहां की ग्रेनरी भी बढ़ती रहती है उस नदी के आस-पास हरियाली भी अपने आप होती है और उसके साथ-साथ में फ्लडिंग अगर होता है उन चैक डेम्स से तो उससे इनन्डेशन होकर के वो जमीन पीती हुई निकल जाती है उसके बाद अपने आप वह कर उस नदी में आ जाता है। लिहाजा जितना इलाका आप बांध बांधकर उसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च करके चलाये उससे चोगुना या दस-गुना तो इलाके को वैसे ही पानी पिला रही थी। जो बारह महीनों बहने वाली नदियां हैं पेरेनियल रिवर्स हैं उनके ऊपर अगर आप बांध बनाते हैं तो उसमें कोई हर्जा है नहीं क्योंकि वे तो चलने वाली नदी है तो वह जब भी भरेगी तो उसके ऊपर से ओवरफ्लो होगा और पानी बहता जायेगा।

दूसरी मेरी मांग यह है कि जंवाई बांध पाली डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है जिसका फायदा पाली और जालौर दोनों को मिलता है इर्रिगेशन के रूप में। इसमें भी हमको इस जवाई नदी से यही नुकसान हुआ है। यही प्री-इंडिपेंडेंस स्टेट टाइम का बना हुआ बांध है और बहुत बड़ा बांध है। इससे जोधपुर को पानी मिल रहा है। मैं फिलहाल तो इस बांध के बारे में और मांग नहीं करूंगा लेकिन राज्य सरकार से इतनी मांग मेरी जरूर होगी कि इन्दिरा गांधी कैनाल से जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसका पानी जोधपुर को मुहैया करायें जिसकी वजह से यह पानी हमारे काश्तकारों को नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे काश्तकारों को कम पर्सेन्टेज में 17 पर्सेन्ट के आसपास यह पूरा बांध भरता है उसमें से 34 पर्सेन्ट या 35 पर्सेन्ट पानी ही देते हैं।

तो मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी आप जोधपुर को पानी दे देंगे तो एडिशनल वाटर जो जोधपुर के लिये अलग से रखते हैं वह पानी भी हमारे इर्रिगेशन के काम आ जायेगा और वह अनुपात में जालौर और पाली को मिलने लग जाय। तो उससे खेती बढ़ जाएगी, उससे हरियाली बढ़ जाएगी, उससे काश्तकारों के अन्दर समृद्धि आयेगी और उसके अन्दर उनको फायदा होगा।

जब जोधपुर में पानी देने की स्थिति बन्द हो जाएगी जवांई बांध से उसके बाद में मैं यह निवेदन करूंगा कि हो सके और अगर बांध के अन्दर एक सर्टेन स्तर के बाद पानी आ जाता है तो कुछ पानी जवाई नदी में भी छोड़ा जाना चाहिये ओर समय-समय पर महीने दो महीने के बाद ऐसा कोई जरिया होना चाहिये जिससे कि अगर जंवाई बांध से नदी में पानी छोड़ा जा सके तो उसके नीचे जो पेयजल हमारे आहौर क्षेत्र के, जालौर क्षेत्र के और इसी तरह से भीमा

(श्री गोपालसिंह)

तक भी वह ही नदियां वापस एक हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी आप अगर आप सभी नदियों में बांध की वजह से छोड़ देंगे। तो मैं यह कहूंगा कि इस बांध से जो पानी छोड़ने से जो पिलाई का जो हरजाना हुआ है उससे ज्यादा इरिगेशनल फेसेलिटीज को चार्ज करने की मिल जायेगी और आपकी कृषि का प्रतिशत भी बढ़ जायेगा लेकिन उस इलाके के कुछ लोगों को शायद नुकसान हो इसके बारे में आपको देखना है कि उनको किस तरह से या तो उनको कमांड से निकालें या उन लोगों के ऊपर इरिगेशन सरचार्ज लगता है उसको कम करें या इस तरह से फेसिलीटीज करके उन लोगों को सेटिसफाई करके अगर आप पानी दे दें तो ये कुए इतना चार्ज हो जायेंगे कि आपको यह ग्रीन बेल्ट अपने आप बन जायेगा नहीं तो इसकी वजह से डेजर्ट बढ़ जायेगा। हमारे यहां तो हरियाली थी और रेतीला इलाका कम था, लेकिन अब धीरे-धीरे यह जो रेतीला इलाका नहीं था, अच्छा हरियाली वाला इलाका था, उसमें भी अब सेंड आ गई। उस जमीन का स्ट्रक्चर बदल गया। अब वह जमीन लांग लाइफ हो गई और लाइफ लोंग से सेन्डी लोंग की तरफ बढ़ रही है। तो यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह से जो हमारी नीति है उसके लिए राज्य सरकार को बैठ करके, टैक्निकल वे में बैठकर और इसमें न कि पोलीटिकल प्रेशर से अलग रह करके अगर हम बचा सकें। नहीं तो होगा यह, मैं चूंकि विधायक हूं मेरे इलाके में बांध बनवाना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं मैंने इतने करोड़ रुपये खर्च करवा दिए। लेकिन वह खर्च करवाने के बाद अगर इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे काश्तकारों को और राज्य सरकार के कोष में से पैसा व्यर्थ जा रहा है। मैं समझता हूं ऐसा नहीं हो तो ज्यादा ठीक रहेगा और काश्तकारों को ज्यादा उसमें आराम मिलेगा। इसके साथ जो सबसे मुख्य बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो भगवान ना करे और तामील हो. लेकिन जितना ज्यादा हो सके राज्य सरकार अपने फेमिन के टाइम में जब खर्चा अपने इलाके में करती है तो उसकी जगह अगर जितने लेबर को डाइवर्ट कर सके अगर इन्दिरा कैनाल नहर की तरफ तो वो ज्यादा बेहतर इसलिये रहेगा कि वहां कन्स्ट्रक्टिव काम हो रहा है। यहां तो मैं यह नहीं कहता कि कन्स्ट्रक्टिव काम नहीं होता लेकिन यह काम ऐसा है जो कुछ लोगों को कम लोगों को फायदा होता है और वहां पर पूरे राजस्थान को फायदा देने वाली चीज है। अगर इसलिये ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहां के मजदूरों को हम राहत और आराम दे करके और राजस्थान कैनाल में पहुंचा सके और राजस्थान कैनाल से ये ऐसा काम दे सकें तो उसमें यह कैनाल का काम भी जल्दी हो जायेगा, तेज हो जाएगा और जल्दी से जल्दी उससे फायदा मिलने वाला है क्योंकि इतने वर्षों से हम सिर्फ खट्टे अंगूर की तरह इसको हम राजस्थान कैनाल के लिए बात कर रहे हैं। इस इन्दिरागांधी कैनाल के लिए इन्तजार कर रहे हैं लेकिन यह आ नहीं रही है इसका फायदा मिल नहीं रहा है या इसकी जो गति है वह बहुत धीमी है। हमें इस गति को बढ़ाने के लिए चाहिये कि जहां भी चाहे सेना को काम में लें चाहे अपने दूसरे सभी पैसों को काट करके आप उसको इसके ऊपर लगा देंगे तो यह राजस्थान को डेजर्ट से बचाने वाला

(श्री गोपालसिंह)

एक बहुत बड़ा तरीका बन जाता है। हरियाली बढ़ने से बारिश होने का अंदेशा होता है। उस बारिश के साथ में हमारी हरियाली वैसे ही ठीक हो जाती है।

इसमें मुख्य बात जिसके ऊपर मैं आपको निवेदन कर रहा था वह यही थी कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में अब राज्य सरकार से जहां तक हो सके बड़े बांध नहीं बांधे जाय, मौसमी नदियों पर बांध नहीं बांधे जाय। सिर्फ एनीकट्स और बांध करके तो मैं समझता हू इससे राज्य सरकार के कोष में इतना नुकसान नहीं होगा और उसके साथ में हमें हमारे काश्तकारों को बगैर एडमिनिस्ट्रेशन के, नहीं तो ईरिगेशन डिपार्टमेंट आयेगा फिर ईरिगेशन के अन्दर आपके सर्च वाटर हैड लगेगी उसके अलावा उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा ईरिगेशन के चार्जेज लग जायेंगे और उसका कई तरह का एक अलग से आपको एक अलग ढंग बन जाता है तो वो नहीं हो करके साधारण रूप में नदी भरती है उससे उतना ही आपको ईरिगेशन दे देंगे तो मैं समझता हूं कि इतनी किल्लत लेकर के आप यह ईरिगेशन एक जगह दिला दें उसकी जगह तो आप बहने दीजिये उस नदी को। उस पानी को आप समुद्र में न जाने दें, यह जरूर ध्यान रखें। उसके आखिर में कहीं जा करके अगर आप बाध बांध बांधते हैं जब तो वो कोई कामयाब होता है नहीं तो आप बीच में बांध देते हैं तो वह पानी होना यह चाहिए कि समुद्र में ना गिरे लेकिन हमारे इलाके को पूरा पानी दे दे तो वह पानी बहुत ज्यादा काम आता है और वैसा बांध हमारे काम का है। अगर इस बड़ी सीजनल रिवर्स में भी बांध बांधे तो आखिर में जा करके बांधिये जिसके बाद में पानी शायद समुद्र में चला जाता तो वो पानी, पानी बहता हुआ ऐसे जमाने में आता है तो उसे आप इकट्टा कर लीजिये, उसे इरिगेट करवा दीजिये।

मैं अपनी बात इसी जगह खत्म करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को अब उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इन सुझावों को अगर ध्यान रख कर और कुछ किया जाय तो मैं सोचता हूं थोड़ा-बहुत हमें पश्चिमी राजस्थान वालों को फायदा मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पत सिंह (नगर) : मेरा नाम पहले है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उप सचेतक महोदय से पूछिये। श्री हीरालाल आर्य।

श्री सम्पतसिंह : साहब मेरी पार्टी का नहीं है तो मैं बोलूं।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, "प्राणीनाम प्राणदा कृषि, कृषि सिंचन्, कृषि जीवनम्"। अर्थात् कृषि जीवन का सहारा है तथा सिचाई कृषि का आधार है। हमारा प्रान्त एक कृषि प्रधान प्रान्त है। यहां की 80 प्रतिशत जनता जिसका मुख्य धन्धा कृषि तथा कृषि पर आधारित विभिन्न उपक्रमों पर आधारित है। राजस्थान में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। कभी यहां पर अतिवृष्टि होती है और उससे फसलें बर्बाद होती है और कभी यहा अनावृष्टि होती है और उससे फसलें सूखती है

(श्री हीरालाल आर्य)

और हर वर्ष अकाल की स्थिति बनी रहती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, बहुसंख्यक वाले देश के लिये जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि, उत्पादन पर ही निर्भर करती है, सिंचाई का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रान्त में वर्षा की कमी को देखते हुए यह आवश्यक है कि उपलब्ध जल, जो हमारे पास में है उसका उपयोग सिंचाई के लिए अधिक से अधिक किया जाय ताकि खाद्यान्नों में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रान्त की इस व्यवस्था को देखते हुए कई प्रकार की यहां पर सिंचाई के लिये परियोजनायें बनी हैं जिनमें चम्बल घाटी परियोजना, भाखड़ा परियोजना, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, माही परियोजना तथा वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य किया गया है तथा किया जा रहा है। मैं आज के मेरे इस सिंचाई के अभिभाषण पर केवल चम्बल सिंचित क्षेत्र परियोजना पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल सिंचित परियोजना देश की एक वृहत सिंचाई और विद्युत परियोजना है। चम्बल परियोजना में तीन बड़े-बड़े बांध बने हैं, जो गांधीसागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर डेम तथा एक बांध जिसको कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है इसमें से इसकी दो मुख्य नहरें निकली हैं आर. एन. सी. तथा एल. एन. सी.। आर. एन. सी. से निकलने वाली नहर मध्य प्रदेश तक को सिंचित करती है तथा एल. एन. सी. बून्दी जिले को सिंचित करती है। चम्बल सिंचित क्षेत्र में कोटा जिले की 4 पंचायत समितियां जिनमें ईटाव मांगरोल, सुल्तानपुर, दीगोद तथा अन्ता. आली हैं तथा एक लाडपुरा और बून्दी जिले की केशोरायपाटन तथा तालेड़ा पंचायत समिति इससे सिंचित होती है। चम्बल सिंचित क्षेत्र का जो कार्य था इसमें सिंचाई 1960 से होनी प्रारम्भ हुई, लेकिन जल निकास एवं खेत सुधार की कमी, अपर्याप्त सड़कें, असन्तोष रख-रखाव वह प्रभावशाली समर्थक सेवाओं के कारण चम्बल परियोजना के निर्माण से कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन होना चाहिए था वह नहीं हो पाया तथा इससे मूल्यवान भूमि को क्षारीय एवं अम्लीय होने से काफी हानि हुई एवं कृषि उपज पर भी प्रभाव पड़ा। इन दोषों को दूर करने के लिए 1974 में चम्बल क्षेत्रीय आयुक्त की स्थापना की गयी, जिसके तहत इस संगठन का जो प्रमुख था उसे क्षेत्रीय आयुक्त के नाम से रखा गया इसके अधीन मुख्य अभियन्ता, कृषि निदेशक, राजस्व संभागीय आयुक्त के अधिकार इसको प्रदान किये गये। परियोजना क्षेत्र कृषि, सिंचाई राजस्व विभाग के जो अधिकार थे उनको यह अधिकार दिये गये तथा सिंचाई कृषि विभाग और दूसरे सीधी जिम्मेदार सेवायें हैं वह भी क्षेत्रीय आयुक्त के अन्तर्गत की गयीं। वृक्षारोपण एवं सड़क निर्माण का कार्य भी इनके तहत दिया गया। अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए तथा उनकी सहायता के लिए सिंचाई के अधीक्षण अभियन्ता और कृषि अनुसंधान में प्रगति के लिए एक परियोजना निदेशक, भूमि विकास कार्यों के लिए तथा उनकी सहायता के लिए एक मुख्य लेखाधिकारी जो लेखों के अनुरक्षण तथा परिक्षण के लिए उत्तरदायी थे आयुक्त महोदय के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य

(श्री हीरालाल आर्य)

करते थे । उक्त योजना को दो भागों में बांटा गया । प्रथम फेज में जो मुख्य-मुख्य काम होने वाले थे उसमें 16.7 हजार हेक्टेयर से अधिक में जल निकास, 21 हजार किलोमीटर पर पक्की नहरों का निर्माण और 884 किलोमीटर में नहरी क्षमता को बढ़ाना, 157 नहर का निर्माण कार्य, 50 हजार हेक्टेयर में भूमि विकास, मय सिंचाई जल निकास की नालियों सहित, सीमा को पुनः निर्धारित करना और उनको पुनः आकार देना तथा 142-143 किलोमीटर मार्गों का निर्माण एवं एक हजार हेक्टेयर में वृक्षारोपण तथा भूमि के कटाव आदि के काम करने का काम किया गया था। लेकिन इस योजना का मुख्य कार्य किया गया था उससे उस क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ा था उस क्षेत्र में कृषि उत्पादन और दूसरे विकास के काम हुए थे उसकी दूसरे प्रान्तों ने भी भूरी-भूरी प्रशंसा की थी और विश्व बैंक की टीम आयी थी उसने भी इन कामों की भूरी-भूरी प्रशंसा की थी। प्रथम फेज का जो काम होना था वह 1980 तक पूरा किया जाना था लेकिन जो पैसा बचा था उसमें थोड़ा और सुधार देखते हुए इसका कार्य 1982 तक बढ़ा दिया गया था। दूसरे चरण की योजना की तैयारी के रूप में भी इसको बनाया गया। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी बढ़िया योजना हाड़ौती के विकास के लिए जो एक मात्र योजना थी उसको बन्द करके सी. ए. डी. को संकट में डाल दिया। राजनीतिक स्वार्थ, अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार एवं सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णय से किस तरह से विकासोन्मुख योजनाओं को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है—चम्बल सिंचित क्षेत्र का फर्स्ट फेज का काम था, उसको दूसरे फेज के काम के लिए लिया जाना था उसको बन्द कर देना इस बात का एक अच्छा उदाहरण है।

पिछले सालों में कैचमैण्ट के जो मूल काम थे जिनमें सिंचाई, ड्रेनेज, वृक्षारोपण, कृषि सुधार और सड़कों के काम थे उनको बन्द करके सारी योजनाओं को केन्द्रित करके केवल भूमि सुधार कैचमैण्ट के काम को आधार बनाकर और उसके काम किये जाने लगे। कैचमैण्ट से उस इलाके के किसान दुखी थे और कैचमैण्ट जो मूल रूप से उसकी भावना अच्छी थी, परियोजना का मुख्य काम जिसमें भूमि लम्बे समय से सिंचाई होती आ रही थी जिससे क्षारीय और अमलीय और पानी के जमाव की समस्या के उपचार के लिए, उपजाऊ भूमि की रक्षा करना था, गड़बड़ और उबड़-खाबड़ जो खेत थे उनको समतल करना था, खेतों को समतल करके आकार उनका चौकोर करना था, नहरों का डिजाइन था उसको वैज्ञानिक करना था, जहां पर धोरे-नहरें आवश्यक की जानी थीं, जहां पर बनाया जाना था, उपलब्ध जल का अधिक से अधिक उपयोग हो इस वजह से नहरों को पक्की करना, ड्रेनेज वगैरह बनाना, सड़कें आदि बनाना आदि काम थे लेकिन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से यह सारे काम नहीं के बराबर हुए और किसान ऋण के रूप में पिसता गया। आज कैचमैण्ट की चर्चा आते ही हमारे इलाके का किसान त्रस्त हो जाता है और कम से कम आज तक 110 करोड़ रुपया कैचमैण्ट का किसानों पर बकाया है। कैचमैण्ट की रकम किसान यदि

(169)

(श्री हीरालाल आर्य)

जिन्दगी भर चुकाता रहे तब भी वह किसान कैचमैण्ट की राशि चुका नहीं सकता और उल्टा कैचमैण्ट के बाद पहले जिस तरह से अच्छी सिंचाई होती थी, कैचमैण्ट होने के बाद सारा सिस्टम गड़बड़ा गया और जिन क्षेत्रों में सिंचाई होती थी वहां पर भी सिंचाई नहीं होती है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि कैचमैण्ट के कार्य में जो भ्रष्टाचार हुआ है, कई बार वहां पर आंदोलन हुए हैं, कैचमैण्ट में भ्रष्टाचार की वजह से किसानों को कोई लाभ नहीं मिला इसलिए कैचमैण्ट का जो 110 करोड़ रुपया है उसको माफ किया जाय। मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में किसानों के ऊपर से 10 हजार रुपये तक के ऋण माफ करने की घोषणा की है लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे हाड़ौती के किसान कैचमैण्ट का ऋण जिन्दगी भर नहीं चुका सकते। अतः कैचमैण्ट के ऋण की राशि भी माफ करने की वह घोषणा करें।

इसके अलावा ड्रेनेज के काम हुए थे लेकिन ड्रेनेज के जो काम हुए उनमें वापस सिल्ट भर गयी है, झाड़-झंखार भर गये हैं और बार-बार इस सम्बन्ध में कहने के बावजूद भी सफाई नहीं हो पा रही है। यद्यपि इस साल सरकार ने 15 लाख रुपये ड्रेनेज की सफाई और रख-रखाव पर खर्च करने का प्रावधान किया है लेकिन मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मांग करूंगा कि इस राशि को और बढ़ाएं यदि सिंचाई के सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो जो ड्रेनेज सिस्टम हैं उसको भी ठीक किया जाना चाहिये।

साथ ही फर्स्ट फेज का सी. ए. डी. का मूल काम था जिसको समाप्त कर दिया गया है, आधे क्षेत्र में ड्रेनेज बन गये और आधे क्षेत्र में फर्स्ट फेज में ड्रेनेज नहीं बने हैं, मैं मांग करना चाहूंगा कि इस प्रकार के ड्रेनेज के अलावा सारी सड़कें, नहरों का एक्सटेन्शन के काम, ड्रेनेज का काम बकाया पड़ा है। सी. ए. डी. का काम जो मूल रूप से था उसको पुनः चालू किया जाये ताकि हाड़ौती क्षेत्र का विकास किया जा सके। पोकरी साइफन दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर कमोदिया गांव तक नहरों के सीपेज का पानी भरा पड़ा है। उनसे कई गांवों के रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं तथा सैंकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन में पानी भर गया है, उस पानी को डेम बनाकर निकालने की बात मैं हमेशा करता रहा हूं। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं इस सरकार से मांग करता हूं यह किसानों की संवेदनशील सरकार है, अतः जो सुकरी नामक स्थान पर पानी भर गया है, किसान बरबाद हो रहे हैं वहां पर ड्रेन बनाकर अतिशीघ्र ही पानी को निकाला जाये ताकि जो झाड़ोल, डोखी, कणोदिया आदि गांवों के रास्ते अवरुद्ध पड़े हैं वह रास्ते भी ठीक किये जा सकें।

चम्बल सिंचित क्षेत्र में नहरों के रख-रखाव के अभाव में, उनकी मरम्मत के अभाव में, उनकी सफाई करने के अभाव में टेल क्षेत्र में हमेशा पानी नहीं पहुंचता। खास तौर से मेरे क्षेत्र में जितना इटावा ब्रांच और रैना ब्रांच से सिंचाई होती है और वह टेल का एरिया है नहरों की हालत इतनी जर्जर और खराब हो गई है कि वह

(श्री हीरालाल आर्य)

स्थान-स्थान पर टूटी पड़ी है। सिल्ट भरी पड़ी है। झाड़-झंझाड़ बढ़े हुए हैं। उनकी सफाई किया जाना, उनकी मरम्मत किया जाना, उनकी खुदाई किया जाना अति आवश्यक है। यद्यपि बजट में मुख्य मंत्री महोदय ने इस साल नहरों के रख-रखाव और सफाई के लिए 40 लाख रुपये की व्यवस्था की है। लेकिन मैं उस क्षेत्र के जिस तरह के हालात हैं और अधिक राशि बढ़ाने की मांग करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के खास तौर से शेरगंज, मुंगेना, कणोदिया, लक्ष्मीपुरा, डिस्ट्रीब्यूटरीज हरीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरीज, कजलिया डिस्ट्रीब्यूटरीज, गैंता, छापोल, खातौली, बम्बूलिया और राजपुरा माइनर आदि की सफाई, खुदाई और झाड़ झंखाड़ को साफ करना अतिआवश्यक है।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि टेल क्षेत्र के किसानों को, जहां पर बार-बार मांग करने के बाद भी एक भी पानी नहीं पिलाया है, उन क्षेत्रों से सिंचाई वसूल करने के लिए भी मांग पत्र जारी हुए हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिन किसानों के खेतों में एक बूंद भी पानी नहीं, मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उन किसानों से किसी भी प्रकार की सिंचाई वसूल नहीं की जाये।

साथ ही उस क्षेत्र का इटावा और मांगरोल सब डिवीजन है, उस इलाके का पूरा क्षेत्र जिसका एक्स. ई. एन. हैड क्वार्टर अन्ता है अन्ता क्योंकि दूर पड़ता है और अन्ता का कोई क्षेत्र भी उसमें नहीं आता है। अतः एक्स. ई. एन. हैड क्वार्टर इटावा जो क्षेत्र का मध्य केन्द्र है वहां पर हैड क्वार्टर को बनाया जाये।

इसी प्रकार से उस क्षेत्र में चम्बल सिंचित क्षेत्र में केवल चार लाख हैक्टेयर में ही उसका कुल सिंचित क्षेत्र का रकबा है जिसमें सिंचाई केवल 2.29 लाख हैक्टेयर में ही होती है बाकी उस इलाके का जो पूरा एरिया है वह अनकमाण्ड है। उस अनकमाण्ड में यद्यपि कमाण्ड पूरे क्षेत्र को मानने से उस इलाके के सीलिंग के मामलों के फैसले करने में, जमीन की खरीद-फरोख्त में बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। लगान आदि देने में भी किसानों को नुकसान होता है। इसलिए जो क्षेत्र कमाण्ड एरिया में आता है लेकिन वास्तव में सिंचाई नहीं होती है उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए मैं मांग करना करना चाहूंगा। जैसा कि चम्बल सिंचित क्षेत्र के लिए 11 करोड़ की स्कीम लिफ्ट सिंचाई योजना बनाकर जिसमें मेरे क्षेत्र हिंगोनिया पंचायत के गांवों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना और भी कई प्रकार की लिफ्ट सिंचाई योजना जो सी. डब्ल्यू. सी. में पड़ी हैं उनको शीघ्र मन्जूरी दें ताकि जो अनकमाण्ड क्षेत्र अभी पड़ा है उसमें भी सिंचाई की जा सके।

इसी प्रकार से गणेशगंज लिफ्ट योजना जिसकी कास्ट 165.98 लाख रुपये है, जो निर्माण हो चुकी है, जिस पर इतना पैसा खर्च हो चुका है, नहरें बन चुकी हैं, डिस्ट्रीब्यूट्रीज और माइनर बन चुकी हैं लेकिन केवल पम्प से जोड़ने के पीछे ही इतनी सारी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन

(श्री हीरालाल आर्य)

करना चाहूंगा कि गणेशगंज लिफ्ट को शीघ्र स्वीकृति दी जाये ।

इसी प्रकार से कोटा, बूंदी में कई नदियां ऐसी हैं जिनमें 12 महीने पानी भरता है । मेरा क्षेत्र भी नदियों की दृष्टि से एक छोटा पंजाब है । जिसमें पार्वती, छम्बल, कालीसिंध, चाटन और वाणगंगा नदियां बहती हैं । इन नदियों में इतना पर्याप्त पानी है जिसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी-छोटी लिफ्ट स्कीम्स बनाकर जो अनकमाण्ड क्षेत्र है जिसमें पानी नहीं पहुंचता है उसमें लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाकर उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाये । इसी प्रकार नहरों और ड्रेनों की खुदाई हुए बरसों बीत चुके हैं लेकिन अभी तक भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। यद्यपि इस साल मुआवजा देने के लिए सरकार ने खुद व्यवस्था की है और उस व्यवस्था के आधार पर मुझे विश्वास है लेकिन वह राशि इतनी नहीं है । अभी कम से कम एक करोड़ रुपया किसानों का ड्रेनेज और नहरों की खुदाई में हुआ था वह बाकी पड़ा है । इसी प्रकार से इन्द्रायणी जो हमारे बून्दी जिले का नायक तहसील इन्द्रगढ़ है उसके लिए चाटण सिंचाई परियोजना का सर्वे हो चुका है । जिसका सिंचित क्षेत्र करीब 2,508,43 हैक्टेयर है । नहर की लम्बाई 15 किलोमीटर बनेगी । उससे 2,884 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी । उसकी लागत जो योजना के अनुसार आंकी गई है वह 471.8 लाख रुपये आंकी गई है । यह मध्यम सिंचाई परियोजना है । नायब तहसील इन्द्रगढ़ जो कि अनकमाण्ड क्षेत्र है, वहां के किसान अक्सर गरीब है और अनुसचित जाति और जनजाति के लोग उस इलाके में रहते हैं । अतः सिचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चाटन सिंचाई परियोजना को भी उस इलाके के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान करें । नहरें और ड्रेन तो बन गई लेकिन कई पुलियाएं नहीं बनने से गांव वालों को आने जाने में, अपना सामान खेत तक लाने, ले जाने में बड़ी दिक्कत आती है और सारा सामान सिर पर उठाकर ले जाना पड़ता है । उसमें से उन पर पुलियाओं का बनाना अतिआवश्यक है ।

इटावा सब डिवीजन के अन्तर्गत रामपुरा, खेड़ली, बेरीसाल, पीपल्दा खुर्द, नौदेरा इटावा के बीच नौदेरा लिफ्ट पर दो पुलियाएं आर. एन. पी. पर अयानी में हनुमानगढ़ जी के मन्दिर के पास विनायका और बीजावता में, अयानी और जलौदा के बीच में, डोबरली और जलोदा के बीच में । इसी प्रकार से मांगरोल सब डिवीजन के अन्तर्गत अयाना और लुहावद के बीच डिण्डोरा से अरनिया के बीच । रावल झावल में महु और रावल झावल के बीच । पीपल्दा खुर्द में दो पुलियाएं रोहड़ और खेड़ली के बीच, रोहड़ और गण्डावत के बीच । करजोड़ा और पीपल्दा और डूंगरली के बीच में नेगडिया पर और पीपल्दा और खुशीद के बीच तथा करवाड़ और खेड़ली के बीच में पुलियाओं का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है । ताकि जन-जीवन अस्त-व्यस्त न हो सके ।

हमने इस बात की कई बार मांग की है कि पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स के अन्तर्गत इन पुलियाओं का बनाया जाना अति आव-

(श्री हीरालाल आर्य)

आवश्यक है। इन पुलियाओं के नहीं बनाने से लोगों को आवागमन की बड़ी दिक्कत रहती है। बारावंदी पर सी. ए. डी. क्षेत्र में हर साल लाखों रुपया खर्चा होता है और उस पर कर्मचारियों के अलावा 70 पटवारी बाराबंदी कायम करने के लिए लागू किये गये हैं लेकिन एक पूरे सिंचित क्षेत्र के एरिया में एक भी स्थान पर बाराबन्दी नहीं की जा सकी है क्योंकि टेल क्षेत्र के किसान हमेशा पानी की मांग के लिए बार-बार निवेदन करते रहते हैं और टेल क्षेत्र में पानी अभी पहुंच सकता है जब सिंचित क्षेत्र में बाराबंदी लागू हो। लेकिन लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी सिंचित क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर उस क्षेत्र में बारा-बंदी लागू नहीं कर सके हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि उस टेल के किसानों को पानी पहुंचाने के लिए बाराबंदी अतिशीघ्र लागू की जाये।

साथ ही नहरें और ड्रेनें बनाने से कई रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं केवल पुराने रास्ते अवरुद्ध होने से नहरों पर निकलने के अलावा किसानों के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। किसान केवल नहरी मार्ग से ही जाते हैं। मूंढला, मांगरोल सब डिवीजन के अन्तर्गत मूंडला और महुआ के जो लोग हैं उनको ट्रेक्टर लेकर मांगरोल जो इस इलाके का प्रमुख क्षेत्र है वहां जाना पड़ता है लेकिन उसमें ट्रेक्टर और बैलगाड़ियां ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। यदि अनुमति ली जाती है तो उनको बड़ी कठिनाई होती है। अतः मैं मांग करना चाहूंगा कि किसान जिनका नहरें और ड्रेनें बनाने से उन पर पुलियायें नहीं बनने से रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं, सीधे रास्ते वह जा नहीं सकते हैं। उन किसानों को वहां से निकालने की अनुमति प्रदान करें। यह मांग करता हुआ कि समूचे सी. ए. डी. का सिंचित क्षेत्र था। सी.ए.डी. के प्रथम फेज की एज ए होल जिसकी सभी लोगों ने भूरी-भूरी प्रशंसा की थी। उस क्षेत्र में बहबूदी आई थी और सैकिंड फेज का काम भी प्रारम्भ होने वाला था। सैकिंड फेज की योजना को भेज करके अब उसको समाप्त करके प्रति वर्ष इस बजट के आधार पर उस क्षेत्र में काम हो रहा है। प्रति वर्ष के बजट के आधार पर काम शुरू होने से समूचा क्षेत्र जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है जिसका समूचा उपयोग किसानों को नहीं हो पा रहा है आधे क्षेत्र में तो काम हो गया आधे में काम नहीं हुआ। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि सी. ए. डी. जिसका सैकिंड फेज प्रारम्भ होने से न तो वह जिन्दा है न मरी है और सांसे ले रही है। बड़े अधिकारी और कर्म-चारी तो वहां पर अभी भी सी. ए. डी. के दफ्तर में है लेकिन छोटे कर्मचारियों की मेट मिस्त्रियों की जो नहरों के रख रखाव और पानी के सिस्टम को चालू करने में मदद करते थे उनको हटा दिया गया है। मैं मांग करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को, जिन छोटे कर्मचारियों को खास तौर से हटाया है और बड़े कर्मचारी वहां पर है ज्यों के त्यों है। इस सारी व्यवस्था को देखते हुए सी. ए. डी. का सैकिंड फेज मूल रूप में है जिससे उस इलाके में और सड़कें, ड्रेनेज, नहरें और पुलियायें, इस क्षेत्र का जो विकास होने वाला है विकास प्रारम्भ होगा। इस सी. ए. डी. के सैकिंड फेज को

(श्री हीरालाल आर्य)

पुनः प्रारम्भ करने की मांग करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, चार अरब से ऊपर की इस महत्वाकांक्षी मांग के ऊपर जो बहस शुरू हुई है उस परिप्रेक्ष में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे प्रान्त में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक बहस छिड़ी हुई है कि सिंचित खेती और सूखी खेती दोनों ही सम्भव हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज विषय नहीं है कि सूखी खेती के विषय में अपने अपने विचार प्रकट किये जायें। लेकिन निश्चित रूप से सिंचाई के ऊपर हमें अब वक्त आ गया है कि गहनता से विचार करना चाहिए। वैज्ञानिक सोच के माध्यम से विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनेक बार इस पवित्र सदन में अनेकानेक ऐसे बेहतरीन सुझाव दिये थे और उनमें से आज 25 फीसदी सुझावों को भी मान लिया जाये या मनवायें तो....

श्री उपाध्यक्ष : आप मनवाइये।

श्री सम्पत सिंह : अब आसन पर आप विराजे हैं। हम आपसे गुहार कर सकते हैं, सरकार से गुहार कर सकते हैं....(व्यवधान) हम तो जन्म से ही ऐसे है, साहब। यह बात दूसरी है अब आप आ गये हैं तो मुझे उम्मीद बंधी है। नौजवान जब बिराजते हैं तो उम्मीद बंधती है वरना बुजुर्गों से तो वैसे ही परेशान है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि बुजुर्ग कौन है? बाल सफेद हो यही बुजुर्ग नहीं, रिस्ट वाच भी नहीं है बुजुर्ग के पास। मैं उनकी बगल में स्थान ले रहा हूं मेरे बाद वह सुझाव देंगे बहुत महत्वपूर्ण देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या वजह है अरबों खरबों रुपया खर्च करने के बाद हमारे प्रांत में आज भी बाढ़ आती है और जब बाढ़ नहीं आती है तो सूखा पड़ता है और सूखा पड़ता है तो अपने व्यक्तिगत साधनों से भी किसान कोई सिंचाई का साधन नहीं जुटा पाता। आज सवेरे-सवेरे जब बात हो रही थी जोधपुर की तबाही के ऊपर पूरे सदन के साथ-साथ मैं भी अफसोस में था कि जिस प्रान्त में एक-एक बून्द पानी की स्वर्ण के बूंद के मुताबिक होता है उस प्रान्त में पानी यूं ही बह जाए। आज निश्चित रूप से हमारे प्रान्त में एक से एक बेहतर इन्जीनियर हैं लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है फिर भी क्या वजह है कि हमारा इतना महत्वपूर्ण पानी जहां तीन-तीन, चार-चार, पांच पांच वर्ष लगातार हार्वेस्ट टू आर्वेस्ट अकाल पड़ता हो उस प्रान्त में एक बूंद पानी भी जाया हो जाय तो उपाध्यक्ष महोदय हमारे लिये इससे शर्म की ज्यादा और कोई बात नहीं हो सकती है। मैं पूर्वी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही निवेदन करना चाहता हूं। आप पूरे प्रान्त के हिसाब से प्लान करिये, वैज्ञानिक प्लान करिये और खास तौर से जो अन्तर्राज्यीय हमारी समस्यायें हैं उनको उस दृष्टिकोण से आप सुलझाइये। आज समय है। राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार कम से कम एक मन-मानस से ही है और इस परिप्रेक्ष में भी अगर हम

(श्री सम्पतसिंह)

अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिये इससे बड़ी और कोई त्रासदी नहीं होगी हम पानी जैसी समस्या को राजस्थान में महत्व नहीं समझे। दूसरे प्रान्त आखिर क्या सोचेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान इन्दिरा गांधी कैनाल हमारे लिये द्रोपदी का चीर बनी हुई है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य शुरू-शुरू में कह रहे थे इसी सत्र में कि हमारे प्रान्त को 2-3 वर्गों में बांटना चाहिये विकास की दृष्टि से। यहां पूर्वी राजस्थान है उसकी समस्यायें कोई और है, पश्चिमी राजस्थान की समस्यायें और है, दक्षिणी राजस्थान, उत्तर राजस्थान की समस्यायें और है और जहां हम कामयाब हो सकते थे केन्द्र से मदद लेने के लिये हमें निश्चित रूप से होना चाहिये था और जो वक्त बीत गया उस ओर अफसोस नहीं करते हुए अब समय है माननीय मंत्री जी हमको एक पल भी इसमें जाया नहीं करना चाहिए। आप पूरे प्रान्त को इस तरह से बांटियेगा कि आपके प्रान्त की अर्थव्यवस्था पर भी ज्यादा वजन नहीं आये और ज्यादा से ज्यादा आप केन्द्र से सहायता ले सकें। राजस्थान कैनाल जिस दिन पूरी हो जाएगी, आपकी दूसरी छोटी-छोटी योजनाओं पर इतना वजन नहीं आयेगा। मैं इस द्रोपदी के चीर पर तो कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ पूर्वी राजस्थान के विषय में सिर्फ निवेदन अभी करना चाहता हूं। आज आप देखिये क्या हो रहा है हमारे जिले में। जिस तरह से पूरे प्रान्त में प्रोजेक्ट बनाकर आपने अपनी किताब बताई है, गिनाया है एक-एक करके प्रोजेक्ट्स को। क्या वजह है उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर पूर्वी राजस्थान में हमारी सिंचाई व्यवस्था को जो अपने आप में एक यूनिक प्रणाली थी, विचित्र प्रणाली थी उसको एक प्रोजेक्ट के तरीके से नहीं लिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पैसे का खराबा भी होता है। आज भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य हो, चाहे रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे वैर से हो चाहे कुम्हेर से हो जिन्होंने अपने-अपने व्यक्तिगत प्रभाव से और जहां-जहां इन्जीनियर महोदय उचित समझते हैं वहां काम शुरू कर देते हैं और रुपया दर रुपया उसमें लगता भी जाता है और जैसे ही कोई बारिश होगी वह सिस्टम टूटेंगे जहां अपने हिसाब से, प्रोजेक्ट के तरीके से नहीं लिया। नीचे के हिसाब से जहां रुपया लगा दिया वह निश्चित रूप से टूटेगा उपाध्यक्ष महोदय, यही एक प्रणाली ऐसी है दुनिया में जो सिंगल बैंक के हिसाब से जानी जाती है। यहां का पानी हम उपयोग में नहीं ले सकते। आज एक भी छोजत का जो पाइन्ट है वह बन्द नहीं है और हम बारिश के लिए यहां तरस रहे थे और बारिश हो जाये उसका बूंद-बूंद पानी हम नहीं संजो कर रख सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं आपकी मार्फत मंत्री जी से और सरकार से आप भी भरतपुर के सिस्टम को मेहरबानी करके एक प्रोजेक्ट के आधार पर लीजिये और इस साल में आप ऊपरी शुरू करिये वहां जब आपके बन जायेंगे उसके बाद पैसा बचे फिर नीचे के सिस्टम को लीजिये, दूसरे क्षेत्रों को लीजिये तब जाकर एक प्रोजेक्ट के रूप में आपका पूरा सिस्टम पूरा होगा तब भरतपुर की, पूर्वी राजस्थान की खास तौर से सिंचाई की समस्या हल होगी। आज हो क्या रहा

(श्री सम्पतसिंह)

है उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में जहां पहले बाहर से पानी आने की व्यवस्था थी एक तो लगातार बारिश कम हुई है और दूसरी तरफ यह हुआ है कि जो पानी आया करता था भरतपुर का पूर्वी राजस्थान के इर्द-गिर्द चाहे गम्भीर नदी से आता था, चाहे बाणगंगा से आता था, चाहे रूपारेल से आता था। अब जो महत्वपूर्ण योजनायें बना रखी है गुड़गांवा नहर, भरतपुर फीडर इन तरीकों को आप देखें तो बाहर से आवन्द बिल्कुल खतम सी एक तरीके से हो चुकी है। जब बाहर से पानी की आवन्द नहीं होगी, वहां पूरी जमीन से लाइन है। तीन-तीन, चार-चार हजार फीट नीचे आप चले जाइये पानी नहीं मिलेगा। इसलिये ऐसे स्थान के लिए जहां के सिस्टम की न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि विदेशों में और चीन में तो हूबहू नकल होती है उस इनन्डेशन सिस्टम की, उस रिचार्ज सिस्टम की जहां सिंचाई के लिए तो हम टुकुर-टुकुर देखते रहते ही हैं पेयजल समस्या इतनी गहन बनी हुई है। आज हो क्या रहा है अन्तर्राज्यीय समझौते के हिसाब से। क्या वजह है कि राजस्थान की सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे अब बी. जे. पी. और जनता दल की मिली जुली सरकार बनी हो मैं जानना चाहता हूं आपके मार्फत उपाध्यक्ष महोदय, आज इतना ही मोरल होना चाहिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान दिल्ली कोई भी हो, आज हिन्दुस्तान से अलग की धरती तो है नहीं और मुकद्दर से जब सरकारें ऐसी हैं सब जगह पर तो आज तो कोई समय जाया नहीं होना चाहिए। आज टिहरी बांध बन गया, ओखला का हमारा क्या हिस्सा है? तीन हजार दो सौ क्यूसेक पानी वहां हुआ लेकिन आज तक अव्यवस्था की हालत है और एक बात अनिवार्य रूप से निश्चित है हमें वहां भी एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। जब-जब सिंचाई की बात दरकिनार होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी की ओर से आप लखनऊ पधारे थे तब आपको भी कितनी अनुनय-विनय करनी पड़ी सिर्फ पीने के पानी के लिए। आज उस तीन हजार क्यूसेक से ऊपर पानी में भी हमारा हिस्सा नहीं होगा तो आप बेहतर अन्दाज लगा सकते हैं, मुझसे बेहतर अन्दाज लगा सकते हैं कि भरतपुर और पूर्वी राजस्थान की सिंचाई व्यवस्थाओं का क्या हाल बनेगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, रोज वहां की धरती को देखते हैं, गुड़गांवा नहर लम्बे अरसे से बनती चली आ रही है। एक समय आया दस-दस साल तक के लिये बिल्कुल वहां एक रुपया लगाने की बात दर किनार हो गई। पिछले वर्ष गेहूं की बिजाई के वक्त मुझे वहां जाने का मौका मिला। जब क्षेत्र के किसान आन्दोलित हो गये थे तो ठीक कलिजर हैड पर जाने की नौबत आयी। वहां की हरियाणा सरकार के स्थानीय इन्जीनियर्स हैं उनकी दरियादिली देखिये। उन्होंने कहा हम सरकार से भी नहीं पूछते, आपको जितना पानी हो लीजियेगा और हमारे इन्जीनियर्स जो हमारे साथ थे वे एक दूसरे की तरफ बगली झांकने लगे। आज गुड़गांवा नहर की यह त्रासदी बनी हुई है, एक विडम्बना बनी हुई है। 500 क्यूसेक बरसाती पानी लाने के लिए वह नहर आपने बनवाई थी वह 200 क्यूसेक पानी नहीं वहन कर सकती। 100 भी नहीं कर सकती। जालसाजी की चरम सीमा देखिए, उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक चैन का मुआयना करा लीजिये, तमाम भरी

(श्री सम्पतसिंह)

पड़ी हैं, न मालूम कहां पैसा गया और कहां हमारे इन्जीनियर्स के दिमाग गये और कहां हमारे सरकार के एक तरह से प्रयास किये गए। आज गुड़गांवा नहर भी अगर शुरू नहीं होती है तो बरसात की तो वहां कोई ऐसी निश्चित बात ही नहीं है कि कोई नदी बड़ी है भी नहीं, तो फिर एक तरह से भरतपुर की पूर्वी राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस सिंचाई व्यवस्था की फोरी तौर पर जांच कराइयेगा। आपने पिछले बजटों में भी देखा होगा। डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया मंजूर हुआ रूपारेल जैसी छोटी सिंचाई व्यवस्था के लिए, तीन करोड़ रुपया मंजूर हुआ गुड़गांवा की सिंचाई व्यवस्था के लिए। मुझे कहने में शर्म महसूस होती है, उपाध्यक्ष महोदय, इन नहरों का सीमेंट बाजार में खुले रूप से बिका। हमने उस वक्त के मुख्यमंत्रीजी को चिट्ठयां लिखी और अफसोस कि उन चिट्ठियों के ऊपर कार्यवाही करना तो दूर रहा उन चिट्ठयों का एण्डोर्समेंट नहीं होता था। आज हम नहीं समझते कि ऐसे ही हालात मौजूद होंगे। आप हमसे ज्यादा संवेदनशील हैं। एक-एक पैसा आप मंजूर करेंगे, एक-एक पैसा वहां मौके पर लगना चाहिए ओर जो बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस वर्ष से योजनायें ठप्प पड़ी हुई हैं कम से कम अब इतनी महती योजनाओं के जरिये जितना रुपया आप खर्च करने जा रहे हैं उनमें तो शुरुआत होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज जैसा कि पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, नागरिकों के लिए छोटी-छोटी नहरों और नालों के ऊपर आने-जाने में इतनी कठिनाई होती है वही व्यवस्थायें करीब-करीब सब जगह मौजूद हैं। भरतपुर में भी मौजूद है। आप देखिये उन पर कम से कम पुल तो बने। छोटी-छोटी पुलियायें तो बने हमें लगता है अन्तर्राज्यीय समझौतों में आपको वक्त लग सकता है, कानूनी प्रक्रियायें भी हैं। उनके अपने प्रोग्राम भी हैं लेकिन चम्बल की योजना में तो निश्चित रूप से आप पहल करिये। आपने पेयजल के लिए तीन सौ करोड़ से ऊपर योजना बनाई है जो केन्द्र में गई हुई है। उसके लिए आपकी लोबिंग होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी वह तो स्वीकृत हो ही, लेकिन सिंचाई के लिए, भरतपुर के लिए अलवर के लिए, सवाइ माधोपुर के लिए लिफ्ट इर्रिगेशन चम्बल की निश्चित रूप से चालू होनी चाहिए। मुख्यमंत्रीजी अभी नहीं विराज रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता। धौलपुर में आप बिजलीघर के लिए तो आपने बहुत जल्दी पहल कर ली उसके लिए हम उनके हृदय से शुक्रगुजार हैं। लेकिन उतनी ही बड़ी-बड़ी योजनायें सिंचाई की धूल चाट रही है, हमारी फाइल धूल चाट रही है, कायदे कानून भी आप पूरे करिये। लेकिन चम्बल के ऊपर तो कम से कम आप पहल करिये जिससे कि पूर्वी राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था सुलट सके। आज यमुना में, गंगा में पानी लेना हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा क्योंकि हमने इतनी देर कर दी कि आज अन्तर्राज्यीय समझौते जब-जब होंगे तब-तब हम पिछड़ते रहेंगे। लेकिन चम्बल तो अपनी धरती से बहती है और अपनी धरती से बहकर मध्यप्रदेश में पूरा पानी खराब हो रहा है उस पर तो आप रोक लगायें। और लिफ्ट इर्रिगेशन के माध्यम से उस पर तुरन्त एक

(श्री सम्पतसिंह)

व्यवस्था बनाइये जिससे पूर्वी राजस्थान की सिंचाई हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ सरकार से और आसन से यह विनती कर सकता हूं कि चार अरब से ऊपर की जो महती योजना हमारे दिमागों में है उसको सदन पास करेगा, मन्जूरी देगा, पूर्वी राजस्थान के लिए जो खेती के मामले में आपको बहुत ज्यादा लाभदायक परिस्थितयों में ला सकता है, पूरे प्रान्त को देश में। इस पर निश्चित रूप से पहल होनी चाहिए जो हमारे अन्तर्राज्यीय समझौते हैं उनमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिये। जब तक वह पूरा हो तब तक चम्बल की जितनी भी योजना है उसको आप निश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीके से पुनः अवलोकन कराके उसको लागू कराइये और मन्जूर कराइये तभी इन मांगों की हमारे लिए और पूरे प्रान्त के लिए महत्व होगा। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर। (अनुपस्थित) श्री मोतीलाल मीणा।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाईमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला सवाईमाधोपुर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है। आज सिंचाई की बहस चल पड़ी है। पिछले पांच वर्षों से इस सदन में सिंचाई की डिमांड पर बोलते आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिला सवाईमाधोपुर में बनास नदी, मोरेल नदी और चम्बल का पानी बहकर सागर में पहुंच जाता है। सन् 1952 से आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा इन पवित्र नदियों का पानी हमारी जमीन में पहुंचाया जाय लिफ्ट इरिगेशन द्वारा ताकि हमारे किसानों के हालात मजबूत हों और अनाज का उत्पादन हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सन् 1977 से 1980 तक माननीय शेखावत साहब जब मुख्यमंत्री थे उस दरमियान वह सवाई माधोपुर पधारे थे। उन्होंने बौंली, खण्डार और सवाई माधोपुर तहसीलों का दौरा किया था इन्होंने वायदा किया था कि अभी-अभी सरकार हमारी बनी है, चम्बल, बनास और मोरेल नदी पर जहां-जहां लिफ्ट 'इरिगेशन' योजना बनेगी, बनाऊंगा। मैं पुनः आज मुख्यमंत्रीजी को याद दिलाऊंगा कि आपने वायदे किये हैं कि चम्बल, बनास और मोरेल नदियों पर आज के दस साल पहले सर्वे करवा कर योजना अभी भी पड़ी हुई है। मैं उदाहरणस्वरूप आपको बताऊंगा कि सवाई माधोपुर तहसील में ओलवाड़ा लिफ्ट इरिगेशन योजना, खण्डार में पापलेट और पीपल्दा, करौली में रोधेई। इस तरह से हमारे जिले की पांच सात योजनायें सर्वे के बाद पेण्डिग पड़ी हुई हैं। उनकी शुरूआत करें ताकि हमारे जिले का जो सब-डिविजन सवाई माधोपुर है, जमीन बड़ी अच्छी है, उपजाऊ है लेकिन पानी के अभाव में हम अनाज पैदा नहीं कर सकते। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन योजनाओं को आगे बढ़ाकर यदि आप क्रियान्वित करते हैं तो हमारे अनाज में बढ़ोतरी होगी हमारे किसानों की माली हालत अच्छी होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि पाचना बांध जो जिले का सबसे बड़ा बांध है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया उसका पानी आज तक मुख्य लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। उसका पानी केवल खण्डीपपिरोदा गांव तक पहुंचा है जबकि बामनवास के गांव बरनाला, बोदेला, सच्छीपुरा, राधकी और झाडेल तक होना चाहिये। उपाध्यक्ष

(श्री मोतीलाल मीणा)

महोदय, मैं निवेदन करूंगा, उस तालाब का निर्माण इस तरह के निकम्मे इन्जीनियर्स और ठेकेदारों ने किया है कि वर्षा का पानी भरने के बाद में सिंचाई होने से पहले ही उसका 70 प्रतिशत पानी झीरकर के नीचे से निकल जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि करोड़ों की लागत से बने हुए तालाब हैं उसकी जांच कराई जायेगी कि पानी क्यों निकलता है, जिसका मुख्य लक्ष्य नादोती, बामणवास और गंगापुर के सब गांवों को पानी दिया जाना है। तीन गांवों में नहर का पानी पहुंच पाता है। महोदय, इसके अलावा जो गांव के छोटे-छोटे तालाब हैं, उन तालाबों को सिंचाई विभाग द्वारा गहरा करवाया जाये एवं पक्का करवाया जाये ताकि हमारे कुओं का जल स्तर ऊंचा बढ़ सके महोदय, पिछले पांच सालों से अकाल पड़ रहा है। आज गांवों के हालात बदतर हो रहे हैं। इन तालाबों की मरम्मत हो जाये तो हमारे गांवों का जलस्तर ऊंचा होगा। इसलिये सिंचाई के पानी की उपयोगिता मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे बांध–सूरबाल नहर, हमारे बौंली तहसील और सवाई माधोपुर से होकर निकलती है जो दस हजार एकड़ जमीन को सींचती है वहां नहर को क्रास देने के लिए रास्ते नहीं है सो पुलिया का निर्माण करवाया जाये और जो पटरियों के दोनों तरफ कच्ची मिट्टी है उनको पक्के रूप में बनाया जाये। ताकि हर साल टेंडरों के रूप में जो लाखों रुपयों का ठेका दिया जाता है पर काम हजारों रुपयों का भी नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर में जो-जो आपने वायदे किये हैं आज तक एवं 77-80 के मुख्यमंत्रीत्व काल में, तथा आदेवाल लिफ्ट इरिगेशन, पीपल्दा, कपलेट आदि जो अधूरी योजनाएं पड़ी हैं उनको पूरा करवाया जाये। ताकि हमारे क्षेत्र की जो उपजाऊ जमीन है वह पूरे राजस्थान को एक साल तक अनाज दे सकती है बशर्ते कि जो मैं बता रहा हूं–चम्बल व बनास योजनायें अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा करवाया जाये और जहां-जहां पानी के भण्डार हैं, चरण का देवता, जो पानी का स्रोत है व अथाह भण्डार है उससे यदि लिफ्ट इरिगेशन द्वारा पानी लिया जाये तो कम से कम दस हजार एकड़ जमीन में पानी मिल सकता है।

आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में मैंने दो कटौती प्रस्ताव दिये। पहला प्रस्ताव यह कि मरूस्थल की जितनी भी नदियां हैं और नाले हैं उन पर भविष्य में कोई बांध नहीं बनाया जाये और पूर्व में जो बांध बन गये हैं उनके बारे में यह जांच करवाई जाये कि उनसे कितनी सिंचाई होती है और उन बांधों के नीचे उस नदी या नाले के किनारे जितने कुऐ थे उनमें वर्तमान में पानी की क्या स्थिति है मेरे से पहले आहोर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लूणी नदी जहां कच्छ

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

के रण में गिरती है उससे पहले वह सांचोर तहसील में से निकलती है । सांचोर तहसील का लगभग 60 किलोमीटर लम्बा और 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर पूर्व में जब यह बांध नहीं बना था उस वक्त हर तीसरे या चौथे साल गेहूं, जौ और सरसों की ऐसी फसल होती थी जैसे पंजाब में होती है । राजस्थान में वैसा कहीं नहीं होता था । बांधों के बनने से पहले आहोर तहसील का लगभग आधा क्षेत्र ऐसा था जिसमें हर दूसरे वर्ष बारानी रबी फसल होती थी । इस तरह से जोधपुर के आस-पास जोजरी नदी, जिसमें अभी बाढ़ आने का जिक्र आया है उसमें जोधपुर के निकट दस बारह गांव ऐसे थे जिनमें बारानी रबी, जिसको मारवाड़ में सेमच करते हैं वह हुआ करती थी । और सिंचाई के कुऐ भी । लेकिन इसके ऊपर बिराई के, शूरपुरे के, भोपालगढ़ के, अरटीया के कई जगह के बांध बन गये और नतीजा यह हो रहा है कि नीचे के सब कुएं और बारानी फसल होनी बन्द हो गई । इसी तरह से मेड़ता की तरफ से पीपाड़ की ओर से होकर बीछड़ी नदी निकलती है उसके ऊपर कई बांध बना दिये । उसका परिणाम यह निकला कि पीपाड़ जहां पर एक हजार कम से कम कुऐ हैं और उसके नीचे के जितने भी गांव हैं उनमें कुओं में पानी की कमी आ गई है । इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि पाली डिस्ट्रिक्ट, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट,जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जहां पहाड़ हैं और नदी, नाले निकलते हैं इनका सर्वेक्षण करवा के यह बातें तो तत्काल ही हो जानी चाहिएं कि उसमें भविष्य में बांध बनें नहीं और पक्की तौर से सर्वे करे और उसकी क्या सम्भावना है उसके बाद में ही बांध या तालाब बनने स्वीकृत होने चाहिए । इस प्रश्न को मैं करीब 25 सालों से उठा रहा हूं लेकिन मेरी इतनी कोशिश के बाद भी, कुछ हो रहा नहीं है इसमें वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं कई लोगों का । किसी मंत्री ने जवाब देना भी उचित नहीं समझा । मैं, समझता हूं कि आज मंत्रीजी सुन रहे हैं तो इसका उत्तर देंगे । इस तरह के बांध बनने का कारण यह है कि राजनीतिज्ञों या जो स्थानीय विधायक हैं वे यह सोचते हैं कि हम जनता को बतायेंगे कि हमने इतने बांध बना दिये और इतने तालाब बना दिये । इंजीनियर उसकी पक्की जांच नहीं करते । सिंचाई के इंजीनियर है लेकिन सच्चाई से उनका लेना-देना कुछ नहीं है । वह स्ट्रक्चर्स बनाने के विशेषज्ञ हैं उनकी पढ़ाई है अरबन डेम कैसे बनाना, बांध कैसे बनाना, भीतें और भवन कैसे बनाना इसके बारे में उनको जानकारी है । लेकिन कौनसी नदी है, उसमें कितना पानी है, उससे कहां कुओं में सिंचाई होती है, कहां उससे भूमि का जलस्तर बढ़ता है, कहां उससे खेती होती है, सिंचाई के इस पक्ष के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते और कलक्टर महोदय या जिलाधीश जिनके कार्यालय में सभायें वगैरह होती हैं या मीटिंगें होती हैं उन खुद को भी चाहिए कि अपने एरिये की विशेष जानकारी दें और इंजीनियर तो यही चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा खण्ड है उसमें पचास लाख का, साठ लाख का करोड़ का काम आ जाये । यही उनकी हमेशा इच्छा रहती है । ज्यादा से ज्यादा काम आये इसके पीछे उनके क्या इरादे हैं यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं । इसका परिणाम यह हो रहा है कि करोड़ों रुपये हमारे बरबाद हो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रहे हैं जिसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है और इलाके उजड़ रहे हैं। हमारे यहां पर कृषि के विश्वविद्यालय भी है, दूसरे विश्वविद्यालय भी हैं उन्होंने कोई तरह के अनुसंधान किये हैं जैसे मैं कहता हूं, सिद्धांतों के बारे में तो अनुसंधान जरूर करते हैं लेकिन कोई विद्वान्, कोई प्रोफेसर, कोई विद्यार्थी मुझे यह बताये कि अपने राजस्थान की जो क्षेत्रिय विशेषतायें हैं, जो जोग्राफिकल विशेषतायें हैं, जो कृषि की विशेषतायें हैं उनके बारे में उन्होंने कितना अनुसंधान किया ? कोई आपको भूगोल की पुस्तक भी मिलेगी जो आपको यह बता दें कि इस नदी का पानी, इस तरह से काम आता है। यहां पर भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है, यहां खेती होती है तो स्थानीय विषयों की जानकारी है नहीं, बस रुपया सरकार के पास काफी है। परिणाम आये, नहीं आये कृपया जांच करायें कि पहले जो रुपया गया है उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ है और सोच विचार के बाद में ही बांध बनाये जाने चाहिए वरना लाभ होने के बजाय इससे हानि हुई है और भविष्य में और अधिक हानि होगी। सिंचाई के बारे में एक और बात कह रहा हूं मैं, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। क्योंकि आपके इंजीनियर्स के देखने की बात है और अन्य सिंचाई की क्या विधियां हो सकती हैं या आज की परिस्थितियो में कौनसी विधि हमको अपनानी चाहिए इसके बारे में इनको कोई विचार नहीं है, इनकी कोई कल्पना ही नहीं है। फ्लो या बहाव की सिंचाई की जो प्रणाली है वह आज से 125, 150 साल पहले ईजाद हुई थी जिस वक्त भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश की आबादी बीस बाईस करोड़ थी। भारत की सब नदियां पानी से भरी हुई चलती थी। अनाप-शनाप जगह-जगह वन थे, पानी का स्तर ऊंचा था। उस वक्त यद्यपि हमने फ्लो की विधि निकाली थी लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सिंचाई के आप मंत्री हैं तो हमको भविष्य के लिए कौनसी विधि अपनानी चाहिए, राजस्थान नहर का जो बचा हुआ पानी है उसकी किस विधि से ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फसलों की या बागवानी फसलों की सिंचाई करे, इसके बारे में भी आपको गहराई से सोचना चाहिए वर्ना सिंचाई भी करते हैं तो सिर्फ बांध और फ्लो से जितना इरिगेशन हो जाए और उस सिंचाई की लागत वसूल कर लेना इस तक ही आपने अपने आपको सीमित कर दिया।

दूसरा जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है वह है फलौदी लिफ्ट सिंचाई के सम्बन्ध में। यह योजना कोई 15-20 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी उसमें आज से पांच छः वर्ष पूर्व करीब 10-20 लाख रुपये व्यय भी हुए थे उसका शिलान्यास भी किया गया था लेकिन पिछले पांच छः वर्षों में इस पर एक पाई खर्च नहीं हुई। यह मैं आपको कह सकता हूं जितनी आपकी लिफ्ट योजनायें हैं उनमें सबसे सफल और अच्छा परिणाम देने वाली फलौदी लिफ्ट योजना है। जैसे आपने लूणकरणसर में पानी दिया है। लूणकरणसर की धरती टीबों की धरती है उसमें पानी देना बड़ा कठिन कार्य है और जो फलौदी लिफ्ट की धरती है वह बिल्कुल टेबल टाप फ्लेट है। जैसलमेर की गेहूं, चने की, अनाज की जो कमी थी उसकी पूर्ति यह क्षेत्र करता था और जब अच्छी बरसात होती है गेहूं,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जो, चना और सरसों यहां आज भी होता है। इस लिफ्ट का जो क्षेत्र है वह राजस्थान नहर से तीन किलोमीटर से ही शुरू हो जाता है और इसमें आयी धरती करीब तीन लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो केवल 10 या 15 मीटर ही राजस्थान नहर की सतह से ऊंची है। बहुत ही कम लागत में, बहुत ही शीघ्र अधिक परिणाम देने वाली यह लिफ्ट सिंचाई योजना है और इसके निर्माण को आपको उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसलमेर जिले में राजस्थान नहर का पानी आ रहा है, बीकानेर में आ गया, जैसलमेर के कुछ हिस्से में भी आ गया लेकिन धौलपुर जिला एक ऐसा बच गया है जिसके तीन किलोमीटर पर नहर चलती है और हमको एक एकड़ सिंचाई का लाभ नहीं मिला है। यह जो मेरा फलौदी का क्षेत्र है यह भारतीय मरुस्थल का मध्य है। यहां पर सबसे सघन आबादी है बहुत बड़े-बड़े गांव हैं और अकाल से सदैव प्रभावित रहता है। यदि एक लाख या दो लाख एकड़ का क्षेत्र सिंचित हो जाता है तो अकाल की विभीषिका कम होगी और पेय जल की समस्या जिस पर हम करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं उस व्यय से भी हम बच सकेंगे। आप इस कल्पना पर भी विचार कीजिए। कई क्षेत्रों में भूमिगत जल है, निकाला जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी। वर्षा के दिनों में नहर के पानी को ऐसे क्षेत्रों में फैलायें जिससे भूमिगत जो जल का स्तर है उससे ऊंचा आए। यह मेरे सुझाव थे जो मैंने आपको दिये हैं मैं समझता हूं आप इन पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में बहुत बड़ी-बड़ी नदियां हैं। कालीसिंध है, आहू है, चम्बल है इन पर सिंचाई के लिए योजनायें बनाई जायें। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं आज जो प्रश्न था उसका जवाब आपने इस प्रकार दिया है कि बड़ी योजना के लिए पैसा नहीं है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कलवी नदी के ऊपर जो बांध की योजना है उसका यदि आप सर्वे करायें तो यह योजना बहुत अच्छी साबित हो सकती है और किसानों की हजारों बीघा जमीन इससे सिंचित हो सकती है। इसी प्रकार झालावाड़ जिले में परवन, चम्बल, घोड़ा पछाड़ इस प्रकार की कई नदियां हैं और उनके बड़े जल भण्डार हैं यदि इनका सर्वे कराया जाये और योजना बनाई जाये और उनके ऊपर बांध बनाये जायें तो हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में पोडला बांध स्वीकृत है लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह किस कार्य की वजह से बन्द है, निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा है। इसका निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ करवाया जाये जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके।

इसी प्रकार कूंडला गांव के पास चम्बल नदी है यदि उसका सर्वे करवाया जाये और लिफ्ट योजना बनाई जायें तो किसानों की हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के पास कोलबी नदी और है उसका सर्वे कराया जाये और यदि इसके ऊपर बांध बनवाया जायेगा तो काफी अच्छा साबित हो सकता है। इसी प्रकार बिन्नाय का बांध जो आपने अभी बनाया है लेकिन उसकी कुछ नहरें जगह-जगह से टूटी हुई हैं उसकी वजह से किसानों को बराबर पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए इनका सर्वे कराकर के सारी नहरों को ठीक करवाया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि डग विधान सभा क्षेत्र में और झालावाड़ जिले में इस प्रकार से छोटे-छोटे एनीकट और बांध बन सकते हैं जिससे हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार झालावाड़ कस्बे में भीमसागर और हरित सागर और कई अन्य योजनायें चल रही हैं लेकिन बजट के अभाव में अधूरी पड़ी हैं। जनता सरकार के समय उनका कार्य प्रारम्भ हुआ था किन्तु कांग्रेस शासन में बजट नहीं मिलने की वजह से वह सारी योजनायें अधर झूल में हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन योजनाओं के ऊपर आप अधिक से अधिक बजट देंगे तो झालावाड़ जिले का उद्धार होगा और किसानों का उद्धार होगा हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सिंचाई विभाग की मांगें हमारे सामने रखी हैं, वास्तव में सिंचाई विभाग जहां तक मांगों का सम्बन्ध है राजस्थान में सबसे बड़ा मेरे जिले में है क्योंकि लगभग आधे से ज्यादा रकम उन क्षेत्रों में खर्च होगी और जो सिंचाई योजनायें हैं अगर पूरा पैंच देखा जाये तो दुनियां में शायद इतना बड़ा पैंच कहीं भी नहीं है जहां एक साथ सिंचाई होती हो वहां सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो यह पानी है, सिंचाई का पानी जिन क्षेत्रों से बहकर आता है, प्री-प्रोटेक्शन पानी, पाकिस्तान बनने के बाद ही जो उसकी संधियां हुई है और जिस तरह से राजस्थान सरकार केन्द्र की सरकार से मध्यस्थता से राजस्थान सरकार ने उसमें अपना हिस्सा तय किया है। मैं समझता हू कि हमारी आजादी के बाद की सरकारें थी उन्होंने धीरे-धीरे अपना हिस्सा छोड़ना शुरू किया। जो सबसे पहले वहां योजना बनी, जिस तरह का शेयर हम जो कैनाल में ले सके, हम उसके बाद अपने शेयर को सलेण्डर करते रहे। और सन् 1981 और 1985 में निश्चित तौर पर राजस्थान को अपने हिस्से में से जिस रूप में पानी छोड़ना पड़ा और जिस तरह से केन्द्रीय सरकार के दबाव में हमने यह सलेण्डर किया। यहीं सलेण्डर नहीं किया हमने एक बहुत बड़ी गलती की। और वो गलती यह कि राजस्थान कैनाल से जितना पानी हम उपयोग में लायेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उससे जो पानी बचेगा, उसको पंजाब इस्तेमाल करेगा। इस तरह से मैं समझता

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हूं राजस्थान कैनाल ऐसी कैनाल है कि जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे हमारा पानी या तो बहकर पाकिस्तान में जायेगा या उसका पंजाब इस्तेमाल करेगा। उसका डिजाइन 18 हजार क्यूसेक का है। 18 हजार क्यूसेक की यह कैनाल अभी इसके जितने क्षेत्र में पानी इस्तेमाल होता है वह लगभग 8 हजार क्यूसेक पानी का इस्तेमाल होता है और तीन जिलों में या साढ़े तीन जिलों में इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा अभी जो हमारी योजनायें हैं विशेष तौर से जो हमारी सबसे पुरानी कैनाल वहां है गंग कैनाल। सिंचाई विभाग ने अभी यह प्रोग्राम बनाया है कि उस गंग कैनाल से, जो गंग कैनाल 1925 में बनी, आज इस हालत में है कि उसकी उस वक्त की पानी की क्षमता थी 2700 क्यूसेक। उसके बाद में हमको और आवश्यकता पड़ी और हमने सारे क्षेत्र में 2900 क्यूसेक पानी देना शुरू कर दिया, आज उसकी स्थिति यह है कि वह कैनाल सिर्फ 2000 क्यूसेक पानी दे सकती है। उस समय हम 2900 क्यूसेक पानी चाहे फ्लड हो चाहे बरसात कितनी ज्यादा हो जाय सतलज रिवर में जितना भी पानी हो, हम सिर्फ उसमें 2000 क्यूसेक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आज से 5 साल पहले यह योजना बनी कि इसको लिंक किया जाय राजस्थान कैनाल से। एक लिंक कैनाल बनाकर और राजस्थान कैनाल में इसका पानी डालकर हम इस्तेमाल करें। राजस्थान कैनाल में जो हम पानी इसका डालेंगे निश्चित तौर पर हमको 500-600 क्यूसेक पानी का नुकसान होगा। यह इस तरह से कि राजस्थान कैनाल में जिस जगह से यह पानी डाला जायेगा, 80 किमी.–90 किमी. चलकर हम इस्तेमाल करेंगे और कच्ची कैनाल हम बना रहे हैं, उसमें 400-500 क्यूसेक पानी लोसेज होंगे। हमको 2900 क्यूसेक पानी लेने के लिए 3400 या 3500 क्यूसेक पानी डालना पड़ेगा। हमारी अभी योजना यह है कि हम 3200 या 3300 क्यूसेक पानी लें और उसका 2600-2700 क्यूसेक पानी गंग कैनाल के मुहाने पर पहुंचाये। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उस पर अभी 12 करोड़, उसकी जब पहले योजना बनी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12 करोड़ रुपये की थी। जो हमने यह तय किया था कि 12 करोड़ में बन जायेगा। अब उस पर आज राज्य सरकार हमारी राज्य सरकार अब खर्च कर चुकी है, वह 20 करोड़ रुपये के लगभग खर्च कर चुकी है और 20 करोड़ के बाद भी उसमें अभी आज से कोई महीना भर पहले हरियाणा की सरकार ने हमसे मांग की है कि एक करोड़ 71 लाख रुपये देंगे तो हम उसका निर्माण जो उसके क्षेत्र में है, उसका निर्माण पूरा कर पायेंगे और मैं समझता हूं कि मेरी उन इन्जीनियर्स से बात हुई है जो इसका निर्माण कर रहे हैं, उन अधीक्षण अभियन्ता से और अधिशाषी अभियन्ता से। वे यह कहते हैं कि अगर आपने 3-4 महीने नहीं दिया यह पैसा तो ढाई करोड़ हो जायेंगे और इस तरह हमको जो राजस्थान का हिस्सा ढाई करोड़ देना था सिर्फ वह राजस्थान की तरफ से हरियाणा को 5 करोड़ या साढ़े चार करोड़ देना पड़ेगा और यह जो लिंक कैनाल है जो 12 करोड़ या 13 करोड़ रुपये की बनी थी, आज 22 करोड़ या 23 करोड़ में बन पायेगी। अब वह कब बनेगी, यह भी कई बार घोषणा कर चुके। जो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पुरानी हमारी सरकार थी कांग्रेस की सरकार, वह तो इसकी घोषणा करके बेचारे चले गये और उनको मौका नहीं मिला कि इस कैनाल को पूरा करते और लोगों से इसके बदले में कुछ ले सकते। मुझे लगता है कि हमारी जो नई सरकार आई है। आते ही सबसे पहले उन्होंने यह ऐलान किया कि इस लिंक कैनाल को हम पूरा करेंगे। लिंक कैनाल को पूरा करने में गंगानगर जिले के उस हिस्से में जहां गंग कैनाल पानी देती है सिर्फ 300-400 क्यूसेक पानी का फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर हम लिंक कैनाल को पूरा भी कर लेंगे। पहली बात यह है कि हमको पूरा करने में अभी एक-डेढ़ वर्ष और लगेगा। यद्यपि यहां पर क्षेत्र के विधायक बैठे हैं, उस क्षेत्र के मंत्री बैठे हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में यह ऐलान किया है कि हम इस कैनाल को 1990 में पूरा कर देंगे। कोई कहते हैं 1991 में पूरा कर देंगे। उस कैनाल में अभी तक जो हरियाणा का हिस्सा है, वह पूरा होना बाकी है यह तो एक समस्या है और हरियाणा के मंत्री जब भी हमारे क्षेत्र में आते हैं यह कह कर जाते हैं कि राजस्थान हमको पैसा नहीं देता। पैसा देते ही पूरा कर देंगे पर उसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो पीछे का क्षेत्र रहता है जहां वह कैनाल मिलेगी जाकर के गंग कैनाल में उसके पीछे 100-150 क्यूसेक पानी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पानी 6 फीट लिफ्ट होकर जायेगा और निश्चित तौर से 6 फीट या 5 फीट लिफ्ट होकर पानी जायेगा। उसकी कोई योजना नहीं बनेगी। या तो वह क्षेत्र पूरा बिना पानी के रह जायेगा और उस क्षेत्र में पानी को लिफ्ट करके लिया जायेगा। तो उसके निश्चित तौर से एक साल पूरा लगेगा कि लिफ्ट बने, पावर हाउस बने, उसके बाद उस कैनाल को बनाया जाय और पानी दिया जाय तो इस कैनाल को भी लिंक कैनाल है जिसकी योजना यह थी कि हम इसको एक साल में डेढ़ साल में पूरा कर लेंगे। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि राजस्थान कैनाल का पानी जो 18000 क्यूसेक है उसमें सिर्फ हमारे पास व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारा 3500-4000 क्यूसेक पानी उस कैनाल में आयेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान सरकार ने उस गंग कैनाल को पूरा करने का प्रोग्राम नहीं बनाया तो जो माननीय सदस्य लूणी से, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, दूसरे माननीय सदस्य जो लिफ्ट योजनाओं का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिनके दिमाग में सपना है कि राजस्थान कैनाल का पानी हम लिफ्ट कर कहीं ले जायेंगे। यह 3000-3500 क्यूसेक पानी अगर गंग कैनाल के हिस्से का हमेशा चलता रहा तो राजस्थान में कहीं भी कोई भी लिफ्ट कैनाल बनाने का सवाल ही नहीं है। इसका तभी सवाल उठता है जब हम उस पूरी कैनाल को जो, हमारी पुरानी चैनल है जो 90 किमी. से 80 किमी. पर है, फिरोजपुर से लेकर गंगानगर तक उस सारी को दुबारा पक्की बनाये और माननीय सिंचाई मंत्री जी जानते हैं अगर उसको पूरी पक्की बनाया जाय तो वह 150 करोड़ रुपये से कम नहीं बनेगी और अबकी योजना 150 करोड़ हो सकती है पर इसी तरह से जो हमारे इन्जीनियर्स जैसी पहले नहरें बनाते रहे हैं उसी रफ्तार से बनाई तो पता नहीं कितने करोड़ों में बनेगी तो इसमें सबसे बड़ी

(श्री हेतराम वेनीवाल)

समस्या हमारे लिये यह है कि जो पानी की व्यवस्था है जो 3000 क्यूसेक पानी हम गंग कैनाल नहर से लेते रहे उसको हम राजस्थान कैनाल में ले लेंगे इसलिए राजस्थान कैनाल की कैपेसिटी 3500 क्यूसेक कम हो जायेगी और यह तब तक कम रहेगी जब तक उस गंग कैनाल को पूरा नहीं करते और इसलिये निश्चित तौर से राजस्थान सरकार के दिमाग में यह रहनी चाहिये कि अगर हम उन नदियों में हमारा जो शेयर है, सतलज और व्यास में हमारा हिस्सा है पानी का उस पूरे हिस्से को अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमको चाहिये कि हम कोई भी व्यवस्था करें इस गंग कैनाल को बनाने के बारे में सोचा जाय ताकि गंग कैनाल बननी शुरू हो और यह 5-7 साल में बन जाय जिससे कि हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकें।

दूसरी जो बात मुझे कहनी है वह यह कि जो हमारी व्यवस्था है दोनों नहरों की मैं समझता हूं कि राजस्थान कैनाल के निर्माण में जो कुछ हुआ है और राजस्थान कैनाल में जो पानी जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है अगर उसका पुरानी सरकार इस विधान सभा में भी और बहुत दफा भी इस पर भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े आरोप लगे हैं कि राजस्थान कैनाल के निर्माण में कितना बड़ा घोटाला हुआ। मैं समझता हूं कि राज में इससे बड़ा घोटाला और इससे बड़ा पैसों का अपव्यय किसी भी जगह नहीं हुआ जितना राजस्थान कैनाल में हुआ है। कोई नहीं कह सकता, आज के दिन कोई भी इस विधान सभा में इस हालत में नहीं है कि राजस्थान कैनाल को पूरा करने की बात कर सके। जब यह पहले बनी उस वक्त यह था 83 में बन जाएगी, 83 में पूरी कम्पलीट हो जाएगी और आज इस शताब्दी में बन जाए यह भी कोई नहीं कह सकता। तो क्या हम समझते हैं कि जो राजस्थान कैनाल का पानी है 18 हजार क्यूसेक, 8 हजार इस्तेमाल करके 10 हजार क्यूसेक उसी तरह से जाने देंगे, उसकी कोई योजना नहीं बना सकेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल राजस्थान के सामने अगर है, इस बात का नहीं है हम कौनसी लिफ्ट बनायें क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लिफ्ट कैनाल की योजनायें हैं वह लिफ्ट कैनाल की योजनायें राजनैतिक योजनायें हैं। जिस नेता का असर हो, जिस पार्टी का असर हो वह अपने जिले और डिवीजन की योजना बना लेता है। जब चन्दनमल जी पावर में थे तो उन्होंने चूरू के लिए योजना बना दी और पूरा प्रचार किया कि राजस्थान कैनाल का पानी लिफ्टे करेंगे। मैं समझता हूं इन्जीनियर इस बात को जानते है, सिंचाई मंत्री जी, राजस्थान कैनाल का पानी अगर 150 फीट या 160 फीट लिफ्ट करेंगे, कितना खर्चा आयेगा? हमारे पास बिजली की क्या स्थिति है? राजस्थान में हमारी यह स्थिति है कि हम अपनी बिजली सिर्फ 20 या 25 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। या तो हम लेते हैं सेन्टर से जो हमारा अणु बिजली घर है केन्द्र सरकार का उससे लेते हैं या पंजाब से लेते हैं। हमारा अपना उत्पादन जिस प्रदेश का बिजली का इतना कम हो, जिस प्रदेश के अन्दर बिजली की इतनी कमी हो, हम यह सोचें 150 से 165 फीट पानी उठाया जाय और पानी उठाने के बाद क्या स्थिति स्थिति होगी पानी की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी के जो लासेज हैं, पानी का जो नुकसान है अपने आप में वह आपने कभी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

महसूस नहीं किया। जोधपुर कैनाल जो कैनाल हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए बना रहे हैं, यहां सौ प्रतिशत पानी देंगे तो कितना पानी इस्तेमाल होगा ? साढ़े तीन सौ क्यूसेक या चार सौ क्यूसेक। तीन सौ क्यूसेक पानी जिस तरह से हम इसको लिफ्ट करेंगे वहां से हमारा इस्तेमाल होगा और इसको ओपन रखा जाएगा, जैसा कई माननीय सदस्य कहते हैं इसको पूरा ओपन रखा जाय, सिंचाई के लिए बीच में दिया जाय, अगर इस तरह की हम योजना बना लेंगे तो उसका तीन सौ क्यूसेक पानी 80 या 70 किलोमीटर जाकर सौ क्यूसेक पहुंचेगा। यही योजनाएं हम बनायेंगे तो हमारा पानी बीच में जो लासेज होंगे। पानी को उसी में खत्म हो जायगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको देख नहीं रहे उसी क्षेत्र में जिस जगह यह कैनाल है, आधा हिस्सा अभी जो पानी हम दे रहे हैं वहां लगभग 32 या 33 लाख एकड़ में यह पानी इस्तेमाल होता है एक करोड़ उन्नीस या 20 लाख एकड़ जमीन आस पास पड़ी है जिसमें सिर्फ 32 लाख एकड़ में हम सिंचाई करते हैं बाकी सारा का सारा क्षेत्र उसके आस-पास बिना सिंचाई का है। हमने कभी यह खयाल नहीं किया क्योंकि राजनैतिक दिमाग है और हमारी सरकार की नीति जो पावर में आ जाय, जिनका असर हो और विशेष तौर से पावर में नहीं आ जाय, जो मंत्री पावरफुल हो वह अपनी योजना बना लेता है, अगर जोधपुर वाला पावरफुल हो तो वह फलौदी की योजना बनायेंगे, और अगर पावरफुल हो चूरू वाले तो वह चूरू की योजना बनायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पानी को टेक्नीकली हमें इस्तेमाल करना है वह इस्तेमाल करने का यह है कि हम जल्दी से जल्दी राजस्थान का हिस्सा, अपने राजस्थान की धरती पर हम सिंचाई के लिए उपयोग में ला सकें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा हितकर है।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, अभी जो कैनाल चल रही है, मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है कि राजस्थान का जो हमारा हिस्सा है उसमें तीन कैनाल है। उन तीनों कैनाल में जो पानी का सिस्टम है अभी तक हम यह नहीं कर पाये कि हम एक दूसरी कैनाल का पानी इस्तेमाल कर सकें। इसलिये राजस्थान कैनाल में पानी फालतू है तो वह पाकिस्तान में जाएगा, पंजाब में जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। जो भाखरा का हिस्सा है हम भाखरा में इस्तेमाल करेंगे। भाखरा की और गंग कैनाल की आपको एक बात और बताऊं, एक जमीन है, एक जगह पानी इस्तेमाल होगा 2.4 क्यूसेक पर थाउजेंड एकड़ और यह भाखरा में जो पानी देने का तरीका है एक हजार एकड़ को हम 2.47 देंगे और वहीं गंग कैनाल में 2.56 देंगे और राजस्थान कैनाल में उसी जिले की धरती है, हम देंगे साढ़े पांच क्यूसेक। एक ही सिस्टम है, एक ही सरकार है, एक जैसा हम टैक्स वसूल करते हैं, एक जैसे किसान हैं, हम अलग-अलग जगह अलग-अलग पानी इस्तेमाल करते हैं, हम एक को पानी कुछ देते हैं, दूसरे को पानी कुछ देते हैं और तीसरे को साढ़े पांच क्यूसेक दे रहे हैं। एक जगह पानी इतना फालतू है कि वहां दो फसलें करने के बाद भी पानी बचता है और एक जगह यह स्थिति है कि एक फसल भी नहीं

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कर पाते। दूसरी सबसे बड़ी जो उस व्यवस्था में बिगड़ाव आया है वह यह कि राजस्थान में मुझे कहना नहीं चाहिये, जो भ्रष्टाचार 25-30 साल से पनपा उसने सारी नहरों को बर्बाद कर दिया, सारे कैनाल सिस्टम को बर्बाद कर दिया। आज राजस्थान में 1925 में जो कैनाल बनी थी फ्यूडल लार्ड के वक्त में, एक महाराजा के वक्त में उस कैनाल में पूरे टेल तक पानी पहुंचता था, जो आखिरी चक थे जहां आखिरी छोर तक शेयर होल्डर बैठा है उस तक उसका पानी पूरा पहुंचता था और जो हमने नहरें बनाई हैं भाखरा में कुछ जगह उसमें दस-दस मोगे ऐसे हैं जिनका पानी में शेयर कुछ नहीं है। एक हिस्से में ज्यादा पानी लगता है जो असरदार लोग हैं, जिन्होंने अपना असर इस्तेमाल कर लिया या पैसा इस्तेमाल कर लिया उनके आउटलेट्स अलग हैं, दूसरों के आउटलेट्स अलग हैं। हमने सिस्टम को इस तरह से बिगाड़ लिया कि आधे हिस्से में, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय इसकी जांच करवायें तो उनको पता लगेगा कि एक ही कैनाल सिस्टम है उसके एक हिस्से में सिंचाई की क्षमता कुछ है वहां जो इन्टेन्सिटी है वह सौ प्रतिशत या 120 प्रतिशत है और उसका जो आधा हिस्सा बचता है टेल का उसमें 60 प्रतिशत या 40 प्रतिशत है। तो यह जो भ्रष्टाचार है निश्चित रूप से महसूस किया होगा सिंचाई मंत्री महोदय ने इन दो तीन महीने में कि इस राग में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है और उन्होंने वहां के किसानों की क्या स्थिति बना रखी है। निश्चित रूप से जो नई सरकार है उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि पानी का बंटवारा सारे क्षेत्रों में एक जैसा हो। एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ 1970 में और पानी के लिये हुआ, हजारों किसान कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जेलों में गये, पुलिस का मुकाबला किया, गोलियां चलीं उसके बाद इसी विधान सभा के फ्लोर पर मुख्य मंत्री ने ऐलान किया कुछ सुविधाओं का, कुछ फैसले किये कैनाल के बारे में और उन्होंने एक कमेटी बनाई चीफ इन्जीनियर की, उस कमेटी ने फैसला किया कि सारे क्षेत्रों में पानी को एकसा बांट दिया जाय। सारी जगह जो पानी का शेयर हो वह तीन क्यूसेक पर थाउजेण्ड एकड़ हो और सभी कैनाल में एक जैसा कर दिया जाय। आज तक वह पानी का फैसला इस लिये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि वहां जो बड़े-बड़े लैण्ड लार्ड हैं उस क्षेत्र में, जिनकी दो-दो हजार, डेढ़-डेढ़ हजार बीघा जमीन है, जिनके पास आउटलेट्स हैं, वह असरदार लोग इन इन्जीनियर्स से मिल कर किसी भी हालत में अपने उस शेयर को कम नहीं होने देते, उस शेयर को उसी तरह रखते हैं। उन्होंने यह स्थिति बना रखी है, मैं आपसे अर्ज करूं, वहां अजीब तमाशा है, आप देखोगे, एक आदमी जिसकी जमीन उसके बराबर है दूसरे गरीब के वह अपने शेयर का पानी किसी नाम से, कोई बाप के नाम से, कोई गन्ना फार्म के नाम से, कोई चुकन्दर फार्म के नाम से इस तरह से जो शेयर लेते हैं पानी का, उन्होंने आउटलेट्स जो अपने बना रखे हैं उसकी वजह से सारे गंग कैनाल और भाखरा, विशेष तौर से दोनों सिस्टम इतनी बुरी स्थिति में हैं कि उनके शेयर होल्डर जो हैं, आधा हिस्सा बिना पानी के रहता है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में जो पानी हमको मिलता है उसको बांटने का

(श्री हेतराम बेनीवाल)

सही ढंग से किया जाय। दूसरा यह कि राजस्थान कैनाल सिस्टम जिस क्षेत्र से बहता है उस क्षेत्र में अगर भूमि पड़ी है, उस क्षेत्र में ऐसी जमीन पड़ी है जिसको सिंचाई की आवश्यकता है, मैं समझता हूं चाहे किसी को दी जाय, चाहे उसका मालिक कोई बन जाय, या राजस्थान के किसी हिस्से में किसी को दी जाय पर उस पानी को उस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाय जिससे वास्तव में हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। मेरा निवेदन है कि राजस्थान कैनाल हमारे राजस्थान के सारे लोगों की लाइफ है। अगर हम अकाल से मुकाबला करना चाहते हैं। अभी पिछले सेशन में इस बात पर बहुत बड़ी बहस हुई थी। अगर अस्थाई रूप से अकाल से मुकाबला करने की हमारे पास कोई ताकत है तो वह राजस्थान कैनाल और गंग कैनाल की है। इनका निर्माण फौरन किया जाय जिससे हम पूरे पानी का इस्तेमाल कर सकें जो हमारा इसमें शेयर है।

मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि अगर 10-12 साल तक हमने अपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया और पंजाब ने अपनी जमीन में इस्तेमाल करके सेचुरेट कर ली तो निश्चित रूप से हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किल आएगी और एक ऐसा दिन भी आएगा कि पंजाब इस बात को इन्कार कर देगा और यह इंटर स्टेट झगड़ा इस रूप में बढ़ जाएगा कि हम राजस्थान कैनाल में उस पानी को ले नहीं पायेंगे।

दूसरा अभी तो हरियाणा और पंजाब से शेयर मिलता है उसमें हमारी एक बदकिस्मती है कि हमारे पास अपनी कैनाल नहीं है। हम उनकी कैनाल से फरिन्द हैं। उसमें अपना पानी डालकर भाखरा के लिए जो 1700 क्यूसेक्स पानी लेते हैं वह उनकी कैनाल में लेते हैं। इसलिये जिस जगह से पानी डालते हैं वहां तो पानी पूरा है, वहां शेयर नापकर देते हैं। उसके बाद जो 10-15 किमी. कैनाल है उसमें उन्होंने सरे आम सबके सामने अपने आउटलेट लगा रखे हैं मोटरें पम्प और ट्रक लगा रखे हैं और 100-150 क्यूसेक्स पानी निकाल लेते हैं और हमारे सी. ई. और एस. ई. उनके बेलदार से पूछ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हमारे जनता दल के साथी बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उसी पार्टी के हैं, हमारी हरियाणा की सरकार है वह भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है। हम आधा शेयर हरियाणा से लेते हैं इसलिए जिस जगह तक हरियाणा का शेयर आता है उस जगह तक डबल आउटलेट लगा रखे हैं, पानी का दुगना इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए पानी की शॉर्टेज है। हर रोज हनुमानगढ़ और खारा के लोगों को शिकायत रहती है कि पीने का का पानी भी उन्हें नसीब नहीं होता। पूरा टैक्स देने पर भी पानी मई और जून के महीने में भी हमको नहीं मिलता। इस मामले में सख्ती से, मजबूती से केन्द्र सरकार से बात करनी चाहिये इसकी व्यवस्था हो। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके निर्विरोध निर्वाचित होने पर आपको बधाई देता हुआ सिंचाई की बात पर आता हूं। इन्द्र के बाद

(श्री टीकमचन्द कान्त)

अगर दूसरा स्थान किसी का है तो वह सिंचाई या सिंचाई विभाग का है। इन्द्र के साथ भूमि, पानी और भूमि पुत्र किसान और किसान की समृद्धि। किसान की समृद्धि के साथ देश की समृद्धि जुड़ी हुई है। देश की समृद्धि और सिंचाई का मैंने इस रूप में सम्बन्ध बताया है। जहां तक सिरोही का प्रश्न है, उसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं जिनकी शृंखला के बीच में पर्यटकों का केन्द्र, पानी को खींचकर बरसाने वाला और बहा करके भूमि के अन्दर भेजने वाला पवित्र आबू है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहूंगा।

जैसा माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई ने फरमाया कि खोज और शोध की तो वास्तव में आवश्यकता है। बांध बनाने से कहीं-कहीं लोगों को यह तकलीफ हो गई कि हमारा पानी नीचे चला गया है। धरती के जल का दोहन इतना हो चुका है कि अन्दर का पानी खत्म हो गया है लेकिन फिर भी कहीं-कहीं पानी बहकर गुजरात की सीमा के अन्दर आबू का जा रहा है उसको रोके बिना रेवदर समृद्ध नहीं हो सकता। किसी जमाने में रेवदर रमणीय था। सिरोही उस पानी के कारण समृद्ध था। लेकिन आज जो रेवदर की दशा हुई है उसका एकमात्र कारण है कि हमने ध्यान नहीं दिया रेवदर के अन्दर जो आबू का पानी बहकर गुजरात में जाता है। गुजरात का बांकीवाड़ा और बलरा टीपू डेम इस आबू से निकलते हुए पानी की आवक का ही गणित है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम क्यों इतने पीछे रह गये क्यों चेतना हमको पहले नहीं आई? गुजरात हमसे पूर्व कैसे जाग गया और हमारा पानी उनकी क्षमता से ज्यादा होकर वहां बाढ़ लाता है और हम अपने पानी को रोक नहीं पाते।

उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 4 हजार एम. सी. एफ. टी. पानी 40 हजार एकड़ के अन्दर सिंचाई करने जितना पानी गुजरात की तरफ जा रहा है उसको रोक नहीं सकते। मेरे खयाल में विभाग के अन्दर आबू गारलैण्ड योजना कहीं पड़ी हुई है। उसको भी एक बार उठा कर देखने की आवश्यकता है। माननीय सिंचाई मंत्री जी से पूर्व में मैंने परिचय आबू के पानी का करवाया था कि आबू का पानी गुजरात में जा रहा है थोड़ा विभाग को उस जिले में लगा करके सक्रिय कर दीजिये। मास्टर प्लान बन जाय तो हमारा इतना पानी बच जाएगा। उनके कारण थोड़ा बहुत कार्य हुआ तो है, मास्टर प्लान बना तो है। कितना बन पाया मुझे मालूम नहीं लेकिन इस पर कार्य होना शुरू हो जय तो माननीय भंवरलालजी शर्मा भी और माननीया पुष्पा जी भी खुश हो जाएंगी क्योंकि अकाल और पीने के पानी की समस्या इसके साथ ही वहां से निर्मूल हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सूचना के तौर पर नर्मदा जल योजना का पानी कहीं जालौर और सिरोही को मिलने की बात थी। सारा विभाग जानता है लेकिन मैं शुभ समाचार दे दूं कि इसके अन्दर जो रुकावट थी वह परसों के दिन विश्व बैंक का तार आ गया कि विश्व बैंक का पैसा वापिस स्वीकृत हो गया है। कार्य की वापिस स्वीकृति मिल गई है अब अगर हो सके तो सिंचाई मंत्री जी और विभाग इसमें जल्दी कर लें।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

उपाध्यक्ष महोदय, खोज और शोध की बात है तो डा. वाकणकर की खोज की सरस्वती नदी भीतर में बह रही है। अखबारों में आया, सरस्वती जहां से बह रही है उसकी एक विशेष दूरी पर जाकर उसके अन्दर बोरिंग कर दिया जाय और उसके पानी को बाहर निकाला जाय तो पूरे भारत में बाढ़ आ सकती है। उन्होंने अपने ढंग से खोज की है लेकिन सिंचाई विभाग को भी देखना चाहिए कि उन्होंने कहां-कहां रेखांकित किया है। हमारे यहां सरस्वती भूमि के अन्दर कहां-कहां बह रही है। उसका एक हिस्सा आबू और सिरोही के पास से भी बह रहा है यह उनकी खोज है। उसके आधार पर भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को देखना है। सिर्फ बांध बनाना या नदियों का जल रोकना ही यह बात नहीं है। इन संकेतों के आधार पर भूत और भविष्य दोनों को देखते हुए शोध और खोज करनी पड़ेगी। कुछ नये वैज्ञानिक आधार बनाने पड़ेंगे तब कहीं जाकर आप उस धरती का और किसानों का भला कर पायेंगे।

(7.00 म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ योजनाएं रेबदर और उसके क्षेत्रों की एक सपना बनी हुई हैं। सूकड़ी-सेलवाड़ा बांध 30 वर्ष से एक सपना है। उस सपने के नाम पर लोग वोट बटोरते रहे। अभी पिछले समय माननीय बूटासिंह जी आठ लाख रुपये कहीं से स्वीकृत करवा लाये और उनसे जीपें खरीद लीं, और कोई उपयोग होना था वह हो गया लेकिन सूकड़ी-सेलवाड़ा सी. डब्ल्यू. सी. के अन्दर पड़ा हुआ है। उस तक कोई पहुंचा नहीं है उसको स्वीकृत करवाने के लिए। सूकड़ी-सेलवाड़ा रेवदर की सिंचाई का केन्द्र है और बहुत सारे गांवों को इससे लाभ होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कुछ आंकड़ों का सवाल है। 17 गांवों को लाभान्वित करने वाली योजना और कुल 11,607 एकड़ भूमि को लाभान्वित करने वाली योजना। उपाध्यक्ष महोदय, अभी विभाग ने एक नीति बनाई है कि दस हजार से कम खर्चा प्रति एकड़ जिस योजना पर आता हो, उस योजना को हमें पहले लेना चाहिए। वह बात ठीक है और मैं आपसे यह कहता हूं कि मेरे इस सूकड़ी सेलवाड़ा योजना का भी 9,900 ही खर्चा प्रति एकड़ आ रहा है, दस हजार से कम है। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। विश्व बैंक के चार सौ सत्तर करोड़ रुपये लेने की बात सिंचाई के लिए उसमें सूकड़ी सेलवाड़ा का हिस्सा भी उस पैसे के अन्दर हो। उपाध्यक्ष महोदय, एक योजना पिछली बार भी मैंने रखी थी, राज्यपाल के अभिभाषण के समय बोलते हुए कहा था ट्राइबल डवलपमेंट एरिया वह आबू रोड़ और पिण्डवाड़ा की है। आबू रोड़ की तहसील भी उसके अन्दर आती है। उसके अन्दर भैंसासिंह बांध। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट की तरफ से उसको पैसा मिला था और बना था और बना कितना? पचास लाख रुपये अन्दर डाल दिये और ज्यों का त्यों रह गया। उपाध्यक्ष महोदय, दस वर्ष के बाद पिछली बार जब इस सन्दर्भ में मंगवाया तब कहीं जाकर के फाईल निकली। उस ट्राईबल एरिया डवलपमेंट ऑफिसर के पास पचास

(श्री टीकमचन्द कान्त)

लाख रुपये अन्दर डाल करके उसका कुछ भी नहीं। इतना रुपया उपाध्यक्ष महोदय, किसी बनिये के यहां रख दिया होता तो चार करोड़ रुपये की रकम बनकर बाहर आ गया होता और उससे दो सिंचाई की योजनाएं तैयार कर लेते। आदिवासियों की योजना में पचास लाख रुपया हमारा अन्दर चला गया। उसके पश्चात् भी कोई परवाह नहीं। किसी भी विभाग को कोई चिन्ता, वहां के अधिकारी को मालूम नहीं। कहने के बाद में मालूम पड़ता है कि भैंसासिंह योजना हमारी थी। कुल मिला करके दो करोड़ 25 लाख की योजना थी। पचास लाख हम अन्दर डाल चुके, उसके बाद बन्द कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय,मैं यह चाहूंगा कि पीछे की गलती को दोहराया नहीं जावे और भैंसासिंह योजना जिससे करीबन दो हजार सात सौ बहत्तर एकड़ भूमि सिंचित होने वाली है। उस भूमि के लिए यह योजना आवश्यक है। इसके अन्दर 256 आदिवासी, 66 एस. सी., 240 दूसरे, कुल 562 काश्तकार लाभान्वित होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी भी प्रति एकड़ जो कॉस्ट आनी चाहिए वह भी दस हजार से नीचे है। करोड़ी गज योजना अभी तक लम्बित पड़ी है। करोड़ी गज योजना उपाध्यक्ष महोदय, रेवदर की कटी योजना है। इससे भी पांच गांव जो रेवदर के बीच में आते हैं, वे लाभान्वित होते हैं। एक हजार एकड़ भूमि उससे लाभान्वित होती है। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी भी कोस्ट जो है वह साढ़े नौ हजार प्रति एकड़ आती है। उपाध्यक्ष महोदय, निम्बोड़ा बांध, निम्बोड़ा प्रोजेक्ट से भी 1026 एकड़ भूमि उससे सिंचित होती है और करीबन पांच गांव। निम्बोड़ा का महत्व अलग है उपाध्यक्ष महोदय, निम्बोड़ा के पास के गांव—मडिया, हालीवाड़ा, जैला, इन सारे गांवों का एरिया ड्राइबैल्ट कहलाता है। सूखा भाग, मैं इस पर विशेष जोर दे रहा हूं। जहां जमीन के नीचे दो-दो सौ, तीन-तीन सौ फुट पर भी खोदने पर हमको पानी नहीं मिल पाया। टैंकरों से लोगों को पीने का पानी पहुंचाना पड़ा। खेती मुश्किल से लहलहा सकती है। निम्बोड़ा बांध का इसलिए महत्व है कि यह ड्राईबैल्ट को रेडबैल्ट बनायेगा। एक-एक योजना का का अपना महत्व है उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भरतपुर, कोटा ईश्वर की कृपा, इन्द्र की कृपा और प्रकृति की कृपा और उसका दोहन भी व्यवस्थित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जालौर और सिरोही की तरफ ध्यान यहां जयपुर में बैठे हुए विभाग का, यहां बैठे हुए मंत्रियों का कम गया है। एक बार उधर आकर के अभी मैं निमंत्रण देता हूं उपाध्यक्ष महोदय, उन मंत्रीजी को। कल मैं गाड़ी से चल रहा था। आबू की पर्वतों की शृंखलाओं से निकलता हुआ कल-कल करता जल, एक-एक बहता हुआ झरना, एक-एक बहता हुआ नाला इतना अधिक पानी बह कर जा रहा था, उपाध्यक्ष महोदय। मैंने सोचा कि काश जब बरसात आई तब सिंचाई मंत्री वहां से गुजरे होते। शोध का कोई बुद्धि और दिमाग रखने वाला कोई इंजीनियर सिंचाई का वहां से अगर गुजरा होता तो शायद इस बहते हुए झरने के जल को रोक करके पल्लिवत कर देता इस भूमि को। समृद्धि में, गंगानगर से टक्कर हम लेते। पंजाब से टक्कर हम लेते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें अब ।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, हम विश्व में आस्ट्रेलिया से टक्कर ले सकते थे । इस प्रकार से सिंचाई मंत्री महोदय, आज ही मांगों एवं अनुदान की मांगों की बातें पूरी हो जाती हैं । आप कल ही पर्दापण करके प्रकृति का जो जल बह रहा है, पहाड़ियों के अन्दर से इतना अधिक जल बह करके गुजरात में जा रहा है, उस जल को रोकना हमें आवश्यक है । क्षेत्र को हरा-भरा बनाना आवश्यक हैं ।

(7.10 सायं)

(श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति, पदासीन)

पिछड़े हुए क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों के बराबर लाना जरूरी हैं । यह आवश्यक है । इतनी ही बात कह करके सिंचाई मंत्री महोदय, आबू की तरफ, रेवदर की तरफ, सिरोही की तरफ आपका पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री रतनाराम जी ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति जी, हमारी गलती जो हमने की है वे भी दोहरायेंगे एवं आप भी जो गलती करो, वे भी हम बतायेंगे । आज सिंचाई विभाग की जो दशा हो रही हैं । मेरे जालौर जिले में भी बारह मास बहने वाली नदियां हैं, जैसे हमारे पूर्व वक्ता भाई श्री टीकमचन्द जी ने कहा कि सिरोही में भी ऐसी नदियां हैं जो बारह मास बहने बहने वाली हैं, पानी व्यर्थ में जाता है । इसी तरह से जालौर में जैतपुर नदी और बड़गांव नदी का पानी जो बारह मास बहने वाला पानी है वह गुजरात में जा रहा है. राजस्थान में उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा हैं । इसलिए मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज जैतपुरा नदी पर पानी रोकने का काम जो चालू किया है परन्तु वह इतना मन्द गति से चल रहा है अगर ऐसी गति से ही काम हुआ तो करीब दस साल में भी काम पूरा नहीं हो पायेगा । इसलिए कृपा कर जैनपुरा जो बांध बनने जा रहा है, उसको अतिशीघ्र पूरा किया जावे । नहीं तो गुजरात सरकार ने अगर नीचे से बांध बना दिया तो आप उस बांध को पूरा नहीं कर पाओगे । गुजरात में तेज गति से उन पर ध्यान दिया जा रहा है और उनकी सर्वे हो गई है और इनका बांध बन गया तो आपके बांध के लिए सेन्टर में दरख्वास्त लगा सकता है, आपका बांध रुकवा सकता है इसलिए कृपा कर अतिशीघ्र जैतपुर का बांध पूरा करवाया जाय । दूसरे, बड़गांव की नदी की भी ऐसी ही हालत है कि उसका पानी भी गुजरात में जाता है इसलिए उसका भी सर्वे करवा कर, किसी स्थान पर, गुजरात की बाउण्ड्री, राजस्थान की बाउण्ड्री पर जो एक अच्छी जगह है, जहां दोनों जगह बहुत बड़े टीबे आये हुए हैं. उस जगह बांध बनवा दिया जाय तो राज्य की हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है और उन कुओं में जो पानी आज कम होता जा रहा है, उनका जलस्तर ऊपर आ सकता है । जालौर जिला कृषि प्रधान जिला है । जालौर जिले में सबसे बड़ी जो क्रॉप होती है, जो बिजनेस होता है, रायड़ा, जीरा, ईसबगोल पूरे

(श्री रतनाराम चौधरी)

हिन्दुस्तान का पचास प्रतिशत जालौर जिले में उत्पादन होता है, पचास प्रतिशत पूरे हिन्दुस्तान में होता है। इसलिए छोटी-मोटी नदियों का सर्वे करवा कर अगर इनका पानी राजस्थान बाउण्ड्री पर रोक दिया जाता है तो राज्य को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, किसान मालामाल होगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा और सरकार को राजस्व मिलेगा। जालेरा कल्ला की नदी भी ऐसी नदी है जिसका पानी वह कर पूरा गुजरात में जाता है। जिसमें जालेरा कल्ला, जालेरा खुर्द, गांग, सीमनगढ़, मेहतरीवाड़ा और मण्डाड़ी वगैरह गांवों की सीमा आती है और उस पानी से किसानों के खेतों का कटाव भी होता है। एक तो काश्तकार की जमीन कटाव से रुक जायेगी, दूसरे पानी रुकने से सिंचाई के लिए पानी काश्तकारों को मिल जायेगा और कुओं का पानी ऊपर आ जायेगा। इसलिए उनका सर्वे करवाया जाय। जो तीन नदियां हमारे क्षेत्र में हैं इनका आप सर्वे कराइये।

दूसरे, काफी समय से सर्वे का काम पूरा हो गया है। उसमें कुछ छह लाख रुपये का बजट भी दिया है जिसे सेन्दड़ा बांध कहते हैं जो थूर के पास आया हुआ है। आज पन्द्रह-बीस साल से कभी सर्वे, कभी कुछ, कभी फाईल कागजात इधर गये, कभी उधर गये, अभी हमने सुना कि चार-छह महीने छह लाख रुपये काम के लिये दिये हैं इसलिये काम को तीव्र गति से करवाने की कृपा करें। जालौर जिले में अभी कुओं का पानी नीचे चला गया था तो काश्तकारों ने गुजरात से रिगें मंगवाई। रिगें मंगवाकर हमारे यहां ट्यूब वैल्स करवाये हैं। जैसे बाली, मोरसिंग में पानी बिल्कुल खारा था, ऊपर का पानी बिल्कुल खारा था और नीचे अगर ढाई-तीन सौ फीट गये तो बिल्कुल मीठा, दूध जैसा पानी आया और राजस्थान में जो सरकारी रिगें हैं वह एक फीट से ढाई सौ रुपये की लागत से ट्यूब वैल बनाती है। गुजरात वाले जो प्राइवेट हैं वह 35 रुपये फीट में ट्यूब वैल बनवा कर चले गये और उन्होंने लाखों रुपये कमाये। हमारी सरकार ने ट्यूब वैल बनाने की कीमत, रिग की यानि ट्यूब वैल बनाने की मशीन की कीमत एक फीट के ढाई सौ, तीन सौ रुपये रख दिये हैं। यह बिल्कुल गलत है, यह कोई किसानों के लिए लाभकारी योजना नहीं है। किसान प्राइवेटली अगर अपने ट्यूब वैल बनवाता है तो एक फीट का फर्क 35 रुपया लगता है। 35 रुपये फीट में हमारे यहां 100-150 ट्यूब वैल्स मोरसिंग, बाली और सब जगह बने हैं और अच्छा पानी मिला है। किफायती भाव से गुजरात वाले काम करते हैं। इस तरह से आप भी उस पर पुनर्विचार कर इसकी रेट को घटाइये और अपने काश्तकारों को लाभ दीजिए। वैसे हमारे बजट में अभी हमने सुना कि काश्तकारों को ट्यूब वैल बनाने पर कुछ अनुदान देंगे, यह बहुत बढ़िया बात है। कृषि को एक उद्योग का दर्जा देना चाहिए। कृषि पूरी दुनियां का पेट पालती है। किसान रात-दिन, गर्मी-सर्दी में खड़ा रह कर अपनी ही पेट नहीं, पूरे देश का पेट पालता है तो ऐसे लोगों को आप अनुदान देते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अभी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में शायद कुछ देने लिए कहा भी है, हमारे माननीय मंत्रीजी, रेवेन्यू मिनिस्टर और सिंचाई मंत्री झाला साहब भी बैठे हैं, पूरे अनुभवी रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, काश्तकार परिवार से ही हैं,

(श्री रतनाराम चौधरी)

उनको अच्छी तरह से अनुभव है कि काश्तकार क्या दशा, क्या हालत है ? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी काश्तकार आज हजारों साल से जिस तरह से गुजर कर रहा था, छपरे में रह रहा था, उसी हालत में आज गुजर कर रहा है, रहता है। उद्योगपतियों को आप जो 25-25 प्रतिशत सबसीडी देते हो, उनको करोड़ों रुपयों का लोन देते हो, 25 लाख रुपये तो उनके वैसे ही बन जाते हैं अनुदान के और 75 लाख रुपये का लोन दिया। जैसे करोड़ों रुपये का लोन दिया तो उसमें 25 प्रतिशत माफ। तो क्यों नहीं आप सभी काश्तकारों को कृषि की तकनीकी उद्योग का दर्जा देकर 25-50 प्रतिशत अनुदान देने के लिए विचार कर सकते हो ? ऐसा आपको कुछ करना चाहिए।

हमारे क्षेत्र में कुछ समय पहले कांग्रेस के वक्त में जिन बांधों का निर्माण हुआ था– बड़ेठा और बनघर, उनमें जो किसानों की जमीन आ गई थी, न तो उन किसानों को मुआवजा दिया गया और न उसके बदले में उन किसानों को जमीन ही दी गई। किसानों के साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है। मंत्री महोदय कृपा कर बड़ेठा में जो बांध बनवाया गया है उसके नीचे काश्तकारों की जो-जो जमीन आई है, या तो उनको बाजार भाव से मुआवजा दिया जाय वरना उनकी जितनी जमीन बांध में आई उतनी उनको जमीन अलॉट करवाई जाय। यही बात कहते हुए समाप्त करता हूं। आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकिशन जी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय सभापतिजी, सिंचाई विभाग की मांगों का मैं इस रूप में समर्थन करता हूं कि हिन्दुस्तान की आबादी और हिन्दुस्तान का सारा वातावरण आज भी खेती के साथ जुड़ा हुआ है और जहां तक हमारे राज्य का सवाल है उसमें उद्योगों के मार्फत या दूसरे धन्धों के मार्फत राष्ट्रीय आय में बहुत कम हिस्सा जाता है, बड़ा हिस्सा हमारी खेती से ही जाता है। लेकिन हमारी समस्या है कि हम सब लोग इस मामले में बहुत गम्भीर हैं और गम्भीरता से कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन जिस प्रकार के काम इस क्षेत्र में होने चाहिए वह काम नहीं हो पा रहे हैं। मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यह सही है कि वातावरण में तब्दीली आई है और कई कारण बने हैं, आज से दस साल पहले जिन क्षेत्रों के बारे में हमें चिन्ता करने की जरूरत नहीं, आज वह क्षेत्र भी हमारी चिन्ता के विषय बन गये। आज भरतपुर में पानी का सवाल. कभी भरतपुर में हमें तो ऐसा आभास भी नहीं होता था कि हम विधान सभा में कभी पानी के लिए बोलेंगे। हमारे इलाके में आज हालत यह है कि सिंचाई की बात तो छोड़ दें, हमें पीने का पानी उपलब्ध कराना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इन सबके लिए कौन दोषी है, मैं इस सम्बन्ध में, इस विवाद में नहीं पड़ूंगा लेकिन इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं मौसम विशेषज्ञों से, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से, समाज शास्त्रियों से कि अगर समाज में परिवर्तन हो रहा है, अगर वातावरण परिवर्तित हो रहा है तो हमारी योजनाओं

(श्री रामकिशन)

का स्वरूप भी उनके अनुसार होना चाहिए। आज स्थिति यह है सभापति महोदय, कि हमारे संग जो देश आजाद हुए थे, उन ने अपने क्षेत्र को, खेती के क्षेत्र में, खासतौर से एशियाई देशों ने अपने खेतों को पानी पहुचा दिया, उन्होंने बड़ी-बड़ी नदियों को कण्ट्रोल कर लिया, फ्लड को खत्म कर लिया। हमारी स्थिति यह है कि एक तरफ पानी का अभाव, दूसरी तरफ आ जाती है बाढ़। हमारे पास इंजीनियर भी हैं, हमारे पास वित्त का प्रबन्ध भी है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जिससे हमने कर्जा नहीं लिया हो। उसके बावजूद भी हमारी समस्या एक के बाद एक विकराल होती चली जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

आज सभापति महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो बजट है उसका आधा हिस्सा तो गंगानगर पर ही खर्च होगा। न हमें गंगानगर से एतराज है, न चूरू से एतराज है, न कोटा बूंदी से एतराज है लेकिन समस्या यह है कि बहुत बड़ी रकम अगर हमारे राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ प्रोजेक्ट्स पर लगता रहा और दूसरे इलाकों की उपेक्षा होती रही तो आखिर हमारी इकोनोमी, हमारा अर्थ तन्त्र जो पैदा के स्रोत हैं, वह समाप्त हो जायेंगे और हम दूसरे प्रकार के संकट में फंस जायेंगे।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान कैनाल, जिसको आजकल इन्दिरा गांधी परियोजना कहते हैं उसके सम्बन्ध में तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वह महत्वपूर्ण योजना है, राजस्थान के कल्याण की योजना है और सभी प्रकार से हमारे राज्य के हित में है लेकिन अगर हमारे राज्य के साधनों से ही उस योजना को पूरा करने की कोशिश की गई और हम और क्षेत्रों में साधन नहीं जुटा पाये तो मैं कह सकता हूं कि 25 साल के बाद राजस्थान के कुछ इलाके उजड़ जायेंगे। उसमें सब प्रकार के काम धन्धे चौपट हो जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्यों राज्य सरकार किसी प्रकार से केन्द्र को इस बात के लिए नहीं समझा सकती है कि, उनको इस बात के लिए नहीं मना सकती कि किसी न किसी प्रकार से इस इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को एक खास तरह के समय में पूरा कर लिया जाय। अगर यह पूरी नहीं हुई तो राजस्थान के दूसरे हिस्सों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं किसी नाराजगी की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं आर्थिक दृष्टि से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पूंजी विनियोजन कुछ क्षेत्रों में हो रहा है और कुछ क्षेत्रों में नहीं हो रहा है, उससे हमारी इकोनोमी के जनरेशन का काम था वह करीब-करीब समाप्त हो चुका है। एक निवेदन तो मैं सिंचाई मंत्रीजी और इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी हैं उनसे यह करना चाहूंगा कि इस सवाल को जोरदार ढंग से उठायेंगे।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा अब तो स्थिति अनुकूल है, दिल्ली में बैठने वाले लोग भी यह कह रहे हैं कि हम किसान हैं, अब तो यह भी कह रहे हैं कि सरकार में किसान हैं, राज्य में भी किसान हैं, केन्द्र में भी किसान हैं, जब किसान हैं तो किसान के दर्द को समझें और केन्द्र सरकार ज्यादा से

(श्री रामकिशन)

ज्यादा राज्य सरकार को मदद देकर इस परियोजना को जल्दी पूरा करवाये जिससे राजस्थान के दूसरे हिस्सों का विकास अवरुद्ध न हो । एक बात तो मुझे यह निवेदन करनी थी ।

दूसरा निवेदन सभापति महोदय, मुझे यह करना है कि आखिर बरसात का औसत कम हो रहा है और जब कम हो रहा है तो हमारी कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं । इसके बावजूद भी हमारे यहां किसी प्रकार से हमारी कार्य प्रणाली में परिवर्तन हो रहा हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है । आज हमारा वही काम करने का दर्रा, हमारी वही काम करने की स्थिति, वही बजट के प्रावधान । मैं निवेदन करना चाहूंगा खास तौर से पूर्वांचल में भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर में अगर हम बाहर का पानी नहीं ला सकते तो मेहरबानी करके कुओं के लिए, पाताल तोड़ कुओं के लिए प्रबन्ध होना चाहिए । यदि जल्दी प्रबन्ध हो जाता है तो वहां की जमीन को समतल करने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा । राजस्थान के जिस क्षेत्र को हम विकसित कर रहे हैं नहर के मार्फत वहां तो हमें कई प्रकार की पूंजी का नियोजन करना पड़ता है । केवल पानी ही नहीं देना पड़ता है हमें जमीन को विकसित करना पड़ता है, हमें मण्डियो के विकास पर पैसा खर्च करना पड़ता है, मकान बनाने पर पैसा खर्च करना पड़ता है । हर तरह का पैसा खर्च करना पड़ता है लेकिन इस इलाके में पाताल तोड़ कुऐ बना देते हैं तो या कुओं के लिए ज्यादा प्रावधान कर देते हैं अगर हमें बाहर का पानी उपलब्ध नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि यह सिस्टम सस्ता भी पड़ेगा और राजस्थान के लिए हम विकास के मामले में ज्यादा योगदान दे सकेंगे ।

तीसरा, निवेदन यह करना है सभापति महोदय, हम मानते हैं कि आज गंगा और जमुना पर हमारा नियंत्रण नहीं है । राजस्थान का जो राजनैतिक नेतृत्व है वह हमेशा से कमजोर रहा है और आज भी उसकी स्थिति नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर प्रेशर डाल सके । लेकिन चम्बल का हमारा पानी जो बाहर जा रहा है मेहरबानी करके उसका तो उपयोग हम कर सकते हैं । आज धौलपुर में उसका उपयोग हो सकता है, आज भरतपुर में उसका उपयोग हो सकता है, आज सवाई माधोपुर में उसका उपयोग हो सकता है । यदि यह उपयोग नहीं किया तो मैं आपके मार्फत राज्य सरकार को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चम्बल के पानी के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना ली हैं । इटावा के इलाके में योजनाए बन चुकी हैं । आगरा के अन्दर योजना बन चुकी है । नतीजा यह होगा कि हमने जल्दी ही चम्बल के पानी का उपयोग नहीं किया तो यह पानी भी हाथ से निकल जायेगा । इस मामले में खास तौर से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मैं कोई क्षेत्रीय भावना से प्रभावित आदमी नहीं हूं । मेरा दृष्टिकोण तो विश्व नागरिक दृष्टिकोण है । लेकिन उसके बावजूद भी एक विकास की दृष्टि से कि संतुलित विकास हो और पैसा हमें मिलता रहे दूसरी योजनाओं में लगाने के लिए, मैं जरूरी समझता हूं कि यह प्रावधान पूर्वी क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए ।

(श्री रामकिशन)

सभापति महोदय, आप इस पुस्तक को देखेंगे मैं न तो इसको प्रमाणिक मानता हूं न इसकी मुझे जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि सारे राजस्थान में भरतपुर जिले में एक योजना चल रही है, छोटी सिंचाई योजना जो हमें दी है सीतावा नामक बांध है। एक तो यह बांध का निर्माण चल रहा है और एक गुडगांवा नहर। छोटा सा बांध सीतावा जिसकी कोई हैसियत नहीं जिसकी कोई अहमियत नहीं। मैं जब विधान सभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था उस समय मैंने उस सवाल को उठाया था वह छोटा सा बांध भी जिसकी लागत सात-आठ लाख थी आज तक पूरा नहीं हुआ और गुड़गांवा नहर जिससे हमारी कामा तहसील और डीग तहसील में 28 हजार हैक्टेयर जमीन को पानी मिल सकता था उसकी हालत यह है कि न वह नहर बन रही है न कोई समझौता हो पा रहा है, न उत्तर प्रदेश हमें पानी देने को तैयार है, न हरियाणा हमें पानी देने को तैयार है तो ऐसी दयनीय स्थिति में मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा राजस्व मंत्रीजी से कि वह भी पानी के विषय में बहुत बोला करते थे अब तो वे सरकार का हिस्सा हैं और सरकारों में न खुशामद से काम चलता है न लड़ाई से काम चलता है। कभी खुशामद करनी पड़ती है, कभी लड़ाई भी करनी पड़ती है, कभी आंखे भी दिखानी पड़ती है तो मैं कहूंगा कि वह खुशामद करें या आंखें दिखाएं वह तो वही जानें लेकिन इतना मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिये। हमारे हितों की रक्षा होना बहुत जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि इससे राजस्थान के हित जुड़े हुए हैं। मैं केवल भरतपुर की दृष्टि से, अलवर की दृष्टि से ही इस बात को नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदय, इन क्षेत्रों में पूंजी नियोजन को आप देखेंगे, चाहे उद्योगों को ले लें, चाहे व्यापार को ले लें, चाहे खेती को ले लें, चाहे पानी ले लें। इन जिलों में सबसे कम प्रति व्यक्ति पूंजी नियोजन हो रहा है और जब सबसे कम पूंजी का नियोजन होगा तो जो सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाका है जहां से धन मिलता वहां से धन नहीं मिलेगा, यहां से सम्पत्ति नहीं मिलेगी तो आप डेजर्ट का विकास नहीं कर सकेंगे, रेगिस्तान का विकास नहीं कर सकेंगे, पहाड़ी क्षेत्र का विकास नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे। एक तो निवेदन मुझे इस सम्बन्ध में यह करना था।

दूसरा निवेदन सभापति महोदय, मुझे करना है, हम पैसे का प्रबन्ध तो करते हैं लेकिन हमारी दिक्कत यह हो गई है कि हिन्दुस्तान का हर वर्ग यह चाहता है कि हमें छूट दे दी जाय। मैं छूट के खिलाफ नहीं हूं जिस समाज में, वेलफेयर स्टेट की कल्पना होती है वहां सम्पन्नों से लिया जाता है और गरीबों को दिया जाता है। मालदार से पैसा लो और गरीब को पैसा दो। आज इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है गंगानगर को, इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है दूसरे क्षेत्र को, पर मैं जानना चाहता हूं कि वहां से राजस्व क्या प्राप्त हो रहा है। हमारी इन योजनाओं पर अरबों रुपये लग गये पर हमारी आमदनी कितनी हो रही है। जब तक इस आमदनी को नहीं बढ़ायेंगे तब

(श्री रामकिशन)

तक हम पूंजी का नियोजन कहां से करेंगे। हम विदेशों से कर्जा तो ले नहीं सकते हैं। हमारी स्थिति यह है कि अब तक हम कर्ज का कटोरा लेकर जाते थे। अब चीन आ गया हमारे बराबर। विश्व बैंक ने अबकी बार जो कर्जा दिया है शोर्ट लोन वह चीन को ज्यादा दिया है और हिन्दुस्तान का हिस्सा निरन्तर कम होता चला जा रहा है। इसलिए कर्ज की सम्भावना होती जा रही है कम, राजस्व घट रहा है, विकास की मांग हो रही है ज्यादा, और छूट के चल रहे हैं आंदोलन। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को मजबूती से निर्णय लेने होंगे कभी-कभी निर्णय कटु भी हो सकते हैं लेकिन राज्य के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए हमें यह कड़वे निर्णय भी लेने पड़ेंगे। अगर हम नहीं ले पायेंगे तो हमारे राजस्थान के विकास की गति रुक जायेगी। एक निवेदन यह करके मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि इन परियोजनाओं का जिक्र बहुत है लेकिन सभापति महोदय, जितना हम पैसे का प्रावधान करते हैं। कभी हम यह भी देखते हैं कि इसका सदुपयोग हो रहा है? इन परियोजनाओं में कितना भ्रष्टाचार है? जब राजस्थान बना था उस समय राजस्थान का कुल बजट 16 करोड़ रुपये था, जब स्टेट का मरजर हुआ था उस समय तो केवल 14 करोड़ का बजट था। आज बजट चला गया अरबों में और नतीजा क्या हो रहा है कि जो पैसा हम देते हैं—हम तो समझते हैं कि निर्माण होगा, हम तो समझते हैं कि विकास होगा लेकिन ज्यादातर पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है और भ्रष्टाचार में जाने की इस सदन में भी चर्चा होती है। एक-दो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी होती है लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि भ्रष्टाचार कहीं रुक रहा है। अब माननीय भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री बने हैं और मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वह निरन्तर कमिट करते जा रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जान को खतरे में डालकर भी संघर्ष करूंगा। मैं उनके इस निश्चय की ताइद करता हूं और उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भाषणों से ही भ्रष्टाचार रुक गया होता तो मैं समझता हूं अब तक भ्रष्टाचार राजस्थान में कब का खत्म हो गया होता। आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारे पास सत्य प्रमाण हैं, हमारे पास सबके सबूत हैं, उनको निर्मोही बनकर हम उनके लिए सजा देने की कोशिश करें। मैं लम्बी बात नहीं कहकर दो-एक मिसालें रखना चाहता हूं। हमारे भरतपुर जिले मे गुड़गांवा नहर का निर्माण हुआ है। अब से कुछ दिन पहले कोई जे. के. शर्मा नाम के एस. ई. थे। मैं उनकी शक्ल नहीं जानता, मैं उनका नाम नहीं जानता। केवल मैंने सुना है कि जे. के. शर्मा नाम के एस. ई. थे। उन्होंने वहां गुड़गांवा नहर में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो करप्शन हुआ, उसमें 65 लाख के केस एण्टी-करप्शन में रजिस्टर कराये लेकिन जैसे ही केस रजिस्टर हुए, उस समय केन्द्रीय मंत्री श्री नटवर सिंह जी ने उनका ट्रांसफर करा दिया और हमने सुना है कि वह केस भी करीब-करीब खत्म कर दिये गये। तो एक तरफ तो हम लोग पशुओं पर टैक्स लगा रहे हैं, एक तरफ हम लगा रहे हैं छोटे-छोटे टैक्स। लेकिन अगर हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा दे दें तो हमें ऐसे टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

(श्री रामकिशन)

मैं जानना चाहता हूं कि जो केस लगाये गये थे, उन केसों का क्या हुआ । सभापति महोदय, इसी तरह से हमारे यहां सीता बंध बन रहा है । उस बंध में कुछ काम नहीं लेकिन मजदूरों के पेमेण्ट के नाम पर 6 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेण्ट कर दिये । वह केस भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास भेजा गया । मैंने सुना उस मामले को भी दबा दिया गया । एक सुखानी नाम के एक्स.ई.एन. थे वहां जिस वक्त उनका ट्रांसफर हुआ । एक रात में 9 लाख के चैक काट आये, उसी दिन । काम कहीं है नहीं, काम का नहीं नाम का नहीं । रात में ही चैक काटे, उसकी इन्क्वायरी शुरू हो गई और मैंने सुना है कि इन्क्वायरी भी दबा दी गई । तो हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि पैसे का प्रबन्ध और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के रास्ते से पैसा बाहर जा रहा है और इसी प्रकार से चलता रहा तो क्या हम समझते हैं अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे । तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यहां सिचाई मंत्रीजी भी बैठे हैं, राजस्व मंत्रीजी भी बैठे हैं यह बात मैंने बताई है, वह तो भरतपुर जिले की है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि जिन-जिन लोगों का इन भ्रष्टाचार के मामले में हाथ था, उन इंजीनियरों का ट्रांसफर किया गया है, भरतपुर से बाहर । मैं निवेदन करूंगा सिंचाई मंत्रीजी से कि जिनका ट्रांसफर किया गया है, उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो मेहरबानी करके जब तक उन शिकायतों की जांच नहीं हो जाये, भरतपुर उनको नहीं भेजें । यह सामान्य बात है और यह निर्णय किया गया और कौन ने किया, इसकी मुझे जानकारी भी नहीं है । मेरा किसी से ज्यादा परिचय नहीं है, एक निवेदन तो मैं इस सम्बन्ध में करना चाहूंगा । दूसरे, अभी माननीय हेतरामजी इन्दिरा गांधी नहर का जिक्र कर रहे थे । यह इन्दिरा गांधी नहर राजस्थान की जीवनदायिनी तो है ही, यह हमारी सुरक्षा की गारण्टी तो है ही, यह हमारे कल्याण की गारण्टी तो है ही परन्तु इन्जीनियरों के घर बनाने की भी यह सबसे बड़ी गारण्टी है । शायद जितना पैसा इस परियोजना में लूटा गया है, मैं सब इंजीनियरों की बात नहीं कहता, मैं उन इंजीनियरों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रेगिस्तान में इस प्रकार का निर्माण कार्य करके हमारे जीवन को सुरक्षित किया है लेकिन साथ-साथ उस अहसान में हम लूट की छूट तो नहीं दे सकते और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस परियोजना में कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई बार कुछ इंजीनियरों को मुवत्तिल भी किया गया, उन सब मामलों का क्या हुआ और अगर उनका नहीं किया है तो एक नया मामला मैं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्रीजी आपके सामने रखता हूं । न तो वह बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा है । मैं उनसे यह जानकारी करना चाहता हूं । मैं उनको यह जानकारी देना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बोर्ड ने दिनांक 22-7-88 को अपनी बोर्ड की मीटिंग में यह निर्णय लिया कि नोन लेवी सीमेंट की, हमें बाजार से लेने की जरूरत है । 30 हजार मैट्रिक टन की जरूरत बताई और बताने के साथ, हालांकि उस समय हमारा रेट कांट्रेक्ट था । फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने सेण्ट्रल परचेज ऑर्गनाइजेशन बना रखा है लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनसे सीमेंट नहीं लेकर

(श्री रामकिशन)

और एक बांसवाड़ा की कम्पनी है, कल्याण सुन्दरम् इण्डस्ट्रीज उससे सीमेण्ट लेने की कोशिश की और सीमेण्ट लेने की कोशिश करते-करते उस समय बोर्ड में यह मामला बहुत तरह से डिस्कस हुआ। कई तरह से जरूरतों को आंका गया। यह भी पूछा हमको अब कितनी जरूरत है। पहले बताई गई 30 हजार मीटरिक टन। वहां पर जो एडीशनल चीफ इंजीनियर थे, जो इस सारी व्यवस्था को देखते हैं, उन्होंने मांग की 6 हजार मीट्रिक टन की और उस समय के तत्कालीन चीफ इंजीनियर की मार्फत वहां पर 15 हजार मीट्रिक टन सीमेण्ट खरीदने का फैसला किया गया है और फैसला करते वक्त, यह तय किया कि यह सीमेण्ट खरीदा जायेगा कल्याण सुन्दरम् इण्डस्ट्रीज से। अब यह कल्याण सुन्दरम् इण्डस्ट्रीज क्या थी इसलिए एक चिट्ठी लिख दी चेयरमैन को और उसमें साफ लिखा था कि हमारी यूनिट सिक है, इसलिए हमें मदद की जरूरत है। तो सिक यूनिट थी। इन्कम टैक्स के सर्टिफिकेट वगैरह लगे हुए थे। उद्योग काम नहीं कर रहा है और उसके बावजूद भी उससे सीमेण्ट लेने का फैसला किया गया और फैसला करते वक्त भी हमारे पास स्टोक था सीमेण्ट का। केवल 6 हजार मीट्रिक टन की मांग की थी 15 हजार मीट्रिक टन खरीदने की कोशिश की गई और उस कोशिश में 50 लाख रुपया एडवांस में उस कम्पनी को दे दिया गया। 50 लाख एडवांस में। युनिट सिक है। इन्कम टैक्स का सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि यह यूनिट काम नहीं कर रही है। 50 लाख का सीमेण्ट दे दिया गया और उस समय के चेयरमैन और उस समय के चीफ इंजीनियर ने टेलीफोन करके उस मामले में विशेष दिलचस्पी ली। यह जब मामला आया बोर्ड के सामने तो यह सवाल खड़ा हुआ कि इस उद्योग को ही क्यों दिया जाये, यह सीमेण्ट का आर्डर क्यों दिया जाये। तो यह तर्क दिया गया कि इसके टेण्डर नीचे थे, हालांकि टेण्डर लेने की जरूरत ही नहीं थी डिप्टी सेक्रेटरी, फाइनेन्स ने उस समय इस पर एतराज किया था कि जब हमारा रेट काण्ट्रेक्ट है और उसकी मियाद बची हुई है तो हमें सीधे टेण्डर इनवाइट नहीं करने चाहिए थे। लेकिन उस एतराज को नजरअंदाज कर दिया गया और सीमेण्ट खरीदने का फैसला कर लिया गया, सीमेण्ट खरीदने के नाम पर उस कम्पनी के लिए 50 लाख रुपया एडवांस दे दिया गया। न उसकी वित्तीय स्थिति की जांच की, न उसकी कोई मशीन वगैरह गिरवी रखी न उसको और दूसरे प्रकार के लोन दिये गये। 50 लाख रुपये उस कम्पनी को दे दिये गये और उस कम्पनी ने उस बदले में क्या किया कि पोस्ट डेटेड चैक 17-17 लाख के तीन पोस्ट डेटेड चैक काट दिये कि अगर हम सीमेण्ट को सप्लाई नहीं करेंगे तो इन चैकों की मार्फत बैंक से आप पैसा निकाल सकते हैं। अब सभापति महोदय, यह सामान्य सी बात है। मैं ना तो बैंक की जानकारी रखता हूं और न ही मेरा बैंक में कोई खाता है लेकिन इतनी बड़ी रकम के बाद जिस अधिकारी को यह बॉण्ड दिया गया था, उसे यह जानकारी तो करनी चाहिए थी कि यह कम्पनी जो गारण्टी दे रही है कि हम हमारा 17 लाख का चैक दे देंगे जिस वक्त उसकी मियाद हो जायेगी तो वह पैसा उसकी बैंक में है या नहीं, जब वह चैक आया तो वह चैक डिसआनर हो गया और उनका अता-

(श्री रामकिशन)

पता ही नहीं है। लेना था हमें सीमेण्ट पोजलाना और ले लिया पोर्टलैण्ड सीमेण्ट और उस समय का जो टैक्नीकल स्टाफ था, एक कमेटी बनाई हुई है उसमें वह मामला आया नहीं, एडिशनल चीफ इंजीनियर मना करते रहे, जबर्दस्ती सीमेण्ट ले लिया गया और आज हमारा वह 50 लाख रुपया डब गया। पचास लाख रुपये का कोई पता नहीं है। एक पैसा कहीं है नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा मंत्रीजी कहेंगे कि हमने केस रजिस्टर करा दिये हैं। तो आप जानते हैं बड़े उद्योगपति जो पचास लाख रुपया ठग सकते हैं, वह प्रभावित कर सकते हैं तो आपको मिलना जुलना तो है नहीं, मुकदमे में पैसा और चला जायेगा। मैं सबसे पहले चाहूंगा, उस कम्पनी के खिलाफ तो कार्यवाही हो लेकिन उस समय जो चेयरमैन थे, उनसे टेलीफोन पर फैसला किया गया, क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी। जो चीफ इंजीनियर, वहां के एडिशनल चीफ इंजीनियर कह रहे हैं कि हमें 6 हजार मीट्रिक टन की जरूरत है और खरीद रहे हैं 15 हजार मीट्रिक टन और दिला रहे हैं एडवांस। सभापति महोदय, आप यह भी देखेंगे कि उस कम्पनी की अर्नेस्ट मनी भी वापस कर दी गई। आज आम तौर पर होता है कि जब अर्नेस्ट मनी सप्लाई हो जाती है तब वापस कर दी जाती है। जब अर्नेस्ट मनी वापस कर दी गई तो वह टेण्डर वेलिड कैसे रहा? तो टेण्डर वेलिड नहीं है। बैंक की कोई गारण्टी भी नहीं है। फाइनेन्स सैक्रेट्री एतराज कर रहे हैं। रेट्स जे. के. सीमेण्ट के नीचे थे और उसके बावजूद भी उस कम्पनी को पचास लाख रुपया दे दिया गया। तो मैं भैरोंसिंहजी अगर यहां होते तो उनसे यह वायदा कराता। अब, मुझे पता नहीं है वित्त मंत्रीजी, सिंचाई मंत्रीजी, कृषि मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी इस मामले में कितना क्या कर पायेंगे। लेकिन इसको मैं एक टेस्ट केस लिए इस सरकार के लिए पहली बार छोड़ता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप कुछ कर सकते हो तो मैं चाहूंगा, चेयरमैन, चीफ इंजीनियर और प्रोयोरमेंट करने वाले एक्स. ई. एन. के खिलाफ केस कल रजिस्टर हो जाना चाहिए। यह तो साफ धोखाधड़ी है, सीधा-सीधा धोखा है, सरकार के खजाने को लूटा गया है और किसी दया के कारण नहीं, आप समझिये तो सही, सभापति महोदय, इन इंजीनियरों को तनख्वाह मिलती है, दो ढाई हजार, किसी को मिलती है तीन हजार, मैं सबकी नहीं कहता हूं, मेरी नजर में कुछ ईमानदार इंजीनियर भी हैं लेकिन उनका रहन-सहन तो देखो, करौली और धौलपुर के राजा से ज्यादा तो मैंने इनके यहां फर्नीचर देखा है। और तो छोड़ो यह प्रद्युम्न सिंहजी बड़े सेठ बनते हैं, ऐसे सेठ तो मैंने रसोइया देखे हैं इनके वहां, करीब-करीब कई इंजीनियरों के यहां। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सबूत चाहिए अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिर लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं न कहीं से तो हमें शुरूआत करनी पड़ेगी और सरकार ने एक आई. ए. एस. के खिलाफ लड़ाई शुरू की, मैं उसको बधाई देता हूं। लेकिन मेहरबानी करके कम से कम पन्द्रह इंजीनियरों को जो नामी गिरामी लुटेरे हैं उनको एक बार गिरफ्तार करके जेल की हवा तो दिखाओ। तो जहां महल भी देख लिये, यह जेल भी देख लेंगे अगर यह दोनों चीजें साथ-साथ देखेंगे तो समाज में होगा परिवर्तन। अन्यथा

(श्री रामकिशन)

यह टेक्नीकल लोग हैं इनकी वजह से हमारी प्रगति होगी तो इनका इलाज किया था माओत्से-तुंग ने। तो यहां माओ तो नहीं है, यहां ह्'सीमैन भी नहीं है और यहां कोई दूसरा नेता भी नहीं है, लेकिन भैरोंसिहजी निरन्तर यह कह रहे हैं कि मैं होसीमैन नहीं सही, माओ नहीं सही लेकिन माओ का बराबर का भाई जरूर हूं। तो भाई हैं तो मामले तो मेरे पास बहुत हैं। आज नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने तय किया है कि जिस दिन बोलूंगा उस दिन केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बोलूंगा। नीतियों के मामलों पर मैं बहुत बोला हूं। आज इस सरकार के पास और कुछ नहीं सही, यह सरकार नीतियों के मामले में कन्फ्यूज्ड हो सकती है लेकिन इसकी नीयत तो साफ है, ऐसा भैरोंसिहजी के आचरणों से मुझे लगता है। नीति के मामले में कन्फ्यूज्ड हैं, यह तय नहीं कर पायेंगे कि हमें समाजवाद के रास्ते पर चलना है या हमें पूंजीवाद के रास्ते पर चलना है, लेकिन इनकी नीयत साफ है, ऐसा मुझे लग रहा है। और नीयत साफ है तो भरतपुर और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के यह दो केस इनके सामने रखते हुए मैं आज की बात समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इन पर यह सरकार प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही करेगी और जिस प्रकार श्री मीणा को जेल दिखाई है उसी प्रकार बोर्ड के चेयरमैन को मेरी राय में, अगर ज्यादा नहीं तो सोम-मंगल तक उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाना चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री मांगीलाल जी मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज सिंचाई की मांग संख्या 46 पर हाउस में जो डिबेट हो रही है, उस पर अपने विचार प्रकट करूंगा। माननीय सभापति जी, राजस्थान जैसे कृषि प्रधान और शुष्क प्रदेश में किसान और मजदूर के पास जीवन-यापन का आधार केवल कृषि है और कृषि सिंचाई पर आश्रित है। राज्य सरकार ने लम्बे समय से राजस्थान के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशाल योजनाएं बनायीं। मैं अपने क्षेत्र और हाड़ौती की विशाल योजना चम्बल क्षेत्र विकास के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा।

सम्माननीय सभापति जी, चम्बल की नहरों का जब कार्यक्रम बना तो, मैं बेहिचक यह कहूंगा कि सबसे पहली जो गलती की गई वह यह थी कि इतने विशाल क्षेत्र के लिए बनाई गई नहरों का डिजाइन मूल रूप से त्रुटिपूर्ण बनाया गया। चम्बल की नहरों का डिजाइन 55 पर्सेण्ट रबी की क्राप के लिए और 21-21 पर्सेण्ट खरीफ की क्राप के लिए बनाया गया। उस क्षेत्र के किसान और लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस दोषपूर्ण डिजाइन के होते हुए भी चम्बल के पानी का उपयोग करके अपने अथक परिश्रम से राजस्थान ही नहीं देश में अन्न पैदा करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई और कृषि अधिकारियों और तकनीक के सहारे हिन्दुस्तान का विख्यात बासमती चावल उस क्षेत्र में पैदा किया। उस बासमती चावल से हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। पर

(श्री मांगीलाल मेघवाले)

बहुत दुःख का विषय है कि वह नहरें अपने डिजाइन, अधिकारियों की लापरवाही और कच्ची नहरें होने के कारण एक लम्बे अन्तराल के बाद क्षतिग्रस्त हो गई और आज के दिन चम्बल की उन नहरों की पानी की क्षमता 30-35 पर्सेण्ट रह गई है और इस कारण चार लाख हैक्टेयर की जो योजना थी उसके मुकाबले, 30 वर्षों के लम्बे प्रयास के बाद भी हम मात्र दो लाख 29 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में ही पानी दे पाये हैं। दोषपूर्ण डिजाइन और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण हम आज दिन तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। आज तो स्थिति यह हो गई है कि अभी फरवरी के बाद एक बूंद पानी उन नहरों में नहीं दिया गया है और कृषि पर आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल इस नहर की अव्यवस्था का शिकार होकर दम तोड़ने में अग्रणी रहा है। यह राजस्थान के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इसके लिए कोई दोषी है तो वह है चम्बल मैनेजमैण्ट। माननीय सभापति महोदय, आज बायीं मुख्य नहर बून्दी जिले के केशोरायपाटन और तालेड़ा को सिंचित करती है। 1500 और कुछ क्यूसेक्स की उसकी कैपेसिटी है, पर आज उसमें 900-1000 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी दे नहीं पाते हैं? यह जवाब देने में इनको विचार करना पड़ेगा। किसान के खेत तक पानी जाता नहीं और जब नहरें चलती हैं तो वहां स्थानीय नदियों में दो-दो फीट पानी बहता है। पानी ड्रेनों के माध्यम से, खालों के माध्यम से नदियों में जाकर बहता है और किसान के खेतों को पानी मिलता नहीं। इसलिए मेरी मांग है कि चम्बल की नहरों की एक बार पुनः रिपेयर की जाय। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में जो पैसा दिया है वह 40 लाख रुपया अतिरिक्त दिया है। मैं यह मानता हूं कि चम्बल की चार सौ माइनर्स के लिए, विशाल डिस्ट्रीब्यूटरीज और ब्रांचेज के लिए यह पैसा नगण्य है, चम्बल की नहरों के दुरुस्तीकरण, नहरों पर खाले, पुलियायें और साइफंस के पक्के काम कराने हैं उनके लिए यह पैसा अपर्याप्त है। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में माननीय कृषि मंत्री महोदय से और राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि नहरों की मेण्टिनेंस के लिए और पैसा दिया जाय। मैंने जैसा निवेदन किया, नहरों की अव्यवस्था के कारण वहां पानी ओवरफ्लो होता है। कहते तो हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पानी के दर्शन दुर्लभ हैं, बाकी बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चम्बल की नहरों, विशेषकर मेरे केशोरायपाटन क्षेत्र में 100 गांव जलमग्न रहते हैं। अप्रेल और मई में किसान के लिए अपनी गाड़ी ले जाना तो दूर रहा, अपने परिवार के किसी व्यक्ति—मां, बहिन, बच्चों तक को नहीं ले जा सकते खेत तक। ऐसे पानी से वह एरिया वाटरलाग्ड होता रहता है। इसके निमित्त ड्रेनें खोदी गयीं 1974-75 में, लेकिन लम्बे अन्तराल के बाद भी उनकी कोई सफाई नहीं। कभी कभार जब हम लोग कहते हैं तो मशीनें आती हैं। मशीन जाती है मैनेजमेंट कोटा के हाथ में और काम होता है खेत में। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इस बजट में ड्रेनों की सफाई के लिए जो 15 लाख रखे गये हैं वह भी अपर्याप्त हैं। मेरी मांग है कि अगर सभी अर्थों में चम्बल कमाण्ड की सीपेज को मिटाना है, उस क्षेत्र के भूमि के

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

उपजाऊपन को बनाये रखना है तो ड्रेनों की सफाई समय-समय पर की जाय और उसके लिए पर्याप्त पैसा दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, यहां 1960 और 1974-75 में जो नहरें खुदी है उनका मुआवजा अभी तक पर्याप्त रूप से नहीं दिया गया है। किसान के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा कैचमैण्ट के नाम से किया गया है। किसान के कुर्कियां की जा रही हैं। उनके अदालत की शरण में जाने की नौबत आ रही है। सरकार अपना पैसा तो डण्डे के बल पर वसूल कर रही है और किसानों को सोना उगलने वाली धरती का 1960 और 1974 का पैसा, जो धरती नहरों और ड्रेनों में ली गई है, अभी करोड़ों रुपया बाकी है। कभी 10 लाख देते हैं, सौभाग्य है कि अभी 37 लाख दिये गये हैं। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि यह पैसा कम है, और ज्यादा बढ़ाया जाय। इसी तरह किसान की कोई गलती नहीं, सरकारी अधिकारियों की गलती और नहरों के मिसमैनेजमैण्ट के कारण वहां की धरती खराब हुई। खराब धरती को ठीक करना सरकार की ड्यूटी है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह सड़कों की रिपेयर हम लोग करते हैं और किराये के रूप में पैसा लेते हैं। सीधे किसी यात्री से पैसा नहीं लिया जाता। जिस तरह रेल की पटरियां बदली जाती हैं और सीधा किराया किसी यात्री से नहीं लिया जाता। टेलीफोन और बिजली के तार अपनी समयावधि के बाद बदले जाते हैं, उसका पैसा किसी कंजूमर से सीधे नहीं लिया जाता। पर बहुत दुःख का विषय है कि सरकारी अकर्मण्यता के कारण नहरें खराब हुई, नहरों के कारण खेतों में सीपेज हुआ। खेतों को सुधारने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया, जिसको कैचमैण्ट कहते हैं। उसका पैसा हमसे वसूल किया जा रहा है। यह बहुत दोषपूर्ण नीति है। हां, तो मेरी पहले भी मांग थी और अब भी मांग है पूरे कैचमैण्ट का पैसा माफ करके किसानों के साथ न्याय किया जाय। इस कैचमेंट के माध्यम से जो पैसा है अगर यह माफ नहीं किया गया तो किसान लुटेगा और किसान का इस व्यवस्था से विश्वास हट जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस चम्बल नहर के साथ-साथ केशोरायपाटन और जो हाड़ौती में 12 महिने नदियां बहती हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है कि हमारे यहां 12 महीने बहने वाली नदियां हैं जिसके माध्यम से अगर लिफ्ट सिंचाई योजनायें लागू की जाय तो हमारे यहां लाखों हैक्टेयर भूमि जो सोना उगलने वाली धरती है उसको अगर पानी दिया जाय तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि अकेले मेरे केशोरायपाटन में 80,000 बीघा जमीन ऐसी है जिसको लिफ्ट के माध्यम से पानी पिलाया जाय तो राजस्थान के 32,000 गांवों में से 10,000 गांवों को अकेला केशोरायपाटन खाद्यान्न दे सकता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण योजना पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे करके जो 80,000 बीघा जमीन है और जिसके लिए मैंने पूर्व में भी कहा था कि कृषि के माध्यम से लैण्ड लेवलिंग किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, केशोराय-पाटन क्षेत्र में 32 गांव हैं। मैंने पूर्व में

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

अपने कटौती प्रस्ताव दिये थे, जिसका राज्य सराकार ने जवाब दिया है मेरे यहां 32 गांव है जिसके तहत 6375 हैक्टेयर जमीन है। 40000 बीघा जमीन, 32 गांवों की का सर्वे हो चुका है। प्रस्तावित योजना हैं वह केवलमात्र स्वीकृति के लिए पड़ी है। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि जो नोन-कमाण्ड एरिया के गांव थे वहां लोग इस समय,यहां अभी बरसात के पहले अकाल था लोग-बाग झाड़ियां काट-काट करके लाखेरी में ले जाकर बकरियों को देने के नाम से बेच करके अपना पेट भरते थे। उस चम्बल कमाण्ड एरिया का कुछ हिस्सा इस तरह का है जहां मेज नदी की दूसरी तरफ का हिस्सा है। अगर इस तरह की योजना अतिशीघ्र मजूर करके उस क्षेत्र के लोगों का भला किया जायेगा तो उन लोगों के साथ-साथ उस क्षेत्र का भला होगा। प्रदेश के लिए खाद्यान्न पैदा होने वाली बात आयेगी और देश के विकास में भी यह क्षेत्र अग्रणाय रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कह करके इस समय आवश्यकता है लघु सिंचाई योजनाओं की, लिफ्ट योजनाओं की और नहरी व्यवस्थाओं में सुधार करके ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग करके, ज्यादा से ज्यादा पिलाई करके हमारे इस प्रदेश का, हमारे देश का और इस क्षेत्र का भला करें, यही कह करके माननीय सभापति महोदय है अपनी बात को समाप्त करते हुए विनम्र शब्दों में पुनः निवेदन करूंगा कि हम 5 साल से यहां विधानसभा में इन समस्याओं के लिये आते हैं। सी. ए. डी. का या तो तोड़ दिया जाय, महकमे में दिया जाय और नहीं तो सी. ए. डी. का सैकिण्ड फेज, इसके लिये बजट दिया जाकर इस क्षेत्र का भला हो सकता है। कभी 40 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, इससे ऊंट के मुंह में जीरे से कोई भला होने वाला नहीं है। इसमें और अधिकारी जीम रहे हैं और वहां क्षेत्र में कोई मिलता नहीं है। इस तरह से, सही पैसा देकर के पर्याप्त रूप से क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से अगर नहीं लिया जायेगा तो कोई कार्यक्रम बनेगा नहीं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री डूंगरराम पंवार।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 पर सिंचाई के विषय में मेरे कई कटौती प्रस्ताव हैं।

सर्वप्रथम राजस्थान में गंग कैनाल का निर्माण हुआ था। यह परियोजना करीबन 60 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इसका पानी 2700 क्यूसेक्स है, इसकी लम्बाई 425 आर. डी. शिवपुर हैड तक बनी हुई है। यह अधिकतर पंजाब की भूमि में ही आती है। कोठा और हिन्दुमल कोट पर पंजाब है, इसकी मरम्मत के लिए राजस्थान सरकार पैसा देती रही लेकिन पंजाब सरकार ने इसकी मरम्मत सही ढंग से नहीं करायी जिससे इसकी हालत इतनी जीर्ण-शीर्ण हो गयी है कि यह कैनाल केवल 2700 क्यूसेक्स की है। 2700 क्यूसेक्स में से यह केवल 1500, 1200 क्यूसेक्स तक पानी ले सकती है, इतने में ही रोती है तो पानी की इसमें कमी आ गयी है।

(श्री डूंगरराम पंवार)

लेकिन वह नहर कामयाब न होते हुए देख कर सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसका लिंक चेनल दूसरी ओर से बनाया जाय। वह इतनी धीमी गति से बनरही है और नहर के पानी की कमी का नुकसान गंगानगर भोग रहा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि उस चैनल को जो इससे लिंक होगी उसे अतिशीघ्र युद्धस्तर पर पूरा कराया जाय ताकि इस नहर की जलक्षमता पूरी हो सके अन्यथा गंगानगर जिले के दो अच्छे-अच्छे बाग हैं वह भी उजड़ जायेंगे। आपने सुना होगा गंगानगर की नारंगी हिन्दुस्तान भर में मशहूर है जिसे मौसमी कहते हैं। उसके बाग सूखते जा रहे हैं और गंगानगर जिले की भूमि को गंग कैनाल का पानी बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। यह किस कमी से मिल रहा है इस नहर को, उस लिंक को। जल्दी में तैयार कराई जा रही है। इसलिये यह नुकसान हो रहा है।

तो मेरा यह सुझाव है कि इस नहर को अतिशीघ्र युद्धस्तर पर पूरा किया जाय और सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चिन्ता प्रकट की थी कि जिस जगह वह मिलान होगी उससे ऊपर एक वितरिका रह गई है उसका माननीय सदस्य को शायद याद नहीं रहा होगा उसको खकिया डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। जो सर्वप्रथम पानी इसमें से देती है। पीछे पंजाब से आती है कथिया माइनर जो हिन्दुबल कोट के एरिया को देती है। वह खंकिया डिस्ट्रीब्यूटरी है तो शिवपुर हैड के पास जब मिलान होगा तो खंकिया डिस्ट्रीब्यूटरी उपर रह जाती है और वह हाई लेबल पर रहती है इसलिए उसमें पानी व्यर्थ में नहीं जायेगा इनका कहना उचित था अगर उसको लिंक करके पानी नहीं दिया गया तो वह एरिया हिन्दुबल कोट का अनकमाण्ड हो जाएगा। तो गंग कैनाल की रही यह बात। बाकी दूसरी राजस्थान कैनाल जो इस प्रदेश की बहुत बड़ी धरोहर है और इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि नहरों का तो कृषि उपजों के लिए बहुत बड़ा महत्व है लेकिन राजस्थान कैनाल तो सबसे बड़ी परियोजना है, देश में। यह परियोजना सन् 1963 में तैयार हुई थी जिसका नसीताबाली हैड से पानी प्रवाहित किया गया था सर्वप्रथम 63 में। तब से लेकर आज तक यह नहर सम्पूर्ण नहीं हुई है। इतनी धीमी गति से इसका निर्माण होने से यह एक चिन्ता का विषय बन गया है। इसमें पूरा पानी नहीं चलने से यह सारी सिल्टअप होती जा रही है। आपने देखा होगा कि 95 आर. डी. से नीचे डाउन स्टीम से बरदाल तक जाओगे तो आप देखोगे उस नहर में मिट्टी के बरम बने हुए हैं 12-12 फुट चौड़े। जिसमें नरसल सरकण्डा खड़ा है। बीच में काफी मिट्टी जमा होती जा रही है। उससे सिल्ट अप होती जा रही हैं नहरें। जब 18,500 क्यूसेक्स पानी लेंगे तो इस नहर का क्या हाल होगा। अब सिर्फ यह 10000 में फिल्ड होती है। इतना पानी ले सकती है 10000 या 12000 क्यूसेक्स बाकी 8500 क्यूसेक्स पानी और रह जाता है। जब तक ये पूरी होगी, जिस गति से इनका निर्माण हो रहा है उससे लगता है कि जब तक ये सम्पूर्ण होगी तब तक ये आधी से ज्यादा सिल्ट अप हो जाएगी। जब इसका फुल डिस्चार्ज 18500 क्यूसेक्स पानी चलेगा तो आप देखिए कि क्या होगा।

मेरी हरिसिंह जी जब पी. ए. टू चीफ

(श्री डूंगरराम पंवार)

हुआ करते थे बीकानेर, उनसे इस विषय में बात हुइ, डिस्क हुई तकनीकी। क्या होगा, मिट्टी कहां जायेगी। अभी तो पानी ले नहीं रहे क्योंकि इसकी वितरिकायें तैयार नहीं है इसलिये फुल डिस्चार्ज ये चल नहीं सकती तो जब इसकी शाखायें सब तैयार हो जाएंगी तो आप 18500 क्यूसेक्स लेंगे। तो कहा हां लेंगे, तो वह पानी चलेगा। हां चलेगा, तो फिर मिट्टी कहां जाएगी। तो यह तेज गति से जो पानी आयेगा तो इसकी वितरिकाओं में माइनर्स आउटलेट जो हैं इनमें निकल जायेंगी। यह नहीं हो सकता। नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेंगी क्योंकि उसमें घास, सरकंडा, नरसें जमकर इतनी बड़ी हो गई हैं कि फावड़े से भी नहीं कट सकतीं तो पानी कितना भी आ जाय मिट्टी कटकर नहीं जा सकती और मान लिया जाय मिट्टी कट जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूटरी मानर्स आउटलेट रात-रात में चोक हो जायेंगे तो दूसरे दिन किसमें चलाओगे। यह है तो चिन्ता का विषय, तो क्या होगा? मैं बताऊं आपको कि क्या होगा। जहां प्रथम चरण में सिंचाई हो रही है सन् 1963 से लेकर आज तक जैसे मेरे क्षेत्र में माचीतावाली हैड से-तलवाड़ा जिले से लेकर उसकी शुरूआत यहां से हुई है। आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि जब यह फुल सप्लाई से चलेगी, 18,500 क्यूसेक्स से, तो उसमें ब्रीच होंगे तब हम तो मरेंगे पानी से, जहां 27 साल से पानी ले रहे हैं और जहां इसकी इन्तजार कर रहे हैं जैसलमेर तक पानी आयेगा, वह बिना पानी के मरेंगे, यह होगा। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। इसलिए इस नहर का निर्माण युद्धस्तर पर कराया जाना चाहिए और बहुत जल्दी तैयार होनी चाहिये। क्योंकि बहुत समय हो गया है और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे 10-15 साल में पूरी होगी तो उसका क्या होगा कि जो पैसा आज स्वीकृत करते हैं उससे चार गुना लगेगा क्योंकि मैटीरियल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस कीमत में होगी नहीं, और नहर पीछे से बनकर जर्जर होती जा रही है। आपने देखा होगा कि मचीतावाली हैड से नीचे हवली बुर्ज के पास दोनों ओर पानी बह रहा है, सीपेज हो रहा है। इससे नहीं हो रहा है तो किससे हो रहा है? कहते हैं कि घग्घर से हो रहा है। घग्घर उसके नजदीक भी नहीं है, फिर कैसे हो रहा है बहुत बड़ी फीलिंग है दोनों तरफ, नहर से चल रहा है एक-एक आउटलेट।

(8.00 रात्रि)

आगे चलिये आर. डी. नम्बर 98–99 खेताबाली धान के पास रावतसर से आगे विकल कर, जो जगह इतनी बहुमूल्य थी हजारों एकड़, जिसमें 5-5 फीट पानी पड़ा है, सड़ रहा है खेत खराब हो गये हैं वहां पर 50 फीट फीलिंग है दोनों तरफ, पानी बह रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस नहर के निर्माण में जो घपले हुए हैं, उसकी अब जांच शुरू होती है तो जो कोई भी इन्जीनियर्स थे वह तो चले गये, किसने बनायी, अब दूसरे आ गये, किस-किस को सजा देंगे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सजा तो सबूत मिलेगा तब दे पायेंगे। पहले की बात है कि सीमेंन्ट के गोदाम की चैकिंग होने लगी, तो सीमेंट पड़ा था बेचने के लिए। स्टाक रजिस्टर तो दिखाया हुआ बराबर, गोदामों में था बेचने के लिये। चैकिंग शुरू

(श्री डूंगरराम पंवार)

हुई तो क्या किया रातोंरात खरीदने वाले नहीं मिले तो ट्रकों में भर-भर कर सीमेंट को नहर में डाल दिया। क्या यह पता है आपको ? नहर जिस वक्त बन रही थी उस समय सीमेंट की इतनी किल्लत थी कि मटका अगर टूट गया तो मटके के लगाने के लिये सीमेंट नहीं मिलती थी। लेवी की सीमेंट आती थी गांव में इतनी कम मात्रा में, चीनी तो आधाकिलो दे रहे हैं, पहले पाव देते थे लेकिन 50-30 थेले/बैग्स एक गांव के लिये, अगर पुड़िया बान्धकर दवाई की तरह 100-100 ग्राम भी ले जाये तो वह हैड वह आती नहीं। और उस वक्त आलीशान बिल्डिंग्स इस कैनाल के इधर-उधर कस्बों और गांवों में रात-दिन बनती जा रही थीं, उनके लिये सीमेंट की कभी कमी बीच में नहीं आई। वह सीमेंट आया कहां से ? कई बार मैंने इन्जीनियर्स की मीटिंग में कहा कि सीमेंट चोरी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एम. एल. ए. साहब आपको वहम है। चलिये मेरे साथ पास में ही हमारे नजदीक हनुमानगढ़ में हरियाणा के अन्दर अहिलयावाद लगता है, आगे चलिये फिरोजपुर-अबोहर तक, वहां के लोगों से पूछिये कि सीमेंट कहां से आया है/आ रहा है ? उनका कहना है कि राजस्थान कैनाल जिन्दाबाद वहां से खूब आ रही है, बिक रही है। और राजस्थान कैनाल का भविष्य खतरे में है। अगर इसको जल्दी तैयार नहीं किया और इसका ध्यान नहीं रखा गया तो यह नहीं बनेगी नहीं।

एक और विभाग बना रखा है क्वालिटी कन्ट्रोल, सिल्ट टेस्ट जिनके मुख्यालय खोल रखे हैं लेकिन वहां जाकर देखिये कोई आफीसर क्वालिटी कन्ट्रोल का है ही नहीं तो कन्ट्रोल किसका करेंगे ? इसलिये घटिया किस्म का निर्माण हुआ है यह बात भी सही है। मिट्टी निकालने वाली बात, यह सिल्ट सफाई इस नहर की कभी नहीं होगी। दो 6 महीने तक बन्द रखेंगे या साल भर तक बन्द करेंगे, उसके बिना यह निकलेगी नहीं, कच्ची नालियां हैं, डाइवर्शन बनाकर ट्रक-बुलडोजर आप चला नहीं सकते हैं। 6 महीने 2 महीने या 20 दिन में कोई सिल्ट निकाल कर बतायें, पानी नहीं सूखेगा मिट्टी उठाने लायक नहीं रहेगी और बन्द कर देंगे तो एक वर्ष तक अकाल पड़ जाएगा, भीषण समस्या हो जाएगी। किसी इन्जीनियर के पास इसकी दवाई हो तो साफ करके दिखा दे।

दूसरा. मेरे क्षेत्र में मचीतावाली हैड से लेकर आगे चलकर सूरतगढ़ एरिया तक सेम है और बहुमूल्य भूमि नष्ट हो गई है जिसकी कोई रोकथाम नहीं की गई है। इस समय हालत यह हो गई है कि पानी ही पानी है, गंग कैनाल बहुत पुरानी नहर है जिसकी नहर कच्ची है, वाटर कोर्सेज कच्चे हैं अगर सीपेज होता तो वहां पर होता, वाटर लोगिंग होता तो वहां होता पर जिसकी नहरें पक्की हैं, वाटर कोर्सेज पक्के हैं तो भी सीपेज हो रहा है। इसलिये इस भयंकर समस्या का भी समाधान करना चाहिये, सेम की रोकथाम करनी चाहिये। जैसा कि फाजिल्का में हुआ था, उन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम से पानी को नीचे ले गये और सेम पर कन्ट्रोल कर लिया। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके साथ-साथ ड्रेनेज बनवाये जायं, ड्रेनों का पानी या तो नहरों

(श्री डूंगरराम पंवार)

में पम्प किया जाय वह अगर पानी की नालियां डूंनों में जाती हैं तो सेम कम हो जायेगी लेकिन कोई उपाय नहीं है सेम को कम करने का।

दूसरे जल स्रोत हैं जैसे पानी खेतों में बह रहा है, जमीन का कटाव हो रहा है तो छोटे, एनीकट्स बनाकर उस पानी को बांध कर सिंचाई के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए। प्रदेश में ऐसे कई जल स्रोत हैं। इसलिये आपका ध्यान इस तरफ और दिलाना चाहूंगा कि सिंचाई के अन्दर इस तरह की जो कमियां हैं, तकनीकी कमियां हैं यह दूर की जायं और इस नहर का निर्माण युद्ध स्तर पर कराया जाय अन्यथा नहर को खतरा है।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कर रही हूं कि इस सिंचाई की मांग प्रस्तुत होने से पहले ही प्रदेश भर में मानसून आ गया और तपती हुई धरती की प्यास परमात्मा ने बुझाई, काश्तकारों को राहत मिली इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज के अखबार को जैसे ही मैंने देखा और पढ़ा कि सिरोही से 10 किलो मीटर कमेड़ी बांध है, उस बांध को जिस समय बनाया गया था, मैं समझती हूं कि अधिकारियों ने यह सोचा होगा कि वर्षों से अकाल पड़ रहा है सिरोही जिले में यह बांध तो भरने वाल कोई नहीं है। इसे मद्दे नजर रखते हुए मैं समझती हूं कि इस बांध का निमाण किया गया और आज पहले ही मानसून में इस बांध की पोल खुल गयी, उसमें किये गये भ्रष्टाचार का नमूना उजागर हो गया। यह तो प्रशासन सतर्क था नहीं पता नहीं कितनी जान-माल का नुकसान होता और वह बान्ध टूट गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस बान्ध के निर्माण में बड़ा घपला किया गया है, बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, बान्ध का जो सर्वे किया गया था उस सर्वे के अनुसार उसमें कार्य नहीं हुआ, उसमें जगह-जगह, अलग-अलग तरह से तोड़-मरोड़ दिया गया। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहती हूं कि इस बांध में हुए भ्रष्टाचार और जो भी इसमें हेरा-फेरी की गयी है सर्वे के अलग से उसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, सिरोही जिला अरावली और भ्रेणवाटी हरीभरी पहाड़ियों से एक सुन्दर डब्बी जैसा सिरोही नगर है। जिसके चारों तरफ हरी-भरी पहाड़ियां हुआ करती थी। वहां का प्राकृतिक सौन्दर्य और वन सम्पदा प्रसिद्ध थे। चन्दन, बेहतरीन तरह का गोंद और अन्य जड़ी-बूटियां बहुत भारी मात्रा में वहां से मिलती थी। लेकिन आज उन पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो रोना आता है। सारी पहाड़ियों के जंगल वन विभाग वालों की मिली भगत से कट गये और उसका नतीजा वर्षों से सिरोही जिला भुगत रहा है। वहां पर बारिश का अनुपात कम हो गया और वर्षों से वहां पर अकाल पड़ता चला आ रहा है।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

मैं आपका ध्यान सिरोही जिले की तरफ इसलिए आकर्षित करना चाहती हूं कि पिछले चालीस वर्षों से इस जिले में कोई ऐसी बड़ी योजना सिंचाई की नहीं बनाई गई जिससे कि जिले को सिंचाई का कुछ लाभ मिले। स्थिति यह है कि जो छोटी-छोटी योजनायें भी बनाई गई वह भी अधूरी पड़ी हैं। जिले को हमेशा उपेक्षित माना गया। यह हमारे राजस्थान के बोर्डर पर गुजरात से मिलता हुआ जिला है। सरकार की उपेक्षा के कारण इसका पानी बहकर हमेशा गुजरात जाता रहा लेकिन सिरोही के लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है।

सभापति महोदय, मैं बजट की सीमाएं भी जानती हूं। इसलिये बहुत बड़ी योजनाएं आपके सम्मुख नहीं रखकर मैं सिरोही जिले की छोटी-छोटी योजनाओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। सिरोही की एक योजना बनी है बलुट गांव के पास एक नदी के ऊपर यह योजना बनाई गई है। इस योजना को पहले तो अकाल राहत की तरफ से चालू किया गया था। अकाल राहत मद से इसका पैसा लगाया था और लगभग साढ़े सात लाख रुपया अकाल मद से खर्च किया गया। आज यह योजना बहुत छोटी है। इस योजना में केवल 98 लाख पचास हजार की और आवश्यकता है। इतनी छोटी योजना से काफी लोगों को फायदा होगा, दो हजार दो सौ पचास बीघा क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होगी तथा आस-पास के कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। आज बलूट के आस-पास की स्थिति ऐसी है कि जालौर जिला नजदीक होने के कारण धीरे-धीरे वहां की सूखी अवस्था से मरुस्थल बढ़ता जा रहा है। मैं इस छोटीसी योजना की बात आपसे कहकर आश्वासन भी लेना चाहती हूं कि बलूट योजना सरकार के पास मंजूरी हेतु प्रस्तावित है, कृपया इसको इस बार के बजट में जोड़ें और स्वीकृति प्रदान करें।

दूसरे, यह जो हमारी शिवगंज तहसील में सूकड़ी इनन्डेशन है इसको आम जनता पांच देवल बांध भी कहती है। यह सूकड़ी इनन्डेशन पोसलिया नदी पर 1955-56 में बनाया गया था लेकिन 1973 की बाढ़ में यह बांध टूट गया और इसकी नहरें बेराज आज भी यथावत हैं केवल बांध की दीवार टूट जाने से वहां के लोगों की सिंचाई व्यवस्था खत्म हो गई है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि शिवगंज तहसील में जल स्तर इतना ऊंचा था कि 10 अथवा 15 फीट पर जहां भी खुदाई करते थे पानी निकल आता था लेकिन 40 वर्षों की उपेक्षा के कारण सिरोही जिला धीरे-धीरे बरबाद होता गया। आज स्थिति यह है कि 200 मीटर की खुदाई पर भी पानी नहीं मिलता है। सिरोही जिले से ही जवाई नदी निकलती थी और उस पर बांध बनाया गया लेकिन आज जवाई का पूरा फायदा पाली और जोधपुर जिला उठा रहा है। सिरोही जिले को उसमें से एक बूंद पानी नहीं दिया जाता। यहां तक कि पिछले पांच वर्षों से शिवगंज तहसील पेयजल के लिये त्राहि-त्राहि कर रही है। इस गरमी में पेयजल के कारण इतने झगड़े हुये, मुकदमे हुये लेकिन शिवगंज अपने पानी की कमी से पेयजल की तकलीफ को भुगत रहा है क्योंकि वहां पर जलस्तर बहुत घट गया। न तो जवाई बांध से कोई पानी दिया गया, न उसके बाद शिवगंज तहसील में कोई ऐसी योजना बनाई गई जिससे कुओं का जल स्तर ऊंचा आता।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

आज स्थिति यह है कि वह सूकड़ी इनन्डेशन बांध, जो सन् 1973 की बाढ़ में बह गया था, पुन: मन्जूरी हेतु सरकार के पास पड़ा है। यह छोटी सी योजना है। इसमें मात्र 185 लाख रुपया लगेगा और इससे 2 हजार 650 हैक्टेअर में सिंचाई होगी।

जब माननीय मुख्य मंत्री जी सिरोही पधारे तब वहां के काश्तकारों ने अपनी व्यथा बताई और उन्होंने कहा कि यह बांध जो पहले हमारे यहां बना हुआ था इससे हमारे कुंओं का जलस्तर ऊंचा था, शिवगंज तहसील हरी-भरी थी। पानी बहुत था लेकिन जब से यह बांध बना है, कुंओं का जलस्तर घट गया है। सिंचाई का हमारे पास कोई साधन नहीं है; तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का अध्ययन किया और उन्होंने वहीं सारे जिला अधिकारियों एवं काश्तकारों के बीच यह घोषणा की कि यह बहुत सस्ती योजना है; 185 लाख बहुत कम हैं और इससे जो सिंचाई होने वाली है मैं इसको बड़ी सस्ती मानता हुआ मैं आपको आशान्वित करके जाता हूं कि इस योजना को हम जरूर मन्जूर करेंगे। आज सदन के माध्यम से मैं पुन: उसी बात को दोहराती हूं। मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बातें नहीं करती, न लम्बी-चौड़ी योजनाएं मांगती हूं क्योंकि मैं जानती हूं राजस्थान का बजट और सिंचाई बजट सभी को देखकर हमें चलना हैं। यह छोटी ही मेरी मांग है। एक तो बलूट मांग और दूसरा सूकड़ी इनन्डेशन बांध। इसे इस बार के बजट में जरूर-जरूर स्थान दिया जाये।

इसके अलावा तीन-चार छोटी-छोटी योजनाएं हमारे यहां हैं। बड़ी सस्ती है। हमारे सदस्य महोदय सोचते हैं कि यह क्या मांग रही है मैं, तो बहुत छोटी चीज मांग रही हूं; सिंचाई मंत्री जी का धन्यवाद कर रही हूं कि वह लिख रहे हैं और मुझे अब आशा भी हो गई है कि सूकड़ी इनन्डेशन को मन्जूरी जरूर मिलेगी। लेकिन साथ-साथ दो-तीन छोटी-छोटी योजनाएं भी हैं एक बड़गांव की योजना है जो केवल 37 लाख की है। इसके अलावा कृष्णागंज, वेलांगरी बांध छोटे-छोटे बांध हैं जो अल्प समय और अल्प धन में पूरे होने वाले हैं। जैसी कि हमारे बजट की मंशा है जैसी इस सरकार के सभी सदस्यों की मंशा है कि छोटे और कम लागत वाले काम लिये जायें इस लिये मैंने निवेदन किया है कि सूकड़ी इनन्डेशन और बलूट बांध बहुत छोटी योजनायें हैं। इन्हें मन्जूरी देकर मेरे क्षेत्र को लाभ दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, मांग संख्या 46, सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं उनके अनुसार मैं सदन की मार्फत नहर मंत्री जी से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के लिए नहीं करें, राजस्थान के लिए नहीं करें सारे देश के लिए मेरे ख्याल में इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है वह बहुत बड़ा इस मुल्क के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जो गति है वह इस तरह से चल रही है कि, इन्जीनियरों के, इसके अलावा बड़े-बड़े अफसरों के और इसमें कार्यरत ठेकेदारों के बंगले,

(श्री ग्रमीन खां)

कारें, स्कूटर और मोटर साइकिलों के रईसी ठाठ पर जितने पैसे खर्च किये जा रहे हैं उतने ही पैसे इस नहर के जरूरी काम में खर्च किये जाते जिससे जो आम आदमी महसूस करता है कि एक पीढ़ी इस नहर के कार्य को चलते हुए लोगों ने देख लिया मौजूदा पीढ़ी की जिन्दगी तक भी इस नहर का आखरी लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। इस नहर के अन्दर काम आने वाली सीमेंट बाड़मेर और जैसलमेर में बिक रही है, जोधपुर में बिक रही है और ट्रकों द्वारा हर जगह इस सीमेंट को चोरी से बेच रहे हैं। इस तरह की खुले आम चोरियों पर पाबन्दी लगा करके, नहर को पूरा करावें। सारे हिन्दुस्तान का जो पिछड़ा हुग्रा इलाका है वह है बाड़मेर, जैसलमेर। आज औसत से ज्यादा भारी वर्षा हो चुकी है लेकिन इस समय उस इलाके में अभी तक भी बारिश नहीं हुई है। वहां सूखी रेत उड़ रही है। वह इलाका जहां सागरमल गोपा ब्रांच इस कैनाल की एक ब्रांच है जिसका सर्वे हो चुका है और उस पूरी ब्रांच में कोई पावर की जरूरत नहीं है, उस ब्रांच में लिफ्ट की कोई किस्म की जरूरत नहीं है। सागरमल गोपा ब्रांच गडरा रोड़ तक बाड़मेर जिले में है वह सारा ढ़लाई का नक्शा है। बगैर लिफ्ट की जो सागरमल गोपा ब्रांच है उससे जैसलमेर जिले की सम तहसील और बाड़मेर जिले की शिव तहसील के सारे सीमावर्ती रेगिस्तानी गांव जुड़ते हैं और इसको पूरा करने से जैसलमेर, बाड़मेर जिले में कम से कम सबसे पहले तो एक सीधी ब्रांच जाने से लोगों को और पशुओं को पीने का पानी मिलेगा। वहां के पेड़ हरे होंगे ग्रीर सेवण घास बहुत ही अच्छी घास है जिससे वहां की गाय और भैंस, घोड़ा आदि जानवर अच्छी तरह से पलते हैं और मजबूत रहते हैं वह भी कायम रहेंगे और कुछ गांवों में जो सिंचाई के तहत लिए है वह भी इसमें कामयाब रहेंगे।

इसलिए मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि इस कैनाल, सागरमल गोपा ब्रांच को. सिंचाई मंत्री महोदय, जो ढलान पर है जिसमें लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है उसका कार्य गडरा रोड़ से भी शुरू कर दिया जाये ताकि यह नहर जल्दी पूरी हो जाये और इसमें सारे देश का और राजस्थान का धन भी लगाया जाये तो भी मेरे ख्याल से कम बात है। अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि पूर्वी राजस्थान की अकाल के लिए पैसों के आवंटन में उपेक्षा की जा रही है उनकी बात सही है। जब तक इस डेजर्ट में इस कैनाल का काम, लक्ष्य का पूरा नहीं किया जायेगा, भारत सरकार और राज्य सरकार को भी मजबूर होकर यहां के लोगों को बचाने के लिए, पीने के पानी के लिए, पशुओं को बचाने के लिए, वहां के पशुओं को जिन्दा रखने के लिए सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे जिससे कि आपके पूर्वी राजस्थान का समुचित विकास हो सके। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है इस राजस्थान के विकास के लिए, डेजर्ट को खत्म करने के लिए और देश की सेनाओं को सुरक्षा के हित के लिए इस कैनाल की जो सागरमल गोपा ब्रांच है उसको प्राथमिकता दी जाये जिससे वहां के लोगों का विकास हो सके, जिससे वहां के पशुओं को जिन्दा रहने का अच्छा प्रबन्ध होगा और साथ ही बगैर लिफ्ट की कैनाल

(श्री अमीन खां)

में खर्चा भी कम होगा । इसको प्राथमिकता दी जाये । इसके साथ मेरी यह प्रार्थना है कि कैनाल पर स्थानीय भूमिहीन किसानों को जो जमीन अलॉट की जा रही है उस अलॉट मेंट में इस तरह की जटिलता का प्रोसीजर है जिससे गरीब काश्तकार आसानी से अलॉट नहीं करा सकता । सबसे बड़ी बात इसमें यह लगाई गई है कि सन् 1954 की वोटर लिस्ट में जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाये। 1954 की लिस्टों के लिए जिला हैड़ क्वार्टर पर लोगों ने कोशिश की। जिला मुख्यालय के अधिकारी यह बताते हैं कि 1954 की वोटर लिस्ट हमारे पास है ही नहीं । सवाल आया कहां मिलेगी तो इलेक्शन डिपार्टमेंट, राजस्थान सचिवालय में मिल सकती है । सचिवालय में पता लगाया तो सचिवालय में आफिसर्स ने बताया कि 1954 की लिस्ट नष्ट कर दी गई है। मेरा यह निवेदन है कि ऐसी कोई प्रक्रिया, सरलीकरण किया जाये । उसमें सुझाव मेरा यह है कि जैसे तहसीलदार मुकामी, पुलिस का थानेदार है अन्य कैनाल के आफिसर्स है वह वैरीफाई कर दें उसको ही मान लिया जाये । या 1954 की लिस्ट अगर सरकार के पास है तो उसको डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर रखने के लिए उसको हर आदमी को मिलनी चाहिए यह इन्तजाम सरकार को करना चाहिए । जब मिलती नहीं है तो किसान कहां से लायेगा और मिलती है और उसमें नाम नहीं है ठीक है लेकिन लिस्ट उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यूं ही धांधली में आदमी परेशान होकर के मायूस हो करके घर बैठ जाये जिससे बाहर के लोगों को लाभ मिल जाये और स्थानीय लोग वंचित रह जाये । अन्त में मेरे को इतना ही कहना है सिचाई मंत्री महोदय, सागरमल गोपा ब्रांच, गड़रा रोड़ ब्रांच, गड़रा रोड़ तक जो कैनाल जायेगी इसको युद्धस्तर पर प्राथमिकता के आधार पर गड़रा रोड़ से ही दोनों तरफ कार्य रामगढ़ और गड़रा रोड़ से चालू कर दिया जाये तो वहां के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशहाली होगी, वहां के लोग आपके यहां से धन की जो बार-बार मांग करते हैं वह भी डिमाण्ड खत्म हो जायेगी तथा वहां के लोग हमेशा आशीष देंगे । जय हिन्द ।

श्री सभापति : श्री मनीराम जी ।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से इन्दिरा गांधी नहर की योजना, सिचाई के बारे में कटमोशन्स दिये हुए हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । सबसे पहले इन्दिरा गांधी नहर मंत्री, और इन्दिरा गांधी नहर राज्य मंत्री और सिचाई मंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं । दूसरा मैं यह चाहता हूं कि जो भी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सम्बन्धित अधिकारी बैठे हैं वह भी मेरी बातें कुछ नोट कर लें, शायद वह मौके पर अभी तक निरीक्षण नहीं कर पाये हैं कि उस नहर में कहां-कहां त्रुटियां हैं और बनने में कहां-कहां डिफेक्टिव रही है । मैं आपको सर्वप्रथम जो राजस्थान कैनाल, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, मैन कैनाल जो 644 आर. डी. का जिक्र करना चाहता हूं । 644 आर. डी. से थारुसर माइनर नाम का एक माइनर बना है जो आज से पांच साल पहले निर्मित हुआ, उस थारुसर माइनर में देखने से पता चलता है कि बनने के बाद उस सारे धन का दुरुपयोग

(श्री मनीराम सियाग)

हुआ एक दिन भी वह माइनर नहीं चलाया गया न ही वहां वाटर कोर्स बना है न ही उसमें पानी आने की कई गुंजाइश है। मैं उस मौके को अपनी आंखों से देख कर आया हूं कि वहां जो माइनर में आउटलेट लगा है वह पानी की सतह से दो-तीन फुट ऊपर लगा है। जहां तक मेरा विचार है किसी भी सूरत में उससे ऊपर पानी उस नहर में चल नहीं पाता। इस थारुसर माइनर की क्या उपयोगिता है ? किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है इस बाबत सम्बन्धित अधिकारी ध्यान दें। थारुसर गांव के निवासी और वहां के आवंटी आज तक सिंचाई से वंचित रहे हैं और वह पूरा का पूरा माइनर क्षतिग्रस्त हो गया है उसके अन्दर झाड़ियां, मिट्टी आदि भर गई है। इसके अलावा मैं आपका ध्यान 620 आर. डी. के हैड की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने नहर से 620 आर. डी. से पूगल ब्रांच निकली है उस पूगलब्रांच में, अभी जो मौके पर मैंने डिस्चार्ज देखा, 450 क्यूसेक पानी वह भी टेल पर पहुंचने में पर्याप्त नहीं है। यहां के काश्तकारों की पूरी-पूरी शिकायतें हैं और जब मैं वहां मौके पर उस क्षेत्र में गया तो लोगों ने मुझे घेर लिया और कहा कि यह हमारी अहम समस्या है इसके समाधान के लिए आप सरकार को प्रस्तुत करें। मैं आपका ध्यान उस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं जिस समय माननीय नहर मंत्री अप्रेल में जो बीकानेर दौरे पर गये थे उस समय से पानी में सुधार अवश्य हुआ है। इस समय हमारे माननीय राज्य मंत्री मिगलानी जी भी हाजिर थे और आफिसर्स की मीटिंग भी ली थी जिसमें चीफ इंजीयिर साहब ने आश्वासन दिया था कि इस नहर को अच्छी तरह चलाया जायेगा। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस नहर की जो मान्यता थी, क्या इस नहर में, विशेषकर मैं आपका ध्यान इस लिफ्ट नहर की ओर खींचना चाहता हूं जिसका नाम अभी लूणकरणसर नहर की बजाय कंवरसेन लिफ्ट नहर योजना रखा है। इसमें चार लिफ्टें हैं, राजियासर, मलकीसर, हुसानसर और खारा। मैंने चारों लिफ्टों का निरीक्षण किया है। उसमें कहां-कहां से कौन-कौनसी डिस्ट्रीब्यूटरी निकली हैं, कौनसे माइनर निकले हैं, कौनसे वाटर कोर्स निकले हैं, मैं आपका और आपके अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद कभी भी नहर बनने के बाद में चीफ इंजीनियर स्तर का दौरा वहां पर नहीं किया। अगर दौरा करते तो माइनर त्रुटियां हैं उसमें। अभी आपने वहां पर एक अभियान सा चलाया ए. पी. एम. फिट करने का। मैं आपका ध्यान ए.पी.एम. की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो इस लिफ्ट कैनाल में जिन-जिन डिस्ट्रीब्यूटरीज में ए. पी. एम. फिट किये हैं उसमें वृहद स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस ओर भी आप लोग ध्यान दें। ए. पी. एम. की लागत 11 हजार तीन सौ आप लोगों ने बिठाई है जबकि वह मशीन मुश्किल से दो-ढाई हजार रुपये की होगी। आपने एक सिन्घल एण्ड कम्पनी नाम से भी एक काण्ट्रेक्टर तय किया है जो कि बिल्कुल ही एक काल्पनिक कांट्रेक्टर हैं और आप अपने डिपार्टमेंट के स्तर पर ही यह काम करवा रहे हैं। मेरे ख्याल में मशीनों के अलावा कोई भी सामग्री आपके विभाग द्वारा खरीदी नहीं जा रही है। ए. पी. एम. लगाना तो जरूर है जो जे. ई-एन. वगैरह और सम्बन्धित अधिकारियों की

(श्री मनीराम सियाग)

रुचि रही, क्योंकि उसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा था लेकिन उसके पीछे आपने किसानों के हित को ताक में रख दिया। उनका डिस्चार्ज आपने सही तरीके से नहीं देखा। जो वाटर कोर्स हैं, जहां ए. पी. एम. फिट हैं उनका तकनीकी विस्तार का जो वास्तविक केलकुलेशन है उसको कभी आपने चेक नहीं किया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मैं आपके एक्स. ई. एन. को मौके पर ले गया हूं और ए.पी.एम. चलते हुए खाली दिखाये हैं और वहां बताया कि आप एफ. एस. एल. मेन्टेन करके हमें बताओ। क्योंकि जब तक एफ. एस. एल. मेन्टेन नहीं होगा तब तक ए. पी. एम. लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आप लोगों ने पिछली फसल को जबरदस्ती किसानों की जला दी। आपने पहले यह आदेश प्रसारित किये थे कि अप्रैल से पहले कोई ए. पी. एम. फिट नहीं किये जायेंगे। इसके बावजूद भी आपके अधीनस्थ अधिकारियों ने पैसे बटोरने के लालच में रातोंरात ए. पी. एम. लगा दिये और उन ए. पी. एम. का परिणाम क्या निकला, फसल जल गई और आज भी उनका सुधार नहीं हुआ। जब हम आप लोगों को बोलते थे, जब हमने इस बात से आगाह कराया तो कहा कि आप चिन्ता मत करो एफ. एस. एल. मेन्टेन हो जायगा। वह एफ. एस. एल. आज तक मेन्टेन नहीं हुआ। उसके बारे में जितना मैं प्रयत्नशील हूं सन् 1978 से इस नहर से जुड़ा हूं। मैं किसान के खेत का आदमी हूं, किसान परिवार से जुड़ा हूं। मैंने अपने हाथों से खेतों में इस नहर से पानी लगाया है। आप जो वाटर इन्टेन्सिटी की बात करते हैं, कहने को तो आपने रिकार्ड मेन्टेन किया है वाटर इन्टेन्सिटी का 80 पर्सेन्ट देते हैं। लेकिन वह भी वाटर लॉसेज में चला जाता है। आपके वाटर कोर्स जब पहले यह क्षेत्र आबाद नहीं हुआ था आपने भोले-भाले किसानों में जाकर आपके पटवारियों ने आपके जे. ई. एन. ने अन्जान लोगों से हस्ताक्षर करवा लिए उनकी सुपुर्दगी में खाले दे दिये वह खाले उस टाइम में पूरी तरह से निर्मित ही नहीं हुए थे और आज उन खालों की हालत आप देखो एक भी खाला पानी चलाने योग्य नहीं है। किसान रोज मेहनत करके डोलों पर मिट्टी दे दे करके अपने खेतों में पानी ले जा रहे हैं। आप वाटर इन्टेन्सिटी की बात करते हैं। वहां जब तक खेत में पानी नहीं पहुंचता है, आपके डिस्चार्ज का आधा पानी वहां तक नहीं पहुंच सकता और सारा पानी लॉसेज में चला जाता है। मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आपकी लिफ्ट बनी है, जहां-जहां आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो डिस्चार्ज है वह डिस्चार्ज भी गलत अंकित किया जा रहा है रजिस्टर में। जानबूझकर ऐसे अधिकारी बिठा रखे हैं जिनको कोई शर्म नहीं है, जिनको कोई किसान की चिन्ता नहीं है, जो किसान की समस्याओं को समझते नहीं हैं। जो लोग अपने अहम में बैठे हैं वह लोग सिर्फ रजिस्टर मेन्टेन करने में और सिर्फ रेकार्ड दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। मैंने खुद वहां जाकर लिफ्टों का डिस्चार्ज नोट किया है। उन डिस्चार्जों में आपका मौके पर आधा ही नहीं बैठ रहा है। मैं आप लोगों का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कोई आपकी लापरवाही की बात नहीं है। उच्च अधिकारियों को

(श्री मनीराम सियाग)

मौके पर निरीक्षण करके इस हकीकत से वाकिफ होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात से आगाह करना चाहता हूं। जो यह लिफ्ट नहर है वह लाखों किसानों के हितों से जुड़ी हुई है। इस नहर में केवल पानी चलाना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक इस नहर पर बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी, इस नहर से सिंचाई पूरी तरह से होना सम्भव नहीं है। उसके लिए भी आपको विकल्प तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप लोगों को कोई न कोई खर्चा करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी करना पड़े। मै आप लोगों को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि आप किसानों को बहला-फुसला कर शान्त नहीं करिये। आप लोग हर स्तर पर ध्यान रखिये। आप लोग अभी पूरा पानी देने की बात करते हो, रेतीला इलाका है। अभी हमारे माननीय विश्नोई साहब ने बताया था कि लूणकरणसर क्षेत्र रेतीला है। उसमें गेहूं और चना पैदा होता है। मैं आपको इस बात से भी आगाह करना चाहता हूं कि लूणकरणसर मूंगफली के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है और मेरे खयाल में उसका नम्बर हिन्दुस्तान में भी होना चाहिये। मूंगफली की आयल मिलें भी इसी एरिये के स्तर पर चलती हैं। तो मूंगफली के तेल की जो फसल है उसमें भी पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। रेतीली जमीन होने के नाते प्रति हजार एकड़ वहां पर 2.3 क्यूसेक पानी दे रखा है जबकि घरसाना, अनूपगढ़ साइड में चिकनी मिट्टी है जहां पर पानी का सोर्स नहीं है वहां भी बहुत मात्रा में पानी दिया था और आज भी 3.9 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ पानी दे रहे है शायद इससे भी अधिक। तो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप इस रेगिस्तान को सरसब्ज देखना चाहते हैं और किसानों के हित को मद्देनजर रखना चाहते हैं तो पानी की जो मात्रा प्रति हजार एकड़ है उसको बढ़ानी पड़ेगी और चिकनी मिट्टी से बालू रेत के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी। ए. पी. एम. के बारे में फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो ए. पी एम. आपने एक क्यूसेक की डिस्चार्ज केपेसीटर से कम लगाये हैं उसमें पानी बिल्कुल ही नहीं चलता। मैं आपको नाम लेकर बता सकता हूं। बी. एच. एम. का 3,5 और सात नम्बर ए. पी. एम. है उसमें पानी बिल्कुल ही नहीं निकलता। मैं ए. पी. एम. के बारे में बोलूंगा कि जो एक क्यूसेक केपेसिटी का ए. पी. एम. है वह आपने तकनीकी तौर पर ही गलत बनाया है। इसका डिस्चार्ज है उस पर प्रेशर नहीं बढ़ता। एफ.एस.एल. का जब तक दबाव नहीं बनता तब तक पानी का डिस्चार्ज तेज नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो जमींदारों के हित की बात है, आप लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब वह जमींदार नहीं रहे जो आपकी अफसर शाही का मुंह ताकते रहेंगे, वह जबरदस्ती पानी ले लेंगे। आपने ए. पी. एम. में जो भ्रष्टाचार फैला रखा है और जमींदारों को डरा रहे हैं कि अगर आपने ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया, हमें कुछ दक्षिणा नहीं दी तो हम आपका ए.पी.एम. गलत लगा देंगे। ए. पी. एम. का मतलब यह है एडजस्टेबिल मशीन। उसको आप आधा फुट ऊंचा-नीचा करने की जे. ईएन.

(श्री मनीराम सियाग)

को आपने अधिकार दे रखे हैं, उस आधा फुट गैप के लिए भ्रष्टाचार पनपाने का माध्यम बना रखा है, आप जांच कराकर देख लीजिये। जो भी ए. पी. एम., एल.के. डी. और बी. एच. डी. और डी. एल डी. और जो मेन नहर में ए. पी. एम. लगे हैं उनमें आठ से बारह हजार तक की घूंस ली गई है। इस बारे में अगर आपको शंका हो तो वृहत् स्तर पर जांच करा लीजिये। यही कारण है कि आपके टोटल जे. ईएन. बदले गये हैं और वह जे. ईएन. अभी भी रिलीव नहीं हुए हैं। क्योंकि उनका हिस्सा-पांति आप लोगों को नहीं मिला है। इसलिये मैं आप लोगों को ए. पी. एम. के बारे में पूरी तरह से आगाह कर देना चाहता हूं क्योंकि यह भी आपने किसान की लूट का एक रास्ता निकाला है। और आप उल्टा उनको कह रहे हैं कि यह तो हम अपने बंटवारे के लिये कर रहे हैं। अगर बंटवारे के लिए कर रहे हैं तो एल. के. डी. 11 से 18 तक सूखी क्यों पड़ी है। वहां तो ए. पी. एम. आपने लगा दिये। आपको यह भी बता चाहता हूं यह बी. एच. एम. है उसमें बीच में जो ऊंचा बनाया है इसके लिये आपने क्या किया। ए. पी. एम. तो वहां भी आपने लगाया है। जहां आपकी फाल बनी हुई है। एफ. एस. एल. मेन्टेन क्यों नहीं है, आपने कोई ध्यान दिया है इस तरफ, कोई कंपट वगैरह लगाया। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर इस बार भी चिन्ता करता हूं कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो जनता अपने आप इसका फैसला कर लेगी। इसके अलावा जो लो-लेबल नहर है, जो बिरदवाल हैड से निकल कर मेरे क्षेत्र में प्रवेश होती है क्योंकि लूणकरणसर क्षेत्र का जितना भी भाग है उसमें इन्दिरा गांधी नहर योजना का पूरा फैलाव है। उस फैलाव से सारे कच्चे ब्लाक जुड़े हुए हैं। इस फैलाव से 33 गांव के विस्थापित और पाक विस्थापित भी जुड़े हुए हैं और करीब 70-80 किलो मीटर बोर्डर एरिया इससे सम्बन्धित है। मैं आपका ध्यान उस नहर पर 365 हैड जो लो लेवल से बी. डी., के. वाई. डी. और के.एल.डी. नहर की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। के. एल. डी. नहर आपने इतनी डिफेक्टिव बनाई है कि उसमें हर वक्त सिल्ट आता है। मैं मौके पर देखकर आया हूं जहां से पानी का डिस्चार्ज होता है उससे आगे सिल्ट ऊपर तैरते हुए भी देख सकते हैं और आगे पानी मोगों में जाना तो दूर रहा सिल्ट खचाखच भरी हुई है और सारे काश्तकार रो रहे हैं इस स्कीम को कि पता नहीं कौन टैक्नीशियन था, कौन तकनीकी अधिकारी था जिसने इस नहर को किस हिसाब से बनाकर सिल्ट से हमारा पीछा नहीं छूटता है। मैं आप लोगों का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि श्रीमान जी मैं इस इलाके से सम्बन्धित हूं और नहर की पूरी-पूरी जानकारी मुझे है। हर पाइन्ट मैं आपको बता सकता हूं। आपके अधिकारी नहीं बता पायेंगे। बिरदवाल हैड से लेकर वाटर कोर्स डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर के बारे में बता सकता हू और कहां-कहां आपने घपला किया है। मैं तो आप लोगों को इस बात से भी आगाह करना चाहता हूं कि आज तक जो इस नहर पर लिफ्ट नहर की भावना बनी हुई थी कि इसमें जो क्षमता है 568 क्यूसेक पानी की, यह गलत डिजाइन होने के कारण चला नहीं सकते। आपकी यह

(श्री मनीराम सियाग)

धारणा फैल हो गई। हमारे यहां जब नहर मंत्री और राज्य मंत्री पधारे और अधिकारियों की नीयत जब साफ हुई तब वही नहर 550 और 560 क्यूसेक्स पानी देने लगे हैं। तो इसमें आप लोगों ने यह माहौल बना रखा था कि यह नहर गलत है और आज भी आपका कोई एक्स. ईएन. इस बात का पूरा जिम्मा लेने को तैयार नहीं है। मुझे कल ही मेरे क्षेत्र से टेलीग्राम प्राप्त हुआ है। आपने फिर भी नहर का पानी कम कर दिया है। पता नहीं क्यों किया है। आपके हरिके डेम में पानी पिछले वर्षों से, जो 5 जून की आपकी रीडिंग है, उसमें कई गुना ज्यादा पानी है। फिर भी आपका पानी कहां चला गया। मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो रेगुलेशन का और आपने पानी लेने का जो दो जगह तरीका इख्तियार कर रखा है उसमें भी आपकी खींचातानी रहती है। आपका जो एक्स. ईएन. है वह इस बात के लिये पूरा उत्तरदायी नहीं है कि मैं यह पानी कितना लूं और कहां से लेऊं। वो यह बहाना बनाये रखता है कि रेगुलेशन वाले मुझे इतना पानी नहीं देते। जब नहर 568 क्यूसेक्स पानी के लिये बनी है और आपके सामने 25 दिन तक पानी, जब फसल पीछे बोई गई है, 23 अप्रेल से लेकर मई आधे महीने तक, जब 25 दिन से आपकी नहर में पानी चला तो अब इसमें क्या कमी आ गई। शायद आपकी नीयत में कमी आ गई। वहां पर अधिकारी यह कहते हैं और वहां की जनता भी यह कहती है कि एक बार पानी चलता है और अगस्त में पानी बन्द हो जाता है मैंने तो उन लोगों को यह आश्वासन दिया है कि हमारी अगर सरकार रही तो यह पांच साल तक पूरा चलेगा और यह नहर भी स्थाई हो जाएगी। इसमें भी 568 क्यूसेक्स पानी चलने की क्षमता हो जाएगी और हमारे अधिकारियों को करना पड़ेगा। अगर हमारे किसानों की रक्षा करनी है, अगर हमारे किसानों की खुशहाली देखनी है और हमें किसानों की खुशहाली के लिये कुछ करना है तो यह जरूर करना पड़ेगा कि उससे 568 क्यूसेक्स पानी चलायें। अब उसमें क्या कमी आ गई थी कि आप उसमें अभी 380 क्यूसेक्स पानी छोड़ रहे हैं। वो भी 80 क्यूसेक्स आपने पीने के लिये रिजर्व रख रखा है। उसमें 100 क्यूसेक्स आपका लोसेस चला जाता है। आपने स्टेप बना रखे हैं। पानी की थोड़ी सी जहां बहाना हुआ लाइट चली जाने का। स्केप खोल देते हैं और 4-4, 6-6 घण्टे तक वो चालू रहता है। आपका मौसम पूरा स्केप अगर उसका पानी का यूटीलाइजेशन हो

(8.43 रात्रि)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

अगर सही तरह से इसका उपयोग हो तो उसमें बीसों-तीसों मुरब्बे सिंचित हो सकते हैं और मैं आपका इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर केन्द्र सरकार से भी राज्य सरकार को कुछ लेना पड़े तो यह प्योरिटी होनी चाहिये पानी की नियमितता बनी रहनी चाहिये। उसके लिए अलग से बिजली की व्यवस्था हो, अलग से कोई जनरेटर की व्यवस्था हो और इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को सुचारु रूप से चालू की जाय और इसमें आपने जो

(श्री मनीराम सियाग)

अनियमितता बना रखी है कभी आप 550 क्यूसेक्स चला देते हैं, कभी 350 और 400 क्यूसेक्स चला देते हैं इससे किसान हर समय यह अपने आपको असमंजस में पाता है कि हमें कितना बीजना चाहिये और कौन-कौन सी फसल बीजना चाहिये। पानी को देखकर किसान का मन होता है क्योंकि किसान खेती पर निर्भर है, पानी और गीली भूमि को देखकर किसान बीजने से रुक नहीं सकता और ये ही वजह है कि अभी पिछले 25 दिनों में जो खेती हुई है लूणकरणसर क्षेत्र में उतनी आज से पहले कभी नहीं हुई और उस खेती को अभी जब ये इमेज अपने पक्ष में बनने लगी है, क्षेत्र के लोग जब राजी होने लगते हैं कि हमारी सरकार आई है, हमारी तरफ ध्यान दिया है, तो अधिकारी भी कुछ काठे होने लगे हैं। उन्होंने सोचा कि हमारी ये खिचाई नहीं होने देंगे कि पन्द्रह वर्ष पीछे हमने नहर में लोगों की बरबादी की थी तो वो लोग इधर उधर ताकने लगे हैं। लेकिन आप लोगों को सीधे होकर काम करना पड़ेगा और मैं तो मेरी सरकार को इस बात के लिये सचेत कर देना चाहता हूं कि आप अधिकारियों के पीछे न चलें। आप मंत्री लोग मौके पर जायें और आप अपने आंखों से इस नहर की व्यवस्था और डिस्ट्रीब्यूटरीज व वाटर वर्क्स की व्यवस्था देखें। मैं जब भी इलाके में गया हूं चुनाव के बाद में। बार-बार में लोगों, घरों और गांवों में नहीं जा करके मैं डिस्ट्रीब्यूटरीज पर माइनर्स पर और आपके लिफ्ट नहर पर गया हूं, नहर केनाल पर गया हूं, लो लेवल पर गया हूं और आपको बताऊं खाजूवाला साइड में 40 के. वाई. डी. और 29 और 30 के. वाई. डी. वहां आप देखोगे डोलियां बंधी हुई हैं आपकी सिल्ट की और सिल्ट में आप लोगों ने किसानों को फुसलाकर और किनारे पर डाल दिया है इस डिस्ट्रीब्यूटरीज के कि ये बाद में हटा देंगे। वो सिल्ट वापस अन्दर गिर रही है और उनको व्यवधान पैदा हो रहा है। आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिये कि ये इससे काश्तकार का भविष्य बनता है। अगर आप पूरा पानी नहीं दे पाते तो कम से कम उनको जो सिल्ट से भरे हुए खाले हैं उनकी सफाई तो कीजिए। मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा समय नहीं लेकर सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी रुचि के अनुसार मेरे क्षेत्र से जुड़े हुए हित में समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस कार्य की योजना प्रस्तुत की उसमें यह बताया कि 20, 30 प्रतिशत का इन्क्रीज इन्होंने गत वर्ष की योजना की तुलना में किया है। जबकि वास्तविक योजना व्यय की राशि को अपन देखें तो वो इन्क्रीज 16 प्रतिशत के लगभग बैठता है। जहां तक सिचाई का प्रश्न है माननीय श्री सिंचाई मंत्री जी आपने 1990-91 के बजट में 183 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और गत वर्ष 160 करोड़ रुपये प्रावधान करने की बात बजट में बताई है। यह इन्क्रीज लगभग 14 प्रतिशत बैठता है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

से यह बताना चाहता हूं इनफ्लेशन की रेट 12 प्रतिशत है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने कई बार कोट किया। (व्यवधान) भ्रष्टाचार तो रामकिशनजी ने बताया था, इस भ्रष्टाचार को पकड़ लो हम बता देंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह (इंदिरा गांधी नहर मंत्री) : तारीख याद कर लो कब कहां है ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : ये भ्रष्टाचार आपको करना है आप वेट करो अब उसकी। हमारा तो नहीं समय तय करने का।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है भ्रष्टाचार किसी कांग्रेस के आदमी ने किया है तो आप बता दीजिये और नहीं तो जिस किसी ने भी किया है ..

एक माननीय सदस्य : आपने फैलाया है। भ्रष्टाचार भी आपने पनपाया है।

एक माननीय सदस्य : आप भी सीख जाओगे थोड़े समय में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे तो अफसोस होता है कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी के दल के सदस्यों ने जब सदन में मैसर्स कल्याण सुन्दरम का मुद्दा उठाया था उस समय कार्यवाही हुई थी अब उस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? आप बता दीजिये। (व्यवधान) आज आपको बोलने का मौका नहीं मिला है क्या ? और बोलना है तो खड़े होकर बोलिये। बीच में व्यवधान मत पैदा कीजिये आप, आप पुराने सदस्य हैं। और ज्यादा + + + तो भी मंत्री आपको बनाने वाला नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये मतलब जो है अपन किसी भी प्रकार की और ये जो + + + वह आपने की आज तक। गोयल साहब कह रहे हैं गोला भेज दें क्या गोला ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने तो भांग आज तक पी नहीं। और आप इस तरह से किसी भी माननीय सदस्य के चरित्र हनन की कार्यवाही करना चाहते हो तो आपको भी लोग जानते हैं कि आप क्या पीते हो। माननीय सभापति महोदय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो 14 प्रतिशत सिंचाई की योजना में आपने इन्क्रीज किया है मंहगाई 27 प्रतिशत बढ़ गई है तो उससे ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने 14 प्रतिशत सिंचाई में या बजट में इन्क्रीज किया है वो मैं समझता हूं कि एक तरह से विकास को शून्य की ओर ले जायेगी। आज मुख्यमंत्री जी अपने रिप्लाई में यह कह रहे थे कि ये जी तनख्वायें बढ़ी हैं उसका भार 241 करोड़ रुपये का आ गया है। मुझे लगता है जैसे कोई केयरटेकर गवर्नमेंट काम कर रही है उस प्रकार से इस राज्य सरकार के काम करने की शैली बन गई है और कोई भी दिशा बोध किसी भी विभाग में दिया नहीं है दिया गया है वह आप सुन लीजिए, माननीय इन्दिरा गांधी नहर मंत्री जी गत वर्ष 109 करोड़ रुपये इन्दिरा गांधी नहर

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

के निर्माण के लिए बजट प्रावधान किया गया था लेकिन इस बार कितना किया गया है 70 करोड़ रुपये। 39 करोड़ रुपये इन्होंने इन्दिरा गांधी नहर के ऊपर काट लिए और मुझे अफसोस है कि 1977 और 1980 के बीच में इन्होंने मंत्रिमण्डल का निर्णय लेकर हमारे राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो हमेशा डेपराईव्ड रहा है और जिसका विकास करने की शुरूआत कांग्रेस ने की, आपने उन लिफ्टों को बन्द कर दिया, उनकी तालाबंदी कर दी। बड़ी मुश्किल से पिछले दिनों हमने साबा चूरू लिफ्ट को, कोलायत गजनेर लिफ्ट को प्रारम्भ किया है। मुझे शक है कि आप इन लिफ्टों को फिर से बन्द करेंगे और बंद करेंगे तो आपको बहुत भारी जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा... (व्यवधान) आपको पता नहीं है हम क्या कर सकते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : कल्ला साहब से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, चूंकि आज मेरा गला खराब है वरना मैं इन सबसे सलट लेता। अब देखो इनको। यहां पर सदन में एक एक आदमी बोल रहा हूं, कितनों को परेशानी हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के बारे में सरकार की क्या योजना है और मंत्री महोदय अपने रिप्लाई में यह बतायें कि पोकरण लिफ्ट को, फलौदी लिफ्ट को और साबा चूरू लिफ्ट और कोलायत गजनेर लिफ्ट के बारे में इस वर्ष आपकी क्या योजना है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन लिफ्टों से सम्बन्धित जो हैड वर्क्स के गांव बोर्ड के पास विचाराधीन हैं उसके बारे में अब क्या प्रगति हुई और आप कब तक इस बारे में निर्णय ले लेंगे?

जहां तक खालों के निर्माण का सवाल है। इस वर्ष 35 हजार हैक्टेयर भूमि में खालों का निर्माण किया जायेगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि गत वर्ष हमने 60 हजार हैक्टेयर भूमि में खालों के निर्माण का लक्ष्य रखा था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सी. ए. डी. के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि उन्होंने राज्य सरकार के लक्ष्यों को पूरा किया और 62 हजार हैक्टेयर भूमि में एक रिकार्ड कायम करके अब तक सबसे अधिक कृषि कार्यों के लिए खालों का निर्माण किया है....

श्री शांतिलाल चपलोत : 33 हजार ही हुए हैं। आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिए....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मंत्रीजी आप इनको करेक्ट करो जानकारी नहीं है तो बीच में व्यवधान नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, 35 हजार हैक्टेयर भूमि में यह खालों का निर्माण करेंगे। इसके मायने यह हुए कि इन्होंने लगभग आधा लक्ष्य निर्धारित किया है। अब यह विकास को आगे क्या बढ़ायेंगे। इसीलिए मैंने पूर्व में भूमिका में यह बातें कहीं हैं कि सिंचाई में केवल राशि बढ़ाने से काम नहीं होगा फिजिकल टारगेट्स आपके कितने बड़े, कितने किलोमीटर अधिक आप नहरों का निर्माण करेंगे और पिछले

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बजट को यदि यह पढ़ लें तो निश्चित रूप से यह महसूस करेंगे कि गत वर्ष सर्वाधिक खालों का निर्माण इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में किया गया और आप इस बार केवल मात्र 35 हजार हैक्टेयर में खालों का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हमने 60 प्रतिशत बजट किसानों के लिए खर्च किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप फिजिकल टारगेट आधे के करीब कर चुके हैं, मुझे सन्देह है पूरे बजट का सूक्ष्म रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं और इस सदन में एप्रोप्रियेशन बिल के आने के वक्त बतायेंगे कि आपने किसानों के लिए 60 प्रतिशत राशि खर्च नहीं करके उससे कम राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है।

इसी तरीके से सभापति महोदय, लिंक कैनाल के लिए कांग्रेस सरकार ने एक करोड़ रुपये की राशि हरियाणा सरकार को जमा कराई थी। मैं जानना चाहता हूं, वहां पर भी आपकी सरकार है। हम लोग जब सत्ता में थे उस वक्त तो यह बात समझ में आती थी कि वहां पर विपक्षीय पार्टी की सरकार थी लेकिन अब तो वहां पर भी जनता दल की सरकार है। मैं इन्दिरा गांधी नहर मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा सरकार ने पिछले 100 दिनों की आपकी सरकार ने क्या कार्यवाही की। यह लिंक चैनल कब तक बना देंगे। इसी प्रकार कंवरसेन लिफ्ट के बारे में लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो वहां पर एक अलग से ट्रांसमार्मर लगाने की बात कही थी सम्भवतः वह लग चुका है। उसके लिए अलग विद्युत लाईन लाकर इस लिफ्ट कैनाल के लिए बिजली की कमी कभी नहीं नहीं रहे इसकी पर्याप्त व्यवस्था की थी। इसमें अगर कहीं कमी रही है तो उसको तुरन्त दूर किया जाये। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि लिफ्ट इर्रीगेशन सिस्टम के लिए प्रायरटी सामान्य नहरों की तरह नहीं रखी जाये क्योंकि लिफ्ट नहरों से कई गांवों को पीने का पानी मिलता है बीकानेर शहर को पीने का पानी उपलब्ध होता है और यह नहर 6 महीने लगातार बन्द रहती है जिसके कारण पीने के पानी की जो सुविधा गांवों और शहरों को दी जाती है वह नहीं होने से त्राहि-त्राहि मचती है। इसलिए जो आपका सिस्टम है उसको बदला जाये और इस नहर की लिफ्ट इर्रीगेशन सिस्टम को निरन्तर जारी कर पेयजल उपलब्ध कराये जाने के बारे में कार्यवाही की जाये। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि नहर की दो प्राब्लम्स हैं एक तो नहर में सिल्ट आ जाती है, इस रेगिस्तानी इलाके में मिट्टी काफी आ जाने से नहरें बन्द हो जाती है। मेरे पास कल ही काश्तकारों का एक तार आया है उसमें गन्तोर के पास जो वितरिका है उसमें दो आर. डी. के पास नहर बिल्कुल रुक गई है वहां काश्तकारों की मूंगफली की फसल खड़ी हुई है और उनको पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि गन्तोर और उसके साथ टेल एण्ड पर जो जो वितरिकायें हैं वहां टेल एण्ड तक नहर की सफाई, चाहे बरसात का समय है फिर भी विशेष तौर पर जो आपके पास वर्कचार्ज्ड लेवर है उनको लगाकर आपको अविलम्ब नहरों की सफाई का काम हाथ में लेना चाहिए। और जो सेम खड़ी हुई है उसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मशीनों से ह्यूमन लेबर से उसको हटाकर के नहरों को खोलना चाहिए ताकि टेल एण्ड तक पानी पहुंच सके वरना नहरों में पानी रहता है, खालों में वितरिकाओं में और किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचने से काश्तकार को काफी दिक्कतें होती हैं। इसी प्रकार सभापति महोदय, इस सदन में जो सदस्य इधर बैठे हुए हैं उन्होंने काफी आंदोलन भी किये और यह कहा कि कोटा क्षेत्र में सी. ए. डी. के अन्तर्गत खाले नाले बनाये गये, इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में प्रथम चरण में जो खालों का निर्माण किया गया उसकी 119 करोड़ रुपये की राशि हम माफ कर देंगे। अब आपके पास में सत्ता आ गई है। हम लोगों ने भी इस बारे में कुछ निर्णय लिये। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमने इनकी वसूली को स्थगित किया और केन्द्रीय सरकार से हमने कहा, पत्र लिखा कि आप ब्याज माफ कर दें हम मूलधन कार्माशियल बैंक्स में जमा करा देंगे। और ब्याज की राशि आप माफ कर दें, इस बारे में पत्र व्यवहार चल रहा था अब आप किसानों के ऋणों को माफ करने में अगर-मगर लगाते हैं लेकिन जो मांग आपने इसी सदन में की है और आपको मौका मिला है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वायदों के साथ वायदा खिलाफी नहीं करेंगे और काश्तकारों का 119 करोड़ रुपया जो बकाया है और यह बहुत विडम्बना की बात है सभापति महोदय, कि हम द्वितीय चरण में जो भी खाले बना रहे हैं वह फ्री आफ कास्ट बना रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में जहां पर भी खालों का निर्माण किया जा रहा है....

श्री नत्थी सिंह : आप किस की आलोचना कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको याद दिला रहा हू कि आप यहां बैठे थे तो आप क्या बोले थे....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको अफसोस किस पर हो रहा है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमारा जो दृष्टिकोण है वह व्यवहारिक है। राज का खजाना लुटा करके हम शासन नहीं करना चाहते। वह तो आपकी फिलासफी है कि बैंकों के ऋण माफ कर देंगे और खालों के जो एक अरब 19 करोड़ रुपये हैं उनको माफ कर देंगे, यह आपको कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम तो जनता को राज का खजाना देना चाहते हैं। आपने राज के खजाने को अपने तक ही सीमित रखा।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय विश्नोई साहब, कल्ला साहब को यह याद दिला दें कि उन्होंने ही शुरूआत की थी माफी कराने के लिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं तो सरकार में मंत्री था किसानों ने खाले बनाये हैं। उन्हें यह निश्चित रूप से माफी देनी चाहिए। आपने इसके लिए तो हमेशा मांग की है। और यदि नहीं है तो मैं जानता नहीं, मिगलानीजी अपने क्षेत्र में जायेंगे तो लोग इनको घुसने नहीं देंगे और केदार जी को लोग घुसने नहीं देंगे।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सभापति महोदय, इसी तरीके से अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री आज जो सदन के नेता हैं, जब विपक्ष के नेता थे, उस समय कई मुद्दे यहां पर उठाये। यह कहा कि रावी और व्यास का पानी जो 8.6 मिलियन एकड़ फीट हमारे राज्य के हिस्से में आता है, यह कम है। इसको बढ़ाने के लिए कई सुझाव और कई प्रकार की बातें यहां पर वे करते थे। मैं जानना चाहता हूं कि अभी विगत तीन-साढ़े तीन महीनों में आपने उस पानी को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की। उन्होंने यह भी मांग की थी कि पंजाब और हरियाणा हमारा पानी बीच में ले लेता है, बीच में कई जगह बिजलीघर बनाये जा रहे हैं। उसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की है? उस समय राज्य के हिस्से की आप हमेशा वकालत करते थे लेकिन अब मुख्य मंत्री के रूप में आपने उन मुद्दों पर क्या कार्यवाही की? थीन डेम के बारे में, मुकेरिया प्रोजेक्ट के बारे में जो मुद्दे उन्होंने इस सदन में उठाये हैं, उनके बारे में आपने अब तक क्या कार्यवाही की? और माननीय सिंचाई मंत्री ने जो मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी ने इस सदन में जो-जो मुद्दे उठाये हैं, उनके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की, वे अपनी रिप्लाई के वक्त बतायें।

इसी के साथ-साथ मैं माननीय इन्दिरा गांधी नहर मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जो पैसा मजदूरों से प्राप्त होता है, उनको सस्ती दरों अनाज इत्यादि वितरित किया जाता है। उस राशि को मजदूरों के कल्याण के कार्यों के लिए चिकित्सा, शिक्षा, उनके वेल फेयर के लिए खर्च किया जाता है। पिछले वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर और बिकमपुर जैसे गांवों में कुछ प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए। उन प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो कार्य मंजूर हुए है, उनकी प्रगति उन साढ़े तीन महीनों में कुछ भी नहीं हो पाई है। बिल्कुल मंथर गति से चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन प्रोजेक्ट्स को समय-बद्ध कार्यक्रम बना करके कब तक पूरा देगे? इसके साथ-साथ विश्व खाद्य परियोजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों में टीन शैड बहुत अधिक मात्रा में खरीदे गये। उसके सम्बन्ध में मैं जब मेरे पास में यह कार्य था, मेरे पास में भी शिकायतें आई थी तो मैंने विभाग के सम्बन्धित लोगों को यह बात कही थी कि इसकी समुचित जांच करके सम्बन्धित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई? जो एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि के टीन शैड खरीदे गये, उसका क्या उपयोग रहा, उसकी क्या आवश्यकता थी और उसके सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की?

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

अभी माननीय सदस्य जो भरतपुर से चुनकर आते हैं, उन्होंने बड़ी सुविधाओं के बारे में कुछ बातें रखी हैं, मैं उनको दुहराना नहीं चाहता लेकिन मुझे जानकरी मिली है कि जैसलमेर में कोई एक व्यक्ति मुराद खां, हो सकता है यह नाम करेक्ट नहीं हो, मुझे अभी-अभी किसी ने बताया है कि 8 करोड़ रुपये के टेण्डर उसके मंजूर हुए हैं और उसकी शर्तें बड़ी विशिष्ट प्रकार की है। वह

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ठेकेदार यह कहता है कि उसके काम में जिन इंजीनियर्स को और जिन कर्मचारियों को मैं चाहूंगा उनको लगाया जाय। मुझे इस बात की खुशी है कि बोर्ड ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, इसके लिए तो मैं बोर्ड के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इसमें जो मुझे खतरा है, वह यह है कि 2 प्रतिशत एडवान्स राशि इसमें भी दी जायेगी जो लगभग 15 लाख से अधिक होगी और उसके बाद एक शर्त यह है कि 8 प्रतिशत एडवांस मशीनों के लिए दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैसर्स कल्याण सुन्दरम् के पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से किसी भी प्रकार के अग्रिम राशि किसी भी ठेकेदार को नहीं दी जाय। इस बारे में पुख्ता निर्देश दें और साथ ही....

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो बहुत संक्षेप में कह रहा हूं।

श्री सभापति : काफी समय ले लिया है। 20 मिनट हो गये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, वे इस सम्बन्ध में ऐसा निर्णय कर लें कि अग्रिम राशि नहीं दी जाय और साथ-साथ पिछले दिनों में सेमी-मेकेनाइज्ड किलन्स का कान्ट्रेक्ट जिन-जिन फर्मों को दिया गया है, दो करोड़ टाइल्स का जिनको कान्ट्रेक्ट दिया गया है वह दो वर्षों में 25 लाख टाइल्स भी सप्लाई नहीं कर पाये। इन अनुभवों को भी आप ध्यान में रखे और रखते हुए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अग्रिम भुगतान के बारे में तो कम से कम यह निर्णय करें कि विभाग पुख्ता कार्यवाही करें, जितना काम वे कर दें, उसका पेमेण्ट पहले जैसे किया जाता था, वैसे करें ताकि कोई बड़ा गबन न हो।

इसके साथ-साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आप अपने वक्तव्य में, अपने रिप्लाई में यह बतावें कि इस वर्ष आप किन-किन नहरों का निर्माण कितनी-कितनी लम्बाई में करेंगे, कितनी लागत आयेगी, पिछले वर्ष के भौतिक लक्ष्य क्या थे, इस वर्ष के भौतिक लक्ष्य आपके क्या हैं। मुझे आपको यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि यहां पर हमने हमेशा केन्द्रीय सरकार से अधिक से अधिक धनराशि लेकर इस योजना को आगे बढ़ाया है। जिन योजनाओं पर सभापति महोदय, 50 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार दे रही है, वहीं 70 करोड़ रुपये का उन्होंने प्रावधान करके मैं समझता हूं कि राज्य के पश्चिमी राजस्थान के इलाके के साथ बड़ा ही घोर पक्षपात, दूसरी योजनाओं के साथ किया है और हमारे साथ घोर अन्याय किया है। इस अन्याय को आप रोकें और पुनर्विचार करके सिंचाई के मद में जिन योजनाओं पर 50 प्रतिशत राशि केन्द्र में आपको मिल रही है, उसमें कम से कम 150 करोड़ रुपये का प्रावधान आपको करना चाहिये था। मैं एतराज करता हूं और विरोध करता हूं कि आप इस प्रकार की कार्यवाही करके राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं? एक

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

तरफ तो आप यह कहते हैं कि जो योजना लगभग 67 करोड़ में पूरी हो जाती वहां 1000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। तो क्या आप इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को अगले 15 वर्षों में या 20 वर्षों में भी पूरा नहीं करना चाहते हैं ? पश्चिमी राजस्थान के साथ यह सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और मैं यह कहना चाहता हूं चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक.... (व्यवधान) आप विषय पर तो बो बोल नहीं रहे हैं। बोलिये, बोलिये। हमने माही परियोजना को कभी नहीं रोका, हमने मेजा बांध के कार्य को कभी नहीं रोका, कांग्रेस ने तो सब क्षेत्रों में व्यापक दृष्टिकोण रखकर काम किया है लेकिन मुझे अफसोस है कि आप तंग दिल के हैं....

एक माननीय सदस्य : + + +

(9.08 रात्रि)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : इन्दिरा गांधी नहर से अब तक पता नहीं राजस्थान में क्या स्थिति होती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : और आप करवा रहे हैं इसको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो 67 करोड़ रुपये की स्कीम थी उसमें 15,000 करोड़ रुपये आप खर्च करके और + + + बना रखा है।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : + + + नहीं बनने दिया जायेगा। हम तो चरवाहे है और गलत जो चर रहे हैं उनको डंडा लेकर इधर से उधर बैठा दिया है। हम तो चरवाहे ही हैं। ऐसे चरने नहीं देंगे यहां।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है जनता कई बार भूल कर देती है, भूल जल्दी सुधार कर लेगी, आप चिन्ता न करें। आपके कारनामों से अपने आप जनता....

श्री मदनलाल सैनी : बहुत सोच समझने के बाद में व्यवस्था की गई है आपकी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी (श्रीकरणपुर) : आपने भूल तो स्वीकार की हमारे लिए तो इतना ही काफी है। भूल तो स्वीकार की है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह प्रजातंत्र है मिगलानी जी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात कहना चाहूंगा आपने भी इस सदन में लिफ्ट बैंक स्कीम के बारे में काफी वकालत की है, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हमारी इन्दिरा गांधी नहर की बायीं नहर के नाम से जो योजना थी उसका आप क्या कर रहे है ? राजस्थान की कैटल-बेस्ड इकोनामी है, यहां 70 प्रतिशत से अधिक लोग खेती का काम, पशुपालन का काम करते हैं। हमारी सेवण, भूरट और धमण घास स्थानीय प्रजातियां हैं, लोकल स्पेसिज हैं, उनके संरक्षण के लिए यह लिफ्ट बैंक स्कीम बनाई गई है। उनके बारे में आपने क्या प्रावधान किया और

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उसको कब तक पूरा कर देंगे ? मैं समझता हूं, जिन मुद्दों को मैंने उठाया है उनका माननीय मंत्री महोदय अपने रिप्लाई में जवाब देंगे । जब तक आप इन राशियों को नहीं बढ़ायेंगे, मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जिसके लिए केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देती है, इन परियोजनाओं के लिए आपको अधिक राशि रखनी चाहिए तभी जाकर हम इस राजस्थान के इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकेंगे । इससे न केवल राजस्थान बल्कि देश के लोगों को हम अनाज दे सकेंगे ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य !

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री का और इस सदन का ध्यान जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं श्रमिक और मजदूर, जिन श्रमिक और मजदूरों का यह जो राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, जिस राजस्थान के अन्दर कम वर्षा होती है उस राजस्थान को हराभरा बनाने के अन्दर जिन श्रमिकों का योगदान रहा है लेकिन समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार, गरीबी मिटाने वाली सरकार वह सरकार भी उन श्रमिकों का जो सिंचाई विभाग में, पी.डब्ल्यू. डी. में वर्कचार्ज के नाम से काम कर रहे हैं, पिछले दस और पन्द्रह साल से जिन्होंने अपनी जवानी इन कामों में खपा दी, उदयपुर सम्भाग में जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं, जो बांध हैं, जो तालाब हैं, जो नहरें हैं, उनके रख रखाव के लिए जो वर्कचार्ज के लोग काम कर रहे हैं, ऐसे सम्पूर्ण राजस्थान में वह श्रमिक हैं लेकिन उन श्रमिकों की, उन मजदूरों की समस्या को पिछली सरकार ने निवारण करने के लिए कभी नहीं सुना । आज जिस तरीके से अखबार में छपता है कि छंटनी हो रही है, उनको अधिक अधिशेष बताया जा रहा है, कभी राजेन्द्र जैन कमेटी बनती है, कभी ललित किशोरजी के नाम से कमेटी बनती है, उनमें एक भय उत्पन्न हो रहा है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : छंटनी नहीं है ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : छंटनी है । 1985 के बाद में लगने वाले श्रमिकों की आप छंटनी कर रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, मेरा आग्रह है, अगर नहीं है तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आश्वस्त करता हूं छंटनी नहीं होगी, एडजेस्टमेंट होगा ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं यदि उन श्रमिकों की बात को आपने गहराई से सुना है । उनके साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं उनकी रोजी और रोटी छिन जाएगी इस लिए मैं आपके सामने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 1970 के आंकड़े उठा कर देख लीजियेगा, 1970 के बाद में श्रमिकों की संख्या तो कभी नहीं बढ़ी, वही श्रमिकों की संख्या है लेकिन अधिशाषी अभियन्ताओं की

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

संख्या उससे अधिक हुई है। अगर पांच थे तो आज 36 हैं। उस समय जो सहायक अभियन्ता थे उनकी संख्या से आज तीस गुनी संख्या है, जो कनिष्ठ अभियन्ता थे उनकी चौगुनी संख्या है। यह सारे जितने भी पद सृजित किये होंगे, जब काम बढ़ा होगा तभी तो बढ़े होंगे। उनके साथ उतने एल. डी. सी. बढ़े होंगे, उतने यू. डी. सी. बढ़े होंगे, उतने चपरासी बढ़े होंगे, उतने दफ्तर बढ़े होंगे, उन सबका यह खर्चा है। लेकिन 1970 के बाद श्रमिकों की संख्या नहीं बढ़ी है। यदि काम बढ़ा है तो उनके साथ यह भी बढ़नी चाहिये थी लेकिन ऊपर के लोगों को जब यह इशारा किया गया, उस ब्यूरोक्रेसी को कि हमें तो इकोनोमी चाहिये, उस इकोनामी के माध्यम से उनकी केवल इन गरीबों की तरफ निगाह गई और इस तरीके से इन लोगों के मन में भय व्याप्त है। आंकड़े उठाकर देख लीजियेगा 1970 से अब तक, चर्चा करके देख लीजियेगा, मेरा तो आग्रह है, सिंचाई मंत्रीजी, आपसे, पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री जी, आपसे, इन श्रमिक संगठनों के लोगों को बुलाकर आप बैठ कर बात कर लीजियेगा उसमें से हल निकल आयेगा। 1970 में केन्द्रीय सरकार ने कानून बनाकर इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। उस समय उच्चतम न्यायालय में अनेक ठेकेदार गये लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे ठुकरा दिया था। आज आप पुनः उस ठेकेदारी प्रथा को चालू करना चाहते हैं जिस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से श्रमिकों का शोषण हुआ है। जब आपके यहां 14 रुपया दिया जाता था तो वहां मजदूर को 10 और 11 रुपया देकर उसका शोषण किया जाता था। जब हमारी सरकार बनी है और हम लोगों ने इस बात को कहा है, मैं चाहता हूं उस ठेकेदारी प्रथा को फिर चालू नहीं किया जाय। आज जिस तरीके का सोच सरकार में चल रहा है, उसके अधिकारियों का सोच जिस तरीके से सरकार में चल रहा है, मैं 1970 में की गई ठेकेदारी प्रथा को पुनः लागू करना चाहते हैं और उन ठेकेदारों को, उन पूंजीपतियों को तो बढ़ाया जायगा लेकिन उन श्रमिकों का शोषण होगा। इसलिये मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप उस ठेकेदारी प्रथा को चालू मत कीजियेगा। उसके कुछ लाभ हो सकते हैं कि ठेकेदार के माध्यम से काम होगा गो अधिकारियों को तो आराम मिल जायेगा लेकिन उस गरीब का शोषण होगा, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।

दूसरा मेरा आपसे आग्रह है कि जब तक इन बांधों का, इन नहरों का ठीक तरह से मेन्टीनेन्स नहीं होगा, आप मेन्टीनेन्स के नाम पर कितना पैसा दे रहे हैं, क्या वही पैसा मेन्टीनेन्स के नाम पर चलता रहेगा? यदि वह पैसा मेन्टीनेन्स के नाम से चलता रहा तो इसका रख रखाव ठीक तरह से नहीं हो सकेगा। यह जो हम सपना देख रहे हैं राजस्थान में कि सम्पूर्ण राजस्थान सरसब्ज हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कभी हिसाब लगाकर देखियेगा कि जो परियोजनाएं चल रही हैं राजस्थान भर में, मैं केवल आपको उदयपुर संभाग की केवल तीन परियोजनाओं की बात कहना चाहता हूं। जाखम बांध पर 40 श्रमिकों की मृत्यु हुई उसको बनाते समय, सोमकामला बांध पर 15 श्रमिकों की मृत्यु हुई और माही परि-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

योजना में 40 श्रमिकों की मृत्यु हुई। यह जितनी परियोजनाएं चल रही हैं राजस्थान में, हिसाब लगाकर देखिये, आंकड़े उठाकर देखिये, कितने मजदूरों ने अपने प्राण दिये हैं इस राजस्थान को बनाने में, इस राजस्थान की योजनाओं को सफल करने में। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग जिन लोगों ने राजस्थान को बनाने में अपनी आहूतियां दी हैं, उस राजस्थान की इन परियोजनाओं की मेन्टीनेन्स की दृष्टि से भी बजट सैंक्शन कीजियेगा, उनकी मेन्टीनेन्स कीजियेगा तभी जाकर राजस्थान में हमारा यह सपना पूरा हो सकेगा। हम रोज बात कर रहे हैं कि पानी गुजरात में जा रहा है। वह क्यों जा रहा है? योजना बनाइयेगा। मैंने तो यह देखा है कि उदयपुर में जब कभी इलेक्शन हुए, हमेशा किसी न किसी योजना के माध्यम से यह सपना दिखाया गया। यह सपना आज का नहीं, जब माननीय मोहनलालजी सुखाड़िया उदयपुर से मुख्यमंत्री बने थे तब से देवास, मानसी वाकल, सोम कागदर, में पानी आएगा, योजना बनेगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर, सराड़ा के जनजाति क्षेत्र का विकास होगा, नहरें निकलेंगी। यह सपना तभी से देखते रहे लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हो सका।

मान्यवर, मैं अधिक समय न लेकर एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो प्लानिंग है, वह जनजाति क्षेत्र जिसकी चिन्ता आप लोगों की है वह करनी चाहिए और उस क्षेत्र के अन्दर जो नदियां बह रही हैं, उन पर बांध बनाकर, उसको रोक कर, उनके लिए धनराशि रख करके इन योजनाओं को पूरा करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने अपने बजट भाषण में मानसी वाकल योजना का जिक्र करके हम लोगों में पुनः आशा का संचार किया है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें रुपया लाने के बाद मानसी वाकल योजना को बनाया जाय। यदि यह योजना पूरी होती है तो वहां का जो जनजाति क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जिनका 40 वर्ष में और पहले की व्यवस्था में भी शोषण होता रहा है, उन लोगों मे 40 साल आजादी के बाद भी आज तक यह चेतना पैदा नहीं हुई जो एक हिन्दुस्तान के नागरिक के मन में पैदा होनी चाहिए थी। प्रतापगढ़ से सिरोही तक का जो बेल्ट है मैं उन लोगों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि आज उनमें से कोई आई. ए. एस., आई. पी. एस. नहीं बन सका। जबकि राजस्थान की विभिन्न जनजातियों में से आज ऊंचे से ऊंचे अधिकारी हैं। इसका केवल एक कारण रहा कि इतने वर्षों तक इस क्षेत्र से राजस्थान के मंत्री होते रहे लेकिन उन जनजाति के लोगों की तरफ शायद उनका कभी ध्यान नहीं गया। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर, आसपुर, सलुम्बर, सराड़ा सारे क्षेत्रों की सिंचाई हो सकेगी यदि इन योजनाओं को पूरा कर लिया गया और आज जो जयसमन्द से निकलने वाली नहरें हैं, छोटे-छोटे बान्ध हैं उनमें जिस तरह से मेजा फीडर में पिछली बार जब पानी आ रहा था तब उन श्रमिकों को कहा गया कि इसकी जितनी भराव क्षमता है उससे अधिक पानी सिंचाई के लिए चाहिए। मैं भीलवाड़ा का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां के किसानों, श्रमिकों ने उस पानी को बरबाद नहीं होने दिया,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

बचा कर रखा। आप उन किसानों और श्रमिकों को विश्वास में लीजियेगा केवल कागजों की योजना और अफसरों के कहने के आधार पर योजना तैयार की जा रही है जिसके कारण मजदूरों, श्रमिकों के मन में भय है। वह निकाला जाय। यह बात मैं आपसे निवेदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं कि सदन ने आपको निर्विरोध दोनों पक्षों ने, इस आसन पर बैठाया है, मुझे बहुत प्रसन्नता है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्दिरा गांधी नहर है जिसका हमारे देश की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से अलग ही महत्व है और जो सिंचाई के लिए बहुत बड़ी राष्ट्रीय नहर है, हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद सबसे पहला बहुत बड़ा काम हमारे देश में इस नहर के निर्माण करने का हुआ है। इस नहर के अधीनस्थ बहुत-सी नहरें हैं। पूगल ब्रांच, बी. डी. नहर, यू. आई. डी. नहर, डी. एल. डी. नहर और दूसरी दन्तौर ब्रांच के साथ के. जी. डी. नहर, डी. के. डी. और एल. के. डी बहुत सी ऐसी नहरें हैं जिनका करीब-करीब निर्माण हो चुका है। परन्तु मुझे खेद है कि लम्बे अरसे के बाद चाहे कोई भी सरकार हो, इस काम को समय पर करने में सरकार असफल होती रही। उपाध्यक्ष महोदय और सिंचाई मंत्री महोदय, यदि यह काम आज से 16 साल पहले हो जाता जब वहां भूमिहीनों को पुख्ता अलाटमेंट हुआ परन्तु लम्बे समय तक इस सी. ए. डी. को राज्य सरकार ने धनराशि नहीं दी जिससे हमारे खजाने और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यदि सिंचाई विभाग को 15-16 साल पहले धनराशि सरकार देती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज से 16 साल पहले इस भूमि की सिंचाई होकर खेती की पैदावार बढ़ती। लेकिन पता नही ऐसे हाथों में सरकार रही जिसका दिमाग इस ओर नहीं गया, जिसकी वजह से बड़ा भारी राष्ट्र को नुकसान हुआ है।

मैं हमारी मौजूदा सरकार, हमारे नेता महोदय और सिंचाई मंत्री जी से आशा रखता हूं कि आप इस अधूरे काम के लिए विशाल हृदय से सी ए. डी. को धनराशि दीजिये ताकि सिंचाई का काम तेजी से हो सके। इस इलाके में पता नहीं कितने लोग पानी के अभाव में शहीद हुए और बहुत से लोग हिन्दुस्तान की आजादी में भी शहीद हुए हैं। मुझे खुशी है कि बहुत से हिन्दु लोग मरने के बाद अपने बुजुर्गों के फूल लेकर हरिद्वार जाते हैं लेकिन मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि देश की आजादी में शहीद हुए लोगों की धरती पर और प्यास से मरने वाले लोगों की मृत्यु हुई है उस धरती पर गंगा का पानी लाकर शहीदों की भूमि को सिंचित किया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठने के बाद चाहे इस पक्ष का चाहे उस पक्ष का मंत्रिमंडल हो वह महत्वपूर्ण कामों को तो भूल जाते हैं और सरकारी अधिकारियों को धमकाते हैं कि आपने ईंट नहीं लगाई,

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

सीमेंट खा गये । वह खा गये लेकिन आपने इस देश का कितना बड़ा नुकसान किया । आज से 15 या 16 साल पहले इस धरती पर पानी लगता तो देश और किसान मजबूत होता । देश की रक्षा करने वाली चाहे थल सेना हो, जल सेना हो चाहे वायु सेना हो, निश्चित रूप से आज से ज्यादा मजबूत होती । मुझे याद है नेता महोदय कि हिन्दुस्तान को तत्काल आजादी मिली । चीन ने हमला किया और हिन्दुस्तान की आजादी पर खास तौर से इस नहर के उस साइट में पाकिस्तान ने हमला किया । उस वक्त प्रधान मंत्री ने किसानों से अपील की । इस देश के नवाबों, राजाओं, टाटा, बिरलाओं से अपील नहीं की । धन के लिए उन्होंने किसान की तरफ हाथ बढ़ाया । उस वक्त तत्कालीन प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि मेरे देश के किसानों, हिन्दुस्तान की आजादी खतरे में है । हमें हथियार खरीदने के लिए सोना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, पण्डित जवाहर लाल नेहरू को; माननीय श्री केदारजी जिस इलाके से आये हैं; वहां पर दो बार सोने से तोला और उस सोने से हथियार खरीद करके हिन्दुस्तान की आजादी और देश की रक्षा करने के लिए अगर किसी ने मदद की है तो गंगानगर के किसानों ने की है । न कोई उस देश का मालिक है, न कोई टाटा है, न कोई बिड़ला है और न कोई राजा पुराने और नवाब है, न कोई नये राजा और नवाब हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का कोई मालिक है तो वह किसान है । मुझे खेद के साथ सिंचाई के मामले में कहना पड़ रहा है कि इस देश के किसानों के साथ बड़ा जबर्दस्त, चाहे सत्ता में कोई इस हाउस में बैठा हो, चाहे पुरानी रियासतों का जमाना हो, चाहे नया हो किसान के साथ समय पर सही ढंग से व्यवहार नहीं किया गया । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सरकार से मौजूदा प्रगतिशील सरकार से, हमको इस बात की खुशी है कि हम प्रगतिशील का, पूनमचन्द जी साहब, नारा देकर इस हाउस में आये हैं । इसलिये मुझे थोड़ी-थोड़ी आशा बंधी है कि आज के दिन मैं कुछ सरकार करेगी लेकिन यों गोलाटी खाकर सर्प की तरह । आपने देखा है कि लूण की चाल क्या होती है । लूण की यों गोल गट्टा करके निकलने की चेष्टा करें फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा । मैं कुछ भी नहीं कहूंगा । मैं कोई मंत्री नहीं हूं । नेता महोदय, मेरी तरफ देखिये, मैं संतरी हूं आपका । इस सरकार को मंत्री ठीक नहीं चलायेंगे तो क्या यह संतरी ठीक चलायेगा समय पर ? आपको समय-समय पर चाहे आप नाराज हो, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, लेकिन मैं समय-समय पर आपको ठीक चलाने के लिए, आप नाराज चाहे बेशक हो, मैं राय देता रहूंगा बिना दबाव के । इसलिए आशा करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय सिंचाई विभाग एक बहुत बड़ा महकमा है । सिंचाई विभाग इस प्रान्त का ही नहीं इस देश की रीढ़ की हड्डी है ।

दो शब्द मैं और कहूंगा इस कैनाल को बनाने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय व नेता महोदय, संवत् 2008 में मेरे इलाके के लोगों ने मत्थे पर कड़ाई लेकर के इस नहर को आदमपुर से शुरू किया, जैसलमेर तक पहुंचा दिया और आपके रावतसर के पास । यदि नेता महोदय, ऊंट गाड़ा चला है तो नोखा से शुरू किया है और हमारे हजारों ऊंट इस नहर पर खत्म हुए हैं और हजारों

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

की तादाद में हमारे जवान इस नहर में फूंके हैं और अफसर भी बहुत मरे हैं। कर्मचारी भी मरे हैं। इस जंगल में उपाध्यक्ष महोदय, कई तरह के सांप रहते थे। जंगल पड़ा है पाकिस्तान के बोर्डर तक। कोई इन्सान नहीं, कोई गांव नहीं। इसमें तरह-तरह के सांप हैं। पेणा सबसे खतरनाक सांप है। गोहिरा दोड़कर इन्सान को खाता है। काला सां, कोबरा सांप, कई तरह के सांप है। जिनके बारे में मैंने नहीं बताया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री महोदय को भी दिखा लाओ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : लेकिन बहुत से, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जवान हैं, गाड़ा चलाने वाले नोजवान शहीद हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों का नाम लेने से बहुत से अच्छे प्यारे अधिकारी हमारे, कर्मचारी और ओवरसियर जिनकी शादी नहीं हुई और कईयों की शादी हो करके मां के हाथ से और परिवार के हाथ से मेहन्दी लगे हुए कोमल हाथों को लेकर कैनाल में गये। दूसरे दिन सांप ने उनको....। आज हम अगर किसी कर्मचारी के बारे में यह कहें कि चोर है, अगर चोर कोई भी चोरी का धन्धा करता है तो सरकार की कमजोरी है। उस कर्मचारी की नहीं है। इसलिये अगर आपको चोर को रोकना है, देश में चोरी रोकनी है तो पहले बड़े-बड़े चोरों को आप रोकिये शुरुआत कीजिये। आपकी नजर जाती है उस जमीन पर जहां पानी लग गया दो बीघा में। सीलिंग लगायेंगे। नेता महोदय, मुझे अधिकार है आपको कहने का। नेता महोदय, सीलिंग अगर लगानी है तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि धन नहीं है, हम कहां से कर्जा माफ करें? क्यों यह फील कर रहे हो, हम पेंशन कहां से दें। जयपुर में सीलिंग लगाइये। एक-एक आदमी के पास पचास-पचास कोठियां हैं, करोड़ों की सम्पत्ति पड़ी है। करोड़ों का धन यहां पर दबा पड़ा है। एक तरफ देश के इन्सान की भूख से आंतड़ियां गल रही हैं, संतानें गल रही हैं, देश के जो इन्सान हैं वह पूंजी से गल रहा है। इसलिए आप उन पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। उनको आप पनाह दे रहे हैं और उनको आप पनपा रहे हैं और किसानों की दो बीघा जमीन दिख रही है। आपके पास सीलिंग है, लगाइये आप राजाओं पर सीलिंग। आप पैंतालीस चालीस साल की हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास में किसी राजा और नवाब को, देश के टाटा और बिड़ला को कोई हाथ नहीं डाला। आपको दिखती है दो बीघा जमीन किसानों की जमीन पेरे पानी लग गया। गुनाह कर दिया। हम देश की लड़ाई के लिए जान देते हैं, हिन्दुस्तान के लिए दिया। अगर जरूरत पड़ती हिन्दुस्तान में कोई तो सबसे पहले यह किसान का बेटा आगे आयेगा और रक्षा करेगा आपकी और हिन्दुस्तान की आजादी की।

मैं लम्बी बात न कह करके, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरे नेता महोदय से कहता हूं कि आप मंत्रिमण्डल में बैठे हैं आप ईमानदारी से और जिम्मेदारी से नेतृत्व कीजिये। राजस्थान आपके पीछे है। अगर आप गुलची खाओगे तो हम माफ नहीं करेंगे। हम तुरन्त फैसला लेने वाले आदमी हैं। इसलिए, नेता महोदय, जो हमारी

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

धरती सूखी पड़ी है, वह धरती मांग रही है। सी. ए. डी. विभाग धन मांग रहा है आपसे। उपाध्यक्ष महोदय, आप सी. ए.डी. विभाग को धन दिलाइये, हमारी जमीन सूखी पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे पास धन क्या है? सबसे बड़ा कोई धन है तो ऊन है। आज चालीस साल में भेड़ों के लिए आपने कोई कृषि फार्म, कोई ओपन गोचर भूमि कायम नहीं की है। हमारी लाखों जो भेड़ हैं, आपको ऊन देने वाली. सबसे बड़ी इस देश में बड़ी कोई कमाई है तो ऊन ही है। ऊन ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, साथ-साथ में सेनाओं को खाने के लिए उनको भेजने के लिए मांस का काम भी कर रहा है। आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और आपको दिख रहा है किसानों के पानी लग गया किसान ने खून दिया है इस धरती को। इसलिए मैं लम्बा भाषण नहीं दे करके उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हमेशा की तरह लास्ट में समय दिया, आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट में नहीं है।

श्री प्रेमसिंह दहिया

(अनुपस्थित)

माननीय सिंचाई मंत्री महोदय।

(9.37 रात्रि)

मांग संख्या 46 का पारण

श्री नत्थीसिंह (इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी की और संयोग की बात है, कि आज सिंचाई पर बहस हुई। आप उधर बैठ करके रोज बहस किया करते थे सिंचाई पर। आप इधर से निर्देशन दे रहे हैं, इसलिए आपको इस पद की प्राप्ति के लिए धन्यवाद और बधाई।

राजस्थान नहर के मामले को लेकर इस सदन में कई तरह की बातें कही गई। वहां यह भी कहा गया कि इन्दिरा गांधी नहर द्रोपदी का चीर बन गई है और हमारे इस प्रदेश के सारे स्रोतों को सोखती चली जा रही है और राजस्थान के दूसरे हिस्सों के विकास में एक बाधा का काम कर रही है। दूसरी तरफ वहां यह भी कहा गया कि यह इन्दिरा गांधी नहर सुरक्षा की दृष्टि से जहां हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वहां एक तरह से जीवनदायिनी भी है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं, चाहे आप कोई भावना रखें, द्रोपदी का चीर जो हम कहते हैं तो हमारे उन माननीय सदस्यों के सामने यह चित्र उभर आता है सामने, कि 1958 में जब इस नहर का काम शुरू हुआ, उस वक्त 6.82 लाख हैक्टर्स जो सिंचाई का विस्तार था, छोटा-सा आकार था। कहीं भी इसको पक्की लाइन करने की बात नहीं थी। समय बदलता गया। कलेवर भी बढ़ता गया और आकार भी बढ़ता गया और यह कल्पना भी बढ़ती गई कि सिंचाई का दायरा ज्यादा से ज्यादा हो और आज हम इस नहर के द्वारा सम्पूर्ण परियोजना हो जाने पर गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में 13.88 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई के प्रस्ताव की बात करते हैं और उसमें उसके साथ ही बारह सौ क्यूसेक्स पानी पेयजल के रूप में

(श्री नत्थीसिंह)

काम में आये, इन सब का इन्तजाम भी करना चाहते हैं। मैं भी इन्दिरा गांधी नहर इलाके का रहने वाला हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां आज पानी की समस्या उपस्थित हो गई और कई बार मैं भी यह सोचा करता था कि निश्चित रूप से इस नहर पर इतना भारी खर्च करके, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहर के बनाने में जितनी देरी लगी और उसका कास्ट में एसकलेशन हुआ। बढ़ता चला गया। उसका निश्चित रूप से दुष्प्रभाव हमारी इकोनोमी पर हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अब इन्दिरा गांधी नहर मंत्री के रूप में जैसलमेर से बीकानेर तक और दूसरी बार.... गंगानगर जिले के कुछ इलाके में फर्स्ट फेज में जाकर देखा है तो निश्चित रूप से मेरी यह मान्यता दृढ़ हुई है कि इन्दिरा गांधी कैनाल हमारे इस प्रदेश के लिए जीवनदायिनी होने के साथ-साथ भविष्य की आशा है और इस पर किया गया धन का व्यय अपव्यय की परिभाषा में नहीं आ सकता। यह दूसरी बात है कि हम किस तरह से इसको सन्तुलित कर आगे चलायें। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, हमारे भूतपूर्व सिंचाईमंत्री और इन्दिरा गांधी नहर मंत्री महोदय ने बड़ी तरकीब के साथ बजट की आलोचना करते हुये यह कह दिया कि हमने तो इसका आकार ही सारा घटा दिया है। उन्होंने तो 109 करोड़ रखे थे, हमने 70 करोड़ रुपये ही रख दिये हैं बजट में। इससे आप मुगालता देना चाहते हो, सबको मुगालता दो परन्तु अपने आप को मुगालता मत दो। आपने केवल नहर बनाने के लिए जो मद रखी गई है, उसी को ही बता दिया। सी. ए. डी. में जो पैसा रखा गया है उस सबको आप गोल कर गये। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं–पिछली बार 109 करोड़ नहीं, 117 करोड़ का प्रावधान था और हमने उसे बढ़ाकर 136 करोड़ का प्रावधान किया है, 16 प्रतिशत बढ़ाया है। यह आप गलती पर हो, 70 करोड़ जो कहते हो, पूरी तरह से करेक्ट करके चलिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : महगाई कितनी बढ़ी ?

श्री हेतराम बेनीवाल : ईंटों के भाव 800 हो गये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अधिक लक्ष्य भी बता दो।

श्री नत्थीसिंह : आप चिन्ता क्यों करते हो, सब बातें बता दूंगा, फिक्र मत करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जैसा जिम्मेदार आदमी कम से कम इस तरह से भ्रमित करने की कोशिश न करे। मैं कहना चाहता हूं, आपने जैसा कहा–अबकी आपकी क्या योजना है, कितना आप करना चाहते हो ? जहां हमने फर्स्ट फेज पर जो पूरा किया, मार्च 90 तक 264.69 करोड़ का खर्च हुआ और उससे 5,55,446 हैक्टेयर में सिंचाई हुई और द्वितीय चरण में मुख्य नहर का कार्य तो पहले ही पूरा हो चुका है, आपको मालूम है। अब तो काम जो चल रहा है, शाखाओं का, वितरिकाओं का, चैनल्स माइनर्स का काम है और उसमें नहर की कुल लम्बाई 5112 किलोमीटर है। अब तक, मार्च तक जो बनी है, 1067 किलोमीटर लम्बाई पूरी हुई है। द्वितीय

(श्री नत्थीसिंह).

चरण में कुल सिंचित क्षेत्र हम चाहते हैं 10.12 लाख हैक्टेयर, 80 प्रतिशत सिंचाई के होते हैं, 8.10 लाख हैक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है और आपने कहा—कितना बनायेंगे हम ? इस पर 455-51 करोड़ का खर्चा अब तक हो चुका है द्वितीय चरण में । आपने 88-89 में द्वितीय चरण में जो कार्य को पूरा करने का रखा था 176.97 किलोमीटर, आपने यहां कहा कि हमने तो साठ कर दिया, बासठ कर दिया लेकिन जो विभिन्न नहरों में कार्य पूरा करके आपने जो क्षेत्र खोला उसकी संख्या थी 42.312 हैक्टेयर और हमने 90-91 का जो लक्ष्य रखा है आपके 176.97 के विरुद्ध 305.1 किलोमीटर नहरों के कार्य की वितरिकाओं के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : नोट करिये, कल्ला साहब ।

श्री नत्थीसिंह : और इसको पूरा करने के बाद आपने 42 हजार किया, हम 58, 060 हैक्टेयर क्षेत्र खोलने का प्रस्ताव करते हैं, 50 हजार हैक्टेयर इसमें सिंचाई करना चाहते हैं । अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपको याद है, पिछली बार जो सिंचित क्षेत्र हुआ, सिंचाई का लाभ मिला वह 16 हजार हैक्टेयर था और इस साल 50 हजार हैक्टेयर पर सिंचाई का लाभ देने का हमारा कार्यक्रम है । इसलिए निश्चित रूप से हम इस काम को बढ़ाना चाहते हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : खालें कितने बढ़ाये ?

श्री नत्थीसिंह : मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं....

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री महोदय इसमें भागीरथ योजना रखी जाय ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++

श्री नत्थीसिंह : आपने एक बात और कह दी कि हम तो योजनाओं को छोड़ रहे हैं । मैं बीच में, इससे पहले कि दूसरी बात आगे बढ़ाऊं, आपके शक को भी मिटा देना चाहता हूं । अभी लिफ्ट योजनाओं की बात चली और यह कहा गया कि इसमें तो आप काम छोड़ रहे हो । 6 लिफ्ट योजनायें हैं, आपने चार किलोमीटर पूरी की थी, हमारा लक्ष्य 26 किलोमीटर इसको पूरी करने का है । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लिफ्ट के मामले पर हमने माननीय....

श्री मदनलाल सैनी : सूरसागर के बारे में बताइये इनको ।

श्री नत्थी सिंह : सूरसागर के बारे में तो झाला साहब बतायेंगे । माननीय विश्नाई साहब ने तो एक चिन्ता प्रकट की थी और उन्होंने एक बात कही थी कि यहां राजस्थान कैनाल आती है और हम तो केवल तीन किलोमीटर दूर हैं फलोदी, जोधपुर वाले लोग, उसमें पानी नहीं आता है । ठीक हो सकता है, जिस सरकार के आप चार्ट एण्ड पार्सल थे वह भूल गई होगी फलोदी की योजना को, लेकिन हमने फैसला किया है

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री नत्थी सिंह)

कि फलौदी लिफ्ट नहर पर मार्च, 1990 तक कुल 4.46 करोड़ रुपये खर्च होने थे, जैसा आपने बताया—एक बार हो गया लेकिन वर्ष 1990-91 में इसके अतिरिक्त एक करोड़ का प्रावधान रखा है। आपने कहा, कुछ नहीं रखा इन्होंने, हमने शुरूआत की है, एक करोड़ का प्रावधान रखा है और इस नहर पर दो किलोमीटर लाईनिंग करने का लक्ष्य रखा है। 1994-95 तक, हमारी यह आशा है कि कम्पलीट धनराशि उपलब्ध हो जायेगी तो इसको 2001-02 तक पूरी तरह से पूरा कर देंगे, इस फलौदी लिफ्ट योजना को। यह हमारा विचार है। इसके साथ-साथ हमारे माननीय कल्ला साहब की चिन्ता थी....

श्री मदनलाल सैनी : जूनागढ़ में पानी भर गया....

श्री बुलाकी दास कल्ला : आप जानते ही नहीं हो, क्या करते हो ?

श्री अमीन खां : मेरी चिन्ता तो सागर मल गोपा है।

श्री नत्थी सिंह : बिल्कुल करेंगे, फिक्र मत करो आप। कोलायत और गजनेर लिफ्ट के सम्बन्ध में आपको बहुत चिन्ता हो रही थी लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मार्च, 1990 तक तो कोलायत और गजनेर पर 8.30 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। अब मुख्यतया इसमें मिट्टी का कार्य हुआ है। 1990-91 में इन दोनों नहरों पर क्रमश: कोलायत पर 1.55 और गजनेर पर 1.60 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 1990-91 में इन नहरों पर चार व पांच किलोमीटर लाईनिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए इन लिफ्ट योजनाओं को, नहरों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम हमने बनाया है और हम चाहते हैं 1994-95 में पूरा करने का प्रस्ताव है। नहरों की वितरण प्रणाली को भी हमने 2001-02 तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया है। इसलिए हम सजग हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : इतना लम्बा कार्यक्रम ?

श्री नत्थी सिंह : वितरण प्रणाली की बात कर रहा हूं, इसलिए कि आपको डर हो रहा था कि किस तरह से इसको कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बात बहुत कही गई है, यह कहा गया है कि बड़ी देर हो रही है, इस नहर को कैसे जल्दी पूरा किया जाय। यह सारी बात आपकी सही है। हम भी इस बात के लिए चिन्तित हैं, इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय और पूरा करने के साथ-साथ एक बात जो यहां पर कही गई है—यह ठीक बात है कि परिस्थितियां विषम है, यहां पर कार्य करने में दिक्कतें आती हैं लेकिन आपने जो कहा है, चाहे सागरमल गोपा नहर की बात कही हो, गड़रा रोड़ की बात कही हो, वहां काम जारी हैं। गड़रा रोड के सम्बन्ध में उधर से लाओ, उसके लिए सर्वे कर रहे हैं और सर्वे कराने के बाद निश्चित रूप से वह काम हाथ में लिया जायेगा पर आज जो काम हाथ में है, आप अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह विषम परिस्थितियों में यह काम होता है। यह बात तो सही है....

श्री अमीन खां : सागर मल गोपा कब तक पूरी हो पायेगी ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : पांच साल में हो जायेगी या नहीं ?

श्री नत्थी सिंह : अब यह भी मैं बता देता हूं....

श्री शांतिलाल चपलोत : आपको पांच साल में पूरा पानी पिलाया जायेगा । कोई पानी देने वाला नहीं होगा, उतना पानी पिलायेंगे ।

श्री सम्पत सिंह : जब तक सूरज-चांद रहेगा ।

श्री नत्थी सिंह : मेरी एक बात आप सुन लीजिये....

श्री हेमराज मीणा : चालीस साल में तो नहीं हुई लेकिन अब जल्दी पूरा कर देंगे ।

श्री नत्थी सिंह : मार्च, 1990 तक परियोजना के नहर कार्यों पर सिर्फ कह रहे हैं, 720.20 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है । 1982-83 से 1989-90 तक भारत सरकार से 120.70 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है । आप कह रहे हैं, कब तक ? हम तो चाहते हैं कि वर्तमान नहर कार्य को सबको 2002 तथा पक्के खालें सिंचित क्षेत्र को 2002 में पूरा करने का हमारे नहर मण्डल का प्रस्ताव है । हमारा लक्ष्य है तब तक पूरा करने का । लेकिन आप जानते हैं, यह 1990 के बाद कितना पैसा चाहियेगा, 2900 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी । प्रति वर्ष हमको 150 करोड़ रुपये से लेकर....

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी, यह रेट कौनसी होगी 2002 में ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज का ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आज वाला रेट ।

श्री नत्थी सिंह : आप तो जानते ही हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सक्लेशन तो होता ही है पर मैं बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि कब तक पूरी हो जायेगी, आप समझ लें, मैं पूर्वी राजस्थान की चिन्ता को भी जानता हूं, पश्चिमी राजस्थान की चिन्ता से भी पूरी तरह परिचित हूं । दोनों में 2900 करोड़ रुपये की जरूरत होगी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपये से लेकर 270 करोड़ रुपये के बीच में प्रति वर्ष आवश्यकता है । अब हमको कितने मिल पायेंगे, कितने साधन जुटा पायेंगे ? ज्यादा साधन जुटा पायेंगे, जल्दी पूरा करेंगे । साधनों में कमी हो गई तो देर हो सकती है । अब जैसा बताया आपने, आप तो कह रहे थे 109 करोड़ करो, 117 करोड़ पिछली बार खर्च हुए हैं, हमको 136 करोड़ खर्च करने हैं । इसलिए हमारे इरादे में कोई कमी नहीं है । साधनों की सीमा के अन्तर्गत रखते हुए । हम भी जानते हैं कि इस काम को जितनी जल्दी पूरा करेंगे, उतनी उपादेय होगी । आज यह एक समस्या है कि आज जो पानी हमको प्राप्त है उस पानी का उपयोग होना चाहिए । वह पानी व्यर्थ न पड़ा रह जाये । यह आज एक बड़ी समस्या है । कई लोगों ने कहा, अभी यहां बोल रहे थे तब आप यह बात कह रहे थे कि हमारी 1954 की वोटर लिस्ट लाओ और तब जाकर अलाटमेंट हो । आप में से ही किसी

(श्री नत्थी सिंह)

माननीय सदस्य ने यह बात कही । इसलिए आज यही समस्या नहीं है कि हम इस नहर के काम को पूरा करें, इससे पूरा-पूरा फायदा उठायें लेकिन इसका समन्वय होना बहुत जरूरी है । आज राजस्थान नहर के निर्माण का विभाग अलग है, खालों को बनाने का काम सी. ए. डी. विभाग करता है, अलाटमेंट के लिए हमारा कोलोनाइजेशन विभाग अलग है और दिक्कत आती है, हम नहर बना देंगे, सी. ए. डी. खाले बना देगा और किसान नहीं पहुंचे तो खाले नष्ट हो जायेंगे, मिट्टी भर जायेगी, नहर में भी भरेगी और फिर एक समस्या खड़ी हो जाती है । इसलिए जरूरी है कि इन तीनों में समन्वय हो आपस में और सब समन्वय होकर एक योजना के अन्तर्गत इस काम को आगे चलायें । इसके लिए मैंने स्वयं ने नहरी क्षेत्र का दौरा करने के बाद मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा जो उनके यहां विचाराधीन है कि इस समन्वय के मामले को कैसे करें । हमारे मण्डल ने इंजीनियरिंग स्तर पर इस सम्बन्ध में सेण्ट्रलाइजेशन की कार्यवाही की है लेकिन सारे विभागों के स्तर पर यह हो, तभी नहर काम में गति लाने के लिए निश्चित रूप से प्रगति आयेगी, ऐसी मेरी मान्यता है ।

अब यह लिफ्ट योजनाएं कितने मीटर की हों, उसकी बात की गई । आपको मालूम है कि भारत सरकार ने केवल 60 मीटर तक की लिफ्ट योजनाओं की अनुमति दी है । पीने के पानी के लिए तो इसकी पाबंदी नहीं है लेकिन सिंचाई के लिए 60 मीटर की है, वह डेढ सौ तक नहीं दी जा सकती है ।

इसके साथ-साथ मैं एक और अर्ज आपसे करना चाहता हूं कि आपने भ्रष्टाचार की बात कही । 1125 आर. डी. से लेकर 1195 आर. डी. तक । इसके अलावा अभी कल्ला साहब बता रहे थे कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल्याण सुन्दरम् फैक्ट्री को दिये गये 50 लाख से ऊपर के एडवांस की बात कही । एक बात आप ध्यान में रखें—यह पाप किया किसने, किसके जमाने में हुआ, परिमार्जन किससे चाहते हैं ? आप कोई भी बात कहें उससे पहले यह देखें । चाहे पहले गड़बड़ी हुई हो.... .

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे समय में हुआ क्या ?

श्री नत्थी सिंह : आपका व्यक्तिगत कब कह रहा हूं ? मैं तो दल की बात कह रहा हूं । मैं सरकार की बात कह रहा हूं । 45 इंजीनियर निश्चित रूप से निलम्बित हुए । उसके बाद 43 उनमें से पहले ही बहाल हो गये, जांच अभी जारी है । एक आयोग उसकी जांच कर रहा है और जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करने में यह सरकार कभी हिचकिचायगी नहीं । लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं जैसा अभी इंदलियाजी कह रहे थे... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ ऑर्डर । मंत्री महोदय कोई बात कह रहे हैं उस पर कोई प्रश्न करें तो वह तो मुझे समझ में आता है लेकिन यह व्यवधान मंत्रीजी कहां से पैदा हो गये । हर बात में व्यवधान पैदा करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में प्रश्न कर लेना ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपको सन्तरी नियुक्त करता हूं।

श्री नत्थी सिंह : मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अभी माननीय चुन्नीलालजी इंदलिया कह रहे थे, वह बात बिल्कुल सही है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही करें ही करें परन्तु इंजीनियर्स, ओवरसियर, मजदूर बड़ी विषम परिस्थिति में, बड़ी विकट परिस्थिति में इस नहर पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने देश की प्रगति में योगदान दिया है। इसलिए जहां भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे वहां अच्छे काम करने वाले इंजीनियर और ओवरसियर को, श्रमिकों को निश्चित रूप से, प्रोत्साहन देंगे, प्रशंसा भी करेंगे तभी यह काम आगे चलेगा।

अभी कल्याण सुन्दरम् वाली बात हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस कम्पनी के खिलाफ, फैक्ट्री के खिलाफ कार्यवाही सरकार ने की है, मुकदमा भी दर्ज किया है, सिविल शूट करने के लिए भी आदेश दिये हैं। इसके साथ-साथ....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मामला विचाराधीन है।

श्री नत्थी सिंह : एडवोकेट जनरल के पास विचाराधीन है। हमने आदेश कर दिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : आज ही आपने दिलाई दिया है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने कहा मामला विचाराधीन है।

श्री नत्थी सिंह : मैंने खुद ने आदेश दिये हैं। मैं अभी कह रहा हूं आपको, मैंने इसके आदेश कर दिये हैं कि इसका सिविल सूट किया जाय, दावा किया जाय और वह फाइल हमारे एडवोकेट जनरल के पास विचाराधीन है। दवा तो तैयार करके वो ही देंगे, आप और मैं तो जानते हैं। आपने कॉलेज में जिन्दगी बिताई है और मैंने कचेहरी में जिन्दगी बिताई है, जानते हैं कि क्या प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बोर्ड स फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाईनेंशन री कंस्ट्रक्शन में भी हमारे 82 लाख की क्षतिपूर्ति का दावा हमने किया हुआ है जो सुनवाई में 14.6.90 को लगा था और चल रहा है। अब सवाल आता है, माननीय सदस्य ने कहा इसमें भूतपूर्व चेयरमैन, चीफ इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर शामिल हैं। हमने इस फाइल को मंगाया है, देखा है, जांच कर रहे हैं जो कोई भी शामिल पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही करने में यह सरकार नहीं हिचकेगी। इस वक्त तो मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक स्पष्टीकरण। उन्होंने मांग की थी एफ.आई.आर. दर्ज कराने की, उसकी क्यों हुआ?

श्री नत्थी सिंह : बिना देखे, बिना जांचे। जहां हम लोग भ्रष्टाचार के उन्मूलन के पक्षपाती हैं, वहां प्राथमिक न्याय के सिद्धांतों का भी हनन नहीं कर सकते हैं। इस डेमोक्रेसी को जीवित रखना है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को जिन्दा रखना होगा। दूसरों को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जायेगा और उसके बाद दोषी पाया जायेगा तो एफ. आई. आर. भी दर्ज होगी और

(श्री नत्थी सिंह)

अदालत में भी जायेंगे पर जो प्रोसेस होगा सबको पूरा कर देने के बाद, एकदम नहीं।

श्री रामकिशन : मैं पूछने-पांछने का आदि तो हूं नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं, अब तक आप यह जानकारी नहीं कर पाये कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है।

श्री नत्थी सिंह : मैंने कल्ला साहब के जवाब में दिया है....

श्री रामकिशन : आप देखिये टेण्डर इन्वाइट करने के लिए वित्त विभाग ने मना किया, टेण्डर इन्वाइट किये गये। एग्रीमेण्ट काण्ट्रेक्ट था उसके बाद भी सीमेण्ट लाने की कोशिश की गई। काण्ट्रेक्ट से ज्यादा सीमेंट लेने की कोशिश की गई। निश्चित क्वालिटी का सीमेंट नहर में लगना था पर दूसरी क्वालिटी ले गये। सारी चीजें इतनी साफ है। इसके अलावा टेक्निकल कमेटी में इसको एप्रूव नहीं कराया गया। स्टोर परचेज कमेटी कहीं बीच में नहीं आती है उसको इन्वाल्स कर लिया गया। आप जांच कराना चाहते हैं तो जरूर करें। परन्तु आप कहते हैं कि हम लोकतन्त्र के हामी है, मैं तो कहता हूं मैं पूरा ही हामी हूं, आप कितने हामी हैं यह तो पता नहीं. आप जानें लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के जवाब देकर आप इस मामले को ठण्डा करने की कोशिश न करें क्योंकि राजस्थान में वातावरण बन रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही होगी और आपके जवाब से मालूम पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य में कोई कार्यवाही होने वाली नहीं है....

श्री नत्थी सिंह : आपका भ्रम गलत है, अनफाउण्डेड है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको जवाब पूरा कर लेने दें। आप खूब सवाल पूछना। आपको खूब सवाल पूछने का अवसर होगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : जनता दल के वहुत बड़े नेता ने आरोप लगाया है और मंत्रीजी पर खुद पर इल्जाम लगाया है.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : जवाब तो पूरा आ जाने दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करूं कि जो इल्जाम लगाया मंत्रीजी पर उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप+ + + नहीं रुकेंगे। जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : फिर इसका कोई अन्त तो होगा नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल। जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, टेण्डर और टेक्निकल कमेटी के मामले में आप जांच से इन फैक्ट्स को असरटेन करवा रहे हैं या फैक्ट्स तो सही है लेकिन इससे आफेंस प्रोसिक्यूट होता है या

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नहीं और किसकी जिम्मेदारी है, उसको करवा रहे हैं। अगर फैक्ट्स एडमिट हैं तो आप एफ. आई. आर. दर्ज करायें।

श्री नत्थी सिंह : बैठिए मैं बता रहा हूं। यह जो गड़बड़ हुई, यह जो मामला हुआ है इसके दो पक्ष हैं। आज जो कल्ला साहब ने कहा, जवाब मिला है, उसको स्पष्ट किया, एक पक्ष फैक्ट्री ने क्या-क्या गड़बड़ी, कैसे धोखा दिया। आपने कहा 70-70 लाख के चैक दिये वह भुनाये नहीं गये। उसमें क्या गड़बड़ी रही है जो केसेज हो सकते हैं, दायर किये गये। उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। हमने आदेश दिये हैं कि उनके खिलाफ सिविल सूट भी दाखिल किया जाय। कैसे भी हों, जो हमारा पैसा है, वह वसूल किया जाय। उसके बाद अब तक किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी डाली नहीं गई है। उसके लिए जिम्मेदारी डालने के प्रोसेस में हैं, उसकी जांच कर रहे हैं और तीन महीने में इतना काम कर दिया और आप कह रहे हैं देर लगेगी, कोई देर नहीं लगने वाली है। जल्द से जल्द सारे मामले पर जांच करके द्रुत गति से उस पर कार्यवाही हो, उस पर हम बढ़ रहे हैं। इसमें शक-शुबहा आपको होना ही नहीं चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जांच कौन कर रहा है?

श्री हेतराम बेनीवाल : चेयरमैन की जांच कौन करेगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह सीनियर आई. ए. एस. है, मुझे बताइये इसकी जांच किससे करा रहे हैं?

श्री हेतराम बेनीवाल : चेयरमैन जैन की जांच कौन करेगा?

(10.00 रात्रि)

श्री नत्थी सिंह : सुनिये अपने स्तर पर हम जांच करेंगे उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि उसमें आगे क्या कार्यवाही करानी है, अब यह अपने स्तर की बात है। अभी तो मंत्रीजी और मुख्यमंत्रीजी के स्तर पर यह मामला विचाराधीन है। इसको देखकर के फिर हम आगे कदम उठायेंगे। सारी फाइल हमने मंगा ली है, सारी फाइल की स्टडी कर रहे हैं। उस हद तक हम चले गये हैं और साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको चिन्ता तो होनी ही नहीं चाहिये। आप जैसी चिन्ता हमको भी है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जायेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सदस्य ने जो तथ्य रखे हैं, वह सही प्रमाणित नहीं हुए क्या? तीन महीने की जांच में माननीय सदस्य जो तथ्य रख रहे हैं, वह सही पाये गये या नहीं।

श्री नत्थी सिंह : आपके ऐसे बड़े-बड़े कारनामें, तीन महीनों के अन्दर आपके द्वारा किये गये ऐसे घोटाले थे कि जिनको एक साथ नहीं पकड़ा जा सकता था।

श्री मदनलाल सैनी : अभी तथ्य और आने हैं। इतने ही तथ्य नहीं है, जितने माननीय सदस्य ने बताये हैं। उससे ज्यादा तथ्य आने वाले हैं। जांच होने के बाद में निर्णय लिया जायेगा।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री मदनलाल सैनी : क्या कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कह रहे हैं कि और तथ्य हैं तो लाओ ना कौन मना करता है।

श्री रामकिशन : यह सारे तथ्य ग्रापके पास हैं।

एक माननीय सदस्य : अभी नये तथ्य ग्रौर इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी भी जांच कराना।

श्री रामकिशन : कौन जांच कर रहा है, उसका टाइम, सारे तथ्य आपके पास आ चुके हैं।

श्री नत्थी सिंह : सारे तथ्य जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम एग्जामिन करेंगे उसके बाद निर्णय लेंगे ग्रौर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी, दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ में। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यह मैंने बताया किन विषम परिस्थितियों में हम आगे बढ़ रहे हैं और इन विषम परिस्थितियों में हमारे इंजीनियरों, श्रमिकों ने जो मेहनत की है। यह हिमालय का पानी मोहनगढ़ और रामगढ़ तक हम लाये हैं, प्रशंसा की बात है। इस वर्ष की प्रथम तिमाही अप्रेल-जून में पिछले 6 वर्षों की तुलना में परियोजनात्मक कार्य की अधिकतम प्रगति हुई है। पिछले वर्षों में इस कार्य में 10 से 28 किलोमीटर तक की लाइनिंग हुई थी और इस वर्ष 30 किलोमीटर से अनेक लम्बाई की लाइनिंग हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह जो आपने सुझाव दिये हैं, कई माननीय सदस्यों ने 18 बार कटौती प्रस्ताव दिये हैं। कुछ ऐसे भी माननीय सदस्य हैं, श्री सियाग साहब ने कुछ सुझाव रखें यद्यपि उनका कटौती प्रस्ताव तो शामिल नहीं था लेकिन यहां निर्णय दिये हैं। पानी के मैनेजमेण्ट का सवाल है, ए.पी.एम. की बात कही है। इस बात में तो हम ग्रौर आप एक हैं कि पानी सब किसानों को मिलना चाहिये, मिलेगा, कोशिश करेंगे, वाटर मैनेजमेण्ट में जो कमियां आपने बताई हैं, उनको सुधारने की कोशिश भी जरूर की जायेगी। एक बात माननीय कल्ला साहब चलते-चलते कह गये। सुबह ग्रापने जो बोला मैं बजट पर उसको ध्यान से नहीं सुना और मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया, उसको ध्यान से नहीं सुना। खालों की बात है, मैं कहता हूं खालों की बात हमारे देश लोगों ने, बी. जे. पी. के लोगों ने जो पहले विपक्ष में थे, आज सत्ता में बैठ हैं, उन सबने आंदोलन उठाया है। हमारी महती चिन्ता है। आप तो कहते हो हमने चिट्ठी लिख दी लेकिन हम तो उस दिया में आगे बढ़े हैं। बजट में कहा है कि खालों पर जो नेशनलाइज बैंक का कर्जा हैं, वह कर्जा माफ हो और उससे ऊपर जो रहेगा उसे हमारी सरकार इस बात की कोशिश करेगी, हम चिन्ता करेंगे क्योंकि यह संवेदनशील सरकार जनता की समस्याओं को समझती है और उसके समाधान के लिए पूर्ण रूप से जागरुक है ग्रौर इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने जो इस सम्बन्ध में हम लोगों को सुझाव दिये है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस मांग को आप बड़े हर्ष से पारित करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बात सुन लीजिये। आपकी सब समस्या का समाधान हो जायेगा ग्रगर मेरी एक मिनट बात

(श्री उपाध्यक्ष)

सुनना। सब मंत्रियों के अलग-अलग जवाब के बाद पृथक्-पृथक मंत्री से आप.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने रूलिंग दी है कि एक बार माननीय मंत्रियों के भाषण हो जाये और उसके बाद में सवाल करें और आपने जो रूलिंग दी है, उसका पालन किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री घासीलाल चौपड़ा : यह सिंचाई मंत्री का मामला है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य है, उनका नाम दिया हुआ है, बोलना चाहते हैं। हम इन्दिरा गांधी नहर पर नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नाम पुकारा था। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सिंचाई मंत्रीजी बोलेंगे, उसके बाद में पूछना।

श्री घासीलाल चौपड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जब मैंने आपका नाम पुकारा था, आप बोले नहीं।

श्री लालचन्द डूडी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह इनकी मेडन स्पीच होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मना नहीं करते हैं जब कोई फर्स्ट टाइम....

श्री उपाध्यक्ष : अब कैसे हो जायेगा बताइये आप। अब कल हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री घासीलाल चौपड़ा : आसन पैरों पर है। कृपया बिराजि जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने आपका नाम पुकारा था। आप बोले नहीं।

श्री घासीलाल चौपड़ा : नाम आया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे नहीं आया।

श्री घासीलाल चौपड़ा : प्रेमसिंह जी दहिया का नाम आया। मेरा नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बेहतर होगा कि मंत्री के जवाब के पहले तो आप बोल नहीं सकते।

श्री घासीलाल चौपड़ा : सिंचाई मंत्रीजी का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न कर लेना और प्रश्न में पूछ लेना। नहीं अब सम्भव नहीं है। अब किसी भी रूप में सम्भव नहीं

(श्री उपाध्यक्ष)

है। चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि सब मंत्रियों के उत्तर आये, फिर एक-एक मंत्री से पूछ लेना, आप प्रश्न कर लेना और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाये यही बेहतर होगा। सिंचाई मंत्रीजी अपने विचार रखेंगे।

श्री प्रेमसिंह दहिया : हमारा यह तो प्रश्न हो गया।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचित क्षेत्र सम्बन्धी कुछ कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं। वैसे तो माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करता हूं कि सिंचित क्षेत्र के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि कार्य से वह संतुष्ट हैं। क्योंकि जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, वह बहुत कम है।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह तो आपके डर की वजह से नहीं बोले थे।

श्री दिग्विजय सिंह : और मुख्यतया जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, वह चम्बल सिंचाई क्षेत्र से सम्बन्धित हैं आई.जी.एन.पी. के अन्तर्गत वैसे माननीय सदस्यों के उल्लेख यहां जरूर किया है परन्तु कटौती प्रस्तावों के माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, कोई चर्चा सामने नहीं है। जो कुछ उल्लेख यहां किया है पहले मैं उनके ऊपर चर्चा और उनका जवाब दूं। माननीय कल्ला साहब ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की। खास तौर से खालों की कीमत के बारे में जो कि हमने आन्दोलन किया था, विपक्ष में थे जब और उनकी चिन्ता प्रकट करते हुए बतलाया कि हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम खालों की कीमत को माफ करें और कैंचमेंट एरिया की जो कीमत वसूल की उसे भी हम माफ करें। कल्ला साहब मैं आपसे यह तो अपेक्षा करता था कि आप सदन को सही जानकारी दोगे कि आखिर में इन खालों की कीमत माफ करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा। जब स्टेज-1 में खाले निर्मित हुए, उसमें आपने खालों की कीमत चार्ज की। दोबारा स्टेज-2 का काम जब चालू हुआ और उसके साथ-साथ माही परियोजना का काम आपने चालू किया तो माही परियोजना में आपने जो खाले बनाये उनकी कीमत आपने चार्ज नहीं की। माही परियोजना में आपने इसलिए कीमत चार्ज नहीं की कि वहां पोलीटिकल डिसीजन आपने लिया। इस वजह से स्टेज-2 में भी नहीं ली। उसके फलस्वरूप यह आन्दोलन हुआ कि जब आप स्टेज-2 में चार्ज नहीं कर रहे हैं तो स्टेज-1 में आपके कीमत लेने का कोई औचित्य नहीं है। आपने बड़ी चिन्ता जताई, आपने यह कहा कि आपने चिट्ठी लिखी। आपके उस पत्र की हालत क्या हुई, आपको मालूम है? जब माननीय शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने यहां पर कहा कि बूटा सिंहजी को और जाखड़ साहब दोनों को लिखी कि अमुक समय पर आप वहां दिल्ली के अन्दर उपस्थित रहें, मौजूद रहें, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री के मिलने का तय हुआ है। दोनों के दोनों कांग्रेस के यहां पर, मैं कहूं कि शीर्षस्थ नेता थे और बड़े पावरफुल थे।

(10.11 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

उस टाइम में माननीय शिवचरण जी माथुर जोधपुर हाउस में बैठे रहे और वह

(श्री दिग्विजय सिंह)

दोनों मंत्री इस सन्दर्भ में बातचीत करने के लिए आए ही नहीं। आपकी कितनी चिन्ता थी खालों की कीमत माफ कराने की, यह तो सारी जो कुछ आपने बात की, उससे साफ हो जाता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसका उत्तर आपको शिवचरण जी होते तब दे देते।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं कोई जोड़-तोड़कर नहीं कह रहा हूं, जो हकीकत है वह बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज परिस्थितियां क्या है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बजट का जो रिप्लाई दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि खालों की कीमत और कोटा कैचमैंट एरिया की कीमत जो वसूल होनी थी, उसको हम कर्जा माफी की घोषणा के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए माफ करेंगे और केन्द्र से इस बात के लिए कहा भी है और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 10 हजार तक के कर्जे हैं वह तो जो डायरेक्टली....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जरा शार्ट में बोलिये।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे कटमोशन भी शार्ट में आये हैं, इसलिए शार्ट में कहूंगा। 10 हजार तक के लोन हैं वह करीब 18.39 करोड़ के हैं, जिससे 40999 काश्तकार प्रभावित होते हैं। यह लोन तो कामर्शियल बैंक्स से सीधे काश्तकारों को दिये हुए हैं। वह अपने आप ही केन्द्र सरकार ने नीति बनायी है उस सीमा में आयेंगे और लोन उन काश्तकारों के माफ होंगे। दूसरे कर्जे जो आर. एल. डी. सी. के थ्रू दिये हुए हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि वह इसको इसमें सम्मिलित कराने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान लैण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से उनका निर्माण हुआ, उन काश्तकारों को दिये गये हैं। उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी वैसे ही माना जाय जैसे कि उनको बैंक ने डायरेक्टली दिये हों। ऐसा हम करेंगे तो कुल मिलाकर 60.16 करोड़ रुपये के करीब का कर्जा माफ होगा इसलिये आप निश्चिन्त रहें। खालों की कीमत का, कैचमैंट एरिया की कीमत का मामला विपक्ष में जब हम थे, हमने उठाया था। हम निश्चित रूप से उसके लिए कृत-संकल्प हैं, यह कर्जा वसूल नहीं होगा।

इसी सन्दर्भ में साथ-साथ मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कोटा कैचमैंट एरिया के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने एक बात कही कि वहां कुर्कियां हो रही हैं, वसूलियां जारी हैं। मैं उनको यह कह सकता हूं कि कोई कुर्कियां नहीं हो रही हैं और न ही कोई वसूलियां जारी हैं। सिर्फ बैंक्स को उन्होंने लिखा था कि वे अपनी वसूली करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी, काश्तकार के ऊपर इस बात का कोई दबाव नहीं है। मैंने इस बात के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से भी कहा है कि जब तक इसका निर्णय न हो अभी कोई वसूली कैच-मैंट की नहीं होगी।

मैं, अध्यक्ष महोदय, नोखा से आने वाले माननीय सदस्य इन्दलिया साहब का आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम सी. ए. डी. के बारे में चिन्ता व्यक्त की कि इस विभाग को कुछ और धन दिया जाय। पानी का जो मेल है, उसके माध्यम से सारा हिसाब

(श्री दिग्विजय सिंह)

होता है, पानी का प्रेशर रेगुलेट होता है उसको अगर धन नहीं देंगे तो पानी की जितनी उपयोगिता है वह भी नहीं हो पायेगी। इसलिए, इन्दलिया साहब, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विभाग की चिन्ता की।

श्री सम्पतसिंह : इनको सिर्फ धन्यवाद और पैसा विभाग को ?

श्री दिग्विजय सिंह : होता यही है। अध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब को मैं करैक्ट करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि 35 हजार हैक्टेयर में ही खाले बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। यह 35 हजार नहीं 50 हजार है, 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में इस वर्ष हम करने जा रहे हैं। आप देख लें, गत वर्ष 60 हजार हैक्टेयर के अगेन्स्ट हमने 62 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने विभागीय कर्मचारियों और टैक्नीशियन जो काम करने वाले हैं, को धन्यवाद दिया। मैं भी इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लक्ष्य के ऊपर प्राप्ति की है। अब आप शायद यह कहें कि गत वर्ष तो आपने 62 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के अन्दर खालों का निर्माण किया और अब 50 हजार ही कैसे करने जा रहे हैं। इस वर्ष 50 हजार का जो लक्ष्य हमने रखा है उसके पीछे उद्देश्य यह है कि 50 हजार का लक्ष्य रखते हुए हम यह चाहेंगे कि वहां पर फैमिलीज पहुंचे और उस एरिया के अन्दर कल्टिवेशन शुरू हो। इस वजह से लक्ष्य को हमने ओरएण्टेड बनाया है ताकि फैमिलीज़ एस्टेब्लिश हों और साथ-साथ उनको इस 50 हजार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कल्टिवेशन की सुविधा भी मिल जाय।

अध्यक्ष महोदय, आई. जी. एन. पी. के सम्बन्ध में दो बातों का उल्लेख था। एक टीबी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस क्षेत्र के अन्दर वाटर लोगिंग के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी। उस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने एक योजना वहां चालू करने का निर्णय किया है। वह योजना फ्रेंच असिस्टैंस से हम शुरू करेंगे। उसके अन्तर्गत वैल्स का निर्माण करेंगे ताकि वाटर लोगिंग की प्राब्लम का निराकरण हो सके। उसका जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। विभाग अपनी तरफ से इसमें कुछ धन का प्रावधान रखने जा रहा है।

जहां तक कोटा सिंचाई क्षेत्र का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां निश्चित रूप से तीन-चार बातों की कठिनाइयां हैं। सबसे पहले तो यह सही है कि शुरू के अन्दर जब इसका कन्स्ट्रक्शन हुआ और नहरों का निर्माण हुआ तो, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह डिफेक्टिव रही है। पर अब इस स्टेज के ऊपर बात करना फेट एकम्प्ली की-सी बात है। अब अगर हम कहें कि यह करना है और किस तरह से हम अधिक से अधिक लाभ काश्तकारों को उसी नहरी सिस्टम के माध्यम से उस क्षेत्र के लिए दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने अपने समय में सी. ए. डी. प्रोग्राम को गति देने के लिए दो दफा कोटा के अन्दर बैठकें बुलाई हैं और जन प्रतिनिधियों को भी उसके अंदर

(श्री दिग्विजय सिंह)

शामिल किया है। मैंने इस बात के लिए उससे राय मांगी कि टेल के ऊपर पानी कैसे पहुंचेगा। कोटा में, अध्यक्ष महोदय, समस्या है वह खास तौर पर टेल पर पानी नहीं पहुंचने की है। वह इस लिए नहीं पहुंचता है कि हैड वाले जो काश्तकार हैं वह अपने लट्ठ से, जबरदस्ती से पानी को वहां पहुंचने नहीं देते हैं। तीसरी यह समस्या है कि वहां पर जब पानी चलता है उस वक्त ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीजे के साथ चालू कर देते हैं। तो टेल पर पानी पहुंचता नहीं। इसके साथ-साथ वहां की नहरों के रख-रखाव, उनकी सफाई और सफाई करके टेल पर पानी पहुंचाने के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता है। इस वर्ष हमने कुछ अधिक प्रावधान रखा है। मैंने दो दफा कोटा जाकर....

श्री सम्पतसिंह : इसीलिए कह रहे हैं कि एक-आध मंत्री इनमें से भी बना देओ।

श्री रामकिशन : पानी जाने दें नहीं, बीज दें नहीं, सब ठाकुर बसा दें तो यह कहां जायेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : पण्डित हैं तो माला जप लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोटा का जो चम्बल क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र उसमें जो विषम परिस्थिति है वो टेल पर पानी पहुंचाने की। हमने यह प्रयास किया है कि इस वर्ष येन-केन-प्रकारेण हम टेल पर पहुंचायें। खास तौर से जो लैफ्ट बैंक कैनाल है उसके काश्तकारों की कठिनाइयां काफी है उसके लिए मैंने अधिकारियों से भी कहा है और मैं जाऊंगा और वहां के जन-प्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे कि टेल पर पानी कैसे पहुंचे, उसके लिए यदि कोई सुझाव हों वो हमें दें और इसके साथ-साथ विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए पाबंद किया कि रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स की जाय अपने-अपने एरियाज की, अपने-अपने ए. ईएन्स. की सबकी। वो यह देखें कि जो टेल क्षेत्र के रेस्पोन्सिबल हैं उन टेल पर पानी पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अभी हमने हाईकोर्ट से एक मजिस्ट्रेट नियुक्ति के बारे में लिखा था और हाईकोर्ट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। मोबाईल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी जायेगी ताकि जो बीच में खोड़े लगा करके पानी रोक लेते हैं और पानी पहुंचता नहीं और पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाता है। यदि मोबाइल मजिस्ट्रेट होगा तो मोबाइल मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच करके काश्तकारों के ऊपर तावान लगा करके जुर्माना जो भी हो मौके पर करके और तब होगा ताकि पानी नीचे पहुंच सके। पर यह कोई तरीका नहीं होगा मैं इसको आखिर में करना चाहूंगा। पहले हम चाहेंगे कि काश्तकारों का सहयोग लेकर इस काम को करें। जहां तक बाराबन्दी का प्रश्न है बाराबन्दी का निर्णय लिया जा चुका है, पर वह निर्णय वहां पर अभी तक प्रैक्टिकल रूप में अमल नहीं आया क्योंकि काश्तकार अभी तक मेरे ख्याल में काश्त की वजह से समझ लीजिये या उसकी उपयोगिता को नहीं समझ पाये इसमें बाराबन्दी के अन्दर भी जन प्रतिनिधियों के आह्वान से, उनके सहयोग से इसको सफल बनाने के लिए कोई योजना बनायेंगे और उसे लागू करना चाहेंगे।

(श्री दिग्विजय सिंह)

अध्यक्ष महोदय, एक जो खास मामला माननीय सदस्य ने बताया है कि उनके पीपल्दा क्षेत्र में सूकनी नदी के एरिया के अन्दर ड्रेनेज के बारे में है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इसकी जांच करवाई और जांच कराने के बाद यह संकेत हुआ कि काश्तकारों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, पर इसके साथ ही साथ इसमें खर्चा लगभग एक करोड़ रुपया आयेगा। फिर भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि जब इसका सेकिण्ड स्टेज हम चालू करेंगे तो इस योजना को इसमें सम्मिलित किया जायेगा। मैं समझता हूं कि मुख्यत: तो बातें आपने कहीं उनका मैंने, जैसा आपने कक्षा सूक्ष्म में उत्तर दिया और बाकी जो कट मोशन आपने प्रस्तुत किये उन पर विस्तार से माननीय सदस्यों को विस्तार से जवाब पहुंचा दिया जायेगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी (व्यवधान) अब आप ये बोल लें, उसके बाद पूछ लेना।

श्री विजय सिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इसको गम्भीर मान करके ही अपने सजेशन्स दिये हैं। इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया। मैं समझता हूं ऐसे ही राजस्थान में पानी की कमी है। हमारे पास जो देश का 11 प्रतिशत क्षेत्र है उसके अगेन्स्ट केवल 1 प्रतिशत ही पानी का स्रोत उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में बहुत ही गम्भीरता से इस पर सोचने की आवश्यकता है कि आज तक यदि इस पर कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से इन—इन सुधारों के ऊपर भविष्य में पानी की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है तो उस पर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज हमारे पास सरफेस की 15.86 मिलियन एकड़ पानी उपलब्ध है और उसके अगेन्स्ट हमने 50 प्रतिशत उसका उपयोग किया है। उस पानी को हमने बांधा है। दरअसल में हमको देखना है कि जो स्रोत हमने बांधे हैं उनका भी सही रूप से उपयोग हो, उसके बारे में भी हमें चिन्ता करनी पड़ेगी। जो पानी के हमारे साधन हैं कम से कम उसका वेस्टेज नहीं हो और अधिक से अधिक जमीन उससे सिंचित हो सके उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ जो खामियां रही है विगत 40 सालों में, उसके बारे में भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि जो बांध—बंधे हैं अमुक जगहों पर, पश्चिम में। वहां पर बांध बंधने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी सजेशन दिया कि राजस्थान का सर्वेक्षण हो करके इसका पुन: सारे राजस्थान का क्षेत्रवाइज अनुसंधान करके कौनसे क्षेत्र में इस प्रकार के साधनों की आवश्यकता है, इसका सर्वे करवाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम यह कोशिश करेंगे कि अब जो कोई इस प्रकार के आगे जो इरिगेशन के साधनों के बनाने के बारे में स्टेप ले रहे हैं। पहले हम इसके बारे में विचार करेंगे कि राजस्थान के कौनसे क्षेत्र में, कौनसे साधन अधिक उपयोगी हो सकते हैं। माननीय विश्नोई साहब ने खास करके जो पश्चिम क्षेत्र में जो बांध

(श्री विजयसिंह झाला)

बंधे हैं उसके नीचे जो सेजा खत्म हो गया है, दरअसल में यह एक विचारणीय प्रश्न है कि एक बांध-बंधे जिन पर बड़ी केपिटल लगे और उसके बाद में जितनी सिंचाई होती है उतने ही वापस लोग परेशान नीचे हो जाते हैं। स्रोत सूख जाने से वे पानी का उपयोग नहीं कर सकते तो इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम यह भी सोच रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार के जो बांध बंधेंगे तो क्या हम उसमें से कुछ पानी ऐसा रिजर्व रखे कि वो पानी छोड़ करके नीचे के कुऐ में उसको छोड़ सके जिससे कि कुओं का सेजा समाप्त न हो। इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ इसमें एक बड़ी कमी जो नजर आई कि हमने बड़ी योजना को ज्यादा महत्व दिया। हमारे पास साधन की कमी थी और साधन की कमी होने की वजह से जिस एस्टीमेट को ले करके हमने जो बड़े प्रोजेक्ट तैयार किये थे उसकी कास्ट बहुत ही बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में इस साल हमने यह निर्णय किया है कि छोटे बांधों पर जो इसी साल हम पूरा करके अगले साल जो बारिश होने वाली है उसका पानी हम उपयोग कर सकें और किसानों को वह पानी पहुंचा सके, इस हमने ज्यादा प्राथमिकता देना तय किया है। साथ ही साथ ऐसी छोटी लिफ्ट योजनाएं जहां पर कि स्रोत हैं पानी का वहां पर लिफ्ट योजनाएं लगा करके किसानों को हम जल्दी पानी कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी मानता हूं कि जो सर्वे होता है हमारा उसमें कुछ डिफेक्ट रह जाता है। हम उसको भी सुधारना चाहते हैं और हम ऐसा महसूस करते हैं कि सर्वे की दृष्टि से ऐसा एक डिपार्टमेंट एक्सपर्ट्स का खोला जाय ताकि सर्वे पूरा किया जाय तो उसके आधार पर आगे कम से कम उसकी कास्ट नहीं बढ़े या कोई जो टेक्निकल खामियां रह जाती हैं वो टेक्निकल खामी उसमें न रहें, इसके बारे में भी हम गम्भीर चिन्तित हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न यह भी है कि मेन्टिनेंस का पैसा भी हमारे पास बहुत ही कम है। उसकी वजह से जो हम मेन्टेन कर पा रहे हैं, नहरों का या आपके बांध बने हुए हैं इनके बारे में हम सोच रहे हैं और हमको अधिक पैसा मिले ऐसा हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ जहां तक एक खामी जो आई है, जिसको भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्डिनेशन की कमी है। बड़े प्रोजेक्ट्स जहां बनते हैं उनके ऊपर कई ऐसी ऐजेन्सियां हैं, चाहे फैमिन में बनते हों चाहे पंचायत वाले बनाते हों, छोटे-छोटे एनीकट्स बन्धा देते हैं, अलग-अलग एजेन्सियां निर्माण की हैं तो इनके बारे में एक ही प्रकार की मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सोर्सेज हो ताकि अलग-अलग एजेन्सियां इन एनीकट्स का निर्माण नहीं कर सकें। इसके बारे मे भी हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा है कि कई एजेन्सियां एनीकट्स का और तालाबों का निर्माण करती हैं जिसकी वजह से बड़े प्रोजेक्ट भी इफैक्टेड हो जाते हैं और एक सही आंकलन हमारे सामने नहीं आता है तो इस प्रकार की जो खामियां हैं उनको भी निकालने के लिए हम बहुत ही सजग हैं।

(श्री विजयसिंह झाला)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस साल के बजट का प्रश्न है हमारे पास में गये साल के 75.53 करोड़ के खिलाफ इस साल में 96.42 करोड़ रुपये हैं और हमने अलग-अलग योजनाओं को इस प्रकार लिखा है—बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में बीसलपुर को, माही बजाज सागर को 22.46 करोड़ रुपये दिये हैं और इसके साथ ही साथ चम्बल की दांई मुख्य लिफ्ट सिंचाई नहर के लिए 1990-91 में 1.92 करोड़ रुपये दिये हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : बीसलपुर को ?

श्री विजयसिंह झाला : बीसलपुर पर मैं आ रहा हूं, माही को 22.46 करोड़ रुपये दिये हैं और बीसलपुर को 23.00 करोड़ रुपये दिये हैं वृहत् परियोजना में 16.05 करोड़ रुपये दिये जायेंगे जिसमें जाखम में 3.50 करोड़ रुपये, गुड़गांवा नहर पर 1.25 करोड़ रुपये होगा और इससे 3400 हैक्टेयर जमीन अधिक सिंचित होगी ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना ।

श्री विजयसिंह झाला : बीसलपुर पर 23 करोड़ रुपये है और इसी साल हम करीब 15 से 20 लाख गैलन पानी पेयजल के लिए बीसलपुर से दे सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मध्यम परियोजना में...

श्री सुरेन्द्र व्यास : पेयजल के लिए तो आप देंगे ही, टौंक जिले में बीसलपुर बांध का निर्माण हुआ है, टौंक जिले में क्या व्यवस्था होगी, जरा यह भी बता दीजिये ।

श्री विजयसिंह झाला : बीसलपुर का जहां तक प्रश्न है मैं पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दे चुका हूं कि जब तक ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना पानी चाहिए इसका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है तब तक सिंचाई के लिए कितना पानी उपलब्ध होगा यह अभी कहना कठिन है ।....

श्री सुरेन्द्र व्यास : टौंक जिले में होगा ही नहीं क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय व्यास जी पहले आप इनको पूरा करने दीजिये, फिर पूछ लेना । आपका सवाल बाद में आ जायेगा । आपका सवाल बाद में आ जायेगा....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक प्रार्थना है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उनको कम्पलीट करने दीजिये । पहले कम्पलीट करने दीजिये....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक प्रार्थना करनी है....

श्री अध्यक्ष : भाई, प्रार्थना बाद में कर लेना आप मेहरबानी करके सुन लीजिये इससे क्या फर्क पड़ता है । आपका सवाल बाद में कर लेना, आपको यह छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, आपको जवाब देकर जायेंगे । (व्यवधान) श्री महावीर प्रसाद जी आप तो बिराज जायें ।....प्लीज आर्डर । ....श्री महावीर प्रसाद जी आप बैठें ।...प्लीज । माननीय मंत्रीजी बोलिये । ... फिर आप खड़े हो गये । आप बिराजिये ना, टौंक का सवाल आ जायेगा ।...आ जायेगा टौंक का... (व्यवधान) व्यासजी आप बैठिये । आपको जो पूछना है वह बाद में पूछ लेना ।

(श्री अध्यक्ष)

आपके सवालों का जवाब देकर ही जायेंगे। जो पूछना है वह बाद में पूछियेगा।

श्री टीकम चन्द कान्त : यह आदत खराब कर रहे हैं बैठाइयें इनको। इनको बैठाओ साहब।

श्री अध्यक्ष : आप मेहरबानी करके बिराजिये...

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने सुबही ही नहीं पूछने दिये। अब इन्होंने कोई प्रश्न किया है तो पूछने दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। मौका मिलेगा आपको....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : अभी आप दोनों सुन नहीं पायेंगे....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल आ जायेगा, आपको सवाल पूछने की इजाजत मैं दूंगा। पहले उनको कम्पलीट करने दीजिये। बीच में किसी को मौका नहीं दूंगा। आप पहले सुन लीजिये।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मध्यम परियोजना पर 23 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा और इससे जो अतिरिक्त सिंचाई होगी वह 6680 हैक्टेयर जमीन की होगी....

श्री रामकिशन : सिंचाई होगी या सिंचाई की क्षमता क्रियेट होगी ?

श्री विजयसिंह झाला : अतिरिक्त क्षमता क्रियेट होगी।

इसके साथ ही साथ मोडर्नाइजेशन पर 4.35 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा तथा लघु सिंचाई पर 21.225 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 1.20 करोड़ रुपया और है वह भी लघु सिंचाई योजना पर खर्च किया जायेगा। सिद्धमुख नहर पर अध्यक्ष महोदय, मुझे सूचना देते हुए बड़ा हर्ष होता है कि कल रात को 3.00 बजे इसकी स्वीकृति आ गई है और हम इसी साल इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और सिद्धमुख का सर्किल खोलने जा रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : इस साल कितना पैसा खर्च होगा ?

श्री विजयसिंह झाला : इस साल हम डेढ़ करोड़ रुपया खर्च करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान का पानी दूसरी स्टेट्स में जाता है चम्बल का या जो गुजरात में जाता है, चम्बल का पानी तो उत्तर प्रदेश में जाता है, उसका सर्वे कराने के लिए इस साल हमने पैसा रखा है और जल्दी से जल्दी कौनसी योजनाएं उस पर बन सकती हैं हम उसका निर्णय लेने जा रहे हैं। इसी तरह से जो पानी गुजरात में जाता है, उस पानी को भी रोकने के लिए हम सजग हैं। चाहे वह मानसीवाकल योजना के मार्फत रोका जाय या और किसी प्रकार की जवाई बांध की क्षमता को बढ़ाकर रोका जाय या और किस

(श्री विजयसिंह झाला)

प्रकार की योजनाएं हो सकती हैं कोई भी पानी राजस्थान का बाहर नही जाय, उसका उपयोग यहीं हो उसके बारे में हम पूरी तरह से सजग हैं।

साथ ही साथ हम दूसरी स्टेट्ज में पानी मांगते हैं जिसका आज दिन तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो सका उसके बारे में भी हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत ही सजग हैं। गंगा फ्लड का पानी जो उत्तर प्रदेश से लाने का था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी वहां पर मीटिंग हुई... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आर्डर। आप उनको बोलने तो दीजिये। वरना पूरा होगा ही नहीं। आप समाप्त कर रहे हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : मैं दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि... (व्यवधान)

मैं समझता हूं कि ज्यादा किसी प्रकार की कहने की जरूरत नहीं है। मैं यही समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बी. डी. कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सबसे पहले तो माननीय सी. ए. डी. मिनिस्टर साहब ने मेरा नाम कोट करके बताया। माननीय मुख्य मंत्रीजी की 27 जून की स्पीच के पेज 9 पर इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि 35 हजार हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की जायेगी, यह आंकड़ा यहां से लिया गया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना लक्ष्य कम रखा गया ?

दूसरा, आपने कहा कि जिस तरह से किसानों के ऋण माफ किये हैं उसी तरीके से सी. ए. डी. के अन्तर्गत जो फस्ट स्टेज में जो खाले-नाले बनाये गये उनके ऋण माफी को करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ करेंगे या पूरा कर्जा उनका माफ करेंगे ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, सूपनी नामक स्थल जिसकी करीब 1300 एकड़ जमीन में सीपेज का पानी भरा हुआ है, उस पर डेम बनाने की मैंने मांग की थी। मंत्री महोदय ने स्टेज सैकिण्ड में लेने का अभी फरमाया। लेकिन स्टेज टू तो आपने समाप्त कर दिया, स्टेज टू तो होगा नहीं। अब सी. ए. डी. की जो प्रतिवर्ष की वार्षिक योजना बनती है उसी में इसको पूरा करने का आप आश्वासन दीजिए। आपने फरमाया कि इसमें एक करोड़ रुपया खर्च होगा, एक करोड़ रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल 25 लाख रुपये की आवश्यकता है। मंत्री महोदय जो वार्षिक योजना बनती है उसी में स्वीकृत करने के आप आदेश फरमायें तभी होगा।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका प्रश्न। माननीय मंत्री जी।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्ला साहब ने जो बात कही 50 हैक्टेयर की, मैंने उस बात को पहले ही स्पष्ट किया था कि वह 35 नहीं है वह 50 हैक्टेयर है और 50

(श्री दिग्विजयसिंह)

हैक्टेयर इसलिए किया गया है लास्ट ईयर थे 60 हजार 60 हजार के एग्रीमेन्ट में हुए हैं, 62 हजार। तो लक्ष्य निश्चित रूप से लास्ट ईयर ज्यादा था और इस साल हमने कम रखा है। कम रखने का मैंने उद्देश्य भी आपको बतलाया था कि इसलिए रखा है कि वहां पर हम चाहते हैं कि साथ-साथ में फेमेलीज भी वहां पर पहुंचे और उसका उपयोग हो।

दूसरा, आपने जो खालों की कीमत का बताया तो दस हजार तक के कर्जे माफ होंगे। जहां तक आपने सूपनी के सम्बन्ध में बताया, मेरेको जानकारी थी मैंने आपको बताया कि उसमें करीब एक करोड़ का खर्चा होगा। जहां तक स्टेज 2 का प्रश्न है राजस्थान सरकार की तरफ से भारत सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा जा चुका है कि स्टेज दो की स्वीकृति दी जाये ताकि यह सब योजनाएं उसमें ले सकें।

श्री अध्यक्ष : व्यास जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से कुछ कहने की जगह आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं तो पैरवी उनकी कर रहा हूं कमाण्ड एरिया और सिंचाई होगी तो उनके निर्वाचन क्षेत्र में होगी। मालपुरा में तो कोई सिंचाई के लिए पहुंचने वाली नहीं है नहर। जब तक कि अगर टोडी सागर में इधर की लाइन चली जाये। अब आपके मंत्रीमण्डल में रहते हुए आप यह करवाओगे कि लगातार यही जवाब देते हैं कि पेयजल के बाद देखा जायेगा। देखिये बड़ी उत्तेजना का सवाल है हमारे यहां पर वन्धा बना है तो मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि किसी तरह से प्रावधान करायें वरना हम तो डिस्ट्रिक्ट में जाकर उनको कह देंगे कि हमने बहुत कहा, भैया। सरकार में बैठे दिग्विजय सिंह जी ने चलने नहीं दी और कटा दिया आपके एरिया का।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री महावीर जी।

श्री महावीरप्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं सिंचाई मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मूल में जो बीसलपुर योजना बनी है वह सिंचाई की दृष्टि से बनी है। हमने एक आश्वासन दिया इसलिए वह बन सके ऐसी स्थिति पैदा हुई कि वह बांध बन सके। लोगों के 26 गांव 30 गांव डूब में आ रहे हैं। सारा पानी वहां जा रहा है। पीने की दृष्टि से थोड़ा पानी अजमेर में जायेगा इस प्रकार की योजना थी। अब आज जब वह बांध बन रहा है और बहुत ऊपर आ गया है तब हम आज यह क्या वहां के लोगो के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे कि जब 1990-91 में वहां पर नहर पर पानी छोड़ा जाना चाहिये था या नहरें प्रारम्भ हो जानी चाहिए थी। आज हम यह कह रहे हैं पहले हम पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बाद में हम सिंचाई की दृष्टि से सोचेंगे, क्या लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम खड़ी नहीं कर रहे हैं? क्या वहां के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं और यह सारा जवाब भ्रमित करने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री डूडी जी।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो बहुत सीधा सा एक प्रश्न है माननीय इन्दिरा गांधी नहर कैनाल मंत्री जी से। इन्दिरा गांधी कैनाल बनाई गई है 18 हजार क्यूसेक पानी के लिए और आज के दिन हम दस हजार क्यूसेक से फालतू पानी उसमें नहीं ले सकते। कारण हो सकता है कि उस नहर के अन्दर सिल्ट आ गई इस वास्ते पानी नहीं ले सके। लेकिन मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ 8 हजार क्यूसेक पानी है कहां ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, सवाल पूछिये, भाषण नहीं देंगे आप।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछ रहा हूं कि कभी हम आंख मींचकर इस राजस्थान कैनाल के ऊपर खर्चा करते आ रहे हैं और हमारे पास कभी पानी उपलब्ध नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। हो गया आपका। अब कमेण्ट्स से कोई मतलब नहीं है।

श्री लालचन्द डूडी : कमेण्ट्स नहीं हैं। यह राजस्थान के अन्दर जो आंख मींचकर पैसा खर्च किया जा रहा है यह सवाल है कि यह पानी आपके पास है कि नहीं है। दूसरा सवाल....

श्री अध्यक्ष : देखिये, सवाल का कोई अन्त नहीं है। माननीय सदस्य आप अपना ध्यान बता रहे हैं उनको बता दीजिये।

श्री लालचन्द डूडी : हम सवाल पूछने के लिए यहां पर हैं....

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछिये मुझे आपत्ति नहीं है। आप अपनी सलाह देना चाहे दीजिये उनको जो भी देनी है लेकिन कम से कम यहां तो सवाल पूछिये। आपकी अपनी समस्या आप जो समझ रहे हो बता रहे हो....

श्री लालचन्द डूडी : आपकी समझ काम नहीं देनी, अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ से ही....

श्री अध्यक्ष : यहां तो सवाल पूछिये।

श्री लालचन्द डूडी : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आप समझ ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। वह मंत्री जी जवाब देंगे मैं नहीं दूंगा विराजिये आप।

श्री हरिसिंह : आप नाराज हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नाराज नहीं, आप बिराजिये। आप पूछिये।

श्री लालचन्द डूडी : दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं इन्दिरा गांधी नहर कैनाल मंत्री जी से कि आपने सैकिण्ड स्टेज के अन्दर खाले बनाने शुरू कर दिये हैं। वहां डिस्ट्रीब्यूटरीज आपने नहीं बनाई हैं। कल को यह खाले रह गये ऊंचे और आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज रह गई नीची, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी ? आपका यह खालों के ऊपर लगाया गया पैसा बेकार जायेगा। इस बात को भी ध्यान से देखिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दहिया जी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचित क्षेत्र के बारे में एक सवाल रखना चाहता हूं। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिए अजमेर भेजा गया था। वह वहां से एक स्कीम लेकर आये। वह बेसमेंट स्कीम थी उसके तहत यह था जिस एरिये के अन्दर कुओं का पानी बहुत गहरा चला गया है, तो उस स्कीम के तहत इसको लागू करके पानी लेवल ऊपर किया जा सकता था। तो वह बेसमेंट स्कीम सरकार लागू करने जा रही है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री मदनलाल सैनी : एक सवाल.... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि गंगा जमुना का जो अतिरिक्त पानी है वह शेखावाटी, सीकर, झुन्झुनू की तरफ लाने का सवाल है या नहीं ?

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि यह सारे पीने के पानी के सवाल चाहे वह सिचाई का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, उस काम में लगा हुआ महत्वपूर्ण हिस्सा जो मजदूर है उस मजदूर को रेगुलर किया जा रहा है कि नहीं ? दो साल वाले वर्कचार्ज कर्मचारी को अर्द्धस्थाई किया जा रहा है या नहीं ? दस साल वाले मजदूर को स्थाई किया जा रहा है या नहीं ? उस मजदूर को नौकरी से निकालने की जो योजनाएं बन रही हैं उसको रोका जा रहा है या नहीं ? यह मेरे सवाल हैं। यदि इन सवालों पर विचार नहीं किया गया तो पानी पहुंच जायेगा लेकिन आदमी पीयेगा उस समय तक मजदूर की हालत क्या होगी ? (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पहले पूछ रहे हैं :

श्री अध्यक्ष : पूछिये आप भी पूछिये। आप मेरी व्यवस्था मानने को तैयार हैं नहीं। इसलिए पूछिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आप व्यवस्था दे ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था करने जा रहा हूं....

श्री हेमराज मीणा : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मरम्मत का पैसा बढ़ाने के लिए उन्होंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है। मुख्य मंत्री जी के पत्र का जवाब कब तक आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ना।

श्री हेमराज मीणा : नहरों की मरम्मत का सवाल खड़ा है। सारे टैंक टूटे-फूटे पड़े हैं तो यह पत्र का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी का सिचाई मंत्री जी के पास कब आयेगा। मरम्मत का पैसा कितना और बजट में और बढ़ाना चाहिये, कब बढ़ रहा है। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पांचना बांध के बारे में

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है। जिला सवाई माधोपुर में जो बंधा हुआ है इसका पानी लिफ्ट के जरिये भेजा जायेगा या नहीं भेजा जायेगा जिस क्षेत्र को लेकर के बांध बनाया है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिला सवाई माधोपुर में पांचना परियोजना जो बनाई गई है जिससे टोडाभीम और नदौती को पानी जाना है क्या उसमें युद्धस्तर के जरिये पानी भेजने की आपकी योजना है कि नहीं ? इस क्षेत्र की भूमि को बता कर ले लें। बांध बनाया गया है माननीय भूतपूर्व मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी भी हैं जिन्होंने बांध को बनाया था। क्या इसमें सरकार की ऐसी मंशा है कि लिफ्ट के जरिये पानी भेजा जायेगा ? माननीय मंत्री जी इस बात के लिए हमको विश्वास दिलायें।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। 1982 में अतिवृष्टि से सोजत तहसील का गजनाई बांध टूटा था और पिछले पांच साल से कांग्रेस सरकार लगातार आश्वासन देती रही है कि इस बांध को अतिशीघ्र बनाया जायेगा। मैंने गत सैशन में माननीय सिंचाई मंत्री से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये प्रस्ताव रखा था और माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि बजट के समय इस बात के ऊपर चिन्ता है इस बांध को बनाने के लिए कोई मद रखा जायेगा इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गजनाई बांध है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है और लघु सिंचाई योजना के तहत इसमें कितनी धनराशि रखी गई है इससे अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष : इसका महत्व और बताइये कि यह महत्वपूर्ण कैसे है ? खड़े होकर बताइये। यह सवाल अधूरा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही सीरियस सवाल उठा है वह यह कि अभी एक जनता दल के वरिष्ठ नेता ने बहुत गम्भीरता से इल्जाम लगाया था और वह इल्जाम यह था....

श्री सम्पत सिंह : वह तो मजाक में था।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह मजाक में था तो वह माफी मांग लें। अगर मजाक में है तो जिस तरह से रामकिशन जी ने एक इल्जाम लगाया बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ और जिस गम्भीरता से लगाया मैं यह पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि उसके मामले में सीरियसली जवाब दें कि क्या जो उन्होंने इल्जाम लगाये हैं उन्होने स्पेशल नाम लिया राजेन्द्र जैन का, जो चेयरमैन थे उस वक्त कि उनकी मर्जी से पचास लाख का घोटाला है। उनकी इच्छा से उन्होंने इसमें इस पैसे को दिलवाने में सहयोग दिया है और इस तरह का इल्जाम अगर फ्लोर पर लगाते, बोर्ड चेयरमैन जो तत्काल उस वक्त थे....

श्री नत्थी सिंह : पूरा जवाब दिया है, डिटेल में जवाब दिया है। आप उस वक्त नहीं थे यहां।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्री जी मैं आपको बता दूं। आप उनसे पूछ लीजिये उन्होंने इल्जाम यह लगाया कि....

श्री नत्थी सिंह : पूरा जवाब दिया है। जवाब के वक्त आप यहां नहीं थे।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि क्या इसमें आप....

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतराम जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इन्दिरा गांधी नहर मंत्री जी के जवाब सवाल पूरे हो चुके हैं। अब केवल माननीय दिग्विजय सिंह जी और उनके साथी बचे हैं। आप नहीं थे पूरे जवाब सवाल हो चुके हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : उनसे यह सवाल इसलिए नहीं पूछा कि उन्होंने कहा कि तीनों का इकट्ठा जबाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष : पूछना चाहिये था आपको हो गया आपका सवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे याद है इसका जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कौनसे मंत्री महोदय से ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : श्री दिग्विजय सिंह जी साहब से। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दस हजार के खालों की माफ करने की घोषणा तो की है क्या यह सही है कि एक किसान पर एक खाले की कीमत जो है वह 18 हजार कुल है अध्यक्ष महोदय। और ब्याज जो है अध्यक्ष महोदय, बड़ा पेचीदा मामला है जिस सत्र में खालें नहीं बने आज डिपार्टमेंट से ही क्या पैसे उठने के बाद ब्याज जोड़ करके अध्यक्ष महोदय, 36 हजार का बनता है तो क्या राज्य सरकार 10 हजार ही माफ करेगी बाकी पैसों का क्या होगा ? एक तरफ अध्यक्ष महोदय, खालों की कीमत और किश्त। मैं आपकी मार्फत पूछ रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा सवाल पूछिये।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : बाकी जो धनराशि है 10 हजार के अलावा उसमें आपका माफ करने का इरादा है या किसान पर लगेगा। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पूरी कीमत को माफ नहीं करोगे तो किसान आंदोलन करने के लिए आज ही तैयार है। आप पहले कहते कि हम 10 हजार ही करेंगे तो हम दूसरा रास्ता अपनायेंगे।

श्री अध्यक्ष : और किसी को पूछना है। आप भी पूछ लीजिये।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं सिंचाई मंत्री से जानकारी चाहता हूं कि मैंने गुड़गांवा नहर में सीमेंट वगैरह के करप्शन के कुछ मामलों में चर्चा की थी और मैंने बतलाया था कि उनके खिलाफ कुछ केस रजिस्टर हुए थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन केसों का क्या हुआ। इसी प्रकार से सुखानी कोई एक्स. ई. एन. थे उनके टाइम में जिस दिन उनका ट्रांसफर हुआ रात को नौ लाख के चेक काट दिये गये। उसकी जांच भी शुरू हुई लेकिन उस जांच को रोक दिया गया। उस जांच की क्या स्थिति है ? और इसी प्रकार सीता

(श्री रामकिशन)

बांध में 6 लाख 72 हजार रुपये का गलत पेमेंट हुआ है। यह किसी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए है। इन तीनों मामलों पर अलग-अलग स्तर से जांच चल रही थी। उन जांचों की क्या स्थिति है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि पिछले चार-पांच साल से जो अकाल पड़ रहे थे उनके कारण गांवों में बंधे नहीं भरे और उनके बन्धों की जो मिट्टी की पाल है उस पर दरार आने की आशंका है और इस साल चूंकि अच्छा मानसून है और वह बंधे भरेंगे तो क्या विभाग द्वारा पूर्व में ही इस ढंग का कोई निर्णय ले लिया गया है कि जिन बंधों के टूटने की आशंका है उनके लिए सरकार क्या प्रिकोशन्स ले रही है।

श्री अध्यक्ष : कोई और माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बीसलपुर जो कैनाल, क्या यह सही है कि कैनाल सर्किल वहां पर बनाया गया और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। यदि नहर बनाने का हमारा इरादा नहीं था तो कैनाल आपको डिविजन खोलने की क्या आवश्यकता थी ?

दूसरी बात यह है कि यह सही है कि अभी तक आपने यह तय नहीं किया कि वहां पर कितना पानी, जिस समय यह योजना शुरू हुई उस समय कितना पानी आने की सम्भावना थी और क्या आपकी रिपोर्ट थी और आज तक भी आपने सी. डब्ल्यू. सी. से किस प्रकार क्लियरेंस नहीं ली। आपके समक्ष अधिकारियों को बिठा कर वहां पर आज तक भी आप क्लियर नहीं कर पाये। क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य। आप भी पूछिये।

श्री रामप्रसाद (बैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सिंचाई मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सीता बांध को कब तक पूरा कर देंगे ? दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, जो बैर में... (व्यवधान) जो नहर है उसमें पानी नहीं आता उसको भराने का कोई विचार है ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। उनको बोलना है बोलने दीजिये। वो सुनने में इच्छुक नहीं है बोलने में हैं। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में कानोता के अन्दर 1980-81 में तीन करोड़ की लागत से ढूंढ नदी पर एक कानोता बांध का निर्माण करने की योजना स्वीकृत हुई थी लेकिन वह योजना 1980-81 से लेकर अब तक कार्य चालू भी है लेकिन अब तक कुल 70 लाख रुपये का काम हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वह कार्य कब तक पूरा हो सकता है। वह जो कार्य है, अगर वह बांध जो बन जायेगा तो इसमें तहसील जमुवारामगढ़, जयपुर और बस्सी, चाकसू दौसा तक के हजारों किसानों को फायदा होगा इस बांध से। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : और कोई सवाल तो बाकी नहीं है। अब माननीय मंत्री जी आप शुरू करिये। पण्डितजी ने जो सवाल पूछा है ?

श्री विजयसिंह झाला : मुझसे थोड़े ही पूछा है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : आप से पूछा है। चलिये आप बोलिये। श्री दिग्विजय सिंहजी, श्री हेतराम जी वाला सवाल।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे से जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दूं। इन्दलियाजी ने जो पूछा, उसका जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष : हां, दे दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि दस हजार तक के जो कल्टीवेटर्स इन्वाल्व हो रहे हैं यह है 40999 और दस हजार से ऊपर वाले काश्तकार आते हैं 25818। इसमें वह भी बाद में सम्मिलित हो जायेंगे कि दस हजार तक, यानि दस हजार से ऊपर तक तो ठीक है, इसमें पच्चीस हजार में वह भी शामिल हो जायेंगे जो दस हजार तक हैं। मतलब अठारह हजार लिया हुआ है तो दस हजार तक तो इसमें शामिल हो जायेंगे। इसलिए अधिकांश काश्तकारों को इसमें लाभ मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये। There will be no end to it. मैं समझता हूं इसका अन्त नहीं आयेगा। अब आप बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, कुल नौ प्रश्न पूछे गये हैं। एक प्रश्न है मजदूरों के बारे में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मजदूरों की कोई छंटनी नहीं की जा रही है। दूसरा प्रश्न है बीसलपुर के बारे में। बीसलपुर के बारे में दो तरह के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि क्या पूरा पानी आयेगा या नहीं आयेगा। इसमें जितना स्टोरेज का एस्टीमेट लगाया गया है उतना पूरा पानी आने का वही आंकड़ा है, जो भी आयेगा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां तक पिलाई के लिए कितना पानी दिया जायेगा, कितना पानी बचता है। मैं यह उत्तर पहले भी एक प्रश्न में दे चुका हूं कि प्रायोरिटी ड्रिंकिंग वाटर में दी जायेगी और ऐसी आशा की जाती है कि इसके बारे में कि इसके बाद में भी पानी बचेगा वह सिंचाई में दिया जायगा। लेकिन आज के दिन में मैं सही रूप से नहीं कह सकता कि कितना पानी दिया जायगा। लेकिन दिया जरूर जायगा। (व्यवधान) अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : There will be no end to this.

श्री विजयसिंह झाला : जहां तक अलग-अलग प्रश्न जो निर्माण के बारे में पूछे गये हैं, मैं अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं। जो बजट का प्रावधान है उसके अनुसार जितना प्रावधान होगा उसको करने की कोशिश की जायगी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 सिंचाई के सम्बन्ध में..(व्यवधान) फिर रह गया कोई ? यह मंत्रीजी कह रहे हैं रह गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, बिराज जाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46—सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,75,86,68,000/- (चार अरब पिचेहत्तर करोड़ छियासी लाख अड़सठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 1990 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.05 बजे शुक्रवार दिनांक 6 जुलाई, 1990 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची

जनजाति बहुल क्षेत्र में उदयपुर जिले की कोटड़ा, झाडोल, गोगुन्दा, सराड़ा, सलूम्बर, खेरवाड़ा और धरियावद पंचायत समितियों में स्थापित उद्योगों की सूची

1.	कोटड़ा, पंचायत समिति	अनाज पिसाई, आयल एक्सपेलर, चर्म जूते व चर्म रंगाई बांस बेंत, लकड़ी फर्नीचर, लोहे का फेब्रिकेशन कार्य, मिट्टी के बर्तन, रेशा बाण, विद्युत मोटर रिवाइंडिंग उद्योग ग्रामीण दस्तकार एवं उद्यमियों द्वारा स्थापित किये गये है।
2.	झाडोल, पंचायत समिति	अनाज पिसाई, चर्म जूते व चर्म रंगाई, बांस बेंत, आयल एक्सपेलर, रेशा बाण, लकड़ी फर्नीचर लोहे के फेब्रिकेशन कार्य, हाथ करघा वस्त्र, विद्युत मोटर रिवाइंडिंग, रेडीमेड वस्त्र, रेडियो रिपेयरिंग, मिट्टी के बर्तन, साइकिल रिपेयरिंग, रेशम रीलिंगप्लांटआदि।
3.	गोगुन्दा, पंचायत समिति	अनाज पिसाई, लाख की चूड़ी, चूना उद्योग, चर्म रंगाई, बांस बेंत, रेशा बाण, आयल एक्सपेलर, लकड़ी फर्नीचर, लोहे का फेब्रिकेशन कार्य, रेडीमेड वस्त्र, विद्युत मोटर रिवाइंडिंग, ईंट भट्टा, मिट्टी के बर्तन, रेडियो रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग, घड़ी रिपेयरिंग, स्टोन कटिंग उद्योग ।
4.	सराड़ा, पंचायत समिति	अनाज पिसाई, चर्म रंगाई व चर्म जूते मिट्टी के बर्तन, बांस बेंत, चूना भट्टा, रेशा बाण, आयल एक्सपेलर, लकड़ी फर्नीचर, लोहे का फेब्रिकेशन कार्य, रेडीमेड वस्त्र, विद्युत मोटर रिवाइंडिंग, हाथ की गट्टियां, ईंट भट्टे हाथ करघा वस्त्र, सोप स्टोन ग्राइंडिंग, रेडियो रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग उद्योग ।
5.	सलूम्बर, पंचायत समिति	अनाज पिसाई, चर्म रंगाई, चर्म जूते, रेशा बाण, बांस बेंत, आयल एक्सपलेर, हाथ करघा वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी फर्नीचर, लोहे का फेब्रिकेशन कार्य, रेडीमेड वस्त्र, विद्युत मोटर रिवाइंडिंग, प्रिंटिंग प्रेस, स्टोन कटिंग, ईंट भट्टा, चूना भट्टा, एक्स-रे क्लीनिक, रेडियो रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग उद्योग ।

6.	खेरवाड़ा, पंचायत समिति	चर्म रंगाई, चर्म जूते, अनाज पिसाई, मिट्टी के बर्तन बांस बेंत, रेशा बांण, आयल एक्सपेलर, लकड़ी फर्नीचर, लोहे का फेब्रिकेशन कार्य, हाथ करघा वस्त्र, विद्युत मोटर रिवाइंडिंग, इंजीनियरिंग वर्क्स, शाप, आटो रिपेयरिंग, स्टोन चिप्स, स्टोन गिट्टी, पत्थर चिराई, रेडियो रिपेयरिंग, चूना भट्टा, रेडीमेड वस्त्र, ईंट भट्टा, सोप स्टोन, ग्राइंडिंग व एक्स-रे क्लिनिक, साइकिल रिपेयरिंग, टायर ट्यूब वेल्कनाइजिंग उद्योग।
7.	धरियावद, पंचायत समिति	अनाज पिसाई, चूना भट्टा, चर्म रंगाई व चर्म जूता, बांस बेंत, आयल एक्सपेलर, लकड़ी फर्नीचर, रेशा बांण, लोहे का फेब्रिकेशन कार्य, रेडीमेड वस्त्र, सीमेंट जाली, मिट्टी के बर्तन, विद्युत मोटर रिवाइंडिंग, स्टोन कटिंग, रेडियो रिपेयरिंग उद्योग।

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

बीकानेर उरमूल डेयरी

166. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उरमूल डेयरी बीकानेर का मुनाफा फेडरेशन के पास आता है ? यदि हां, तो प्रारम्भ से अब तक कितनी धनराशि फेडरेशन ने बीकानेर से प्राप्त की ? वर्षवार प्राप्त धनराशि के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार का राज्य की सभी डेयरीज के लाभ-हानि को वहां की दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के बीच वितरित करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) बीकानेर शहर में उरमूल डेयरी द्वारा दुग्ध वितरण हेतु मिल्क बूथ कब तक बना दिये जायेंगे ?

(4) उरमूल डेयरी बीकानेर में कौन-कौन सी मशीनें कार्यशील हैं एवं कितनी बेकार पड़ी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । बीकानेर डेयरी संयन्त्र के लाभ-हानि राजस्थान डेयरी फेडरेशन की बैलेन्सशीट में सम्मिलित किये जाते हैं । फेडरेशन की एक ही बैलेन्सशीट बनाई जाती है, जिसमें सभी डेयरी संयंत्रों/ईकाईयों के लाभ-हानि के खाते सम्मिलित किये जाते हैं। बीकानेर डेयरी संयंत्र का वर्षवार लाभ-हानि का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं । एवं बीकानेर संयंत्र से प्राप्त धनराशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं ।

(2) जी हां । राजस्थान डेयरी फेडरेशन ने राज्य सरकार के निर्देशानुशार दिनांक 1 जनवरी, 1990 से तीन डेयरी संयंत्रों (हनुमानगढ़, कोटा एवं भीलवाड़ा) को सम्बन्धित जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों को हस्तानांतरित कर दिया है एवं दिनांक एक जुलाई, 1990 से तीन अन्य संयंत्रों (जोधपुर, उदयपुर एवं रानीवाड़ा) को सम्बन्धित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को हस्तानांतरित किया गया है। उपरोक्त संयंत्रों के लाभ-हानि को सम्बन्धित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को बैलेन्सशीट में सम्मिलित किया जावेगा एवं लाभ की स्थिति में इस राशि को संघ से सम्बन्धित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में वितरित किया जावेगा । शेष चार डेयरी संयंत्रों (जयपुर, अजमेर, अलवर एवं बीकानेर) को भी निकट भविष्य में हस्तांतरित किये जाने की योजना है ।

(3) बीकानेर शहर में दुग्ध वितरण हेतु आगामी दो से तीन माह में बूथ लगाये जाने की सम्भावना है ।

(4) उरमूल डेयरी बीकानेर में समस्त मशीनें कार्यशील हैं ।

परिशिष्ट "क"

बीकानेर डेयरी संयंत्र का वर्षवार लाभ-हानि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	लाभ-हानि की स्थिति (रुपये में)	
1.	1979–80	(—)	18,14,302.70
2.	1980–81	(—)	22,29,706.97
3.	1981–82	(+)	13,55,154.82
4.	1982–83	(—)	45,45,023.21
5.	1983–84	(+)	1,07,56,525.38
6.	1984–85	(+)	2,38,87,284.13
7.	1985–86	(+)	1,03,48,255.13
8.	1986–87	(+)	19,73,981.41
9.	1987–89 (21 माह)	(+)	25,02,378.48 (अनुमानित)

परिशिष्ट "ख"

बीकानेर संयंत्र से प्राप्त वर्षवार धनराशि का विवरण

वर्ष	प्राप्त धनराशि	भुगतान की गई राशि
1979–80	33,55,617	34,92,976
1980–81	3,86,145	2,49,150
1981–82	12,48,147	—
1982–83	—	12,48,000
1983–84	46,14,865	36,00,000
1984–85	—	36,24,847
1985–86	95,00,000	20,00,000
1986–88	1,80,89,140	3,34,040
1987–88	1,68,25,309	1.49,84,725
1989–90 दिसम्बर तक	1,27,04,829	3,06,388
दिसम्बर–मार्च	6,64,56,867	6,22,94,766

पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी के वेतनमान

167. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी के वेतनमान में विसंगति को लेकर विभाग में कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या पी. टी. आई., अध्यापक तृतीय श्रेणी की योग्यता और सेवाशर्तें पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी के अनुरूप हैं ? यदि हां, तो इनके वेतन में विसंगति के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1)जी हां । यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) जी नहीं । योग्यता में भिन्नता है।

सवाईमाधोपुर में सैनिक कल्याण बोर्ड संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

168. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर जिले में सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) केन्द्र प्रारम्भ होने से मई 1990 तक उक्त केन्द्रों पर काम आने वाली सामग्री किस फर्म से किस दर पर खरीदी गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सामग्री बाजार भाव से डेढ़ गुना अधिक दर पर खरीदी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सामग्री की खरीद बिना निविदा आमन्त्रित किये एक फर्म विशेष से की जाकर एक लाख रुपये का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । 300 केन्द्र हिण्डौन तहसील में तथा 300 केन्द्र टोडा भीम तहसील में चलाये जा रहे हैं । सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' पर है ।

(2) केन्द्र प्रारम्भ होने से मई 1990 तक जिन फर्मों से सामग्री क्रय की गई उनकी दर सहित सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लिग्नाइट के भण्डार

169. श्रीमती सूर्यकान्ता (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्रीमती सूर्यकान्ता)

(1) राज्य में खनिज लिग्नाइट के भण्डार किस-किस क्षेत्र में पाये गये हैं और उन क्षेत्रों में इन भण्डारों की श्रेणी व मात्रा क्या है ?

(2) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन श्रेणी के लिग्नाइट के उत्खनन की क्या व्यवस्था की गई है और अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

(3) विद्युत उत्पादन श्रेणी के अतिरिक्त निम्न श्रेणी के लिग्नाइट के उत्खनन के बारे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है और क्या राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को इसके उत्खनन हेतु क्षेत्र आवंटित करने का प्रस्ताव है ? यदि हां तो किस क्षेत्र में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में खनिज लिग्नाइट के भण्डार बीकानेर जिले के बरसिंहसर, पलाना एवं गुढ़ा क्षेत्रों में, बाड़मेर जिले के जालिया एवं कपूरड़ो क्षेत्रों में तथा नागौर जिले के भोकाला, कसनाऊ आदि क्षेत्रों में पाये गये हैं, जिनकी मात्रा व श्रेणी का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट नं.–1)

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट नं.–2)

(3) निम्न श्रेणी के लिग्नाइट के उत्खनन एवं बेचान की व्यवस्था मै. राजस्थान खान एवं खनिज लि. के माध्यम से किया जाना विचाराधीन है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का गुढ़ा क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र विचाराधीन है।

परिशिष्ट नं.—1

राज्य में क्षेत्रानुसार खनिज लिग्नाइट के खनन योग्य भण्डार, उनकी मात्रा तथा श्रेणी निम्न प्रकार से है :

	मिलियन टनों में	जी. सी. वी. किलो केलोरी/किलो
जिला—बीकानेर		
1. बरसिंहसर	62.00	2001—3650
2. पलाना	13.65	3500—3900
3. गुढ़ा	55.39	1000—3550
जिला—बाड़मेर		
1. जालीया	127.00	2001—3500
2. कपूरड़ी	56.84	2001—3500
जिला—नागौर		
1. मोकाला	27.00	2760
2. कुचेरा इण्डावर	12.00	2824
3. मेड़ता रोड (लाम्बा जाटन, हंसियास)	43.00	1465—3770
4. कसनार्ऊ–इजियार	23.18	2780

परिशिष्ट नं.—2

सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन श्रेणी के लिग्नाइट के उत्खनन के लिए भारत सरकार के प्रतिष्ठान नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन को कार्य सुपुर्द किया गया है, जिसके लिए भारत सरकार नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन एवं राजस्थान सरकार के मध्य मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिग हस्ताक्षर किया गया है। बरसिंहसर क्षेत्र में 240 मेगावाट का पावर प्लाण्ट के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा बनवाई गई है एवं नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन ने इस हेतु विभिन्न सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है। नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा भूमि अवाप्ति एवं पानी लाने की परियोजना तथा भूमिगत पानी के श्रेणी की जांच राज्य के भू-जल-विभाग से करवाई जा रही है।

जयपुर शहर के आबादी क्षेत्र में स्टोन क्रेशर्स

170. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) एवं **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि जयपुर शहर की कई आबादी वाली बस्तियों में स्टोन क्रेशर्स लगी हुई हैं ?

(2) यदि हां, तो किस-किस स्थान पर स्टोन क्रेशर्स लगे हुए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन स्टोन क्रेशर्स के चलने से जो धूल उड़ती है उसके कारण इन आबादी क्षेत्रों के अधिकांश नागरिक दमे एवं अन्य श्वांस रोगों से पीड़ित हैं ?

(4) यदि हां तो क्या सरकार इन स्टोन क्रेशर्स को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभाग द्वारा जयपुर में स्थित 16 स्टोन क्रेशर्स पंजीकृत किये गये हैं। जिनकी सूची संलग्न है। इसमें से 3 पंजीकृत इकाइयों को अपंजीकृत कर दिया गया।

(3) इस प्रकार की कोई जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

क्र. सं.	इकाई का नाम	रजिस्ट्रेशन वर्ष	रजिस्ट्रेशन नम्बर
1	2	3	4
1.	मै. लक्ष्मी स्ट्रोन क्रेशिंग कं. आगरा रोड़, जयपुर ।	1964	जे/326/70/418 परमानेंट
2.	मै. शुभलक्ष्मी उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर ।	1968	एजे/6569/10/71
3.	मै. जयपुर स्टोन क्रेशिंग पुराना घाट, जयपुर । अपंजीयन	1969	जेपी/326/1/1971 92/परमानेंट
4.	मै. एसोसियेटेड मार्बल इण्ड. अजमेर रोड़, जयपुर ।	1969	11/11/69/152
5.	मै. गोयल क्रेशर्स, आमागढ़ आगरा रोड़, जयपुर ।	1970	जे/326/78/246/
6.	मै. विनोद इण्डस्ट्रीज आमेर रोड़, जयपुर ।	1979	जे/328/73/97/ परमानेंट
7.	मैं. मिनरल एन्ड मेटल एण्ड इण्ड. ई. आई. एच. रेस्ट हाउस, आगरा रोड़, जयपुर ।	1982	7/13/06095
8.	मै. जय बजरंग रोड़ी ग्रिट उद्योग चौमू रोड़, हरमाड़ा, जयपुर ।	1973	
9.	मै. शान्ति स्टोन क्रेशिंग कं. आगरा रोड़, जयपुर ।		
10.	मै. हिन्दुस्तान क्रेशर्स पुराना घाट, आगरा रोड़, जयपुर । (अपंजीयन)	1976	17/13/05681

1	2	3	4
11.	मै. खण्डेलवाल मिनरल, पुराना घाट, आगरा रोड़, जयपुर।	1976	17/13/03908/ पीएमटी/
12.	मै. मोहम्मद खां एण्ड सन्स पुराना घाट, आगरा रोड़, जयपुर।	1976	17/13/01017/
13.	मै. राजस्थान स्टोन क्रेशर्स झालाना डूंगरी, जयपुर।		
14.	मै. अनिल स्टोन कटिंग आगरा रोड़, जयपुर। (अपंजीयन)		17/13/05812
15.	मै. नन्द किशोर सीताराम, गैटोर रोड़, ब्रह्मपुरी जयपुर।	1980	17/13/04972/
16.	मै. राजस्थान स्टोन क्रेशिंग झालाना डूंगरी, जयपुर।	1982	17/13/05812

वीर तेजा किसान छात्रावास–कुचामन सिटी

171. **श्री हरिश्चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विभाग द्वारा वीर तेजा किसान छात्रावास कुचामन सिटी के नाम से किसी संस्था का पंजीयन किया गया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति मय संस्था के संविधान की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्था ने किन-किन व्यक्तियों से व राज्य सरकार के माध्यम से कितना-कितना धन प्राप्त किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त राशि का इन्द्राज संस्था की कैश बुक में किया गया है ?

(4) क्या उक्त संस्था की आडिट हुई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो पंजीकृत संस्था के आय-व्यय का आडिट क्यों नहीं कराया गया ?

(5) क्या उक्त संस्था के छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा संस्था के उद्देश्यों के अनुसार उसका उपयोग किया जा रहा है ?

(6) क्या उक्त संस्था के विरुद्ध धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अंकेक्षण के दौरान पाई गई

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत)

अनियमितताओं के आधार पर सरकार संस्था की कार्यकारिणी को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । वीर तेजा किसान छात्रावास कुचामन सिटी का पंजीयन क्रमांक 270/81-82 दिनांक 22 अक्टूबर, 81 को किया गया है । पंजीयन प्रमाण पत्र एवं संस्था के संविधान की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2 व 3) उक्त संस्था ने सहकारी विभाग के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं नहीं किया है । संस्था ने यदि अन्य व्यक्तियों से धन प्राप्त किया है और उसका रोकड़ बही में इन्द्राज किया है या नहीं तो इसकी सूचना राज्य सरकार को नहीं है ।

(4) जी नहीं । आडिट कराने का दायित्व संस्था का है ।

(5) संस्था से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

(6) राज्य सरकार इस प्रकार की सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेगी एवं तदनुसार कार्यवाही करायेगी ।

(पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं संस्था के संविधान की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।

सुखालपुरा (सांगानेर) ग्राम में हरिजनों की भूमि का हस्तान्तरण

172. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवा रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सुखालपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में हाल खसरा नं. 471, 442, 73, 528, 529, 530, 531, 532, की भूमि है ? यदि हां, तो क्या उसके गत नं. 349, 331, 353 है ?

उक्त गत नम्बरों की पिछले पांच साल पूर्व की जमाबन्दी तथा वर्तमान जमाबन्दी के रिकार्ड की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या नियमानुसार हरिजनों की जमीन का हस्तान्तरण नहीं हो सकता ? यदि हां, तो उक्त जमाबन्दी में फर्क क्यों है ?

(3) सरकार का इस सम्बन्ध में कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में सांगानेर तहसील भू-प्रबन्ध प्रक्रिया के अन्तर्गत है । भू-प्रबन्ध रेकार्ड के अनुसार तहसील सांगानेर के ग्राम सुखालपुरा जिला जयपुर की भूमियों में हाल खसरा नं. 471, 442, 528, 529, 530, 532 सम्मिलित नहीं है । वर्तमान भू-प्रबन्ध के रेकार्ड के अनुसार उक्त ग्राम में मात्र 128 खसरा नम्बर ही बने हैं । हाल मिसल बन्दोबस्त (जमाबन्दी सैटिलमैंट) के इन्द्राजात के अनुसार उक्त ग्राम के खसरा नं. 73 का खाता सं. 27 राजस्थान सरकार के

(राजस्व मंत्री)

नाम सिवायचक बिला लगानी दर्ज है तथा यह गैर मुमकिन नाला है जिसका क्षेत्रफल 0.18 हैक्टियर है।

उपरोक्त उल्लिखित खसरा नम्बरों के गत नम्बर 349, 331, 353 नहीं है।

(2) नियमानुसार ही हरिजनों की भूमियों का वैध हस्तान्तरण किया जा सकता है।

(3) भाग (1) व (2) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

दुग्ध सहकारी समितियां

173. **श्री चुन्नीलाल** (नोखा) एवं **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर जिले में कुल कितनी दुग्ध सहकारी समितियां क्रियाशील है ? उनमें से कितनी समितियां घाटे में चल रही है व कितनी समितियां अच्छी हालत में है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निकट भविष्य में उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का चुनाव कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) गौपालकों व पशुपालकों को दुग्ध की कितनी कीमत प्रति किलोग्राम दी जा रही है ?

(4) क्या सरकार दुग्ध की कीमत में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या विगत कुछ माह से दुग्ध उत्पादकों को दूध की कीमत के भुगतान में भारी विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस सम्बन्ध में कब तक भुगतान की व्यवस्था करने जा रही है?

उत्तर

(1) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बीकानेर में 390 समितियां कार्यशील हैं। इनमें से आडिट वर्ष 87-89 के आधार पर 140 समितियां घाटे में चल रही है तथा 135 समितियां लाभ में है। 8 समितियां न लाभ न हानि में है एवं 107 समितियों की आडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहसीलवार समितियों की सूची परिशिष्ट पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। क्रियाशील समितियों के चुनाव दिसम्बर 1989 व जनवरी, 1989 में सम्पन्न हुये हैं। समितियों के संशोधित उपनियम संख्या 5.1 (अ) के अनुसार निर्वाचित प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष है। अतः दिसम्बर, 1991 व जनवरी, 1992 से पूर्व चुनाव नहीं हो सकते।

(3) दुग्ध उत्पादकों को गाय के दूध हेतु (4% वसा एवं 8.4% एस. एन. एफ, के आधार पर) रुपये 3.40 प्रति लीटर दिया जा रहा है। एवं मिक्स्ड दूध हेतु (6.5 प्रतिशत वसा एवं 8.8 प्रतिशत एस. एन. एफ. के आधार पर) रुपये 4.20 प्रति लीटर की दर से भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को प्रोत्साहन राशि उनके लक्ष्य के 80 से 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होने पर 30 पैसे प्रतिलीटर की दर से

(दुग्ध विकास मंत्री)

उपरोक्त कीमत के अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक दुग्ध संकलन करने पर अतिरिक्त संकलित दुग्ध मात्रा पर 30 पैसे प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उपरोक्त प्रोत्साहन राशि मिक्स्ड दूध पर लीन सीजन होने के कारण दी जा रही है। जो 31 अगस्त, 90 तक प्रभावित रहेगी।

(4) जी हां। गाय के दूध की प्रोत्साहन राशि गाय के दूध के उत्पादन की दृष्टि से लीन सीजन में दिये जाने का विचार है जो माह नवम्बर से आरम्भ होता है।

(5) जी हां। विलम्ब का मुख्य कारण गत वर्षों की तुलना में दूध संकलन में वृद्धि, दिल्ली दुग्ध योगना एवं मदर डेयरी द्वारा अनुबन्धित सीमा से अधिक मात्रा में दध स्वीकार नहीं करना एवं अधिक संकलित दूध को दुग्ध जन्य पदार्थों के उत्पादन एवं उनके विपणन के अन्तराल के कारण भुगतान में विलम्ब होना स्वाभाविक है।

(सूची विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

(तारांकित प्रश्न सं. 174)

(स्थगित)

घग्घर नदी की बाढ़ से बचाव हेतु बांध का निर्माण

175. श्री निर्मय लाल (रूपवास) एवं श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार ने घग्घर नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की तबाही से गंगानगर आदि जिलों को बचाने के लिए उक्त नदी की बाढ़ को अनूपगढ़ तहसील के भेड़ वाले ताल में एक बहुत बड़ा बांध बनाकर पानी को रोककर इसका उपयोग करने के लिए क्या कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा व स्वीकृत धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाढ़ से हर वर्ष जो पानी बहता है वह अनूपगढ़ से होता हुआ भेड़ ताल को भरता हुआ पाकिस्तान की सीमा में चला जाता है जहां बहुत बड़ा बांध बनाया गया है और उक्त देश इस पानी का पूरा उपयोग कर रहा है? क्या इस पानी को भारत की सीमा में रोकने व बांध बनाने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक और कहां बांध बनाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बाढ़ का पानी घग्घर बैंड से होता हुआ भारत की सीमा में भेड़ ताल के क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह सही है कि पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में इस बाढ़ के पानी को नियन्त्रित करने के लिए एक बांध बना रखा है। इस पानी को भारत की सीमा में रोकने के लिए बांध बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि तकनीकी दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं है।

जैसलमेर जिले का खनिज सर्वे

176. श्री जितेन्द्रसिंह (जैसलमेर) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री जितेन्द्रसिंह)

(1) जैसलमेर जिले में खानों के समय-समय पर किये गये सर्वे में अब तक क्या-क्या खनिज पदार्थ पाये गये हैं !

(2) वर्ष 1990-91 में उक्त जिले में खनिज कार्यों हेतु कितना खर्चा किस-किस मद में किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या सरकार सोनू लाइम स्टोन छोटी-छोटी लीजों पर देकर बेरोजगारों को काम देने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में किये गये सर्वे में अब तक स्टील ग्रेड एवं हाईग्रेड लाईमस्टोन, निम्न श्रेणी का फास्फोराइट, जिप्सम, मार्बल, सोलोसियस अर्थ, फुलर्स अर्थ, ग्रेनाइट व गैस आदि खनिज पदार्थ पाये गये हैं।

(2) स्टील ग्रेड लाईमस्टोन के खनन हेतु रुपये 6,11,66,000/- आयोजना भिन्न मद में प्रस्तावित है। लगभग रुपये 24 लाख आयोजना मद में प्रस्तावित है। यद्यपि जिलेवार आवंटन बजट पारित होने के पश्चात ही किया जावेगा।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में अनियमितता

177. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार द्वारा खरीद फरोख्त एवं सप्लाई आदि में की गई अनियमितता एवं घोटालों के सम्बन्ध में कभी किसी प्रकार की जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच में किन लोगों के नाम सामने आये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस प्रकरण में जांच अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो जांच पूर्ण होने से पूर्व स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट 'अ'

(2) लम्बित जांच प्रकरणों के कारण अधिकारियों का स्थानान्तरण। नहीं रोका जाता। सामान्य रूप से यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो जांच अन्य अधिकारी को सौंप दी जाती है।

परिशिष्ट—'अ'

वर्ष 1980-81 से अब तक जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार द्वारा खरीद फरोख्त एवं सप्लाई में की गई अनियमितता एवं घोटालों के सम्बन्ध में जांच हुई है। एक जांच विशेष लेखा परीक्षक, जोधपुर ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत की थी जिसमें श्री रतनसिंह भाटी, सेल्समेन के विरुद्ध आरोप सही नहीं पाये गये पर वार्ड नं. 21 के व्यवस्थापक श्री हंसराज को गेहूं की बिक्री में 3,361.20 रु. की कमी के लिए दोषी माना गया।

दूसरी जांच श्री मदनलाल राठी, तत्कालीन जनरल मैनेजर जोधपुर, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, जोधपुर के विरुद्ध उपभोक्ता संघ की राशि के दुरुपयोग व गम्भीर वित्तीय अनियमितता के बारे में उप पंजीयक (विधि) ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत की थी।

27-3-88 को राजस्थान विधान सभा में तत्कालीन माननीय सदस्य श्री नारायण राम बेडा द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसरण में तीसरी बार जांच के आदेश पंजीयक सहकारी समितियों ने 12-9-88 को जारी किये। यह जांच अभी चल रही है।

इस जांच में श्री गिरधारी सिंह, संयुक्त पंजीयक, अजमेर को आदेश दिनांक 12-9-88 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री गिरधारी सिंह के प्रबन्धक निदेशक केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड के पद पर स्थानान्तरण हो जाने के कारण पंजीयक के आदेश 4-8-89 के द्वारा श्री एस. एस. जैन, मुख्य अंकेक्षक, सहकारी विभाग को यह जांच सौंपी गयी। जब श्री एस. एस. जैन का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया तो उसके बाद श्री एम. पी. गुप्ता, मुख्य अंकेक्षक, सहकारी विभाग को दिनांक 15-1-90 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

(276)

सपोटरा व करौली क्षेत्र की वनभूमि पर अवैध खनन

178. श्री प्रभूलाल (सपोटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सपोटरा क्षेत्र की वन भूमि से काफी पेड़ काटे जा चुके हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सपोटरा व करौली क्षेत्र को वन भूमि पर कितने अवैध खनन कार्य चल रहे हैं ? क्या सरकार इनको बन्द करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सपोटरा क्षेत्र की वन भूमि से जलाऊ लकड़ी हेतु चोरी छिपे क्षेत्र के लोग पेड़ों को काट लेते हैं । पेड़ों की इस प्रकार की अवैध कटाई को रोकने के लिए वन विभाग ने कुछ सक्रिय कदम उठाये हैं । क्षेत्र में तैनात वन कर्मचारियों द्वारा गत वर्ष अवैध कटान के 160 प्रकरण दर्ज कर रु. 33929/– बतौर मुआवजा वसूल है । इस क्षेत्र के ग्रामीणों को ईंधन उपलब्ध कराने हेतु गत वर्ष तीन वर्षों में 2450 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । ताकि वन क्षेत्र पर दबाव कम हो सके ।

(2) करौली वन मण्डल के अधीनस्थ वन क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के विपरीत खनिज विभाग द्वारा 134 खनन लीजें दी गई है । अवैध खनन को बन्द करने के इरादे से 62 प्रकरण दर्ज किये गये हैं ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 179)

(स्थगित)

अमरसिंह नहर

180. श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अमरसिंह नहर में कितने पानी की क्षमता है और डिजाइन्ड सिंचाई क्षमता क्या है ?

(2) इस नहर से कितना पानी पीने के प्रयोग में आता है ?

(3) पीने का पानी लेने के बाद नहर की सिंचाई क्षमता कितनी रह गई है ?

(4) इस सिस्टम में कुल कितनी वितरिकायें हैं ? पिछले रबी के मौसम में कौन-कौनसी वितरिका में कितने दिन कितना-कितना पानी चला ?

(5) क्या गेहूं की फसल को पकाने के लिए अपेक्षित सिंचाई जल की पूर्ति की जा रही है ? यदि हां तो क्यों और भविष्य के लिए क्या अपेक्षित जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायगी ?

उत्तर

(1) अमरसिंह उपशाखा की हैड पर स्वीकृत डिजाइन क्षमता 355 क्यूसेक की है और मौके की क्षमता भी 355 क्यूसेक पूरी है ।

(सिंचाई मंत्री)

(2) इस वितरण प्रणाली में कुल 30.57 क्यूसेक पानी पीने के लिये स्वीकृत है।

(3) इस वितरण प्रणाली में पीने का पानी होने के बाद 324.43 क्यूसेक पानी सिंचाई हेतु प्रयोग में आता है।

(4) इस सब ब्रान्च में कुल 9 वितरिकायें निकलती है। इसमें गत रबी के मौसम में पूर्ण क्षमता से पानी चलता है। विवरण तालिका में दिया गया है।

(5) जी हां। क्योंकि प्रत्येक नहर करीब 6 सप्ताह चली है। जो कि गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त पानी होता है। भविष्य में राजस्थान को भाखड़ा बांध में उपलब्धता के अनुसार अपने हिस्से का पानी मिलता रहेगा।

तालिका

रबी फसल वर्ष 1989-90 में अमर सिंह सब ब्रान्च (भाखड़ा प्रणाली वाली) की वितरिकाओं में पानी चलने के दिनों की संख्या :—

	नाम वितरिका	पानी की मात्रा (क्यूसेक्स में)	दिनों की संख्या
1.	झांसल	22	46½
2.	छानी	6	41½
3.	जोगीवाला	22	49
4.	महराना	32	41½
5.	सरदारपुरा	22	41½
6.	भादरा	29	45½
7.	मुन्सरी	30	43½
8.	निठराना	115	39½
9.	दिपलाना	105	41½

नीम का थाना के मोदी परिवार के नाम खनिज लीज

181. **श्री फूलचन्द**(नीम का थाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीम का थाना उपखण्ड में मोदी परिवार एवं उनके भागीदारी फर्मों के नाम पर प्रधान एवं अप्रधान खनिज कितनी नाप की लीजें स्वीकृत हैं ?

(2) क्या अप्रधान खनिज रियायती नहीं हैं ?

(3)क्या सरकार इन लीजों को अधिकतम क्षेत्र पर 10 वर्ग किलोमीटर की चालू रखकर शेष क्षेत्र को 300 × 300 मीटर प्लॉट बनाकर आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रधान खनिज को 34 अप्रधानव खनिज को 19 लीज मोदी परिवार व उनके भागीदार फर्म/कम्पनियों को स्वीकृत हैं, क्षेत्र का नाप व अन्य विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में सदन की मेज पर रखा गया है ।

(2) सभी लीजें नियम सम्मत स्वीकृत हैं ।

(3) सभी लीज 10 वर्ग कि. मी की सीमा के अन्तर्गत है, इसलिये शेष क्षेत्र छुड़वाने तथा उसमें 300 × 300 मीटर के प्लाट बनाकर आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में वन भूमि का विस्तार

182. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल भूमि पर कितने प्रतिशत वन स्थित हैं ? वन नीति के अनुसार कुल जमीन पर कितने प्रतिशत वन होने चाहिये ।

(2) राज्य में वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वन विभाग ने क्या-क्या उपाय सुझाये है और उन उपायों के अन्तर्गत कहां तक सफलता मिली है ।

(3) क्या सरकार प्रदेश में वनों के विकास एवं वनों के क्षेत्रफल का प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य में स्थित रेल पटरी, कच्ची व पक्की सड़कों के किनारे, प्रदेश में स्थित समस्त स्कूलों में व स्कूलों के मैदानों में, समस्त राजकीय कार्यालयों के परिसर में तथा ऐसे समस्त सार्वजनिक स्थानों, पहाड़ों भाकर व बंजर भूमि आदि ऐसे स्थान जहां एक भी पेड़ नहीं है वहां पेड़ लगाकर इस प्रतिशत को बढ़ाना उचित समझती है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या योजना बनाई गई है ?

उत्तर

(1) राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.25 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र घोषित है। वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए ।

(2) राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है एवं वृक्षारोपण के उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

(3) जी हां, वन क्षेत्रों को बढ़ाने की दृष्टि से वृक्षारोपण कार्यक्रम बजट प्रावधानों के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन क्षेत्रों के अलावा अन्य उपलब्ध स्थानों पर भी कराया जा रहा है ।

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची

सूची

निर्माणाधीन कार्य सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा

मद	क्रम संख्या	नाम योजना	तहसील
1	2	3	4
1. डी. पी. ए. पी. (4)	1.	सुरवन	कुशलगढ़
	2.	चुण्डई	घाटोल
	3.	रूजिया दानपुर	बांसवाड़ा
	4.	बिर्यापाड़ा (माडर्नाइजेशन)	कुशलगढ़
2. टी. ए. डी. (8)	1.	कलिंजरा	कुशलगढ़
	2.	सोनारीया	,,
	3.	वगेरी	बांसवाड़ा
	4.	नवागांव	कुशलगढ़
	5.	भवरीटाण्डी	,,
	6.	आमलीखेड़ा	घाटोल
	7.	झेर	बागीदोरा
	8.	भंवरकडा पिकअप वियर	बांसवाड़ा
3. जे. आर. वाई. (5)	1.	बिजोरी	कुशलगढ़
	2.	सज्जनगढ़	,,
	3.	भवरिया	गढ़ी
	4.	मस्का	कुशलगढ़
	2.	इमलीझरन पिकअप वियर	,,

1	2	3	4
4. जे. आर. वाई. राहत (8)		1. काजलिया कैनाल	कुशलगढ़
		2. करमदिया कैनाल	कुशलगढ़
		3. मोर्डनाइजेशन आफ घोडा दूरा कैनाल	,,
		4. धारना पिकअप वियर	घाटोल
		5. रेलपाड़ा	बागीदोरा
		6. भवानपुरा	बागीदौरा
		7. डाबरीमाल	बांसवाड़ा
		8. बोरीबानघाटी	घाटोल
	कुल	25	

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची

राशन डीलरों की समिति में जमा राशि की सूची

क्रमांक	राशन डीलर का नाम	जमा राशि
1.	श्री अर्जुन सिंह–मदन सिंह लाभारा	11449,61
2.	श्री बद्रीलाल–गोकल कुमावत सलारी	63.61
3.	श्री भंवरलाल राटा, केकड़ी	15518.75
4.	श्री शम्भुनाथ–भूरानाथ कांदड़ा	17.29
5.	श्री गोतम चन्द जैन सरवाड़	12982.50
6.	श्री घीसालाल दरोगा कणंईकला	5628.84
7.	श्री छगनलाल कलाल खीरिया	19425.00
8.	श्री हंगामीलाल जैन बड़गांव	14168.75
9.	श्री लालचन्द–थावरदास बूबकिया	19247.84
10.	श्री नारायण दास–थारूमल भीनाय	5711.75
11.	श्री प्रकाशपुरी लाल राममालिया	22012.59
12.	श्री रामस्वरूप–गंगाराम नायक केकड़ी	9518.75
13.	श्री पदमसिंह बबेल दुवलियाकला	19579.51
14.	श्री दलपतसिंह नानसी	6768.72
15.	श्री नन्दपुरी–छगनपुरी सातोलात्र	6803.11
16.	श्री अमरसिंह कराटी	2410.00
	योग :—	171306.62

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 229 की सूची

भिनाय विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों की सूची

1. राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, भिनाय
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राममालिया
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुढखट्टी
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, टांटोटी
5. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिंगाबल
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, देवलियांकलां
7. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बांदनवाड़ा
8. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पांपानेरी
9. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़ली
10. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नादसी
11. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रातांकोट
12. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, भिनाय
13. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, फतेहगढ़
14. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवलियांकलां
15. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, टांटोटी
16. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बांदनवाड़ा
17. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भिनाय
18. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बड़ली
19. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नांदसी

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 की सूची

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद		
		I	II	III
1	2		3	
1.	रा. बा. मा. वि., सिवाना	–	–	1
2.	रा. उ. प्रा. वि., खण्डप	–	–	2
3.	रा. सी. उ. मा. वि., समदड़ी	3	1	–
4.	रा. सी. उ. मा. वि., सिवाना	5	2	–
5.	रा. मा. वि., अजीत	–	–	1
6.	रा. मा. वि., इन्द्राणा	–	2	–
7.	रा. मा. वि., मोकलसर	–	3	2
8.	रा. मा. वि., पादरू	–	1	–
9.	रा. मा. वि., राखी	–	1	–
10.	रा. मा. वि., मजल	–	2	–
11.	रा. उ. प्रा. वि., धारणा	–	–	1
12.	रा. उ. प्रा. वि., कम्मो का बाड़ा	–	–	1
13.	रा. उ. प्रा. वि., रमाणिया	–	–	1
14.	रा. उ. प्रा. वि., खेडियानाली	–	–	1
15.	रा. उ. प्रा. वि., बामसीन	–	–	2
16.	रा. उ. प्रा. वि., धोरा	–	–	4
17.	रा. उ. प्रा. वि,, भंलरो का बाड़ा	–	–	2
18.	रा. उ. प्रा. वि., मीठड़ा	–	–	5
19.	रा. उ. प्रा. वि., सरवड़ी	–	–	1
20.	रा. उ. प्रा. वि., सेवाली	–	–	1

1	2	3		
21.	रा. उ. प्रा. वि., अर्थएड़ी	–	–	1
22.	रा. उ. प्रा. वि., कोटड़ी	–	–	1
23.	रा. उ. प्रा. वि., सिलोरा	–	–	1
24.	रा. उ. प्रा. वि., ढीढस	–	–	1
25.	रा. उ. प्रा. वि., मूठडी	–	–	1
26.	रा. उ. प्रा. वि., थापन	–	–	1
27.	रा. उ. प्रा. वि., रानीदेशीपुरा	–	–	1
28.	रा. उ. प्रा. वि., दाखा	–	–	1
28.	रा. उ. प्रा. वि., धनवा	–	–	2
30.	रा. उ. प्रा. वि., जुमामीठाखेड़ा	–	–	3
31.	रा. उ. प्रा. वि., भूंका	–	2	2
32.	रा. उ. प्रा. वि., कमठाई	–	–	1
33.	रा. उ. प्रा. वि., सरड़ा	–	1	–

285

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 243 की सूची

तालिका

क्र. सं.	तालाबों का नाम	जिला	तहसील	वर्षवार व्यय (लाखों में)		
				87-88	88-89	89-90
1	2	3	4	5		
1.	गोपालपुरा	कोटा	किशनगंज	0.16	0.02	0.01
2.	उम्मेदसागर	,,	,,	1.26	0.80	5.80
3.	केलवाड़ा	,,	,,	0.13	1.11	1.15
4.	भंवरगढ़	,,	,,	1.16	0.41	0.44
5.	कालीसोत	,,	,,	0.10	1.19	0.19
6.	सीताबाड़ी सारन	,,	,,	0.10	0.23	—
7.	बिलास	,,	,,	0.05	0.20	0.13
8.	छत्रपुरा	,,	,,	0.06	0.87	0.55
9.	मोहदरी	,,	,,	0.04	0.39	0.07
10.	नाहरगढ़	,,	,,	0.03	1.04	0.78
11.	बांदीपुरा	,,	,,	0.01	0.09	0.04
12.	फालदी	,,	,,	0.01	—	0.57
13.	इकलेरा सागर	,,	,,	1.22	3.35	0.09
			योग :-	4.33	9.70	15.53

1	2	3	4	5		
14.	रतई	कोटा	शाहबाद	0.46	0.33	0.53
15.	खटका	,,	,,	0.09	0.20	0.84
16.	सहरोल तलेटी	,,	,,	0.27	0.28	0.22
17.	बगदेव	,,	,,	0.09	0.38	0.66
18.	रामपुरा	,,	,,	0.05	0.90	0.31
19.	पंचकुई	,,	,,	—	0.59	0.04
20.	सेमली फाटक	,,	,,	0.10	0.62	0.09
21.	सिरसीपुरा	,,	,,	0.05	0.41	0.27
22.	रामगढ़	,,	,,	0.02	0.43	—
			योग :–	1.13	4.14	2.96
			कुल योग :–	5.46	13.84	18.49

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूची

चूरू जिले में स्थित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय का तहसीलवार विवरण

क्र. सं.	तहसील का नाम	माध्यमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय
1	2	3	4	5
1.	चूरू	10	61	98
2.	सुजानगढ़	12	46	132
3.	तारानगर	13	28	77
4.	राजगढ़	16	58	169
5.	रतनगढ़	10	38	77
6.	श्रीडूंगरगढ़	16	35	90
7.	सरदारशहर	13	42	174
	योग :—	90	309	727

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 250 की सूची

राज्य सरकार द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को चालू करने एवं संचालित करने हेतु किये जा रहे उपायों का विवरण

1. नई विक्रय कर योजना 1989/डेफरमेंट योजना 1989 के अनुसार अब प्रोत्साहन योजनाओं की पूर्ण समयावधि के दौरान रूग्ण होने वाली सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को जो बी. आई. एफ. आर' द्वारा रूग्ण घोषित की गई है एवं केन्द्रीय/राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों द्वारा पुर्नजीवन कार्यक्रम के अन्तर्गत ली गई है। ऐसी रूग्ण वृहद एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को स्थाई पूंजी विनियोजन के 125 प्रतिशत तक देय बिक्री कर दायित्व का 50 प्रतिशत तक लाभ प्राप्त होगा। यह लाभ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में चिह्नित रूग्ण इकाइयों को अधिकतम 7 वर्ष एवं बिना पिछड़े जिलों में 5 वर्ष की अवधि तक प्राप्त किया जा सकेगा।

2. इसके अतिरिक्त रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुर्नउत्थान हेतु विद्युत सम्बन्धि सुविधाओं के लिए भी राज्य विद्युत मण्डल को 4/7.3.89 को निर्देश दिये जा चुके है। निर्देशों के अनुशार रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में रूग्णता का प्रमाण पत्र जारी होने पर उन्हें निम्न सुविधायें प्राप्त हो सकेगी :—

   (क) ऐसी इकाई से बिजली प्रदाय के सम्बन्ध में विच्छेद की तिथि से विद्युत कनक्शन पुन: जोड़े जाने की तिथि की अवधि में न्यूनतम प्रभार (मीनिमम चार्जेज) वसूल नहीं किये जायें। विद्युत प्रदाय कनेक्शन पुन: जोड़े जाने के समय ऐसी इकाई से यदि वह एच. टी. कन्जूमर है तो केवल बिजली सप्लाई विच्छेद के समय बकाया देय राशि लेट पेमेंट सरचार्ज के स्थान पर 15 प्रतिशत ब्याज की दर से ही वसूल की जावेगी।

   (ख) ऐसी औद्योगिक इकाइया पुर्नचालन कर दो वर्ष के लिए बिजली कटौती से मुक्त रहेगी। यदि किसी कारणवश यह सम्भव नहीं हो तो बिजली कटौती सालान्य इकाइयों की तुलना में 50 प्रतिशत तक सीमिति रहेगी।

3. विद्युत शुल्क बकाया की वसूली पांच वर्ष तक के लिए स्थगित तथा ब्याज, जुर्माना एवं दण्डनीय ब्याज का अधित्याग (वेवर)।

4. विक्रय कर/क्रय कर तथा विद्युत शुल्क की बकाया राशि के भुगतान का पुर्ननिर्धारण।

5. रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि (सरप्लस लैण्ड) को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/संस्था/समिति के माध्यम से बेचान कर प्राप्त धनराशि में रूग्ण इकाई के पुर्नसंस्थापन/पुर्नचालन हेतु अनुमोदित पैकेज के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राशि उपलब्ध कराई जावेगी।

6. रूग्ण औद्योगिक इकाई की भूमि को वित्तीय संस्थानों/बैंकों, जिनमें इकाई द्वारा ऋण प्राप्त किया गया है के पास गिरवी रखने हेतु राज्य सरकार की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

7. रूग्ण औद्योगिक इकाइयों पर राजकीय विभागों की बकाया का भुगतान करने हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों की प्रत्याभूति देने पर बल दिया जावेगा।

8. औद्योगिक शांति एवं निर्बाध आर्थिक विकास हेतु प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के मध्य राज्य सरकार (श्रम विभाग/वित्त विभाग) के माध्यम से उचित समझौता कराने में सहायता प्रदान की जावेगी।

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	47	17	श्री भैरोंसिह शेखाषत	श्री भैरोंसिह शेखावत
2.	64	60	श्री गुलाम मुस्तफा खान	श्री गुलाम मुस्तुफा खान
3.	71	10	श्री गणपतराम गाडेगावलियां	श्री गणपतराम गाडेगावलिया
4.	72	28	श्री गुलाम मुस्तफा खान	श्री गुलाम मुस्तुफा खान
5.	83	11	श्री गुलाम मुस्तफा खान	श्री गुलाम मुस्तुफा खान
6.	148	1	श्री प्रद्य्म्नसिह	श्री प्रद्युम्न सिह
7.	212	8	(सगरिया)	(संगरिया)
8.	231	12	(पाटन)	(केशोरायपाटन)